शुक्रवार, 27 जून 1980

6 आषाढ़, 1902 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]


लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

## विषय-सूची

अंक 14, शुक्रवार, 27 जून, 1980/6 आषाढ़, 1902 (शक)


| विषय | पृष्ठ |
| --- | --- |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर : | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 285 से 292 और 294 | 1—19 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर : | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 284, 293, 295, 296 और 298 से 304 | 19—36 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 2136 से 2280, और 2282 से 2313 | 36—177 |
| बागपत में हुई घटना तथा कई अन्य मामलों के संबंध में सभा में हुई चर्चा के कथित गलत प्रकाशन के बारे में | 177—180 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | 180—182 |
| आसाम विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1980 | 183 |
| अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | 183—195 |
| दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में चीनी के मूल्यों में भारी वृद्धि के समाचार | |
| श्री कमला मिश्र मधुकर | 183 |
| श्री वीरेन्द्र सिंह राव | 183 |
| श्री रामावतार शास्त्री | 187 |
| सभा का कार्य | 195—201 |
| कार्य-मंत्रणा समिति | 201—203 |
| छठा प्रतिवेदन | |


*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| नियम 377 के अधीन मामले | 203—207 |
| (एक) मध्यप्रदेश सरकार के पास पड़े उर्वरक के भंडार का मूल्य न बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में | |
| डा० वसन्त कुमार पंडित | 203 |
| (दो) कोक ब्रिकट के उत्पादन के लिए ब्रीज कोक की अत्यधिक कमी का समाचार | |
| श्री सोमनाथ चटर्जी | 203 |
| (तीन) हाथ से कते सूत की कीमतों में वृद्धि के कारण केरल में हथकरघा उद्योग पर आये संकट का समाचार | |
| श्री जी० एम० बनातवाला | 204 |
| (चार) दंडकारण्य परियोजना को बंद करने के बारे में पुनर्वास मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में | |
| श्री निरेन घोष | 205 |
| (पांच) मछुओं के लाभ के लिये तिरुनेलवेली (तमिलनाडु) के वेम्बर नामक स्थान पर नौका जेट्टी के निर्माण की आवश्यकता | |
| श्री डी०एस०ए० शिव प्रकाशम | 206 |
| (छः) भारतीय सैनिक अधिकारियों का 1971 से पाकिस्तान में लापता होने का समाचार | |
| श्री चन्द्रपाल शैलानी | 206 |
| (सात) झारखंड प्रान्त के लिये किया जा रहा कथित आंदोलन | |
| श्री नारायण चौबे | 207 |
| सामान्य बजट, 1980-81—सामान्य चर्चा | 207—234 |
| श्री इन्द्रजीत गुप्त | 207 |
| श्री चरणजीत सिंह | 216 |
| श्री जेवियर अराकल | 223 |
| डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी | 226 |
| श्री मनोरंजन भक्त | 232 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|


विधेयक पुरःस्थापित— 234—236

(एक) भारतीय वन (संशोधन) विधेयक (धारा 36 क का अन्तःस्थापन)

श्री पी० राजगोपाल नायडू 234

(दो) सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक (धारा 104 और 135 का संशोधन)

श्री बापूसाहिब पारुलेकर 235

(तीन) गुड़ बोर्ड विधेयक

श्री पी० राजगोपाल नायडू 235

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव 235

(पांच) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में पदों का आरक्षण (पिछड़े वर्गों के लिए) विधेयक

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव 236

संविधान (संशोधन) विधेयक 236—253
(आठवीं अनुसूची का संशोधन) डा० कर्णं सिंह—वापस लिया गया
विचार करने का प्रस्ताव

श्री सत्यगोपाल मिश्र 236

श्री सी० पलानी अप्पन 238

श्री मूल चन्द डागा 239

श्री झारखंडे राय 242

श्री के० मायातेवर 244

श्री गिरिधर गोमांगो 245

श्री फारूक अब्दुल्ला 247

श्री पी० वेंकटसुब्बया 248

डा० कर्णं सिंह 250

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 19 और 326 का संशोधन) प्रो० मधु दंडवते | 253—270 |
| विचार करने का प्रस्ताव | |
| प्रो० मधु दंडवते | 253 |
| श्री एम० एम० लारेंस | 260 |
| श्री बापूसाहिब पारुलेकर | 261 |
| श्री के० अर्जुनन | 263 |
| श्री आर० के० महालगी | 264 |
| श्री ज़ेवियर अराकल | 265 |
| श्री विजय कुमार यादव | 266 |
| श्रीमती कृष्णा साही | 267 |
| श्री मूल चन्द डागा | 269 |

# लोक सभा

शुक्रवार, 27 जून, 1980/6 आषाढ़, 1902 (शक)

---

**लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।**

---

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

---

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### लघु एककों के लिए वित्तीय रियायतें

***285. श्री आर० के० महालगी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरेशन ग्राफ एसोसिएशन आफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज (एफ० ए० एस० एस० आई०) ने मांग की है कि बिजली की भारी कमी के कारण हुई उत्पादन की हानि को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक और वित्तीय रियायतों के रूप में तत्काल सहायता दी जाए ;

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है, यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि निर्णय ले लिया गया है, तो क्या सभी संबंधित व्यक्तियों को उसकी सूचना दे दी गई है ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) :** (क) भारतीय लघु औद्योगिक धंधों के महासंघ (एफ० ए० एस० एस० आई०) द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पूर्व अभ्यावेदन में लघु क्षेत्र में उत्पादन में कमी होने का एक कारण बिद्युत की कमी होना बताया गया है । उत्पादन में फिर से तेजी लाने के लिए अनेक राजकोषीय और वित्तीय रियायतें देने का सुझाव दिया गया है ।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा हाल के बजट में जो, इस समय संसद के समक्ष है, लघु उद्योगों को कुछ राजकोषीय रियायतें दी गई हैं । क्योंकि ये बजट का अंग हैं, इसलिए सभी सम्बद्ध पक्षों को उनकी सूचना देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री आर० के० महालगी :** उत्तर में यह बताया गया है कि उत्पादन को फिर चालू करने के लिए उन्होंने अनेक आर्थिक सम्बन्धी और वित्तीय रियायतों का सुझाव दिया है । क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि भारत के लघु उद्योगों की एसोसिएशनों की फेडरेशन ने क्या सुझाव दिए जिनसे लघु स्तर के क्षेत्र की सेवा की जाए और कि मौजूदा बजट के

अनुसार लघुस्तरीय उद्योगों को प्रदान की गयी राजस्व सम्बन्धी सहायता से समस्या का समाधान हो जाएगा ?

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक उनके अनुरोध का सम्बन्ध था, उसमें सामान्य वस्तुओं जैसे कच्चे माल की सप्लाई, बिजली की सप्लाई आदि को शामिल किया गया था । परन्तु, जहां तक राजस्व सम्बन्धी सहायता का प्रश्न है, वे चाहते थे कि उत्पादन शुल्क में छूट 30 लाख रुपए तक बढ़ा दी जानी चाहिए जैसा कि यह जनता शासन के बजट से पूर्व थी । अब हमने यह राहत दे दी है । केवल वही नहीं । हमने 72 वस्तुओं के सम्बन्ध में कुछ ज्यादा राहत दी है, वह है, 5 लाख से 15 लाख रुपए तक की निकसी के सम्बन्ध में हमने उत्पादन शुल्क 25 प्रतिशत घटा दिया है और उन्होंने इन रियायतों के लिए सरकार को बधाई देते हुए पत्र और तार भेजे हैं ।

श्री आर० के० महालगी : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार उस एसोसिएशन की निम्नलिखित भागों से सैद्धान्तिक रूप से सहमत होगी और क्या उनको अमली जामा पहनाएगी ?

(क) लघु उद्योग इकाइयों की रियायती दरों पर उच्च प्राथमिकता के आधार पर सीधे निर्माताओं से और सरकारी एजेंसियों से कच्चा माल दिया जाना चाहिए और खासकर लघु स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र के लिए उनके पास एक निश्चित मात्रा सुरक्षित रखी जानी चाहिए ।

(ख) सरकारी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को परामर्श दिया जाना चाहिए कि वे लघु-उद्योग इकाइयों को सुविधाएं और सहायता देने में प्राथमिकता दें तथा उनसे कम दरों पर ब्याज वसूल करें ।

(ग) लघु स्तरीय उद्योगों की इकाइयों को सुविधाएं दिये जाने की प्रक्रिया सरल और समय बद्ध की जानी चाहिए क्योंकि वर्तमान औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उनके पास बड़ी संख्या में लिपकीय कर्मचारी नहीं हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : जहा तक कच्चे माल की आपूर्ति का सम्बन्ध है, राज्य उद्योग विभाग उनको 'कच्चा माल केन्द्रों, के माध्यम से इसकी व्यवस्था करते हैं । उनके पास लघु उद्योग विकास निगम भी है, जिनके माध्यम से वे (राज्य) सहायता प्रदान करते हैं। वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में हमने उन्हें पहले ही अनुदेश दे दिए हैं कि प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए और जहां तक संभव हो सके बहुत ही कम अवधि में ऋण स्वीकृत कर देने चाहिए। हमने उनके लिए समय निर्धारित कर दिया है । उदाहरण के लिए, छोटी इकाइयों के सम्बन्ध में यह नौ सप्ताह के भीतर कर दिया जाना चाहिए और दूसरी इकाइयों के मामले में हमने कहा है कि "जितना शीघ्र संभव हो सके ।" इसलिए, हम आशा करते हैं कि इन उपायों को कार्यान्वित किया जाएगा और लघु स्तरीय उद्योगों को सुविधाएं मुहैया की जाएगी ।

श्री एन० के० शेजवलकर : अध्यक्ष महोदय, अपना प्रश्न रखने से पूर्व मैं, लिखित रूप में दिए गए उत्तर के भाग (ख) के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । महोदय, लगभग नौ दिन पहले बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है । मैं समझता हूं कि उत्तर ठीक होना चाहिए और लिखित उत्तर के भाग (ख) के तहत एक विस्तृत उत्तर भी दिया जाना चाहिए ताकि हम यह

जान सकें कि मौजूदा स्थिति क्या है। जहां तक भाग (ग) का सम्बन्ध है, सम्बद्ध पार्टियों या एसोसिएशनों को संभवत: सूचित किया गया हो।

बजट पर सदन में चर्चा चल रही है। परन्तु हमें पूरा विवरण क्यों नहीं दिया गया है ? क्या माननीय मंत्री महोदय अब सदन को विवरण देने की कृपा करेंगे।

**श्री आर० वेंकटरामन :** मेरे माननीय दोस्त ने प्रश्न और उत्तर को गलत समझा है। प्रश्न यह था : यदि निर्णय ले लिया गया है, तो क्या सभी सम्बद्ध पक्षों को उससे अवगत करा दिया गया है, जो कि लघु उद्योग हैं।

**श्री एन० के० शेजवलकर :** मैं वह नहीं कर रहा हूं। मैं समझ सकता हूँ कि प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में आपका उत्तर सही है, लेकिन जहां तक इस सदन का सम्बन्ध हैं, माननीय मंत्री महोदय को इसका विस्तृत उत्तर देना चाहिए था कि बजट में किन उपायों का सुझाव दिया गया है अथवा व्यवस्था की गई है, क्योंकि बजट नौ दिन पहले प्रस्तुत कर दिया गया है।

**श्री आर० वेंकटरामन :** मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य महोदय उत्तर को पढ़ें। मैंने यह नहीं कहा है, मैं उसे दोहराता हूं। मैंने नहीं कहा है कि मैं विवरण नहीं दे सकता। दूसरी ओर, मैंने जो कहा वह यह है कि मैंने बजट में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इसलिए, सभी सम्बद्ध पक्षों को इन बातों से अवगत कराए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब यह एक सरकारी दस्तावेज है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं आपके और सदस्य के बीच समझने में कमी है।

**श्री नवल किशोर शर्मा :** रोजगार आदि की व्यवस्था करने के लिए बड़े और लघु उद्योग दोनों ही इस देश के लिए 'आवश्यक' हैं। परन्तु लघु स्तरीय उद्योगों द्वारा सामना की जा रही मुख्य समस्या विपणन सुविधाओं की हैं। उत्पादों के मानकीकरण और उत्पादों के विपणन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय क्या कार्यवाही प्रस्तावित करते हैं ताकि इन सुविधाओं के अभाव में लघु स्तर के उद्योगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े ?

**श्री आर० वेंकटरामन :** यह प्रश्न उद्योग मंत्रालय से सम्बद्ध है।

**डा० वसन्त कुमार पंडित :** यह बताया गया है कि कच्चा माल राज्य उद्योग निगम तथा विभिन्न अन्य निकायों के माध्यम से भेजा जाता है। असली दिक्कत केवल यही आती है। लघु उद्योगों को इस निगम से अपना कोटा नहीं मिल पाता जबकि बड़े और वृहत उद्योग बड़े निर्माताओं से भारी मात्रा में कच्चा माल प्राप्त कर लेते हैं। विगत तमाम वर्षों से यह एक पुरानी शिकायत रही है। इस बात की निगरानी करने के लिए सरकार का कौन से विशेष कदम उठाने का विचार है कि लघु उद्योगों को समय से कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है ताकि उनका उत्पादन कार्यक्रम अस्त-व्यस्त न हो।

**श्री आर० वेंकटरामन :** फिर यह ऐसा मामला है जो उद्योग मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आता है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** देश की सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति का प्रभावी होने के कारण माननीय मंत्री महोदय को इस आधार पर इस प्रश्न की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि यह प्रत्यक्ष रूप से

उनके मंत्रालय से सम्बद्ध नहीं है। यदि सरकार बैंकों के माध्यम से लघु स्तर क्षेत्र को सहायता प्रदान कर रही है तो उसे यह बात देखनी होगी कि यह सहायता राशि उनको समय पर और शीघ्र मिले, जिससे कि वे अपनी आवश्यकतानुसार कच्चा माल यथाशीघ्र प्राप्त करें और कि उनके लिए वहां विपणन सुविधाएं हो जैसा कि श्री नवल किशोर जी ने ठीक ही कहा था। क्या सरकार इस उद्देश्य से किसी प्रकार की समन्वय व्यवस्था की स्थापना करने पर विचार नहीं करेगी? यदि प्रत्येक मंत्रालय इस बात का विचार किए बिना कि लघु स्तरीय क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, अपने अलग क्षेत्र का कार्य करता है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए क्या सरकार केन्द्र में विभिन्न मंत्रालयों की ऐसी समन्वयकारी व्यवस्था की स्थापना किए जाने का विचार नहीं करेगी जो राज्य सरकारों के सहयोग से समुचित विकास की योजना बनाएगी?

**श्री आर० वेंकटरामन** : उद्योग मंत्रालय ही समन्वयकारी व्यवस्था है जो बैंकों द्वारा दी जानेवाली सहायता, डी० जी० टी० डी० द्वारा कच्चे माल के आबंटन के आंकड़े प्राप्त करता है—ये सारे कार्य उद्योग मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं।

वित्तमंत्रालय जो कार्य करता है वह उत्पादन शुल्क रियायतों, वित्तीय रियायतों, बैंक सुविधाएं दिए जाने आदि से सम्बद्ध है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : इसलिए, उद्योग मंत्रालय का बैंकों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। यही मुद्दा है।

**श्री आर० वेंकटरामन** : हम सुविधाएं मुहैया करते हैं, और जब उद्योग मंत्रालय मिलकर काम करता है, वह सहायता के लिए वित्त मंत्रालय से कहता है।

**अध्यक्ष महोदय** : वे उस मंत्रालय से मिल कर कार्य करेंगे।

**प्रो० मधु दण्डवते** : एक खास सवाल। जहां तक लघु स्तरीय उद्योगों का सम्बन्ध है, रियायती दरों पर बैंकों से ऋण सुविधाएं उपलब्ध हैं। समुद्र तटवर्ती क्षेत्र इस बात पर जोर देते रहे हैं और मांग करते रहे हैं कि लघु स्तरीय उद्योगों को उपलब्ध होने वाले ये ऋण रियायती दरों पर मछली-उद्योग को भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मैं खास तौर पर यह जानना चाहता हूं कि क्या ये रियायतें मछली-उद्योग, मछुआरों को उपलब्ध कराई जाएंगी—क्योंकि वे भी लघु स्तरीय उद्योग के रूप में माने जा सकते हैं।

**श्री आर० वेंकटरामन** : मै सब कुछ नहीं जानता हूं। मुझे नोटिस दीजिए।

## भारतीय जूट निगम के गोदामों की क्षमता

*286. **श्री नीरेन घोष** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जूट निगम के गोदामों की क्षमता कितनी है तथा उसकी अद्यतन भण्डार स्थिति क्या है; और

(ख) इन भण्डारों के निपटान के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

**वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) निगम के पास इस समय लगभग 700 गोदाम हैं जिनकी कुल भण्डारण क्षमता लगभग 13 लाख गांठें है। 9-6-80 को उसके पास 12.56 लाख गांठों का स्टाक था।

(ख) निगम ने अधिग्रहण किये गये पांच मिलों को 2.92 लाख गांठें तथा गैर-सरकारी मिलों को 1.46 लाख गांठे बेची। वे स्टाकों को निपटाने के लिये सभी प्रयास कर रहे हैं।

श्री नीरेन घोष : इस तथ्य के परिवेक्षण में, कि जब श्री ललित नारायण मिश्र द्वारा जूट निगम की शुरुआत की गई तब बड़े जोर-शोर से इस बात की घोषणा की गई थी कि यह कच्चे जूट के व्यापार में उच्च स्थिति प्राप्त करने की दृष्टि से धीरे-धीरे अपने कार्यों को बढ़ाएगा, क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि यदि वहां गोदाम का स्थान है और क्या वहां ऐसे अधिगृहीत गोदाम हैं जिनको जूट उद्योग के निजी, बड़े व्यापार के प्रभावशाली लोगों द्वारा कच्चे जूट की खरीद के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है? क्या यह सही है कि खरीद गुप्त समझौतों और भण्डार को छिपाकर रखने के परिप्रेक्ष्य में, जब कीमतों में वृद्धि हुई थी, तो इसे बेचा नहीं गया था? क्या यह सही है कि इस कारण से 16 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ? और, विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं, और जूट उद्योग के बड़े व्यापारियों के साथ निगम प्रबंधकों की मिली भगत को ध्यान में रखते हुए, वह इस हानि को पूरा करने के लिए व्यय कर रहे हैं? क्या इस वर्ष भारतीय जूट निगम कम-से-कम 50 प्रतिशत कच्चा जूट प्राप्त कर सकेगा? यह पहला पूरक प्रश्न है।

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : यह सही है कि भारतीय जूट निगम की स्थापना वर्षों पहले की गई थी, इसका लक्ष्य था कि जूट के मूल्य नीचे नहीं गिरे और उत्पादक कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम लाभप्रद मूल्य प्राप्त करें। जूट निगम के कार्य संचालन में कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं। खास तौर पर वह समस्या जिसका कि आज हमें सामना करना पड़ रहा है। वहां भारी मात्रा में बिना बिका भण्डार है, जहां तक भारतीय जूट निगम का सम्बध है और जैसा कि मैंने पहले ही मुख्य उत्तर के पाठ में बता दिया है कि मौजूदा भण्डार 12.56 लाख गांठों के लगभग हैं। यह मुख्यतः दो कारणों से है—1978-79 और 1979-80 में उन्होंने लगभग 16 लाख गांठों की खरीद की थी। इसमें से वे 4 लाख के लगभग गांठों को निपटा सके थे। मुख्य कारणों में एक यह था कि एक काफी लम्बे समय तक जूट उद्योग में हड़ताल रही। जिसके परिणामस्वरूप, जूट मिलों ने इसे लिया नहीं। बंगाल में जूट मिलों की कार्यशैली के सम्बंध में, मैं माननीय सदस्य महोदय के इस विचार से सहमत हूं कि उन्होंने एक ऐसा ढर्रा बना लिया है जिसमें उत्पादक को हमेशा वंचित कर दिया जाता है और बिचौलिए लाभ उठा जाते हैं। वहां इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। उत्पादक इसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। यही कारण है कि हम बार-बार भारतीय जूट निगम पर इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि वे सीधे उत्पादकों से खरीद करें और उन्हें अनेक ऐसे खरीद केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए जहां वे उत्पादकों से प्रत्यक्ष सम्पर्क कर सकें।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या उन्हें पर्याप्त धन प्रदान किया गया है?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं इस व्यवधान का उत्तर दूंगा। जहां तक धन का सम्बंध है, हम धन देते हैं। यदि वाणिज्यिक संगठन केवल लेता ही जाये और उसे लौटाना उसके लिए असम्भव हो तो स्वभावत: ऐसी स्थिति आ सकती है जब आप उससे आगे नहीं जा सकते। जहां तक वर्तमान भण्डार का सम्बन्ध है, हमने गणना कर ली है कि लगभग 13 करोड़ रुपये का घाटा होगा और इसे राजकोष से पूरा किया जायेगा, क्योंकि यदि वे उपलब्ध भण्डार में से ही देना चाहेंगे तो

शायद उन्हें काफी घाटा उठाना पड़े । आज एक ओर जिस समस्या का इसे सामना करना पड़ रहा है वह यह है कि इस बार पटसन की भरी पूरी फसल होगी और यदि वे बाजार में नहीं बेचें तो स्वाभाविक रूप से कीमतों में भारी गिरावट आयेगी । अतः इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए, पटसन निगम के अधिकारियों से मैंने मामले पर पहले ही विचार कर लिया है और पश्चिमी-बंगाल के मुख्य मंत्री से भी विचार-विमर्श कर लिया था। हम एक ऐसा मार्ग निकालने की बात सोच रहे हैं जिससे यह निश्चित हो जाए कि पटसन की खेती करने वालों को उसकी न्यूनतम लागत से तो हाथ न धोना पड़े और कीमतों में कमी न आ जाए। जहां तक मात्रा का सम्बंध हैं जैसी कि माननीय सदस्य ने सलाह दी है, क्या यह बताना मेरे लिए सम्भव है, क्या भारतीय पटसन निगम कुल फसल का 50% क्रय करने की स्थिति में है, इसका मतलब हुआ 40 लाख गाँठें, क्योंकि उत्पादन लगभग 80 लाख गांठों का होगा—इस तरह मात्रा बताना मेरे लिए संभव न हो सकेगा।

श्री नीरेन घोष : मुझे खेद है कि माननीय मंत्री जी ने किसी सीमा तक सदन को गुमराह किया है। उन्होंने गलत वक्तव्य दिया है, जिसे उन्हें ठीक करना चाहिये। जबकि पटसन उद्योग के बड़े व्यापारी जो कि सारी फसल को खरीद लेते हैं कोई घाटा नहीं उठा रहे हैं तो भारतीय पटसन निगम को कैसे 13 करोड़ रुपये का घाटा हो गया। क्या ऐसा इसलिए हुआ कि जब कीमतें बढ़ गयीं तो, उन्होंने भण्डार को, माल को बेचा ही नहीं? क्या यह सच है कि सभी संगठन, श्रमिक संघ आदि ने प्रति क्विन्टल 300 रुपए की मांग की है जबकि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने ऊंची कीमत की मांग की है, परन्तु उन्हें वैसी कीमतें नहीं दी गयीं। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि प्रति क्विन्टल लगभग 300 रुपए निश्चित किये जायेंगे और वह यह भी देखेंगे कि एक भी क्विन्टल की कीमत इससे नीचे नहीं गिरे। जनता सरकार ने 27 लाख गांठें खरीदने का निर्णय लिया। क्या जूट उद्योगपतियों के साथ शुरू से ही कार्य मिलीभगत है और आप इस निर्णय को निरर्थक करना चाहते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : इस वर्ष 14 जनवरी से सत्ता में आने पर हमने उत्तरदायित्व सम्भाल लिया है। मैं माननीय सदस्य को पहले ही बता चुका हूं कि 1978-79 में क्या स्थिति थी। उन्होंने लगभग 16 लाख गांठों की खरीद की और वे उनका निपटारा नहीं कर सके।

श्री नीरेन घोष : आखिर क्यों ?

श्री प्रणब मुखर्जी : हमने अब उनका निपटारा करने का निर्णय लिया है। वे क्यों नहीं उनका निपटारा कर सके उसका एक कारण यह भी है कि लम्बे समय तक हड़ताल चलती रही थी। दूसरा कारण यह था कि उन्होंने बहुत ही घटिया किस्म की पटसन क्रय की थी। वास्तव में, कुल भण्डार का 67 प्रतिशत घटिया किस्म का पटसन है जिसके लिए कोई खरीददार तैयार नहीं है। तीसरे, पिछली सरकार ने निर्यात के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। अतः गत दो वर्ष से कच्चे पटसन का निर्यात ही न हो सका, जोकि पटसन निगम का काम था। इन सभी कारणों के मिल जाने से घाटा आया। जहां तक इस वर्ग का प्रश्न है, मैंने भारतीय जूट निगम को पहले ही बोल दिया है उनको किस ढंग से इसको ठिकाने लगाना है और उन्हें निर्यात की भी अनुमति दे दी गई है। परन्तु अनेक कारणों से, मैं आंकड़ों को उद्धृत करना नहीं चाहूँगा क्योंकि जिस क्षण मैं यह कहूंगा कि हम इतना निर्यात करना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें इससे

प्रभावित होंगी, चूंकि कुछ अन्य देश की कच्चे पटसन का निर्यात करते हैं। परन्तु कच्चे पटसन का निर्यात करने का भी निर्णय ले लिया गया है और कच्चे पटसन को विशेषकर उन मिलों को देने का निर्णय लिया है जोकि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकारों के नियंत्रण में है। वे इसे भारतीय पटसन निगम से क्रय करेंगे। वे भी तो सरकारी क्षेत्र के संगठन हैं, उन्हें भी पटसन की गुणवन्ता, कोटि (किस्म) को देखना है।

**श्री नीरेन घोष** : इच्छित दिशा में मोड़ प्रदान करने वाली योजना का क्या हुआ ?

**श्री प्रणव मुखर्जी** : मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमने उन्हें निर्यात करने की अनुमति दे दी है और स्वाभाविक है कि हम यह देखना चाहेंगे कि निजी व्यापारियों के बदले भारतीय पटसन निगम को इसमें वरीयता मिले। अन्यथा निजी व्यापारी निर्यात करेंगे और वे स्टाक के साथ रह जायेंगे। रही 27 लाख गांठों की एकाधिकारिक खरीद, मैं माननीय सदस्यों को अपनी जानकारी दे देता हूं। यदि वे 16 लाख गांठों को ठिकाने लगाने की स्थिति में नहीं है तो 27 लाख गांठें खरीदने के लिए कहने में क्या तुक थी ? किसी संस्था, संगठन की जांच उसकी निष्पादकता से की जानी चाहिये। (व्यवधान)

**श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** : मेस्ता विशेषकर आंध्रप्रदेश के उत्तरी भागों में भारी मात्रा में पैदा किया जाता है। सरकार ने हाल ही में एक निर्णय लिया है कि इसकी खरीद केवल भारतीय पटसन निगम करेगा और प्राइवेट व्यापारियों और व्यवसायियों को इसे बोने वालों से प्रत्यक्षरूप में क्रय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। होता यह है कि भारतीय पटसन निगम अपने स्टाक को सीधे ही उत्पादकों से प्राप्त कर रहा है। इसे भण्डारण की सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं हैं। सामान्यतया, उनके पास खुले बाजार यार्ड है और मेस्ता तन्तु को वहां रखना सुरक्षित नहीं है। प्राइवेट व्यापारियों को इसे सीधे किसानों से खरीदने की अनुमति न दिये जाने के परिणामस्वरूप उत्पादकों और अन्य लोगों को अनेकानेक गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड रहा है। क्या वे यह देखने के लिए तुरन्त कदम उठाएंगे कि या तो भारतीय पटसन निगम इसका क्रय करें और इन मण्डी व्यापारियों और मुनाफ़ाखोरों से इसे दूर रखे या फिर आपको कम से कम प्राइवेट व्यवसायियों को इसे खरीदने की अनुमति दी जाए, जिससे किसानों और उत्पादकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

**श्री प्रणव मुखर्जी** : जहां तक इसका सम्बन्ध है, इस पर रोक नहीं लगाई है क्योंकि भारतीय पटसन निगम इसके क्रय का एकाधिकार रखने की स्थिति में नहीं है। रही भण्डारण सुविधाओं और गोदामों की उपलब्धता की बात तो हम आन्ध्र प्रदेश सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं।

### संयुक्त क्षेत्र के नये प्रतिष्ठानों का पूंजीगत ढांचा

*287. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्थापित किये जाने वाले संयुक्त क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में पूंजी की भागीदारी के माध्यम से राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात उत्पादन का नया रूप दिये जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त (क) भाग के लिये किस मुख्य बात पर विचार किया जा रहा है ;

(ग) ऐसे संयुक्त उद्यमों में पूंजी की प्रस्तावित भागीदारी कितनी है ;

(घ) अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ;

(ङ) क्या सरकार राज्य सरकारों, औद्योगिक वित्त निगम तथा जनता जैसे अन्य भागीदारों को भी इन प्रतिष्ठानों के पूंजी ढांचे में शामिल करने पर विचार कर रही है ; और

(च) क्या ऐसे सहयोग के अन्तर्गत आने वाली मदों के विवरण का पता लगाया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी हां। राज्य व्यापार निगम की यह योजना है कि अगर आवश्यक हो तो प्रौद्योगिकी अन्तरण, विपणन तथा वित पोषण में सहायता पहुँचा कर संयुक्त उद्यमों में भागीदारी के माध्यम से अपने निर्यातों के लिए निर्यात क्षमता स्थापित की जाए।

(ग) तथा (घ) ऐसी परियोजनाओं के बारे में अलग-अलग मामले के आधार पर विनिश्चय लिए जाएंगे।

(ङ) गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्र के संगठनों पर विचार किया जाएगा, लेकिन भागीदारों का चुनाव अलग-अलग मामले में अलग-अलग होगा जो रुचि एवं क्षमता आदि पर निर्भर होगा।

(च) आरम्भ में, क्षमता स्थापित करने के लिए जिन उत्पाद श्रेणियों का पता लगाया गया है, वे ये हैं : चमड़े के उत्पाद, साधित खाद्य पदार्थ तथा समुद्री उत्पाद। तथापि अन्य उत्पादों पर भी विचार किया जाएगा जो प्रौद्योगिकी के अधिष्ठापन की आवश्यकता तथा निर्यात बाजार की विकास संभाव्यता पर निर्भर होगा।

श्री गुलाम रसूल कोचक : अन्य लोगों के साथ प्रौद्योगिकी और वित्तीय विपणन का सहभागी बनते हुए राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात उत्पादन को नया रूप देने की बात सरकार ने स्वीकृत कर ली है। क्या यह देश के हित में नहीं रहेगा यदि इसी प्रकार की योजनाएं अन्य निर्यात-संगठनों पर भी लागू कर दी जाए ?

श्री प्रणब मुखर्जी : मुख्य उत्तर में मैंने ये बात कही थी कि हमने अभी शुरुआत की है और कुछ और क्षेत्रों का पता लगाया गया है, जैसे ही निर्यात में वृद्धि होगी और मण्डी हमें उपलब्ध होगी हम बहुत सी अन्य वस्तुएं भी इसमें शामिल कर लेंगे।

## आंध्र प्रदेश में पर्यटन का विकास

*288. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन के विकास की योजनायें आरंभ कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) आगामी पांच वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में दुगनी वृद्धि को देखते हुए तदनुकूल सुविधाओं का बन्दोबस्त करने की दृष्टि से पर्यटन योजना पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है उनमें ये उपाय शामिल है (1) यात्रा परिपथों का पता लगाना और उनका विकास करना और (2) इन यात्रा परिपथों के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रों पर पर्याप्त रूप से आधारित संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करना। इस उद्देश्य के लिए राज्य के पर्यटन अधिकारियों से बातचीत की गयी थी, और पर्यटन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, द्वारा इस संबंध में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। उनके प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

श्री पी० राजगोपाल नायडु : जहां तक नागार्जुनसागर की बात है वहां पर तो पर्यटन सुविधाएं देनी ही पड़ेगी। उसके प्रति सरकार का क्या रुख है?

नौवहन तथा परिवहन और पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : जैसा कि बताया जा चुका है, देश के पर्यटन अधिकारियों की एक बैठक में सारे देश को चार क्षेत्रों में बांटा गया है। आंध्र प्रदेश के लिए निम्नलिखित यात्रा-परिपथ चुने गये हैं :-

हैदराबाद-नगार्जुनकोंडा-वारंगल
हैदराबाद-अमरावती-विजयवाड़ा
लेपाकाशी; बंगलोर से।

यह पहले ही बताया जा चुका है कि हम आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे ही वह प्रस्ताव प्राप्त हो जाता है तो हम यथाशीघ्र कार्यक्रम को लागू करने के लिए उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री पी० राजगोपाल नायडु : जहां तक चित्तूर की होरसले हिल्स का सम्बन्ध है, वहां पर हम पर्यटन सुविधाएं जुटाना चाहते थे। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या वे इस दिशा में कार्यवाही करेंगे?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : इस समय आन्ध्र राज्य को चार परिपथों में विभाजित कर दिया गया है। उसके अतिरिक्त हमारे समक्ष और कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी हैं कि आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर हाल में की गई खुदाई में बौधों के प्राचीन स्तूप, मंदिर तथा मूर्तियां आदि प्राप्त हुई हैं? क्या सरकार का विचार इन स्थानों को पुनरुज्जीवित करने का, उनका पुनरुद्धार करने का और उनको आकर्षक बनाने का है ताकि विदेशों से आने वाले पर्यटक उनकी ओर आकर्षित हो सकें और देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : इसकी जानकारी अभी नहीं है। अगर जानकारी हो गई और आंध्र प्रदेश सरकार इनके लिए प्रोपोजल्ज भेजेंगी तब हम उस पर विचार करेंगे।

श्रीमती कृष्णा साही : आंध्र प्रदेश के अलावा, बिहार तथा दूसरे प्रान्त यहां पर बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं, उनकी ओर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई विकास योजनायें सरकार के विचाराधीन है?

अध्यक्ष महोदय : यह इस सवाल से सम्बन्ध नहीं रखता है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि पूरे दक्षिण में आंध्र प्रदेश ही उपेक्षित पड़ा हुआ है। तीन चार वर्ष पूर्व हमने कुछ सुविधाएं दिये जाने के लिए आग्रह किया था। कई स्थानों के लिए वायु सेवा उपलब्ध नहीं है अब वे खजुराहो एवं आगरा के महत्व पर बल दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री एम० सत्यनारायण राव : पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कुछ नहीं किया गया। इसलिए मंत्री महोदय को ……

अध्यक्ष महोदय : असंगत।

श्री जेवियर अराकल : वस्तुतः भारतीय पर्यटकों को उड़ीसा नहीं ले जाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप उड़ीसा के बारे में किसी और समय पूछ सकते हैं। यह प्रश्न उसके सम्बन्ध में नहीं है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे नोट कर लिया है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं पहले ही बता चुका हूं कि विभिन्न वर्गों के लिए आवास स्थल, परिवहन, पानी, बिजली की सप्लाई इत्यादि सभी सुविधाएं इस योजना में सम्मिलित की जायेंगी। मेरा माननीय मित्र से निवेदन है कि आंध्र प्रदेश सरकार से शीघ्र अपना प्रस्ताव भेजने को कहें क्योंकि हम एक अनुस्मारक भी भेज चुके हैं।

### बम के आतंक के कारण इन्डियन एयरलाइन्स के बोइंग 737 की उड़ान का रोका जाना

*289. श्री अर्जुन सेठी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम के आतंक तथा तकनीकी खराबी के कारण 30 मई, 1980 को इन्डियन एयरलाइन्स की बोइंग 737 उड़ान को लगभग 5 घंटे तक रुकना पड़ा,

(ख) क्या पिछले छः महीनों के दौरान भी ऐसी ही घटनाएं हुई थीं कि एक अपरिचित आवाज सुनी गई कि जहाज में एक बम रखा हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या-क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां। इन्डियन एयरलाइन्स की उड़ान सं० आई० सी०–440 जो मद्रास से 29.5.80 को 19.00 बजे रवाना होनी थी, 5 घंटे और 5 मिनट विलंबित हुई। उड़ान 30.5.1980 को 0005 बजे रवाना हुई।

(ख) और (ग) जी, हां। बम के खतरे की वजह से की जाने वाली छानबीन के कारण जनवरी, 1980 से 15 जून, 1980 तक विलंब की तेरह घटनाएं हुई। स्टेशन-वार ब्योरा नीचे दिया गया है :—

| | |
|---|---|
| बम्बई | 4 |
| दिल्ली | 3 |
| मद्रास | 4 |
| हैदराबाद | 1 |
| बंगलौर | 1 |

**श्री अर्जुन सेठी** : मंत्री महोदय ने बताया कि जनवरी 80 से 15 जून, 80 तक के विमानों की तकनीकी खराबियों और विलम्ब से पहुंचने के मामलों के अलावा, बम के आतंक के कारण 13 मामले ध्यान में आये हैं। इनके कारण यात्रियों के भारी असुविधा तथा परेशानी हुई। भविष्य में विलम्ब के कारण ऐसी परेशानी न हो, इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

**नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)** : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूँ कि यात्रियों को असुविधा होती है, परन्तु यह ऐसा मामला है कि हम इसे रोक नहीं सकते। यह कार्यवाही यात्रियों तथा विमानों की रक्षा के लिए की जाती है। ऐसे बेनाम संदेश मिलने पर भी पूरी जांच की जाती है। मुझे खेद है कि इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते।

**श्री अर्जुन सेठी** : मैं जानना चाहता हूँ कि 13 गुमनाम संदेशों के मामले में कितनों का पता लगाया जा चुका है और यदि कोई नहीं पकड़ा गया तो सरकार उनका पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है।

**श्री अनन्त प्रसाद शर्मा** : पता लगाने का प्रश्न ही कहां है। हमें गुमनाम सूचना प्राप्त होती हैं, बेशक वह सच हो अथवा झूठ हमें सुरक्षात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। इसलिए इसमें पता लगाने का कोई मामला नहीं है।

**डा० फारूक अब्दुल्ला** : मैं जानना चाहता हूँ कि विमानों के अपहरण किए जाने के बाद भी हमारे हवाई अड्डों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है? इस देश में तो नहीं; परन्तु सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सामान के बारे में भी एक्स–रे की सुविधाएं हैं। क्या सरकार इन बेनाम बम के आतंक की चेतावनी से तथा विमानों की उड़ानों के विलम्ब से बचने के लिए हवाई अड्डों पर इन मशीनों को स्थापित करने के बारे में सोच रही है। मेरा विशिष्ट प्रश्न है कि क्या मंत्री महोदय एक्स–रे मशीनें लगाने की सोच रही हैं ताकि ऐसे खतरों के भय से बचा जा सके।

**श्री अनन्त प्रसाद शर्मा** : श्रीमान्, अभी तक ऐसा नहीं किया गया। यह कार्यवाही के लिए सुझाव हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप इसे नोट कर लेंगे।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जी हां।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, हवाई जहाजों को जबर्दस्ती उड़ा कर ले जाना अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन इसको रोकने के लिए सिर्फ कानून ही काफी नहीं है, इसके विरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रचार करने की भी जरूरत हैं। (व्यवधान) हर काम सिर्फ कानून से नहीं हो सकता है। उसके लिए प्रचार और आचार-संहिता भी जरूरी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया जा रहा है कि इस तरह के कुमर्म करने वालों को समाज में सम्मानित न किया जाये, जैसे आज हाईजैकर को पार्टी का टिकट देकर विधान सभा में भेजा जा रहा है। क्या सरकार हाईजैकिंग को रोकने की दृष्टि से कोई आचार-संहिता बनाने के लिए तैयार है?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री बागड़ी ने जो प्रश्न किया है, वह वह इस प्रश्न से नहीं उठता है। जहां तक हाईजैकिंग का सवाल है, हम सब लोग उसको बुरा समझते हैं। इसमें करने का तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम सब उसको बुरा मानते हैं।

श्री बापू साहिब पारुलेकर : श्रीमान, श्री सेठी द्वारा पूछे गये दूसरे अनुपूरक के बारे में इन गलत सूचनाओं को रोकने के मामले में मंत्री महोदय ने बताया कि जब भी सूचना प्राप्त होती है, जांच करनी होती है। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। परन्तु प्रश्न यह है कि बहुत से लोग बहुधा एसी जानकारी देते रहेंगे तथा उसकी जांच होती रहेगी और क्या सरकार के पास कोई ऐसी ऐजेंसी है ताकि इन शरारती तत्वों का पता लगाया जा सके। अन्यथा सभी उड़ाने विलम्बित होंगी (व्यवधान) सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री बापू साहिब परुलेकर : उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने क्या कहा······ (व्यवधान)

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : श्रीमन्, मैं नहीं जानता कि क्या माननीय सदस्य को कभी ऐसी गुमनाम सूचना मिली है अथवा नहीं तथा वह अपने अनुभव से बता सकें कि इसे रोकने के लिए क्या ढंग है···(व्यवधान) और मैं पहले ही बता चुका हूं यात्रियों तथा विमान की सुरक्षा के हित में हमें दुबारा जांच करनी पड़ती है।

## इण्डियन एयरलाइन्स को हुआ घाटा

*290. श्री एन०ई० होरो : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स को 1979-80 के दौरान 3 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी संभावनाओं का व्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) इन्डियन एयरलाइन्स ने वर्ष 1979-80 के दौरान लगभग 2.50 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान लगाया है।

(ख) इन्डियन एयरलाइन्स ने कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये सम्मिलित हैं : परिचालन में समय की पाबंदी, विमानों का अधिकतम उपयोग, आवधिक जांच तथा संधारण और यात्रियों के लिये बेहतर सुविधाएं आदि। विमानन ईंधन के मूल्य में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति करने के लिए, इन्डियन एयरलाइन्स को "फ्यूएल सरचार्ज" लगाने/इन्डियन एयरलाइन्स सैक्टर पर अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स टिकटों में निम्नलिखित दरों पर डॉलर किरायों में वृद्धि करने के लिए सरकार के अनुमोदन की सूचना दे दी गयी है :—

भारत के अन्दर बिक्री (अन्तर्देशीय किराये)

| | |
|---|---|
| (क) 350/— रुपए तक के सैक्टर किराये | किराये का 25% |
| (ख) 350/— रुपए से अधिक सैक्टर किराये | किराये का 20% |

विदेशों में बिक्री (डॉलर किराये)

इन्डियन एयरलाइन्स सैक्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स टिकटों के सम्बन्ध में— डॉलर किरायों पर एक समान रूप से 25% की वृद्धि।

श्री एन० ई० होरो : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि 2.5 करोड़ रुपये के घाटे और भविष्य में होने वाले किसी प्रकार के घाटे को सरकार का कैसे पूरा करने का इरादा है। अतः यात्रियों से अधिभार एकत्रित करने के अतिरिक्त घाटे को पूरा करने के लिए वे कौन से विशिष्ट उपाय करने जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हम घाटा उठा रहे हैं। 1979-80 में 2.5 करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा था, परन्तु अधिभार लगाकर हाल में किराये के समंजन के बाद स्थिति यह होगी कि 1980-81 के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स को कुल प्राक्कलित शुद्ध लाभ 10 करोड़ रुपये का होगा।

श्री ए० ई० टी० बैरो : क्या किरायों में वृद्धि के विरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालय ने कोई स्थगन आदेश जारी किया है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यदि गुजरात उच्च-न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया है तो हमें उसका विरोध करना होगा, इसके विरुद्ध अपील करनी होगी।

डा० कर्ण सिंह : यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जबकि आज से दस वर्ष पहले इण्डियन एयरलाइन्स लाभ कमाया करती थीं, आज सभी वायुयान नए होते हुए भी जिनमें एयर बस और बोइंग 737 सम्मिलित हैं, और काफी पैसा कमाने वाले हैं, हमें बताया गया है कि अभी अभी समाप्त हुए वर्ष में घाटा रहा है। निस्सन्देह इस पर फिर किसी और अवसर पर बहस की जा सकती है, परन्तु मंत्री महोदय से मैं विशेषरूप से पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय एयर इण्डिया और इण्डियन एयर-लाइन्स की सेवाओं के बीच निश्चित रूप से अधिकाधिक समन्वय

स्थापित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। सदन जिस एक बात से परिचित है वह है एयर इण्डिया भी घरेलू सम्पर्क के रूप में कार्य करती है और उनके बीच समन्वय की अनवरत समस्या रही है जिसके परिणामस्वरूप एयर लाइन्स घाटे में चल रही है। अतः मन्त्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि अब जबकि दोनों निगमों के बोर्ड बिल्कुल अलग हो गये है, यह निश्चित करने के लिए उन्होंने क्या-क्या कदम उठाए हैं जिससे कि एयर-इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन्स के बीच उचित समन्वय स्थापित हो जाए और सरकारी राजस्व के अनावश्यक घाटे को समाप्त किया जा सके ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : प्रथमतः मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि समन्वय की कमी और क्षमता की उपयोगिता की कमी के कारण राजस्व में घाटा पिछली सरकार के कार्यकाल में आया था। जब मैं कहता हूं कि पिछली सरकार तो उससे मेरा मतलब जनता सरकार से होता है न कि उस सरकार से जिसमें डा० करण सिंह मंत्री थे।

दोनों एयरलाइनों में उचित समन्वय बनाए रखने के लिए हर प्रकार के कदम उठाये गये है और यदि इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो मैं वह भी प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त : देश की अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों जैसे दूर-दराज के दुर्गम क्षेत्रों के प्रति विशेष प्रतिबद्धता हैं। हवाई यात्रा उनके लिये एक आवश्यकता है। अतः मैं मंत्री महोदय से विशेषतया यह पूछना चाहूँगा कि क्या वह अण्डेमान और निकोबार द्वीप-समूह (पोर्ट ब्लेयर के लिए सेवा) को किराये में वृद्धि से मुक्त रखेंगे।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : इस समय मैं कोई वचन नहीं दे सकता।

श्री आर० आर० भोले : क्या सरकार ने किराए में वृद्धि की बजाय किसी अन्य ढ़ंग से इस घाटे को कम करने की सम्भावना का पता लगाया है ? क्या सरकार ने इस उद्देश्यार्थ कुछ किया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस दिशा में किए गए उपायों की वे चर्चा हार चुके हैं।

### साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम

*291. श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्रीं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में महात्मा गांधी के जीवन के बारे में ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम कब से बन्द कर दिया गया हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या इस "शो" को बनाये रखने के लिए जनता ने कोई मांग की है ;

(घ) क्या सरकार ने उक्त मांग पर विचार कर लिया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ङ) साबरमती आश्रम में ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम को 12 मार्च, 1979 से अस्थायी रूप

से बन्द कर दिया गया है । यह कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय रहा है और इसकी निरंतर मांग की जा रही है । विभिन्न वर्गों द्वारा गांधी जी की आवाज की नकल को घटिया बताया गया है ; इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के स्तर में सुधार लाने के लिए जनता से और गांधी जी के कुछ घनिष्ठ सहयोगियों से अनेक अन्य सुझाव भी प्राप्त हुए हैं । तदनुसार, श्री बी० वी० करंथ के निर्देशन में ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम को संशोधित और संपादित किया जा रहा है । सितम्बर, 1980 तक शो के पुनः चालू हो जाने की आशा है ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि गांधी जी की आवाज दुरुस्त करने में इतना समय क्यों लगा और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या 2 अक्तूबर 1980 को यह प्रोग्राम निश्चित रूप से साबरमती आश्रम में दिखलाया जायगा ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, इस काम को बन्द तो कराया था । भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने और इतना समय जो लगा तो चूंकी उस आवाज के सम्बन्ध में यह शक जाहिर किया गया था कि वह ठीक गांधी जी की आवाज से नहीं मिलती है । इसलिए हम अभी उस की खोज कर रहे थे । अब हम लोगों ने यह कहा है कि सितम्बर तक हम उस काम को प्रारम्भ कर देंगे ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मेरा दूसरा सवाल है कि महात्मा गांधी एक ही गांधी हमारे देश में ऐसे हो गए हैं कि जिन्होंने इस देश की जनता को निर्भय बना दिया, हमें परवशता से मुक्ति दिला दी, अपने परिवार के बारे में सोचा नहीं, अपने बच्चों को सत्ता में रखने को सोचा नहीं, ऐसे महात्मा गांधी हमारे देश के बच्चों के सामने, जनता के सामने आदर्श रूप हैं, तो मेरा सवाल है कि यह जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है जिस में गांधी जी के जीवन का एक दर्शन दे सकते हैं, इस प्रकार के साउंड और लाइट प्रोग्राम हिन्दुस्तान में जगह जगह पर दिखाने का प्रोग्राम है क्या ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह प्रश्न तो अहमदाबाद का है और मैं माननीय सदस्या को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस बार जो हम लोग करने जा रहे हैं उस में सिर्फ आवाज की बात नहीं है बल्कि पूरा जीवन गांधी जी का उस के जरिए दिखलाया जाएगा और उसी के सम्बन्ध में हम लोग यह सब कर रहे हैं ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मेरा जवाब नहीं मिला । इस प्रकार का प्रोग्राम देश में जगह जगह दिखाएंगे क्या ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अभी यह अहमदाबाद के सम्बन्ध में प्रश्न है, मैंने आप को उत्तर अहमदाबाद के सम्बन्ध में दिया है । आप ने दूसरी जगहों के बारे में जो बात कही है उस को हमने नोट कर लिया है ।

श्री मनीराम बागड़ी : सवाल गांधी जी का है । और जगह यह प्रोग्राम करेंगे या नहीं । अगर करेंगे तो बता दीजिए, नही करेंगे तो बता दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : बता दिया ।

श्री दिग्विजयसिंह : भारतीय पर्यटन विकास निगम ने इस परियोजना पर कुल कितना निवेश किया है और अब तक सरकार को इस परियोजना पर कुल मिलाकर कितना घाटा उठाना पड़ा है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : वर्ष 1977-78 में यह 39788.57 रुपये था और वर्ष 1978-79 में 57,728.13 रुपये ।

एक माननीय सदस्य : क्या यह लाखों में है अथवा सहस्रों में ? (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आंकड़े लाखों में हैं या हजारों में ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : आंकड़े 39,788.57 और 57,728.13 रुपये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह घाटा है या लाभ ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह गत दो वर्षों में इस कार्य के संचालन और अनुरक्षण के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम को किया गया कुल भुगतान है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो घाटे के बारे में था ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : वर्ष 1977-78 में 34,008.07 रुपये का घाटा हुआ और वर्ष 1978-79 में 52,120.08 रुपये का घाटा था ।

श्री सतीश अग्रवाल : कौन से आंकड़े सही हैं ? पहले उन्होंने कहा था कि 39 हजार रुपये और उससे अधिक और 57 हजार रुपये और उससे अधिक । अब वे बता रहे हैं कि 34 हजार रुपये और अधिक और 52 हजार रुपये और अधिक, इनमें से कौन से आंकड़े सही हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : पहले आंकड़े भारतीय पर्यटन विकास निगम को किए गए भुगतान के थे । वे तो वित्त मंत्री रहे हैं, उनकी तो समझ में आ जाना चाहिए ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं इन्हें भली-भांति समझता हूं । जब तक उन्हें पर्ची न दे दी जाए वे प्रश्न का उत्तर नहीं देते । मैंने तो बिना किसी प्रकार की पर्ची के भी सभी प्रश्नों के उतर दिए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : व्यक्तिगत कोई बात नहीं होनी चाहिए ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैंने निवेश का विशेष रूप से उल्लेख किया है ।

## भारत एल्यूमिनियम कम्पनी को हुआ घाटा

*292. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या इस्पात और खान मंत्री भारत एल्यूमिनियम कंपनी को हुए घाटे के बारे में 14 मार्च, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 496 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी को हुए भारी घाटे को दृष्टि में रखते हुए इस संयंत्र की क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने के लिए इसे विद्युत सप्लाई करने हेतु कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार से उच्च स्तर पर अनुरोध किया गया है कि वे कोरबा प्रद्रावक को पर्याप्त मात्रा में बिजली की पूर्ति सुनिश्चित करें।

श्री कमला मिश्र मधुकर : अध्यक्ष महोदय, इस कम्पनी में, सरकार के जवाब के अनुसार, 28 करोड़ रुपये की हानि हुई थी 30-1-1979 तक जिसमें और भी वृद्धि होने जा रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी हानि होने के बाद भी क्या सरकार ने कोई गौर किया है या नहीं? क्या कम्पनी की हानि को रोकने के लिए कोई उपाय किए जायेंगे और ऐसे उपाय करने के लिए सरकार ने कौन सी कार्यवाही की है।

श्री प्रणब मुखर्जी : माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिए हैं वे गलत हैं। वर्ष 1978-79 में 5.5 लाख रुपये का घाटा था। वास्तव में, घाटे का मुख्य कारण क्षमता का अपूर्ण उपयोग है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि यद्यपि वे चालू तो कर दिए गए थे परन्तु बिजली की कमी के कारण दोनों विद्युतघटक चलाए नहीं जा सके। रही दूसरे विद्युतघटक की बात जिसे जून 1976 में चालू किया जाना था, वह सितम्बर, 1977 में ही चालू किया जा सका, चूंकि बिजली उपलब्ध नहीं थी। माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि जहां तक एल्यूमिनियम की बात है बिजली एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेश और मुख्य कच्चा माल है। वर्तमान बिजली स्थिति और क्षमता के कम उपयोग के कारण हानि हुई है।

श्री कमला मिश्र मधुकर : अध्यक्ष जी जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा है कि बिजली की कमी की वजह से घाटा हो रहा है, तो क्या मन्त्री महोदय कोई कैपटिव पावर प्लांट खोलने के बारे में विचार कर रहे हैं, ताकि उसके जरिये बिजली सप्लाई की पूर्ति हो सके?

श्री प्रणब मुखर्जी : यदि हम रक्षित विद्युत-संयंत्र लगायें तो वह कोई आज ही बिजली नहीं देने लगेगा, कुछ भी हो, इसमें काम शुरू होने की तिथि के बाद बिजली मिलने में कम से कम 36 से 38 मास तक का समय लग जायेगा। इसलिए हम विद्युत स्थिति को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्पष्टतया, यह प्रश्न से बाहर की बात है, परन्तु जहां तक इस प्रश्न की बात है हमने मध्य प्रदेश सरकार से बिजली की उस कटौती को कम करने के लिए कहा है जो कि उन्होंने चालू कर रखी है तथा मुझे आशा है कि वर्षा आरम्भ हो जाने के बाद स्थिति में सुधार अवश्य होगा।

श्री नीरेन घोष : इस सच्चाई को देखते हुए कि एल्यूमिनियम की सप्लाई कम है और एल्यूमिनियम की मांग अधिक है तथा कीमतें ऊंची हैं तो क्या मन्त्री महोदय सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि एक टन एल्यूमिनियम का उत्पादन मूल्य क्या है और बाजार भाव क्या है। उत्पादन मूल्य घटाने के लिए क्या सारे खर्चे में आमूल-मूल कमी की जाए या क्या उसमें घपला, भ्रष्टाचार आदि का चक्कर है? क्या कारण है?

श्री प्रणब मुखर्जी : कारण तो माननीय सदस्य को मालूम है कि जब मान लो हमारे पास 100,00 टन क्षमता का संयन्त्र हो और क्षमता का उपयोग 29,000 टन तक ही हो तो स्वाभाविक है कि हमें घाटा उठाना पड़ेगा। यह सामान्य अर्थशास्त्र है। मेरी समझ में नहीं आता कि घपले का प्रश्न कैसे खड़ा हो गया।

श्री नीरेन घोष : उत्पादन लागत क्या है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : जहाँ तक प्रति टन उत्पादन लागत का सम्बन्ध है, मुझे अलग से सूचना चाहिए ।

पश्चिम बंगाल में कुटीर और लघु उद्योगों को ऋण

* 294. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पश्चिम बंगाल में कुटीर और लघु उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों की स्वीकृति के बारे में बैंकों ने 9-10 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया था और न ही उन्होंने इन बाधाओं के बारे में ही बताया, जो उक्त मामले में उनके निर्णय लेने के मार्ग में खड़ी थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे आश्चर्य है कि केन्द्रीय सरकार जो कि इस देश में बैंकिग प्रणाली का कार्यभार सम्भाले हुए हैं, उसे भी यह सूचना नहीं मिली है। अप्रैल 1979 और फरवरी 1980 के बीच पश्चिम-बंगाल सरकार के पन्द्रह जिला उद्योग केन्द्रों ने 6122 एककों के लिए लगभग 50 करोड़ से कुछ अधिक का कुल ऋण स्वीकृत करने के प्रस्ताव भेजे थे और इन प्रस्तावों पर लगभग नौ से दस मास तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी और कुछ मामलों में तो उससे भी अधिक विलम्ब हुआ था। क्या मन्त्री महोदय यह स्वीकार नहीं करेंगे कि यदि जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा प्रेषित इन प्रस्तावों पर कई मास तक कोई कार्यवाही न करके उन्हें निपटाया न जाए तो लघु-उद्योग क्षेत्र को दी जाने वाली सभी प्रकार की वित्तीय सहायता का समग्र उद्देश्य बहुत ही गम्भीर रूप से सीमित हो जाएगा ? अतः क्या मन्त्री महोदय इस बात पर ध्यान नहीं देंगे और यह जानने के लिए जांच-पड़ताल नहीं करायेंगे कि इसके पीछे क्या कारण हैं और उनको दूर करने के क्या उपाय हैं ?

श्री आर० वेंकटारामन : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास 1979 तक के आंकड़े हैं । हमने कुछ आंकड़े एकत्र किये हैं और थोड़े समय में मैं जो कुछ सर्वोतम प्राप्त कर सकता था वह सितम्बर तक है । यूनियन बैंक आफ इण्डिया में मार्च, जून और सितम्बर में कुल 6,973 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए उनमें से 6,597 स्वीकृत और 140 अस्वीकृत कर दिए गए । जहां तक यूनाइटेड कमर्शियल बैंक जो दूसरा श्रेष्ठ बैंक है, का सम्बन्ध है उसमें 1,724 आवेदम-पत्र प्राप्त हुए और 1,638 स्वीकृत और 105 अस्वीकृत कर दिए गए । सम्भव है कि इस अवधि के बाद कुछ विलम्ब हुआ हो । मैंने यह देखा है कि पश्चिम-बंगाल में बैंक सेवाएं उपयुक्त नहीं रही हैं और उसी उद्देश्यार्थ मैंने कलकत्ता में क्षेत्रीय बैंकों की बैठक बुलाई थी और पश्चिम-बंगाल सरकार, रिजर्व-बैंक तथा उस क्षेत्र के अग्रगण्य बैंकों को भी उसमें सम्मिलित किया था तथा उस क्षेत्र की बैंकिग-सेवाओं को सुधारने की बात उनसे कही । रिजर्व बैंक, राज्य सरकार और अग्रगण्य बैंकों को मिलाकर हमने एक समिति

गठित की है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। यदि मेरे माननीय मित्र मुझे उन क्षेत्रों के बारे में सूचना देंगे, जिनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है तो मैं तुरंत उस पर कार्यवाही करूंगा और आवश्यकता को पूरा करूंगा।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है मैं उसकी सराहना करता हूं परन्तु उन्हें यह देखना चाहिए कि समिति समय-सीमा निश्चित करे।

**श्री आर० वेंकटरामन** : मैं कोशिश करूंगा।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### वनस्पति का उत्पादन

*284. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** :

**श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और न केवल उत्पादन में गिरावट को रोकने अपितु आने वाले महीनों में इस आवश्यक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं अथवा करने का विचार है;

(ग) मिलों की निर्धारित क्षमता की तुलना में 1976 और उसके बाद की प्रत्येक तिमाही के दौरान वनस्पति का उत्पादन कितना-कितना हुआ; और

(घ) गत 4 वर्षों (अप्रैल, 1980 तक) के दौरान प्रत्येक वर्ष में खाद्य तेल, सूरजमुखी का तेल और सोयाबीन तेल का कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया गया और 1980 के दौरान कितनी मात्रा में आयात किये जाने की संभावना है और वनस्पति निर्माताओं को प्रतिवर्ष कितनी मात्रा दी गई है।

**नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) वर्ष 1978-79 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान वनस्पति के उत्पादन में कुछ कमी हुई है।

(ख) उत्पादन में हुई कमी के मुख्य कारण बहुत से वनस्पति उत्पादक राज्यों द्वारा बिजली में की गई भारी कटौती तथा कोयले और डीजल की आपूर्ति में आई बाधाएं हैं। इनके अलावा कुछ अन्य सहयोगी कारण आयातित तेलों की आपूर्ति में यदा-कदा आने वाली रुकावटें और टिन प्लेटों, रसायन आदि जैसे आदानों की कमी हैं।

सरकार ने वनस्पति के उत्पादन में होने वाली कमी को रोकने तथा इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1 वनस्पति के उत्पादन में आयातित तेलों के उपयोग की मात्रा को 95% पर कायम रखा जा रहा है, ताकि देशी तेलों के मिलने में उद्योग को जो कठिनाई आ रही है उससे पार पाया जा सके।

2 यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्चे तेलों का आयात नियमित रूप से किया जाए और राज्य व्यापार निगम द्वारा सुपुर्दगी के लिए आयातित तेल का समय पर तथा तत्काल आवंटन किया जाए।

3 राज्य व्यापार निगम को सलाह दी गई है कि वे अपने वनस्पति उद्योग को सप्लाई करने के लिए पत्तन क्षेत्रों से अपने अन्तर्वर्ती डिपुओं में रेल द्वारा पर्याप्त मात्रा में आयातित तेल की नियमित ढुलाई करें, ताकि सड़क द्वारा ढुलाई में आने वाली कठिनाइयों से बचा जा सके।

4 राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे वनस्पति और परिशोधित तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए, अधिकतम संभव सीमा तक, बिजली की कटोती न करें।

5 जहां तक कोयले की आपूर्ति का संबंध है, इस विषय को रेलवे बोर्ड और कोयला विभाग के साथ उठाया गया है। रेल-वैगनों के मिलने में आने वाली कठिनाई से बचने के लिए वनस्पति उद्योग को सड़क द्वारा कोयला ढ़ोने की अनुमति दी जा रही है।

6 टिन-प्लेटों की उपलभ्यता से संबंधित मामले को इस्पात विभाग के साथ उठाया गया है, ताकि वनस्पति उद्योग को इनकी निर्बाध सप्लाई हो सके।

7 समन्वय समिति की साप्ताहिक बैठकों में, जिनमें दूसरों के साथ-साथ वनस्पति उद्योग, राज्य व्यापार निगम और रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल किये जाते हैं, वनस्पति उद्योग की समस्याओं पर नियतकालिक रूप से विचार किया जाता है।

8 वनस्पति उत्पादकों के साथ समय-समय पर क्षेत्रीय बैठकें की जा रही हैं, जिनमें उद्योग द्वारा महसूस की जा रही स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जाता है और इस बात पर जोर दिया जाता है कि आगामी कमी वाले तथा त्योहार के मौसम के दौरान वनस्पति का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है।

(ग) वार्षिक 8.23 लाख मीटरी टन की कारगर निर्धारित क्षमता की तुलना में, वर्ष 1976 से लेकर प्रत्येक तिमाही में वनस्पति का उत्पादन इस प्रकार रहा :–

| | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 (मीटरी टन) |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी-मार्च | 1,60,619 | 1,55,982 | 1,48,243 | 1,69,618 | 1,50 035 |
| अप्रैल-जून | 1,28,755 | 1,55,593 | 1,61,526 | 1,56,503 | 1,19,286* |
| जुलाई-सित० | 1,13,701 | 1,34,667 | 1,69,512 | 1,54,624 | ... |
| अक्तू-दिस० | 1,42,087 | 1,33,348 | 1,77,988 | 1,56,863 | ... |

*इसमें केवल अप्रैल और मई, 1980 के महीनों का उत्पादन दिखाया गया है।

(घ) राज्य व्यापार निगम, जो बनस्पति उत्पादकों को आयातित तेल सप्लाई करता है, ने गत चार वित्तीय वर्षों के दौरान निम्नांकित मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया है :—

| | 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 |
|---|---|---|---|---|
| (मीटरी टनों में) | 4,05,001 | 5,67,752 | 5,70,590 | 10,39,257 |

इसमें से सोयाबीन के तेल की निम्नांकित मात्रा राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई है :—

| | 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 |
|---|---|---|---|---|
| (मीटरी टनों में) | 2,67,853 | 3,83,570 | 4,37,408 | 5,01,546 |

इन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम ने सूरजमुखी के तेल का आयात नहीं किया है।

अप्रैल, 1980 के दौरान भारतीय राज्य व्यापार निगम ने कुल 1,43,940 मीटरी टन तेल का आयात किया, जिसमें 53,379 मीटरी टन सोयाबीन का तेल भी शामिल है। 1980 के दौरान आयात की जाने वाली कुल संभावित मात्रा इन बातों पर निर्भर करेगी : मांग और देशीय आपूर्ति के बीच अन्तर, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता और अन्य संबंधित बातें।

गत चार वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम ने वनस्पति उद्योग को निम्नांकित मात्रा दी:—

| वर्ष | दी गई मात्रा (मीटरी टन में) |
|---|---|
| 1976-77 | 2,58,795 |
| 1977-78 | 4,90,200 |
| 1978-79 | 4,93,920 |
| 1979-80 | 4,74,130 |

### नेपाल को कागज तथा अन्य कमी वाली वस्तुओं की सप्लाई

*293 श्री पीयूष तिरकी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत नेपाल को कागज सहित कुछ वस्तुओं की सप्लाई कर रहा है;

(ख) क्या भारत में इन वस्तुओं की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो नेपाल को इन वस्तुओं की सप्लाई करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत-नेपाल व्यापार संधि के अनुसार जो माल निर्यात के लिए निषिद्ध अथवा प्रतिबन्धित है उन्हें निर्यात के लिए एक

वार्षिक कोटे की शर्त पर सप्लाई उपलब्धता का सम्यक ध्यान रखते हुए दूसरे द्वारा आवश्यक होने पर दोनों में किसी भी देश द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है । इस उपबंध के अन्तर्गत कागज सहित कुछ मदें भारत द्वारा नेपाल को सप्लाई की गई हैं ।

## गेहूं और चावल का निर्यात

*295. श्री छीतूभाई गामित : क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कुछ देशों को गेहूं और चावल का निर्यात करता है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक देश को कितनी मात्रा में गेहूं और चावल का निर्यात किया गया;

(घ) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ङ) विदेशों को किन किस्मों के गेहूं और चावल का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) भारत चावल निर्यात करता है । गेहूँ के निर्यात की वाणिज्यिक आधार पर अनुमति नहीं है । सीमित मात्रा में गेहूं का निर्यात सरकार से सरकार के आधार पर किया गया है ।

(ख) से (घ) सोवियत संघ, वियतनाम, अफगानिस्तान तथा बंगलादेश को या तो ऋण के पुनर्भुगतान के लिए अथवा वस्तु ऋण के रूप में गेहूं निर्यात किया गया है । निर्यात की गई मात्राएं विवरण 'क' में दी गई है । विगत तीन वर्षों के दौरान मात्रा तथा मूल्य के रूप में चावल के देशवार निर्यात विवरण 'ख' में दिए गए हैं ।

(ङ) जिन किस्मों का गेहूं निर्यात किया गया वे ये थीं : स्वदेशी गेहूं, आस्ट्रेलियाई गेहूं, ई ई सी गेहूं, यू एस हार्ड विन्टर वीट, यू एस वैस्टर्न वाइट गेहूँ, यू एस साफ्ट रेड, साफ्ट वाइट गेहूं । भारत से निर्यात किए गए चावल की मुख्य किस्में ये हैं : बासमती, पी आर 106 (परमल), आर पी 4-14, महसुरी, आई आर-8 तथा आई आर-20 ।

### विवरण-क

### चावल का निर्यात

चावल, जिसमें सेला चावल शामिल नहीं है — मात्रा : मे० टन — मूल्य : रु०

| देश | 1976-77 | | 1977-78 | | 1978-79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| दुबई | 5500 | 149,56,245 | ... | ... | .. | .. |
| इथोपिया | 1 | 5,416 | ... | ... | 350 | 19,74,991 |
| फिजी द्वीप | 15 | 77,428 | ... | ... | 1 | 6,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फ्रांस | 3 | 11,500 | ... | ... | 10 | 50,000 |
| जर्मन संघीय गण० | 8 | 32,132 | 4 | 17,197 | ... | ... |
| हांगकांग | 9 | 26,404 | 5 | 18,755 | 25 | 1,34,276 |
| इटली | ... | 1,432 | ... | 1,575 | ... | ... |
| जापान | 1 | 3,791 | 1 | 3,725 | ... | .... |
| कुवैत | 905 | 27,65,994 | 230 | 6,82,139 | 12,104 | 590,38,790 |
| मलेशिया | 1000 | 33,22,259 | ... | ... | 8 | 32,944 |
| मारीशस | 400 | 13,49,307 | 160 | 5,47,329 | 1,157 | 55,92,998 |
| ओमान | 600 | 17,91,734 | 329 | 13,26,071 | 10,538 | 498,72,587 |
| रीयूनियन द्वीप | 500 | 17,76,199 | ... | ... | 545 | 29,83,503 |
| सऊदी अरब | 10460 | 308,96,358 | 2498 | 74,42,861 | 5,804 | 317,38,030 |
| सेचलीं | 40 | 1,65,896 | 50 | 1,58,852 | 143 | 7,39,475 |
| सिंगापुर | 25 | 84,230 | 200 | 5,97,889 | 1,407 | 63,56,305 |
| सोमालिया | 40 | 1,10,311 | ... | ... | | |
| मिस्र का अरब गण० | ... | 1,000 | ... | ... | 150 | 6,69,28 |
| ब्रिटेन | 1300 | 38,18,011 | 2014 | 60,37,843 | 27,333 | 260,78,13 |
| स० रा० अमरीका | 10 | 34,247 | 143 | 4,72,140 | 1,663 | 72,87,03 |
| कनाडा | ... | ... | 45 | 1,71,576 | 808 | 41,10,65 |
| इंडोनेशिया | ... | ... | 41834 | 345,67,289 | 25 | 1,37,50 |

## विवरण—ख

सरकार से सरकार के आधार पर अनाज के निर्यात के बारे में विवरण।

| क्रमांक | गन्तव्य स्थान/देश/करार की तारीख | वस्तु | वचनबद्ध मात्रा | सप्लाई का आधार | मात्रा '000' मे० टन में सप्लाई की हुई मात्रा 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

भाग-1—गेहूं/गेहूं का आटा (मैदा)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सोवियत संघ 28-9-77 | गेहूं | 1498.40 | ऋण का पुनर्भुगतान | 485.42 | 570.91 | 440.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अफगानिस्तान 4-3-78 | गेहूं | 50.00 | वस्तु ऋण | ... | 40.88 | 9.12 |
| वियतनाम 2-5-78 | गेहूं | 300.00 | " | ... | 115.70 | 139.32 |
| बंगलादेश | गेहूं | 50.00 | " | ... | ... | 5000 |

| | 1976-77 | | 1977-78 | | 1978-79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| ईराक | ... | ... | 4563 | 121,79,868 | | |
| फिलिपीन | ... | ... | 16 | 91,960 | | |
| आस्ट्रेलिया | ... | ... | ... | | 5 | 29,040 |
| बहरीन | ... | ... | ... | ... | 6.296 | 270,36,147 |
| बैल्जियम | ... | ... | ... | ... | 10 | 57,00 |
| बेनिन | ... | ... | ... | ... | 270 | 12,24,787 |
| चैकोस्लोवाकिया | ... | ... | ⋮ | ... | 1 | 4,475 |
| डेनमार्क | ... | ... | ... | ... | 84 | 3,74,781 |
| ईरान | ... | ... | ... | ... | 2,100 | 115 49,300 |
| लेबनान | ... | ... | ... | ... | 5 | 22,000 |
| मलावी | ... | ... | ... | ... | 12 | 55,999 |
| न्यूजीलैंड | ... | ... | ... | ... | 2 | 13,527 |
| नाइजीरिया | ... | ... | ... | ... | 300 | 11,99.880 |
| कत्तार | ... | ... | ... | ... | 7,609 | 315,64,020 |
| श्रीलंका | ... | ... | ... | ... | 1,767 | 102,02,822 |
| स्वीडन | ... | ... | ... | ... | 5 | 29,000 |
| थाइलैंड | ... | .... | ... | ... | 1 | 4.350 |
| स०अ०अमीरात | ... | ... | .. | ... | 18,226 | 819,47.300 |
| यमन का लो० तंत्रीय गण० | .. | ... | ... | ... | 20 | 1.03,00 |
| | 20,817 | 612 29 894 | 52,092 | 1143,17,069 | 98,824 | 3622,20,50 |

| देश | 1976-77 मात्रा | 1976-77 मूल्य | 1977-78 मात्रा | 1977-78 मूल्य | 1978-79 मात्रा | 1978-79 मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चावल की भूसी | | | | | | |
| बेल्जियम | ... | ... | 3 | 9,794 | ... | ... |
| जर्मन संघीय गणराज्य | ... | ... | 4 | 14,448 | ... | ... |
| ब्रिटेन | ... | ... | 127 | 3,63,657 | ... | .... |
| | ... | ... | 134 | 3,92,899 | ... | ... |
| टूटा चावल | | | | | | |
| इंडोनेशिया | ... | ... | ... | ... | 11,669 | 249,11,028 |
| कुल योग | 20,817 | 612,29,894 | 52,226 | 1147,09,968 | 110,493 | 3871,31,562 |

## नियन्त्रित कपड़े के उत्पादन में कमी

*296. श्री चित्त बसु :

श्री के० कुन्हम्बु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में नियंत्रित कपड़े के उत्पादन में कमी आई है , और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में कट्रोल के कपड़े का उत्पादन (मिल क्षेत्र) 87.527 मिलियन वर्ग मीटर रहा है जबकि प्रत्येक तिमाही में इसके 100 मिलियन वर्ग मीटर के स्तर तक होने की सभावना थी। साथ ही, इस तिमाही के दौरान हथकरघा जनता कपड़े का उत्पादन 61.67 मिलियन वर्ग मीटर रहा, जो किसी भी विगत तिमाही में हुए उत्पादन से अधिक है ।

मिल क्षेत्र में उत्पादन में मामूली सी कमी मुख्यत: बिजली की कटौती तथा लोड शेडिंग के कारण हुई है ।

## रबड़ का आयात और विक्रय

*298. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष आयात किये गये रबड़ की मात्रा कितनी थी,

(ख) आयातित रबड़ की कितनी मात्रा बेची गयी ; और

(ग) आयातित रबड़ का मूल्य कितना था ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा 21,100 मे० टन रबड़ का आयात किया गया था ।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1979-80 के दौरान आयात की गई मात्रा तथा वर्ष 1978-79 में आयात की गई मात्रा में से बचे हुए भंडार में से 21,126.590 मे० टन मात्रा बेची गई।

(ग) आयातित रबड़ की वर्तमान विक्रय कीमत निम्नोक्त है :–

रु०/ मे० टन

| ग्रेड | विक्रय कीमत (मद्रास में गोदाम से निकलते समय) | विक्रय कीमत (दिल्ली में गोदाम से निकलते समय) |
|---|---|---|
| आर० एस० एस०-I | 12,990 | 13,615 |
| आर० एस० एस०-III | 12,694 | 13,319 |
| आर० एस० एस०-IV | 12,360 | 12,985 |
| एस० एम० आर०-10 | 12,717 | 12,342 |
| एस० एम० आर०-20 | 12,630 | 13,255 |
| लेटैक्स | 9,587 | 10,212 |
| जी० टी० आर० | 12,350 | — |

## राजस्थान में ऐतिहासिक स्थानों को देखने वाले पर्यटकों को आवास की सुविधा

299. श्री मूलचन्द डागा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों को ठहराने की उचित सुविधायें न मिलने के कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ;

(ग) राजस्थान राज्य में पर्यटकों के लिए कितने होटल खोले गए हैं और वे कहां-कहां हैं ; और

(घ) विश्राम गृहों और होटलों का निर्माण करने के लिए संगठनों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता किन शर्तों पर दी जाती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) यद्यपि देश में प्रमुख पर्यटक केन्द्रों पर विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकों के लिए सामान्य रूप से आवास सुविधाओं की कमी है, तथापि सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों सेक्टरों द्वारा राजस्थान में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटक अभिरुचि के स्थानों पर उपयुक्त आवास सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

(ग) राजस्थान राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा अनुरक्षित 171 होटलों/लॉजों/पर्यटक बंगलों/डाक बंगलों, आदि की केन्द्र-वार सूची सभा-पटल पर रख दी गई है । आवास तथा अन्य संबंधित सुविधाओं के विस्तार की राज्य और केन्द्रीय सरकार दोनों द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है ।

(घ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) जो होटलों को ऋण सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था है, निगमित सेक्टर और सहकारी संस्थाओं को निम्नलिखित आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है :—

| | | |
|---|---|---|
| वापसी की अवधि | = | 12—15 वर्ष |
| ब्याज की दर | = | पिछड़े क्षेत्रों के लिए 9½%<br>सामान्य क्षेत्रों के लिए 11% |
| संवर्धकों का अंशदान | = | पिछड़े क्षेत्रों के लिए 17½%<br>सामान्य क्षेत्रों के लिए 20%<br>टैक्नोक्रेट्स के लिए 15%<br>पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 10% |
| ऋण इक्विटी की दर | = | 1.5 : 1<br>2 : 1 की अधिकतम सीमा तक । |

विवरण

केन्द्र : जयपुर

| क्रम संख्या | होटल का नाम | सेक्टर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | स्टेट होटल | सार्वजनिक |
| 2. | तीज टूरिस्ट बंगला | सार्वजनिक |
| 3. | गंगौर टूरिस्ट बंगला | सार्वजनिक |
| 4. | रेलवे रिटायरिंग रूम्ज | सार्वजनिक |
| 5. | यूथ होस्टल | सार्वजनिक |
| 6. | अशोक होटल (आई० टी० डी० सी०) | सार्वजनिक |
| 7. | डाक बंगला (पी० डब्ल्यू० डी०) | सार्वजनिक |
| 8. | क्लार्कस आमेर होटल | निजी |
| 9. | रामबाग पैलेस | निजी |
| 10. | राज महल पैलेस | निजी |
| 11. | होटल मान सिंह | निजी |
| 12. | यॉर्क होटल | निजी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 13. | जयपुर एमरल्ड | निजी |
| 14. | राजदीप होटल | निजी |
| 15. | जय महल पैलेस | निजी |
| 16. | मान होटल | निजी |
| 17. | जयपुर इन्न | निजी |
| 18. | इम्पीरियल होटल | निजी |
| 19. | बिस्सो होटल | निजी |
| 20. | क्षीर सागर | निजी |
| 21. | होटल खेत्री हाउस | निजी |
| 22. | एल० एम० बी० होटल | निजी |
| 23. | लक्ष्मी विलास होटल | निजी |
| 24. | केसर-ए-हिन्द होटल | निजी |
| 25. | मद्रास होटल | निजी |
| 26. | पिंक सिटी होटल | निजी |
| 27. | पार्क होटल | निजी |
| 28. | नीलम होटल | निजी |
| 29. | पार्क न्यू होटल | निजी |
| 30. | राजधानी होटल | निजी |
| 31. | राज महल होटल | निजी |
| 32. | टूरिस्ट होटल | निजी |
| 33. | होटल शिवराम | निजी |
| 34. | नारायण निवास गेस्ट हाउस | निजी |
| 35. | एचगॉल लॉज | निजी |
| 36. | सवाय होटल | निजी |
| 37. | चौधरी होटल | निजी |
| 38. | होटल पोलोविक्टरी | निजी |
| केन्द्र : उदयपुर | | |
| 1. | लक्ष्मी विलास पैलेस होटल | सार्वजनिक |
| 2. | स्टेट होटल (आनन्द भवन) | सार्वजनिक |
| 3. | टूरिस्ट बंगला | सार्वजनिक |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | म्यूनिसिपल गेस्ट हाउस | सार्वजनिक |
| 5. | डाक बंगला | सार्वजनिक |
| 6. | देवस्थान विश्राम गृह | सार्वजनिक |
| 7. | रेलवे रिटायरिंग रूम्ज | सार्वजनिक |
| 8. | लेक पैलेस होटल | निजी |
| 9. | लेकेण्ड होटल | निजी |
| 10. | होटल हिल टॉप | निजी |
| 11. | शिकार बाड़ी | निजी |
| 12. | अलका होटल | निजी |
| 13. | अशोक होटल | निजी |
| 14. | प्रिंस होटल | निजी |
| 15. | गार्डन होटल | निजी |
| 16. | कीर्ति होटल | निजी |
| 17. | अजन्ता होटल | निजी |
| 18. | अप्सरा होटल | निजी |
| 19. | चन्द्रलोक होटल | निजी |
| 20. | कल्पना होटल | निजी |
| 21. | पार्कव्यू होटल | निजी |
| 22. | उदयपुर होटल | निजी |
| 23. | न्यू ज्योति होटल | निजी |
| 24. | ममता होटल | निजी |
| 25. | पायल होटल | निजी |
| 26. | सोनिका होटल | निजी |
| 27. | रंग निवास होटल | निजी |
| 28. | लेक व्यू होटल | निजी |
| केन्द्र : अजमेर | | |
| 1. | टूरिस्ट बंगला | सार्वजनिक |
| 2. | के० ई० मैमोरियल | निजी |
| 3. | सी० पी० डब्ल्यू० डी० डाक बंगला | सार्वजनिक |
| 4. | रेलवे रिटायरिंग रूम्ज | सार्वजनिक |
| 5. | रतन होटल | निजी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | नागपाल होटल | निजी |
| 7. | सरताज होटल | निजी |
| 8. | बीकानेर होटल | निजी |
| 9. | चम्पा महल होटल | निजी |
| 10. | प्रवासी हिन्दू होटल | निजी |
| 11. | मैजिस्टिक होटल | निजी |
| 12. | दरगाह रेस्ट हाउस | निजी |
| 13. | हिन्दू होटल | निजी |
| 14. | खालसा होटल | निजी |
| केन्द्र : बीकानेर | | |
| 1. | धोला गारू टूरिस्ट बंगला | सार्वजनिक |
| 2. | डाक बंगला | सार्वजनिक |
| 3. | लालगढ़ पैलेस होटल | निजी |
| 4. | गजनेर पैलेस होटल | निजी |
| 5. | डिलक्स होटल | निजी |
| 6. | ग्रीन होटल | निजी |
| 7. | रूपन होटल | निजी |
| केन्द्र : मउन्ट आबु | | |
| 1. | धौलपुर हाउस कॉटेज | सार्वजनिक |
| 2. | धौलपुर हाउस डाक बंगला | सार्वजनिक |
| 3. | हालिडे होम | सार्वजनिक |
| 4. | मिनिस्टर्स काटेज | सार्वजनिक |
| 5. | टूरिस्ट बंगला | सार्वजनिक |
| 6. | गवर्नमेन्ट यूथ होस्टल | सार्वजनिक |
| 7. | मिड हस्ट डाक बंगला | सार्वजनिक |
| 8. | सी० पी० डब्ल्यू० डी० डाक बंगला | सार्वजनिक |
| 9. | गुजरात सरकिट हाउस | सार्वजनिक |
| 10. | दिलवाड़ा डाक बंगला | सार्वजनिक |
| 11. | म्यूनिसिपल रेस्ट हाउस | सार्वजनिक |
| 12. | पैलेस होटल | निजी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 13. | माउन्ट होटल | निजी |
| 14. | हिल टन होटल | निजी |
| 15. | नव जीवन होटल | निजी |
| 16. | टूरिस्ट होटल | निजी |
| 17. | भारती होटल | निजी |
| 18. | सूर्य दर्शन होटल | निजी |
| 19. | अशोक होटल | निजी |
| 20. | केसर पैलेस होटल | निजी |
| 21. | सरस्वती होटल | निजी |
| 22. | टूरिस्ट गेस्ट हाउस | निजी |
| 23. | राजेन्द्र होटल | निजी |
| 24. | जयपुर हाउस | निजी |
| 25. | वृन्दावन होटल | निजी |
| 26. | वीना होटल | निजी |
| 27. | नटराज होटल | निजी |
| 28. | सुधीर होटल | निजी |
| 29. | नानकी विहार होटल | निजी |
| 30. | भावना होटल | निजी |
| 31. | गिरराज लॉज | निजी |
| 32. | गुजरात लॉज | निजी |
| 33. | शीतल होटल | निजी |
| 34. | अमर होटल | निजी |
| 35. | अरवुदा लॉज | निजी |
| 36. | शान्ति सदन ट्रस्ट | निजी |
| 37. | शान्ति देव निवास | निजी |
| 38. | वन्दे मातरम | निजी |
| **केन्द्र : चित्तौड़ गढ़** | | |
| 1. | टूरिस्ट बंगला | सार्वजनिक |
| 2. | रेलवे रिटायरिंग रूम्स | सार्वजनिक |
| 3. | जनता आवास गृह | सार्वजनिक |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | सनवारिया लॉज | निजी |
| 5. | आलोक होटल | निजी |
| 6. | केशर लॉज | निजी |
| केन्द्र : कोटा | | |
| 1. | बृजराज भवन | निजी |
| 2. | नवरंग होटल | निजी |
| 3. | जगदीश होटल | निजी |
| 4, | पायल होटल | निजी |
| 5. | टूरिस्ट बंगला | सार्वजनिक |
| 6. | डाक बंगला | सार्वजनिक |
| 7. | रेलवे रिटायरिंग रूम्ज | सार्वजनिक |
| 8. | अशोक होटल | निजी |
| 9. | भारत होटल | निजी |
| 10. | नीलम होटल | निजी |
| 11. | चमन होटल | निजी |
| 12. | एयरलाइन्स होटल | निजी |
| केन्द्र : जोधपुर | | |
| 1. | घूमर टूरिस्ट बंगला | सार्वजनिक |
| 2. | डाक बंगला | सार्वजनिक |
| 3. | रेलवे रिटायरिंग रूम्ज | सार्वजनिक |
| 4. | उमेद भवन पैलेस | निजी |
| 5. | आदर्श निवास होटल | निजी |
| 6. | अजीत भवन पैलेस | निजी |
| 7. | अशोक होटल | निजी |
| 8. | सेन्ट्रल लॉज | निजी |
| 9. | अल्पना होटल | निजी |
| 10. | पृथ्वी होटल | निजी |
| 11. | अग्रवाल लॉज | निजी |
| 12. | अरुण होटल | निजी |
| 13. | चारनी बीकानेर | निजी |
| 14. | शान्ति भवन लॉज | निजी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| केन्द्र : जैसलमेर | | |
| 1. | मूमल टूरिस्ट बंगला | सार्वजनिक |
| 2. | डाक बंगला | सार्वजनिक |
| 3. | जवाहर निवास पैलेस | निजी |
| 4. | जैसल कैशल होटल | निजी |
| 5. | डेजर्ट इन्न | निजी |
| 6. | सुनील रेस्ट हाउस | निजी |
| केन्द्र : अलवर | | |
| 1. | टूरिस्ट बंगला, सरिस्का | सार्वजनिक |
| 2. | फॉरेस्ट रेस्ट हाउस | सार्वजनिक |
| केन्द्र : नाथद्वारा | | |
| 1. | टूरिस्ट बंगला | सार्वजनिक |
| केन्द्र : भरतपुर | | |
| 1. | गोलबाग पैलेस होटल | सार्वजनिक |
| 2. | ट्रैवलर्स लॉज | सार्वजनिक |
| 3. | फॉरेस्ट लॉज | सार्वजनिक |
| 4. | शान्ति कुटीर (फॉरेस्ट रेस्ट हाउस) | सार्वजनिक |
| केन्द्र : पुष्कर | | |
| 1. | पुष्कर टूरिस्ट बंगला | सार्वजनिक |

विदेशों में केवल भारतीय व्यापार प्रदर्शनियां

*300. श्री पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में केवल भारतीय व्यापारिक प्रदर्शनियों का आयोजन करने संबंधी योजनाओं पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी हां । यह प्रस्ताव है कि 1980-81 के दौरान सऊदी अरब, नाईजीरिया तथा क्वालालम्पुर में और 1981-82 के दौरान अल्जीरिया, फिलीपीन, मैक्सिको, ईरान तथा ओमान (अथवा कुवैत) में अनन्य क्वालालम्पुर से बदल कर सिंगापुर करने और 1980-81 के दौरान अल्जीरिया में एक अनन्य भारतीय प्रदर्शनी आयोजित करने के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

विमान सेवाएं प्रारम्भ करने के लिये
विदेशों के साथ समझौता

*301. श्री छीतूभाई गामित : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार-पांच महीनों में सरकार द्वारा विमान सेवायें प्रारम्भ करने के लिए कुछ देशों के साथ समझौते किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त देशों के नाम क्या हैं और देश के किन भागों में नई विमान सेवाएं प्रारम्भ की गई हैं अथवा प्रारम्भ की जानी है ; और

(ग) क्या एयर बस सेवा को कुछ देशों में चालू करने के लिए भी अनुरोध प्राप्त हुआ है ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां । ओमन, कातार, बहरीन तथा संयुक्त अरब अमीरात के खाड़ी के देशों एवं जाम्बिया, तंजानिया, यमन अरब गणराज्य तथा ईरान के साथ भी विमान सेवा करार किए गए हैं । जहाँ तक खाड़ी के देशों तथा ईरान का संबंध है इन करारों का उद्देश्य एक ओर गल्फ एयर तथा ईरान एयर द्वारा और दूसरी ओर एयर इंडिया द्वारा किए जाने वाले परिचालनों को औपचारिक रूप प्रदान करना था ।

एयर इंडिया तंजानिया तथा लुसाका के लिए पहले ही परिचालन आरंभ कर चुकी है और इसका यमन अरब गणराज्य के लिए भी एक विमान सेवा चालू करने का प्रस्ताव है । एयर तंजानिया तथा जाम्बिया एयरवेज ने भी भारत के लिए परिचालन आरंभ कर दिए हैं ।

(ग) एयर इंडिया गल्फ तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के स्थानों के लिए विमान सेवाएं परिचालित करने के लिए इंडियन एयरलाइंस के एयरबस विमानों की अतिरिक्त क्षमता का भी, यदि कोई हो, उपयोग करने की संभावना का पता लगा रही है ।

आय-कर आयुक्त के कार्यालय को कोचीन से त्रिवेन्द्रम स्थानान्तरण करना

*302. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आय-कर आयुक्तों के तीन कार्यालयों में से एक कार्यालय को कोचीन से त्रिवेन्द्रम स्थानान्तरित करने के लिए आदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसा आदेश कब जारी किया ;

(ग) क्या उस आदेश को अब तक क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(घ) यदि नहीं तो क्या उस आदेश को क्रियान्वित न करने के संबंध में सरकार को कोई कारण दिखाई देता है ; और

(ङ) क्या सरकार आदेश के शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वयन के लिए तुरन्त अनुदेश देगी ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : (क) से (ङ) आयकर आयुक्त, केरल 11, के कार्यालय को कोचीन से त्रिवेन्द्रम स्थानांतरित करने का निर्णय किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 121 के अन्तर्गत दिनांक 9 मई, 1980 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अनुसार एक आयकर आयुक्त का प्रधान कार्यालय त्रिवेन्द्रम में रखा गया था। यह अधिसूचना 2 जून, 1980 से लागू होनी थी। मकान सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण दिनांक 19 मई 1980 की अधिसूचना द्वारा इस अधिसूचना का अविलंघन किया गया, जिसके अनुसार आयकर आयुक्त, केरल-II, का प्रधान कार्यालय कोचीन में ही जारी रखा गया। अब आयकर आयुक्त के कार्यालय को त्रिवेन्द्रम में खोलने के लिये मकान किराये पर ले लिया गया है और आशा है कि कार्यालय खोलने के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं किये जाने के बाद त्रिवेन्द्रम में जुलाई 1980 के मध्य से एक आयकर आयुक्त का कार्यालय काम करना आरम्भ कर देगा। इस प्रयोजन के लिए धारा 121 के अधीन आवश्यक अधिसूचना जारी की जायगी।

## आय कर अधिकारी के पदों के लिये विभागीय परीक्षा में कर सहायकों को बैठने की अनुमति

*303. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद् ने आयकर अधिकारी (ग्रुप-बी) के पदों के लिये विभागीय परीक्षा में कर-सहायकों को बैठने की अनुमति देने का निर्णय ले लिया है,

(ख) यदि हां, तो किस तारीख/वर्ष से ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में इसे कितना समय लगेगा ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभागीय परिषद् की ओर से सरकार को यह बताना संभव नहीं होगा कि परिषद् अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में कितना समय लगायेगी।

## हथकरघा उद्योग के लिये आरक्षित कुछ कोटे को मिल क्षेत्र में अन्तरित करने का प्रस्ताव

*304. **श्री के० ए० राजन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग के लिए आरक्षित कुछ कोटे को मिल क्षेत्र में अन्तरित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या दक्षिण भारत हथकरघा उत्पादक, सिलेसिलाए वस्त्र निर्माता और निर्यातक संघ ने इस बारे में एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें इस प्रस्ताव पर अपनी चिंता व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां। तथापि, इस अंतरण करने के सम्बंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) यह फिनलैंड तथा स्वीडन के मामले में तैयार मदों तथा सं० रा० अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, बेनेलक्स तथा इटली में कतिपय परिधान मदों से सम्बन्धित है।

एक आरक्षित श्रेणी से अन्य श्रेणी में अंतरण के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है जब किसी विशेष आरक्षित श्रेणी में उपयोग की गति धीमी होती है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोटे समाप्त न हो जाए।

(ग) इस मंत्रालय को दक्षिण भारत हथकरघा उत्पादक, सिलेसिलाए वस्त्र निर्माता और निर्यातक संघ से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें विशेष रूप से हथकरघा कोटों को मिल क्षेत्र में अंतरित करने के बारे में चिंता व्यक्त की गई हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## देश में आवश्यक वस्तुओं के लाने-ले-जाने पर रोक

2136. श्री अहमद एम० पटेल : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आवश्यक वस्तुओं के लाने-ले-जाने पर कोई रोक लगी हुई है,

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार इन वस्तुओं को सारणीबद्ध से हटाने पर विचार कर रही है जिससे कि देश के प्रत्येक भाग पर उपलब्ध हो सकें।

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## कानपुर के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों की आय का पुनर्निर्धारण कार्यवाही

2137. श्री दयाराम शाक्य : क्या वित्त मंत्री कानपुर कलेक्टरी के कुछ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों की आय पुन: निर्धारण सम्बंधी शिकायतों के बारे में 18 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 11457 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर कलक्टरी के कुछ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध आय के पुन: निर्धारण कार्यवाही के मामले में जांच-पड़ताल के क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

## पूर्वी क्षेत्र के उद्योगों का विकास

2138. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वी क्षेत्र, जहां देश के अधिकांश खनिज तथा अन्य सम्पदा पाई जाती है, आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उद्योगों के विकास के लिए इस्पात तथा कोयले के संबंध में भाड़े के समानीकरण को समाप्त करने पर विचार कर रही है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

## केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता

2139. सैफुद्दीन चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को असाधारण खर्चीले स्थानों में प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते का भुगतान करने के लिए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके लिए स्वीकार्य शहरों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (ग) तीसरे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 56 के पैरा 14 में, राज्यों की राजधानियों, तीर्थयात्रा केन्द्रों आदि जैसे असाधारण खर्चीले स्थानों, चाहे ये स्थान जनसंख्या के मापदंड को पूरा न करते हों, पर कार्य पर रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की अदायगी के लिए गुणावगुण के आधार पर विचार करने की सिफारिशें की थीं। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन और श्रम ब्यूरो द्वारा की गई कुछ नगरों की तुलनात्मक महंगाई सम्बन्धी अध्ययनों के आधार पर निम्नलिखित 14 नगरों को असाधारण खर्चीले पाया गया और इन स्थानों पर तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1-8-79 से बी-2 श्रेणी दरों पर प्रतिपूर्ति(नगर) भत्ते की मंजूरी दी गई है :—

1. आसनसोल
2. दुर्गापुर
3. राउरकेला
4. मेरठ
5. गोहाटी
6. नासिक
7. गोवा
8. भिलाई
9. जम्मू
10. अलवई
11. विजयवाड़ा
12. भावनगर
13. अजमेर
14. राजकोट

## राष्ट्रीय विमान सुरक्षा बोर्ड

2140. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानन विशेषज्ञों ने मांग की है कि एक स्वतंत्र राष्ट्रीय विमान सुरक्षा बोर्ड स्थापित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)**: (क) जी, हां।

(ख) एक स्वतंत्र विमान दुर्घटना जांच आयोग के गठन के प्रश्न पर विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि एक पृथक एजेंसी का गठन न किया जाये, बल्कि विशेषज्ञों का एक स्थाई पेनल बनाया जाए जोकि गंभीर विमान-दुर्घटनाओं की जांच में सहायता कर सके।

## भुबनेश्वर हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे के रूप में दर्जा बढ़ाया जाना

2141. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर हवाई-अड्डे का "अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे" के रूप में दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका दर्जा कब तक बढ़ा दिया जायेगा ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## सरकारी उपक्रमों में खपाये गए केन्द्रीय अधिकारियों को परिवार पेंशन का भुगतान

2142. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों को, जिनको 30 वर्ष से अधिक सेवावधि हो जाने पर भारत सरकार के सरकारी उपक्रमों में रखा जाता है, परिवार पेंशन के लिए दो महीने का वेतन काट लेने के बाद सरकारी विभाग में की गई सेवा के लिये पेंशन दी जाती है, जैसाकि यह वर्ष 1973 में था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 2 महीने के वेतन की वसूली के वावजूद उन्हें पेंशन का पूर्ण विनियमित मूल्य पाने की स्थिति में, जैसाकि सरकारी विभाग द्वारा मंजूर किया गया हो, जिसमें उन्होंने पिछली सेवा की थी, पेंशन के लाभ से दूर रखा गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(घ) अधिकारियों की इस श्रेणी को, उनकी मृत्यु होने की स्थिति में, परिवार पेंशन के भुगतान की राहत देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) वर्तमान आदेशों के अनुसार परिवार पेंशन का लाभ केन्द्रीय सरकार के उन स्थाई कर्मचारियों के परिवारों के लिए स्वीकार्य है जोकि कम-से-कम- दस वर्ष को अर्हक सेवा पूरी कर चुकी हैं तथा जिन्हें उनके स्थायी अंतर्लयन के समय यथानुपातिक पेंशन मंजूर की गई हो । हालांकि जिन सरकारी कर्मचारियों ने उदारीकृत पेंशन नियमावली 1954 के अधीन गैर-अंशदायी परिवार पेंशन योजना अपनाने के लिए विकल्प दिया था उन्हें कोई अंशदान नहीं करना पड़ता था, परन्तु जिन सरकारी कर्मचारियों ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 54 के अधीन अंशदायी परिवार पेंशन योजना के लिये अपना विकल्प दिया था, उन्हें पहले परिवार पेंशन के निमित्त अंशदान के रूप में दो माह के वेतन की कटौती करानी पड़ती थी, किन्तु अंशदायी परिवार पेंशन योजना के प्रयोजनार्थ इन दो महीनों के वेतन का अंशदान भी 22-9-1977 से बन्द कर दिया गया है;

(ख) जी, नहीं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गए आदेशों में यह स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है कि परिवार पेंशन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में खपाए गए उन सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को भी स्वीकार्य होगी जो कि अपने अंतर्लयन के बाद इसके देय होने वाले दिन मासिक पेंशन की वजाए एकमुश्त रकम ले लेते हैं और इस प्रकार मृत्यु की तारीख को कोई मासिक पेंशन नहीं लेते ।

(ग) एवं (घ) ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित बातों को देखते हुए यह प्रश्न पैदा नहीं होती ।

### सेवा निवृत्त होने वाले तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों को सार्वजनिक उपक्रमों में भेजने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत

2143. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा में कार्यरत, शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले अथवा सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों को उनके मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे भारत एल्यूमिनियम, कम्पनी लिमिटेड जैसे सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर भेजने हेतु कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं और यदि नहीं, तो इन नियुक्तियों का नियमन कैसे किया जाता है ;

(ग) उनके मंत्रालय के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त हुए उन अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं जो इस समय भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० में कार्य कर रहे हैं, वे किन

पदों पर कार्य कर रहे हैं तथा कितना वेतन व भत्ते ले रहे हैं और वे अधिकारी मंत्रालय में किस पद पर कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों को भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड में इस प्रकार जगह देकर सेवाकाल बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) कम्पनी के निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बोर्ड स्तर से नीचे के सभी पदों पर, वेतन पर विचार किए बिना, प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा अन्यथा नियुक्ति करने का अधिकार निदेशक बोर्ड को है, किन्तु शर्त यह है कि उच्च पद श्रेणी (रु० 2500-3000 और अधिक) में 58 वर्ष की आयु वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति, भले ही वह सरकारी क्षेत्र का हो या गैर-सरकारी क्षेत्र का, राष्ट्रपति का पूर्व-अनुमोदन लिये बिना नहीं की जाएगी ।

(ग) खान विभाग में भूतपूर्व निदेशक श्री एम० एस० भटनागर को रु० 2000-125/2-2250 के वेतनमान में तारीख 17-3-1980 से एक वर्ष के लिए भारत एल्यूमिनियम कम्पनी (वालको) में समन्वयकार (पूर्वी घाट परियोजनाएं) के पद पर पुन: नियुक्त किया गया है। उनका आरम्भिक वेतन 2125 रु० है जिसमें से पेंशन जमा सेवा-निवृत्ति के लाभों की 1271/- रुपए की राशि को घटाया जायेगा ।

दो अधिकारियों को, जो पहले इस मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य कर चुके थे, उनके मूल विभागों/मंत्रालय की सहमति से पुन: 'वालको' में प्रतिनियुक्ति पर ले लिया गया था । वे रिटायर होने की उम्र के नहीं थे । उनमें से एक अधिकारी अब कम्पनी में नियमित रूप से नियुक्त है । 'वालको' में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के समय इन दोनों अधिकारियों के वेतनमान रु० 2500—125/2—2750 और रु० 2000 —125/2 —2250 थे । वे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नहीं हैं ।

(घ) श्री एम०एस० भटनागर के लिए पद का सृजन 'वालको' के प्रबंधक-मंडल द्वारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लगाई जाने वाली नई परियोजनाओं के प्रस्तावों को सरकारी एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किया गया था । विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर उनके विस्तृत अनुभव विशेषत: खान विभाग में लम्बे समय तक उनके कार्य के अनुभव को देखते हुए प्रबंधक-मंडल ने उपर्युक्त पद पर नियुक्त के लिये उन्हें अधिक योग्य समझा ।

## चांदी का जब्त किया जाना

**2144. श्री भगवान देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान वर्षवार देश से चोरी छिपे बाहर ले जाते समय कितनी चांदी जब्त की गई और चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी चांदी जब्त की गई ;

(ख) चांदी चोरी छिपे बाहर ले जाते समय प्रत्येक वर्ष कितने तस्कर गिरफ्तार किए गए ; और

(ग) अब तक कुल जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से कितनों को न्यायालयों द्वारा सजा दी गई है और कितने व्यक्तियों को अब तक सजा नहीं दी गई है।

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोट) :** (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1977 से वर्ष 1980 (मई 1980 तक) तक के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई चांदी की मात्रा, जिसका भारत से तस्कर निर्यात किये जाने कोशिश की जा रही थी, और इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दिये अनुसार है:—

| वर्ष | मात्रा किलोग्राम में | गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1977 | 110 | — |
| 1978 | 642 | — |
| 1979 | 5410 | 62 |
| 1980 (मई 1980 तक) | 21,500 (लगभग) | 137 |

(ग) वर्ष 1979 और 1980 के दौरान चांदी के तस्कर निर्यात के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए कुल 199 व्यक्तियों में से 7 व्यक्तियों पर अदालतों में मुकदमे चलाए गए थे और उनमें वे सिद्धदोष ठहराये गए थे। शेष व्यक्तियों के सम्बन्ध में मामलों की जांच-पड़ताल चल रही है और जिन मामलों में उचित पाया जाएगा, मुकदमे चलाये जायेंगे।

### भारतीय रूई निगम द्वारा रूई की खरीद

2145. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान भारतीय रूई निगम द्वारा गुजरात से वास्तव में खरीदी गई रूई की मात्रा कितनी है और इसका निर्धारित किया गया लक्ष्य कितना है और यह रूई प्रतिवर्ष किस दर पर खरीदी गई थी ;

(ख) उपरोक्त वर्षों के दौरान निगम द्वारा पंजाब से खरीदी गई रूई की मात्रा कितनी है और प्रतिवर्ष निगम द्वारा रूई की कितनी मात्रा खरीदनी थी ; और

(ग) गुजरात से प्रतिवर्ष निर्धारित किये गये कोटे की तुलना में रूई की कम मात्रा खरीदने के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) गुजरात में निर्धारित लक्ष्यों की अपेक्षा रूई की कम खरीदारियों के मुख्य कारण निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) गुजरात के बहुत से क्षेत्रों में विनियमित बाजारों का अभाव/निष्क्रिय होना ;

(2) निगम द्वारा अभियोजित जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्टरियों में बिजली की कटौती की वजह से प्रोसेसिंग कार्य पर प्रभाव पड़ना ;

(3) मिलों से अपर्याप्त मांग।

**विवरण**

वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 (11 जून, 1980 तक) के दौरान भारतीय रूई निगम द्वारा गुजरात तथा पंजाब में कतिपय आयातित किस्मों के सम्बन्ध में खरीदी गई रुई की मात्रा, निर्धारित लक्ष्य तथा भुगतान की गई कीमतों के बारे में ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :

(मात्रा 170–170 कि० ग्रा० की लाख गांठों में)

| राज्य | रूई वर्ष | निर्धारित लक्ष्य | खरीदी गई मात्रा | भारतीय रूई निगम द्वारा किस्मवार भुगतान की गई कीमतें | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | किस्म | +निम्नतम/उच्चतम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| गुजरात | 1977-78 | — | 1.12 | सी. जे-73 | 380/401 |
| | | | | सी. ग्रो-2 | 309/389 |
| | | | | दिग्विजय | 362/529 |
| | | | | एस. आर. टी-1 | 356/475 |
| | | | | एस-4 | 445/524 |
| | 1978-79 | 5.00 | 2.67 | सी. जे-73 | 225/377 |
| | | | | वी-797 | 250/378 |
| | | | | एस-4 | 393/533 |
| | | | | दिग्विजय | 325/455 |
| | | | | एस. आर. टी-1 | 285/435 |
| | | | | सी. ग्रो-2 | 269/390 |
| | | | | कालागिन | 236/302 |

+उचित औसत क्वालिटी से निम्न दर्शाती है।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1979-80 (मई, 80 तक) | 3.50 | 1.60 | सी. जे-73 | 305/377 |
| | | | | एस-4 | 325/575 |
| | | | | वारालक्ष्मी | 409/543 |
| | | | | सी. ओ-2 | 250/405 |
| | | | | बी-797 | 250/428 |
| | | | | दिग्विजय | 350/488 |
| | | | | कालागिन | 250/323 |
| पंजाब | 1977-78 | — | 1.13 | | |
| | 1978-79 | 2.50 | 1.90 | | |
| | 1979-80 (मई, 80 तक) | 3.50 | 3.42 | | |

### एयर इन्डिया के यातायात में कमी

2146. श्री माधवराव सिंधिया : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों की तुलना में गत एक वर्ष के दौरान एयर इण्डिया के यातायात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या इसका क्या अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) इस कमी के लिये कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं। एयर इण्डिया के यातायात में 1979-80 के दौरान उससे पिछले वर्ष की तुलना में कोई कमी नहीं आई। वास्तव में, पिछले वर्ष के दौरान एयर इण्डिया के यातायात में वृद्धि हुई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

### उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क विभागों में अधिकारियों का स्थानान्तरण

2147. श्री राम विलास पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क विभाग में ऐसे इंस्पेक्टरों, सुपरिन्टेंडेंटों, सहायक तथा उप-सहायक समाहर्ताओं आदि के नाम क्या हैं, जो गत तीन वर्षों से भी अधिक समय से एक ही सीट/चार्ज पर कार्य कर रहे है ;

(ख) जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आने वाले अधिकारियों को एक ही सीट/चार्ज पर कितनी अवधि के लिए रखा जाता है ;

(ग) इन अधिकारियों का अब तक स्थानान्तरण न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इन तबादलों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मगनभाई बारोट)** : (क) सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में निरीक्षकों के 14209 पद और अधीक्षक, समूह "ख" और उसके तत्समानी 3570 पद हैं। इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की तैनाती और स्थानान्तरण के लिए संबंधित समाहर्ता ही सक्षम हैं। पर्याप्त समय और श्रम के बिना इतने अधिक व्यक्तियों के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्र कर पाना मुमकिन नहीं होगा। यदि किसी कार्यालय विशेष अथवा किन्हीं खास अधिकारियों को, जो ध्यान में हों और जिनके बारे में ऐसी सूचना अपेक्षित हो, निर्दिष्ट कर दिया जाय तो वह सूचना एकत्र करके पेश की जा सकती है।

सरकार का ताल्लुक केवल अधीक्षकों, सहायक समाहर्ताओं और उप समाहर्ताओं के ग्रेड में समूह "क" के अधिकारियों की तैनातियों और स्थानांतरणों से है। उनके बारे में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (ख) में प्रयुक्त "सीट/चार्ज" पद का ठीक-ठीक अर्थ पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यदि सब बातों को देखा जाय तो सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क जैसे किसी विभाग के सभी कामों में किसी हद तक और किसी-न-किसी रूप में जनता से सम्पर्क रहता ही है। इसके अलावा, जैसा काम इस विभाग में किया जाता है उसको देखते हुए, कार्य क्षमता के हित में और कार्य के शीघ्र निपटान हेतु अपेक्षित विशेषज्ञता को बनाये रखने तथा तैयार किए जाने की भी आवश्यकता है। इसलिए तैनातियों की कोई अपरिवर्तनीय अवधि निर्धारित नहीं की गई है। जब भी जरूरत होती है, प्रशासनिक बाध्यताओं और अनिवार्यताओं के संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों की तैनाती में फेर-बदल किया जाता है।

### काजू की गिरियों का निर्यात

**2148. श्री बी० के० नायर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काजू की गिरियों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय में काफी वृद्धि की जा सकती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने उक्त उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार करने के कोई प्रस्ताव तैयार किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)**: (क) से (ग) अगर कच्चे काजू की उपलब्धता बढ़ जाए तो काजू की गिरियों के निर्यात में वृद्धि होने की गुंजाइश है। कच्चे काजू के आयात की मात्रा बढ़ाने के लिये सभी स्रोतों को काम में लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। कच्चे काजू के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिये भी उपाय किये जा रहे हैं।

गान्टरमान पीपर्स (इंडिया) लि० की शेयरधारिता

2149. श्री नवीन रवाणी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गान्टरमान पीपर्स (इण्डिया) लि० के विदेशी शेयरधारियों ने अपने साठ प्रतिशत शेयर हांगकांग स्थित एक अनिवासी भारतीय कंपनी को बेचने का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन साठ प्रतिशत शेयरों को बेचने का निर्णय करने से पहले इस कंपनी ने रिजर्व बैंक की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया था ;

(ग) क्या पहले वर्ष 1977 में अपने चालीस प्रतिशत शेयर एक भारतीय कम्पनी को बेचने के लिए इस कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमति नहीं दी थी और यदि हां, तो ऐसी अस्वीकृति के क्या कारण थे ; और

(घ) यदि उक्त कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति अब नहीं मांगी है, तो इस विदेशी फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को, गान्टरमान पीपर्स (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता में 60 प्रतिशत विदेशी शेयर बेचने के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1977 में पश्चिम जर्मनी की गान्टरमान-पीपर्स कम्पनी (जी०एम०बी०एच०) को गान्टर मान-पीपर्स (इण्डिया) लिमिटेड कलकत्ता में दस-दस रुपए वाले 3,60,000 इक्विटी शेयरों में से 40 प्रतिशत शेयर 6.75 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर भारतीय निवासियों के पास बेचने की अनुमति दी थी किन्तु पश्चिम जर्मनी की कंपनी को यह बिक्री मूल्य स्वीकार न था और उन्होंने शेयरों की बिक्री के सम्बन्ध में आगे बात न चलाने का निर्णय किया।

(घ) यदि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमन के उपबंधों के उल्लंघन में शेयरों की कोई बिक्री की गई है तो भारतीय रिजर्व बैंक उचित कदम उठाने पर विचार करेगा।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के मुख्यालय में
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

2150. श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के मुख्यालय में तथा अन्य हवाई-अड्डों पर पृथक-पृथक श्रेणीवार, कितने-कितने कर्मचारी कार्य पर लगे हुए हैं ;

(ख) उनमें से पृथक् रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने-कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण-कोटा पूरा भरा हुआ है ; और

(घ) यदि नहीं, तो अविलम्ब आरक्षण कोटा पूरा भरने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण 1 में दी गयी है ।

(ख) अपेक्षित सूचना विवरण 2 में दी गयी है ।

(ग) जबकि ग्रुप "बी", "सी" और "डी" पदों में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा कर लिया गया है, ग्रुप "ए" पदों में वह अभी अधूरा है । अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व सभी ग्रुपों में अपूर्ण है ।

(घ) आरक्षण कोटा को पूरा करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

1. अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों को प्रमुख समाचार पत्रों में बार-बार विज्ञापित किया जाता है । इनकी सूचना क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय रोजगार कार्यालयों, रोजगार तथा प्रशिक्षण के महानिदेशक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विभिन्न एसोसिएशनों को भी भेजी जाती है ।

2. पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की कमी को पूरा करने के लिये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की सीधी भर्ती करने के प्रयत्न किये गए हैं ।

1.1.1980 को भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मुख्यालय तथा विमान क्षेत्रों पर कार्यरत कर्मचारियों की वर्ग-वार संख्या

| वर्ग | मुख्यालय | दिल्ली | बम्बई | कलकत्ता | मद्रास | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रुप "ए" | 73 | 18 | 28 | 15 | 14 | 148 |
| ग्रुप "बी" | 72 | 28 | 39 | 23 | 14 | 176 |
| ग्रुप "सी" | 203 | 537 | 557 | 445 | 388 | 2130 |
| ग्रुप "डी" (स्वीपरों के अलावा) | 55 | 289 | 285 | 315 | 159 | 1103 |
| ग्रुप "डी" (स्वीपर) | 10 | 194 | 74 | 115 | 50 | 443 |
| कुल | 413 | 1066 | 983 | 913 | 625 | 4000 |

विवरण-1

अनुबन्ध–1 पर दिये गये कर्मचारियों में से 1.1.1980 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या

| वर्ग | मुख्यालय | | दिल्ली | | बम्बई | | कलकत्ता | | मद्रास | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अनुसूचित जाति | अनु-सूचित जन-जाति | अनु-सूचित जाति | अनुसूचित जन-जाति | अनु-सूचित जाति | अनुसूचित जन-जाति | अनु-सूचित जाति | अनुसूचित जन-जाति | अनु सूचित जाति | अनुसूचित जन-जाति | अनु-सूचित जाति | अनुसूचित जन-जाति |
| ग्रुप "ए" | 6 | 1 | 3 | — | 3 | 2 | — | 1 | 2 | — | 14 | 4 |
| ग्रुप "बी" | 12 | 3 | 4 | — | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28 | 8 |
| ग्रुप "सी" | 31 | 9 | 92 | 13 | 93 | 22 | 68 | 6 | 90 | 12 | 374 | 62 |
| ग्रुप "डी" (स्वीपरों के अलावा) | 14 | 4 | 73 | 19 | 82 | 9 | 63 | 7 | 78 | 7 | 310 | 46 |
| ग्रुप "डी" (स्वीपर) | 10 | — | 194 | — | 70 | 1 | 94 | 10 | 42 | 3 | 410 | 14 |
| कुल | 73 | 17 | 366 | 32 | 256 | 37 | 227 | 25 | 214 | 23 | 1136 | 134 |

## उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के कमजोर वर्ग के लोगों को यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा दिया गया ऋण

2151. श्री जैनुल बशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन बैंक आफ इंडिया गाजीपुर जिले (उत्तर प्रदेश) का एक लीड बैंक है ;

(ख) उक्त बैंक ने वर्ष 1979-80 में, गाजीपुर जिले में चल रही समेकित क्षेत्र विकास योजना के अधीन दुधारु पशुओं की खरीद के लिये डी० ए० आई० के अधीन गाजीपुर जिले में कमजोर वर्ग के कितने लोगों को ऋण दिये ,

(ग) तत्सम्बन्धी शाखा-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि कोई ऋण नहीं दिया गया है तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिये कौन लोग उत्तरदायी हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) संभवत:, माननीय सदस्य "विभेदी ब्याज दर योजना" का जिक्र कर रहे हैं । समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, यूनियन बैंक आफ इंडिया, छः खंड़ों अर्थात् सैदपुर, देवकाली, बिरनो, मनिहारी, जखरिया और सादात में यह योजना चला रहा है । विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत इन खंडों को दिये गये ऋणों का शाखावार ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :—

| शाखा का नाम | ऋणकर्त्ता खातों की संख्या | बकाया राशि (रुपये) |
|---|---|---|
| (1) सैदपुर | 32 | 13,000 |
| (2) नंद गंज | 108 | 33,000 |
| (3) बिरनो | 1 | 1,800 |
| (4) शादियाबाद | 1 | 301 |
| (5) मालिकपुर | 4 | 2,679 |
| (6) सादात | 7 | 12,000 |
| | 153 | 62,780 |

विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत दुधारु पशुओं की खरीद के लिए दिये गये ऋणों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं । समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा इन छः खंड़ों को सभी प्रयोजनों के लिए दिये गये कुल ऋणों की राशि 11.88 लाख रुपये बैठती है जिसमें से डेरी विकास के लिए 4.05 लाख रुपये दिये गये ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बेस्टर्न बेस्ड मैरीन फूड इन्स्ट्रस्ट का सी फूड एक्सपोरटर्स
एसोसिएशन से अलग हो जाना

2152. श्री के० ए० राजन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'वैस्ट रीजन-वेस्ड मैरीन फूड इंस्ट्रस्ट' सी फूड एक्सपोरटर्स एसोसिएशन (एस० एफ० ई० ए०) से अलग हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरी केरल में सोने के निक्षेप पाया जाना

2153. श्री सकारिया थामस : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी केरल में सोने के निक्षेप होने के अनेक चिन्ह पाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) उत्तरी केरल के विभिन्न स्थानों पर सोने के छिट-पुट भंडारों का पता चला है । इनमें कोजीकोड और कन्नानूर जिलों में प्राथमिक सोने के भंडार शामिल हैं जो वाइनाड स्वर्ण क्षेत्र का पश्चिमी भाग हैं । वहां प्रति टन अयस्क में स्वर्ण अंश सामान्यत: 2 से 3 ग्राम से कम है ।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कोजीकोड जिले की नीलाम्बुर घाटी में प्लेसर गोल्ड के भंडारों की खोज भी की गई थी । 8.5 मिलियन घन मीटर बजरी (ग्रेवाल) होने का अनुमान लगाया गया है जिसकी क्षमता 2,188 किलोग्राम स्वर्ण उत्पादन की है ।

पालघाट जिले के भट्टापाढी गांव में प्राथमिक और एलूवियल दोनों के सोने के अत्यंत मामूली भंडार होने का भी पता चला है ।

अनधिकृत विद्युत करघे

2154. श्री निहाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री अनधिकृत विद्युत करघों को नियमित किये जाने के बारे में अप्रैल, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 633 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनधिकृत विद्युत-करघों के बारे में, विधि मंत्रालय से परामर्श किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ख) ये अनधिकृत विद्युत करघे जिस तारीख से नियमित किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी हां। जिन सभी अनधिकृत शक्तिचालित करघों को विनियमित करने के लिये 31-12-79 तक आवेदनपत्र दिये गये हैं, उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विनियमित किया जाएगा :

1) सूती शक्तिचालित करघों के बारे में 200 रु० प्रति करघे के हिसाब से जुर्माना ; तथा

2) कृत्रिम रेशम शक्तिचालित करघे के बारे में 600 रु० प्रति करघे के हिसाब से जुर्माना।

सूती शक्तिचालित करघों तथा कृत्रिम रेशम शक्तिचालित करघों में जुर्माने में भिन्नता इस कारण है कि सूती शक्तिचालित करघों के सम्बन्ध में 400 रु० प्रति वर्ष का दण्ड स्वरूप उत्पादन शुल्क पहले से ही है।

(ख) अनधिकृत शक्तिचालित करघों को विनियमित करने हेतु आवेदनपत्रों पर वस्त्र आयुक्त द्वारा कार्यवाही की जा रही है। वस्त्र आयुक्त द्वारा जिस तारीख को परमिट जारी किया गया है, वही तारीख अनधिकृत शक्तिचालित करघे को विनियमित करने की तारीख होगी।

## खरड़ में रूई की गांठों का नष्ट होना

2155. श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ के निकट, खरड़ में हाल ही में एक कपड़ा मिल में आग लगने के कारण 20 लाख रुपए मूल्य की रूई की गांठें नष्ट हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० के प्रबन्ध के अधीन खरड़ स्थित वस्त्र मिल्स के एक गोदाम में 20 मई, 1980 को आग लग गई। थी यह पता चला है कि लगभग 12.9 लाख रु० मूल्य की रूई तथा स्टैपल रेशे की गांठें नष्ट हो गई। आग लगने के सम्बन्ध में खरड़ के पुलिस प्राधिकारियों के पास रपट दर्ज करा दी गई है जो कि मामले की जांच कर रहे हैं।

## कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण करने की योजना

2156. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण करने और वर्तमान एककों को रुग्ण होने से रोकने के नये उपाय तैयार कर रही हैं ;

(ख) क्या कपड़ा एकक में अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो गत 5 वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत उपयोग किया गया ;

(घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन रुग्ण एककों का वित्तीय और उत्पादनवार कुल कार्यकरण कैसा है ; और

(ङ) कपड़ा एककों का आधुनिकीकरण करने के लिये आसान शर्तों पर अधिक ऋण और वित्तीय सहायता देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ङ) वस्त्र उद्योग में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से आई०डी०बी०आई० ने आसान शर्तों पर ऋण सहायता प्रदान करने के लिये एक विशेष काउंटर खोला हुआ है। मुख्य रूप से घरेलू वस्त्र मशीनरी उद्योग की क्षमता की सीमाओं से पैदा होने वाली मजबूरियों के कारण आई०डी०बी०आई० द्वारा स्वीकृत किये गये ऋणों का ही उपयोग उद्योग द्वारा पूरी तरह से नहीं किया गया है। हाल की आयात नीति में ऐसी कुछ मदें भी आयात के लिये पात्र बना दी गई हैं जिनके लिये घरेलू मशीनरी में लम्बी अवधि तक इंतजार करना पड़ता है ।

(ख) तथा (ग) तकुआ उपयोग पहली दो पारियों में 78 से 82 प्रतिशत के तथा तीसरी पारी में 71 से 77 प्रतिशत के बीच है। करघा उपयोग पहली दो पारियों में 82 से 88 प्रतिशत के बीच तथा तीसरी पारी में आम तौर पर अपेक्षाकृत कम उपयोग होता है जो तीसरी पारी के दौरान तैयार किये गये कपड़े की क्वालिटी में गिरावट तथा अधिक दोषों का सूचक है। कुल मिलाकर वस्त्र उद्योग में स्थापित क्षमता का उपयोग सन्तोषजनक है ।

(घ) 1979-80 के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम के एककों ने 65 मिलियन किग्रा० मार्किट यार्न तथा 843 मिलियन मीटर कपड़ा तैयार किया। वित्तीय दृष्टि से कुछ वर्षों से कार्य निष्पादन में सुधार आया है। 1979-80 के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम को 5.4 करोड़ रु० का घाटा हुआ जब कि 1975-76 में 59.86 करोड़ रु० का घाटा हुआ था।

### रुग्ण कपड़ा मिल

2157. श्री डी० पी० जदेजा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रुग्ण कपड़ा मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : प्रत्येक मामले में परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए समय समय पर अलग अलग मामले में किये गये मूल्यांकन के आधार पर रुग्णता का पता लगाया जाता है। अतः 'रुग्ण' वस्त्र मिलों की संख्या बताना सम्भव नहीं है। किन्तु 31 मई, 1980 को जो मिलें बन्द पड़ी थी उनकी संख्या इस प्रकार है :—

| राज्य | बन्द पड़ी मिलों की संख्या |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 3 |
| मध्य प्रदेश | 1 |

| | |
|---|---|
| तमिलनाडु | 3 |
| केरल | 1 |
| प० बंगाल | 3 |
| गुजरात | 3 |
| उत्तर प्रदेश | 3 |
| योग | 17 |

समय समय पर अनेक रुग्ण वस्त्र मिलों का अधिग्रहण किया गया है और उनको राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा कतिपय राज्य वस्त्र निगमों के प्रबन्ध के अधीन रखा गया है।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में टिन के भंडार

2158. श्री अरविंद नेताम : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में टिन के विस्तृत भण्डारों का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) बस्तर जिले में केसिटराइट (टिन अयस्क) के प्राप्ति स्थलों का पता चला है। यहां होस्ट रॉक में टिन की व्याप्ति छिट-पुट तथा निम्न मात्रा में है। मध्य प्रदेश राज्य के भूतत्व और खान विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की सहायता से कुछ विशेष क्षेत्रों में विस्तृत खोज कार्य किये जा रहे हैं।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इस समय जलोढ़ मिट्टी (रेती) में टिन खनिजीकरण के बारे में खोज कर रहा है।

इन प्राप्तिस्थलों पर भंडार क्षमता का आंकलन करना अभी संभव नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जनता के विभिन्न वर्गों को दिया गया बैंक ऋण

2159. प्रो० रूप चन्द पाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान जनता के विभिन्न वर्गों को दिए गए बैंक ऋण की वर्षवार तथा राज्यवार कुल राशि कितनी-कितनी है ; और

(ख) इन लाभ पाने वालों में से भूमिहीन कृषि मजदूरों, गरीब किसानों, साधारण किसानों, और बटाईदारों की राज्यवार, वर्षवार तथा माहवार संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) दिसम्बर, 1977, 1978 और जून, 1979 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा दिये गए अग्रिमों की बकाया राशियों के राज्यवार आंकडे विवरण 1 में दिये गये हैं।

(ख) आंकडे सूचित करने की प्रणाली के अन्तर्गत उस रूप में सूचना उपलब्ध नहीं होती जिस रूप में वह मांगी गयी है। परन्तु, सितम्बर, 1977 और 1978 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे और सीमान्तिक किसानों को तथा संबंधित कार्यकलापों के लिए, जिनमें अधिसंख्यक छोटे और सीमान्तिक किसान तथा भूमिहीन मजदूर लगे हुए हैं, दिये गए अग्रिमों की बकाया राशियों के बारे में उपलब्ध राज्यवार सूचना विवरण II और III में दी गयी है।

विवरण—1

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपयों में)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अग्रिम अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार | | |
|---|---|---|---|
| | दिसम्बर 1977 | दिसम्बर 1978 | जून* 1979 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| उत्तरी क्षेत्र | 3396.8 | 3960.8 | 4488.2 |
| 1. हरियाणा | 165.5 | 231.0 | 249.2 |
| 2. हिमाचल प्रदेश | 22.5 | 33.6 | 37.0 |
| 3. जम्मू व कश्मीर | 21.9 | 32.4 | 39.2 |
| 4. पंजाब | 309.1 | 431.9 | 412.8 |
| 5. राजस्थान | 228.7 | 288.2 | 342.2 |
| 6. चंडीगढ़ | 374.6 | 363.2 | 633.0 |
| 7. दिल्ली | 2274.4 | 2580.4 | 2774.9 |
| उत्तर पूर्वी क्षेत्र | 102.4 | 125.9 | 134.8 |
| 1. असम | 86.7 | 104.0 | 110.1 |
| 2. मणिपुर | 3.0 | 3.7 | 4.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. मेघालय | 4.8 | 5.8 | 6.1 |
| 4. नागालैंड | 1.8 | 2.8 | 3.8 |
| 5. सिक्किम | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 6. त्रिपुरा | 5.6 | 8.1 | 9.5 |
| 7. अरुणाचल प्रदेश | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
| 8. मिजोरम | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| पूर्वी क्षेत्र | 1845.6 | 2254.8 | 2290.0 |
| 1. बिहार | 338.3 | 440.0 | 465.5 |
| 2. उड़ीसा | 106.0 | 134.0 | 147.5 |
| 3. पश्चिम बंगाल | 1400.0 | 1679.1 | 1675.8 |
| 4. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.8 | 1.4 | 1.6 |
| केन्द्रीय क्षेत्र | 1068.7 | 1354.2 | 1538.1 |
| 1. मध्य प्रदेश | 326.7 | 400.4 | 435.2 |
| 2. उत्तर प्रदेश | 741.9 | 953.8 | 1102.9 |
| पश्चिमी क्षेत्र | 3712.7 | 4430.4 | 4713.8 |
| 1. गुजरात | 808.4 | 1002.6 | 1034.2 |
| 2. महाराष्ट्र | 2833.9 | 3332.8 | 3589.2 |
| 3. दादर और नागर हवेली | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| 4. गोआ, दमन और द्यू | 70.4 | 93.3 | 89.7 |
| दक्षिणी क्षेत्र | 2854.9 | 3436.1 | 3705.6 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 547.9 | 705.2 | 768.3 |
| 2. कर्नाटक | 781.2 | 903.9 | 903.8 |
| 3. केरल | 348.8 | 464.9 | 525.4 |
| 4. तमिलनाडु | 1156.8 | 1338.9 | 1483.2 |
| 5. लक्षद्वीप | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 6. पांडिचेरी | 20.1 | 23.1 | 24.7 |
| कुल जोड़ | 12980.6 | 15562.0 | 16870.4 |

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

विवरण—2

सितम्बर 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार छोटे और सीमांतिक किसानों तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए दिये गये अग्रिमों की बकाया रकमों का राज्यवार

वितरण

(लाख रुपये में)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | छोटे और सीमांतिक किसान | | संबद्ध कार्यकलाप | |
|---|---|---|---|---|
| | खातों की संख्या | बकाया रकम | खातों की संख्या | बकाया रकम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| उत्तरी क्षेत्र | 98695 | 3362.83 | 74936 | 1874.12 |
| 1. हरियाणा | 14811 | 1815.62 | 13416 | 396.87 |
| 2. हिमाचल प्रदेश | 27917 | 217.22 | 7513 | 101.49 |
| 3. जम्मू व कश्मीर | 4508 | 57.47 | 2594 | 50.92 |
| 4. पंजाब | 23105 | 635.04 | 33855 | 749.19 |
| 5. राजस्थान | 25504 | 565.76 | 13010 | 348.49 |
| 6. चण्डीगढ़ | 78 | 1.92 | 239 | 73.95 |
| 7. दिल्ली | 2772 | 69.80 | 4309 | 153.21 |
| उत्तर पूर्वी क्षेत्र | 38853 | 268.03 | 3792 | 131.31 |
| 1. असम | 16654 | 128.68 | 2221 | 120.30 |
| 2. मेघालय | 3837 | 33.75 | 288 | 4.23 |
| 3. मणिपुर | 2226 | 21.51 | 119 | 1.45 |
| 4. नागालैंड | 617 | 5.26 | 15 | 2.05 |
| 5. सिक्किम | — | — | — | — |
| 6. त्रिपुरा | 15519 | 78.83 | 1149 | 13.28 |
| 7. अरुणाचल प्रदेश | — | — | — | — |
| 8. मिजोरम | — | — | — | — |
| पूर्वी क्षेत्र | 441476 | 4868.82 | 40750 | 627.16 |
| 1. बिहार | 123236 | 1568.56 | 15290 | 118.77 |
| 2. उड़ीसा | 92067 | 938.07 | 13969 | 169.97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. पश्चिम बंगाल | 225904 | 2356.95 | 11389 | 336.43 |
| 4. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 269 | 5.24 | 102 | 1.99 |
| केन्द्रीय क्षेत्र | 300528 | 3295.78 | 43546 | 958.32 |
| 1. मध्य प्रदेश | 51998 | 889.32 | 7897 | 228.45 |
| 2. उत्तर प्रदेश | 248530 | 2406.46 | 35649 | 729.87 |
| पश्चिमी क्षेत्र | 98254 | 2531.01 | 129810 | 4194.38 |
| 1. गुजरात | 28566 | 603.40 | 40343 | 876.04 |
| 2. महाराष्ट्र | 59915 | 1854.25 | 82544 | 3096.26 |
| 3. गोवा, दमन और द्यू | 9677 | 73.25 | 6904 | 221.71 |
| 4. दादर और नागर हवेली | 96 | 0.11 | 19 | 0.37 |
| दक्षिणी क्षेत्र | 1253544 | 17966.03 | 633052 | 7660.70 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 358063 | 6549.14 | 77980 | 1689.66 |
| 2. कर्नाटक | 164206 | 2895.24 | 189899 | 2017.69 |
| 3. केरल | 201563 | 1700.79 | 167957 | 1263.10 |
| 4. तमिलनाडु | 510622 | 6571.77 | 192012 | 2630.78 |
| 5. पांडिचेरी | 18983 | 248.52 | 5183 | 59.31 |
| 6. लक्षद्वीप | 107 | 0.57 | 21 | 0.16 |
| कुल जोड़ | 2231350 | 32292.50 | 925886 | 15455.99 |

## विवरण–3

सितम्बर 1978 के अन्त की स्थिति के अनुसार छोटे और सीमांतक किसानों तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए दिये गए अग्रिमों की बकाया रकमों का राज्यवार विवरण

(लाख रुपयों में)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | छोटे और सीमांतिक किसान | | संबद्ध कार्यकलाप | |
|---|---|---|---|---|
| | खातों की संख्या | बकाया रकम | खातों की संख्या | बकाया रकम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| उत्तरी क्षेत्र | 135444 | 3568.99 | 112987 | 2746.96 |
| 1. हरियाणा | 24027 | 1634.02 | 18235 | 611.12 |
| 3. हिमाचल प्रदेश | 32679 | 302.09 | 15412 | 188.81 |
| 3. जम्मू व कश्मीर | 6232 | 91.37 | 4777 | 79.77 |
| 4. पंजाब | 33317 | 648.63 | 40992 | 847.15 |
| 5. राजस्थान | 36427 | 763.60 | 26922 | 750.22 |
| 6. चण्डीगढ़ | 90 | 5.60 | 271 | 107.44 |
| 7. दिल्ली | 12682 | 52.78 | 6378 | 262.75 |
| उत्तर पूर्वी क्षेत्र | 44392 | 323.53 | 5048 | 143.90 |
| 1. असम | 19549 | 142.04 | 2577 | 111.21 |
| 2. मेघालय | 4470 | 49.41 | 342 | 5.12 |
| 3. मणिपुर | 2411 | 28.34 | 441 | 5.67 |
| 4. नागालैंड | 269 | 2.31 | 84 | 3.41 |
| 5. सिक्किम | — | — | — | — |
| 6. त्रिपुरा | 17670 | 100.88 | 1594 | 18.36 |
| 7. अरुणाचल प्रदेश | 8 | 0.08 | 10 | 0.13 |
| 8. मिजोरम | 15 | 0.47 | — | — |
| पूर्वी क्षेत्र | 613683 | 7192.60 | 65050 | 1105.44 |
| 1. बिहार | 191214 | 2439.36 | 23492 | 363.44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. उड़ीसा | 126316 | 1317.19 | 21392 | 298.62 |
| 3. पश्चिम बंगाल | 295846 | 3430.00 | 20059 | 440.95 |
| 4. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 307 | 6.05 | 107 | 2.40 |
| केन्द्रीय क्षेत्र | 405340 | 4384.51 | 58869 | 1357.20 |
| 1. मध्य प्रदेश | 61894 | 1104.49 | 12656 | 403.39 |
| 2. उत्तर प्रदेश | 343446 | 3280.02 | 46213 | 953.81 |
| पश्चिमी क्षेत्र | 36613 | 4039.99 | 154293 | 5190.61 |
| 1. गुजरात | 44202 | 1203.38 | 54011 | 1558.02 |
| 2. महाराष्ट्र | 80836 | 2740.72 | 89939 | 3261.13 |
| 3. गोवा, दमन और दयू | 8899 | 49.92 | 10328 | 370.96 |
| 4. दादर और नागर हवेली | 2676 | 45.97 | 15 | 0.50 |
| दक्षिणी क्षेत्र | 1332898 | 22267.14 | 676150 | 9537.60 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 425231 | 9118.88 | 94846 | 2143.66 |
| 2. कर्नाटक | 183970 | 3520.46 | 184533 | 2470.55 |
| 3. केरल | 238525 | 2765.92 | 162555 | 1459.67 |
| 4. तमिलनाडु | 467028 | 6228.37 | 226107 | 3352.84 |
| 5. पांडिचेरी | 14900 | 192.63 | 8096 | 110.74 |
| 6. लक्षद्वीप | 3244 | 40.88 | 13 | 0.14 |
| कुल जोड़ | 2668370 | 41776.76 | 1072397 | 20081.68 |

## चाय और काफी के मूल्य

2160. श्री आनन्द पाठक : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय और काफी का उत्पादन बढ रहा है ,

(ख) यदि हां, तो चाय और काफी के मूल्य कम होकर अभी तक आम आदमी की पहुंच तक क्यों नहीं आये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) चाय तथा काफी की कीमतें स्वदेशी बाजार में आम तौर पर गिरती रही हैं। कई किस्मों की चाय की कीमतें उपभोक्ता जनता की पहुंच के भीतर हैं और एन० सी० सी० एफ०, नेफेड तथा भारतीय चाय व्यापार निगम जैसी सरकारी एजेंसियां भी घरेलू बाजार में उचित दरों पर चाय की बिक्री कर रही हैं। आन्तरिक तथा निर्यात बिक्री के लिए अलग नीलामियां करके तथा सारे देश में स्थित विभागीय डिपुओं तथा सहकारी समितियों को रियायती कीमतों पर काफी रिलीज करके काफी की कीमतें उचित स्तरों पर कायम रखी गई हैं।

## त्रिपुरा में चाय बागान

2161. **श्री अजय विश्वास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड का त्रिपुरा में चाय बागान लगाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितने हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी ;

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार ने इस प्रयोजन के लिए भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो चाय बागान कब तक लगाये जाएंगे ?

**वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

## गांवों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऋण सुविधायें

2162. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दूरस्थ तथा अलग-अलग बसे हुए गांवों में, जिनकी कोई बैंक सुविधा नहीं लेता हैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे सरकार द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं ;

(ख) यदि हां; तो क्या ऐसा सोचा जा रहा है कि यदि आवश्यक हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की नई शाखायें खोलकर उन लोगों के लिये पर्याप्त मात्रा में संस्थागत वित्त उपलब्ध कराया जाये, और

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में, नगरीय बैंक मैनेजरों, को ग्रामीण वातावरण के अभ्यस्त होने तथा गांवों की समस्याओं को कम करने में समय लगता है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट)** : (क) और (ख) यह सच है कि पिछले दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं का काफी विस्तार होने के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग व्याप्ति में अन्तराल मौजूद हैं। वर्ष 1979-81 की अवधि के लिए रिजर्व बैंक की

शाखा लाइसेंसिंग नीति इस प्रकार बनाई गई है कि तीन वर्षों की इस अवधि में मुख्यतः कम बैंकों वाले/कमी वाले जिलों में बैंक रहित ग्रामीण और अर्ध शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने पर ध्यान देने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके। बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे प्रत्येक प्रखंड (ब्लाक) में और प्रत्येक प्रखंड के मुख्य कार्यालय में शाखाओं की व्यवस्था करें। व्याप्ति का शीघ्रातिशीघ्र विस्तार करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने के कार्यक्रम की रफ्तार भी तेज कर दी गई है। परन्तु, कुल मिला कर सक्षम परिचालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए बैंकों के लिये यह सम्भव न होगा कि प्रत्यक्ष दूरस्थ गांव को व्याप्त किया जा सके। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों समेत इस प्रकार के गावों के निवासियों को भी ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से प्राथमिक समितियों, किसान सेवा समितियों और बड़ी बहुप्रयोजनी सहकारी समितियों (एल० ए० एम० पी० एस०) और बैंक की निकटवर्ती शाखाओं के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है।

(ग) बैंक, ग्रामीण शाखाओं में केवल प्रशिक्षित कर्मचारी ही तैनात करने का प्रयास करते हैं और ग्रामीण शाखाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही उनके प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम भी तैयार किये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ साथ बैंकों को यह परामर्श भी दिया है कि ग्रामीण शाखाओं के प्रबन्धकों को यथासंभव 3 वर्षों की अवधि तक स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिये ताकि वे वातावरण से अच्छी तरह परिचित हो सकें।

## चालू वर्ष के दौरान सिले-सिलाये कपड़ों का निर्यात

2163. श्री मीठूराम जैन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के सिले सिलाये कपड़ों का निर्यात किया गया ; और

(ख) उन को आयात करने वाले मुख्य देशों के नाम क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) कोटा देशों के सम्बन्ध में जनवरी-अप्रैल, 1980 के आंकड़े इस प्रकार हैं :

| मात्रा | मूल्य |
|---|---|
| 533 लाख मदद | 15,338 लाख रु० |

(ये आंकड़े अनन्तिम हैं) इस अवधि के लिये गैर-कोटा देशों के बारे में जानकारी अभी संकलित की जानी है।

(ख) भारतीय परिधानों के प्रमुख आयातक देश हैः संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देश, स्वीडन, नार्वे, फिनलैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, जापान तथा सोवियत संघ।

भारत में विदेशी बैंकों की जमा राशियां और अग्रिम राशियां

2164. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में विदेशी बैंकों की कुल जमा राशियां और अग्रिम राशियां कितनी थीं ;

(ख) विदेशी बैंकों ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कुल कितना लाभ कमाया और कुल कितनी राशि अपने-अपने देशों को भेजी ;

(ग) क्या सरकार विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ख) वर्ष 1976, 1977 और 1978 के दौरान देश में विदेशी बैंकों की कुल जमा राशियां, ऋण और लाभ नीचे लिखे अनुसार हैं :

| वर्ष | जमाराशियां (अतः बैंक जमा-राशियों सहित) | ऋण | लाभ |
|---|---|---|---|
| | | (लाख रुपयों में) | |
| 1976 | 95,362.32 | 65,314.19 | 736.53 |
| 1977 | 102,831.00 | 74,436.66 | 529.58 |
| 1978 | 114,678.93 | 79,617.90 | 579.54 |

वर्ष 1979 के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष 1976, 1977 और 1978 के लिये कुल अधिशेष प्रेषित धन का ब्यौरा जिसे विदेशी बैंकों द्वारा दिसम्बर 1979 तक भेजे जाने की अनुमति दी गयी थी, नीचे दिया गया है :-

| वर्ष | राशि (लाख रुपयों में) |
|---|---|
| 1976 | 776.05 |
| 1977 | 189.92 |
| 1978 | 93.26 |

(ग) जी, नहीं।

(घ) अधिकांशतः विदेशी बैंक विदेशी व्यापार और पर्यटन को सुविधाजनक बनाने जैसे विशिष्ट प्रवृत्ति के कारोबार के लिये ऋण प्रदान करते हैं। किसी एक देश के बैंक का किसी दूसरे देश में, वहां के कानूनों का पालन करते हुए, परिचालन मुख्यतः इन्हीं प्रयोजनों के लिए होता

है और यह एक अन्तर्राष्ट्रीय सुविधा का अंग हैं। हमारे भारतीय बैंकों की भी कई देशों में शाखायें हैं। पारस्परिक सहयोग के हित में यह आवश्यक है कि विदेशों में भारतीय बैंकिंग के भविष्य के लिये यथास्थिति बनाये रखी जाय।

### महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के दक्षिण रत्नागिरी में पर्यटक केन्द्र

2165. **श्री मधु दंडवते :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अपने मनोहारी सौन्दर्य के लिए महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र का दक्षिण रत्नागिरि भाग पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास के लिये एक आदर्श स्थल है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर ऐसे पर्यटक केन्द्र का शीघ्र निर्माण करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० एल० चन्द्राकर) :**

(क) और (ख) भारत की तट–रेखा पर मनोहारी-सौंदर्य के कई क्षेत्र हैं; निस्सन्देह दक्षिण रत्नगिरि उनमें से एक है। तथापि, संसाधनों पर प्रतिबन्ध होने के कारण पर्यटन आयोजना के लिए एक चयनात्मक-दृष्टिकोण अपनाना जरूरी हो जाता है। अत: केन्द्रीय सैक्टर में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के केन्द्रों पर पर्यटक सुविधाएं विकसित करने पर बल दिया जाता है और इसी के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन की अभिवृद्धि करने के लिए त्रिवेन्द्रम के निकट कोवलम समुद्र-तट, गोवा के समुद्र-तटों और कुछ सीमा तक महाबलीपुरम का विकास किया जा रहा है। अत: दक्षिण रत्नागिरि के तटवर्ती क्षेत्र के विकास का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

### एक करोड़ रुपये से अधिक की आय-कर की बकाया राशि की वसूली।

2166. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या वित्त मंत्री एक करोड़ से अधिक की आय-कर की बकाया राशि के बारे में 21 मार्च 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 174 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उल्लिखित व्यक्तियों अथवा फर्मों से अब तक आयकर की बकाया राशि वसूल कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) :** (क) और (ख) लोक सभा में 21 मार्च 1980 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 174 के भाग (ख), (ग) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित 40 मामलों में से निम्नलिखित 4 मामलों में 31 मार्च 1980 तक बकाया मांगें पूर्ण रूप से वसूल हो गई है अथवा कम हो गई है :-

1. मैसर्स यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ।
2. वेस्टर्न इंडिया स्पिनिंग वीविंग कम्पनी लिमिटेड ।
3. आई० सी० एम० एफ० एक्सपोर्ट प्रोमोशन फण्ड ।
4. मैसर्स भारत स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ।

निम्नलिखित 15 मामलों के संबंध में पहले ही बतायी जा चुकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

1. मैसर्स ब्रह्मपुत्र टी कम्पनी लिमिटेड ।
2. श्री चन्द्र नाथ वणिक ।
3. श्री हाजी मस्तान मिर्जा ।
4. श्री इन्द्र जितेन्द्र नारायण सिंह ।
5. मैसर्स आर० एन० शोफ मेहमदाबाद।
6. मैसर्स आर० एन० शोफ नडियाड़ ।
7. मैसर्स अंसल सहगल प्रोपर्टीज प्रा० लि० ।
8. मैसर्स एलेम्बेरी एण्ड कम्पनी प्रा० लि० ।
9. डा० जयन्ती धर्म तेजा ।
10. श्री आर० डालमिया ।
11. मैसर्स आर० बी० श्रीराम दुर्गा प्रसाद ।
12. श्री के० एस० अब्दुल्ला ।
13. मैसर्स करोड़ीमल लोहड़ीवाला ।
14. श्री हरिदास मूंदड़ा ।
15. स्व० श्री रामनाथ बाजोरिया ।

शेष 21 मामलों के संबंध में 1-4-79 से 31-3-80 तक की अवधि के दौरान की गई वसूलियां/घटौतियां संलग्न विवरण-पत्र में दी गई हैं ।

विवरण

| क्र० सं० | कर-निर्धारिती का नाम | (रकम लाख रुपये में) 21 मार्च, 1980 को लोकसभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 174 के उत्तर में भेजे गये विवरण-पत्र के स्तंभ 3 में दर्शायी गई रकम में से 1 अप्रैल, 1979 से 31 मार्च, 1980 की अवधि के दौरान हुई वसूली/घटौती । |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री ए० के० जैन तथा अन्य । | 171.49 |
| 2. | श्री बी० एन० भट्टाचार्जी । | 1.78 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | ग्रिंडलेज बैंक लि० । | 228.95 |
| 4. | श्री नानमल पी० शाह । | 187.28 |
| 5. | दी ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफ़ैक्चरिंग (वीविंग) कं लि० । | 49.19 |
| 6. | मैसर्स प्रकाश काटन मिल्स प्रा० लि० । | 122.69 |
| 7. | मैसर्स फोनिक्स मिल्स लि० । | 1.35 |
| 8. | मैसर्स आई० बी० एम० वर्ल्डट्रेड कारपोरेशन । | 762.29 |
| 9. | श्री मानाभाई खाल्याभाई । | 0.38 |
| 10. | गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कं० लि० । | 71.69 |
| 11. | मैसर्स मोदीपोन लि० । | 128.34 |
| 12. | मैसर्स लक्ष्मी जी शूगर मिल्स कं० लि० । | 95.89 |
| 13. | डालमिया डेरी इण्डस्ट्रीज लि० । | 0.45 |
| 14. | मैसर्स साउथ इंडिया बिस्कोस लि० । | 9.86 |
| 15. | मैसर्स शान्ती ट्रस्ट । | 2.82 |
| 16. | आर० बी० श्रीराम दुर्गाप्रसाद एण्ड फतहचन्द नरसिंहदास (एक्सपोर्ट) फर्म । | 2.65 |
| 17. | जे० के० सिंथोटिक्स लि० । | 88.33 |
| 18. | श्री मन्नी लाल गुप्ता । | 1.54 |
| 19. | मैसर्स मगनलाल छगनलाल । | 48.61 |
| 20. | मैसर्स गिरीलाल मामचन्द एण्ड कं० । | 99.03 |
| 21. | मैसर्स ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि० । | 10.69 |

## अनुभाग अधिकारियों का अग्रिम वेतन वृद्धि

2167. श्री के० मालन्ना : क्या वित्त मन्त्री अनुभाग अधिकारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि के बारे में 14 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 539 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन अनुभाग अधिकारियों को, जो 1 जुलाई 1959 के बाद एसिस्टेंट नियुक्त किये गये थे अग्रिम वेतनवृद्धि देने के लिए इस बीच अन्तिम निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (ग) ऐसे अनुभाग अधिकारियों को, जिन्हें जनवरी, 1958 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई विभागीय सीमित परीक्षा के आधार पर 1.7.59 के बाद सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था, अग्रिम वेतन वृद्धियों की मंजूरी देने सम्बन्धी प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

खाद्यान्न का निर्यात

2168. श्री नारायण चौबे : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने निर्यात संवर्धन कार्यक्रम के अंग के रूप में खाद्यान्न निर्यात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज़ियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तथा (ख) 1980-81 के दौरान, निर्यात की शर्तें सहित निर्यात के लिये खाद्यान्न मदों की अनुमति निम्नोक्त प्रकार है :

(1) चावल

(क) खुले सामान्य लाइसेंस पर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति जारी रहेगी, शर्त यह है कि पालिश किये हुए चावल के लिये 5500 रु० प्रति मे० टन की न्यूनतम निर्यात कीमत (एफ० ओ० बी०) रहे ।

(ख) गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति सीमा के भीतर दी जाती है । गैर-बासमती चावल की बहुत बढ़िया तथा बढ़िया किस्मों के निर्यात की अनुमति, नामित किये गये सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से निर्यात अभिकरणों के नाम में खोले गये अपरिवर्तनीय साख पत्र के आधार पर स्वयं उनके भंडारों में से दी जाएगी, शर्त यह है कि न्यूनतम निर्यात कीमत (एफ० ओ० बी०) 2750 रु० प्रति मे० टन रहे । धान के निर्यात की अनुमति केवल भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से दी जाएगी ।

(2) जौ

1980-81 के दौरान भारतीय राज्य व्यापार निगम तथा नेफेड के माध्यम से सीमित अधिकतम कोटे के भीतर जौ के निर्यात की अनुमति दी जाएगी ।

(3) गेहूं के उत्पाद

गेहूं उत्पादों के निर्यात की समय-समय पर रिलीज़ की गई कोटा सीमा के भीतर अनुमति होती है । 1980-81 के दौरान निर्यात के लिये कोई नया कोटा रिलीज़ नहीं किया गया । तथापि, 1979-80 के दौरान रिलीज़ किये गये कोटे की बकाया मात्रा 1980-81 के लिए आगे ले जाए जाने की अनुमति दी गई है ।

## त्रिवेन्द्रम् हवाई अड्डे की खराब स्थिति

2169. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे की स्थिति खराब है तथा वहां पर इस प्रकार की खामियां हैं जैसे "रन-वे" पर दरारें, एप्रोच लाइटों का अभाव, रनवे पर अपर्याप्त चिन्ह, ओवरशूट एरिया का अभाव और इसी प्रकार की अन्य बातें ;

(ख) क्या हवाई अड्डे का दर्जा "ब्लैक" निर्धारित किया गया है जो कि इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन्स पायलट्स एसोशियेसन द्वारा निम्नतम दर्जे की खामियां बताया गया है ; और

(ग) इन खामियों को दूर करने के लिए तथा उपर्युक्त इन्टरनेशनल फेडरेशन से इस अड्डे का ऊंचा दर्जा प्राप्त करने के लिये क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) त्रिवेन्द्रम् का विमान क्षेत्र बोइंग 737 विमानों के परिचालन के लिए तथा बोइंग 707/एयरबस विमानों के सीमित परिचालनों के लिए उपयुक्त है। वहां इस प्रकार के विमानों के परिचालन के लिए अपेक्षित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) धावनपथ का 10,000 फुट तक विस्तार तथा उसे एल० सी० एन०–60 तक मजबूत किया जा रहा है। बड़ी तेज रोशनी वाली धावनपथ बत्तियां तथा 3-बार "बासी" सिस्टम स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। सिम्पल एप्रोच लाइटिंग सिस्टम को भी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। प्रिसीजन एप्रोच लैंडिंग सिस्टम भी स्थापित करने का प्रस्ताव है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है जिसका निर्माण-कार्य पूरा होने वाला है। अधिकांश "वी० एच० एफ०" तथा "एन० एफ०" संचार उपकरणों को आधुनिकतम सोलिड स्टेट उपस्कर से बदलने की भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। पर्याप्त यात्री हैंडलिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए, एक पृथक् अन्तर्राष्ट्रीय ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है।

## ऋण की मंजूरी के बारे में वाणिज्यिक बैंकों को स्वविवेक निर्णय का अधिकार

2170· श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत आने वाले अपने ऋण ग्राहकों को ऋण मंजूर करने के मामले में और अधिक स्वविवेक की शक्तियां प्रदान की हैं ;

(ख) यदि हां, तो दी गई रियायतों का मुख्य ब्योरा क्या है ;

(ग) ये ऋण सुविधाएं इस देश के निचले और पददलित लोगों के लिए कहां तक सहायक सिद्ध होंगी ; और

(घ) क्या बैंकों द्वारा कुछ और रियायतें दी जा रही हैं ताकि निम्न आय वर्ग के लोगों को दिए गए ऋणों को आसान बनाया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ख) अभी तक की स्थिति के अनुसार ऋण प्राधिकरण योजना निजी क्षेत्र के ऋणकर्त्ताओं के मामले में 2 करोड़ रुपये से अधिक तथा सरकारी क्षेत्र के ऋणकर्त्ताओं के मामले में 3 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सीमाओं पर लागू होती है। इस योजना के अन्तर्गत, ऐसे ऋणकर्त्ताओं द्वारा सभी नकद ऋणों और अंतर्देशीय बिल लिमिटों के अधीन आहरणों को, नियमित लिमिटों के अधीन जून 1979 को समाप्त हुए दो वर्षों की अवधि के दौरान के वास्तविक उच्चतम उपयोग के स्तर के 80 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। ये पुनः परिभाषित सीमायें भी, 22 अगस्त 1979 की स्थिति के अनुसार अधिकतम स्वीकृत सीमाओं से अधिक नहीं होंगी। ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत आने वाले मामलों में पुनः परिभाषित सीमाओं में कोई छूट देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक है।

7 फरवरी 1980 से, बैंकों को यह विवेकाधिकार दे दिया गया है कि वे ऋण प्राधिकरण योजना के ऋणकर्त्ताओं को भी पुनः परिभाषित सीमाओं से अधिक, अतिरिक्त ऋण की इजाजत दे सकते हैं परन्तु यह ऋण 22 अगस्त 1979 को लागू स्वीकृत सीमा से अथवा उस तारीख के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य न्यूनतर सीमा से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, निर्यात पैकिंग ऋणों के मामलों में बैंकों के विवेकाधिकार में वृद्धि कर दी गई है और उन्हें ऋण प्राधिकरण योजना के ऋणकर्त्ताओं को दिये जाने वाले कुछ अन्य वर्गों के बारे में भी इसी प्रकार के अधिकार दिये गये हैं ताकि विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार के ऋणकर्त्ताओं को दी जाने वाली सहायता की सुविधा हो सके।

(ग) और (घ) ऋण प्राधिकरण योजना केवल बड़े ऋणकर्त्ताओं पर ही लागू है और निम्न आय वर्ग के लोगों के ऋण इसमें नहीं आते। जबकि ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत, बड़े ऋणकर्त्ताओं को दिये जाने वाले ऋणों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में दिये जाने वाले ऋणों के अन्तर्गत और विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के लोगों को ऋण प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। कुछ योजनायें अर्थात् लघु कृषक खिड़की (विंडो) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की पुनर्वित्त योजना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्वचालित पुनर्वित्त योजना, सावधिक ऋणों के बारे में बैंकों को कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की पुनर्वित्त सहायता और डी०आई०सी०जी०सी० (निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम) की ऋण गारन्टी योजना ने इन ऋणों को सुलभ बनाने में योगदान दिया है।

## कोकिंग कोल की कमी के कारण पांचों समेकित इस्पात संयंत्रों तथा किस्मों में उत्पादन सम्बन्धी संकट

2171. श्री सुशील भट्टाचार्य :

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के पांचों समेकित इस्पात संयंत्र तथा टाटा आयरन एण्ड

स्टील कम्पनी में कोकिंग कोल की भारी कमी के कारण उत्पादन सम्बन्धी संकट खड़ा हो गया है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पांचों समेकित इस्पात संयंत्रों के स्टाक की संयंत्रवार अद्यतन स्थिति क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अन्य कारणों के साथ-साथ कोककर कोयले की कमी के कारण पाच सर्वतोमुखी इस्पात संयंत्रों तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ख) कोककर कोयले के कमी के निम्नलिखित मुख्य कारण बताये जाते हैं :-

(1) बिजली की कमी के कारण कोयला खानों और कोयला शोधनशालाओं में कोककर कोयले के उत्पादन में कमी होना तथा

(2) कोयले की ढुलाई से सम्बन्धित समस्याएं ।

(ग) 23.6.1980 को सर्वतोमुखी इस्पात संयंत्रों में स्टाक की स्थिति इस प्रकार थी :-

| संयंत्र | देशीय | (हजार टन) आयातित |
|---|---|---|
| भिलाई इस्पात संयंत्र | 20.8 | 1.8 |
| दुर्गापुर इस्पात संयंत्र | 19.8 | — |
| राउरकेला इस्पात संयंत्र | 12.7 | 1.7 |
| बोकारो स्टील लि० | 47.3 | — |
| इस्को | 1.1 | — |
| टिस्को | 4.3 | — |
| योग | 106.5 | 3.5 |

देश में चीनी की कमी के बावजूद इसका निर्यात

2172. श्री झारखंडे : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चीनी की कमी के बावजूद इसके निर्यात को जारी रखने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तथा (ख) चीनी निर्यात करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, अगले चीनी वर्ष में उत्पादन संभावनाओं के आधार पर निर्यात नीति की समीक्षा की जाएगी ।

**सरकारी क्षेत्र तथा "टिस्को" के प्रत्येक इस्पात संयंत्र में इस्पात का उत्पादन**

2173. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी संयंत्र तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के प्रत्येक इस्पात संयंत्र में वर्ष 1979-80 में कुल कितनी मात्रा में इस्पात का उत्पादन हुआ और इससे पहले वर्ष के उत्पादन की तुलना में यह कितना कम या अधिक है, और

(ख) यदि उत्पादन में गिरावट आई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 1979-80 में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों तथा टिस्को में विक्रेय इस्पात का उत्पादन तथा उसकी वर्ष 1978-79 के उत्पादन से तुलना नीचे की गई है:—

हजार टन

| कारखाना | वास्तविक उत्पादन | | घट-बढ़ का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|
| | 1978 79 | 1979-80 | | |
| भिलाई | 1,846 | 1,706 | (—) | 7.9 |
| दुर्गापुर | 778 | 604 | (—) | 22.4 |
| राउरकेला | 1,042 | 1,045 | (—) | 0.3 |
| बोकारो | 931 | 849 | (--) | 8.8 |
| इस्को | 481 | 430 | (—) | 10.6 |
| सेल | 5,077 | 4,592 | (—) | 9.6 |
| टिस्को | 1,516 | 1,447 | (—) | 4.6 |
| कुल:— | 6,593 | 6,039 | (—) | 8.4 |

(ख) मुख्य रूप से मात्रा तथा किस्म दोनों की दृष्टि से दो मुख्य आदानों अर्थात् कोयला और बिजली की उपलब्धि में और कमी हो जाने के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

**उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग, कलीमपोंग तराई और द्वार स्थानों में विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण**

2174. श्री अमर राय प्रधान : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग, कलीमपोंग तराई और द्वार क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) क्या इन विशेष क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों के घूमने पर कोई विशेष प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० एल० चन्द्राकार): (क) उत्तर बंगाल में, दार्जिलिंग और इसके आस-पास का क्षेत्र, संदकफू और फालतू के ट्रैक मार्ग और जलदापारा वन्य जीव विहार स्थल पर्यटक अभिरुचि के प्रमुख केन्द्र हैं। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने दार्जिलिंग में एक यूथ होस्टल का निर्माण किया है और साथ ही दार्जिलिंग में राज्य सरकार द्वारा संचालित पर्यटक लॉज के विस्तार का व्यय भी वहन किया है। इसने जलदापारा वन्य जीव विहार स्थल पर 10 कमरों वाले एक वन लॉज का भी निर्माण किया है और विहार स्थल में वन्य जीवों, विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडों के अवलोकनार्थ एक मिनी बस की व्यवस्था की है। संदकफू और फालतू के ट्रैक मार्गों का विकास कार्य प्रारम्भ किया जाएगा बशर्ते धन-राशि उपलब्ध हो।

(ख) विदेश (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश 1963 के अधीन पश्चिम बंगाल के पांच उत्तरी जिलों अर्थात् दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा और पश्चिम दिनाजपुर को "प्रतिबंधित" क्षेत्रों के रूप में घोषित कर दिया गया है। अतः विदेशियों द्वारा इन क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए विशेष परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तथापि, पर्यटन संवर्धन के हित को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों द्वारा इन क्षेत्रों तक तथा इन क्षेत्रों के अन्तर्गत पर्यटकों के आवागमन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये इन प्रतिबंधों में समय-समय पर ढील दी जाती है।

## एल्यूमिनियम का उत्पादन

2175. श्री जय नारायण रौत : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय एल्यूमिनियम का कुल उत्पादन कितना है और इसकी देशीय मांग कितनी है ;

(ख) क्या इसकी क्षमता का 60 प्रतिशत कम उपयोग हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग करने और देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) देश में 1979–80 में एल्यूमिनियम का कुल उत्पादन लगभग 192 हजार टन हुआ। चालू वर्ष में धातु की मांग 350 हजार टन होने का अनुमान है।

(ख) बिजली की सीमित उपलब्धि के कारण वर्ष 1979-80 में क्षमता उपयोग 60% रहा।

(ग) इस्पात और खान मंत्रालय ने हाल ही में संबंधित राज्य सरकारों को लिखा है कि वे बिजली सप्लाई के प्रसंग में एल्यूमिनियम प्रद्रावकों को प्राथमिकता दें ताकि प्रद्रावकों की उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके और एल्यूमिनियम के आयात में कमी की जा सके।

हथकरघा तथा बिजली करघा बुनकरों से ज्ञापन

2176. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें 31 मार्च, 1980 के हथकरघा तथा बिजली करघा बुनकरों से उनकी समस्याओं सम्बन्धी कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था ;

(ख) उक्त ज्ञापन में किस प्रकार की समस्याओं का उल्लेख है ; और

(ग) उन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज़ियाउर्रहमान अंसारी): (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

डच सरकार से कृषि विकास कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अनुदान दिए जाने का अनुमोदन

2177. श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को कृषि विकास कार्यों के लिए डच सरकार द्वारा 50 करोड़ रु० की सहायता दिए जाने की स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता से प्रारम्भ की जाने वाली परियोजनाओं का विशेष उद्देश्य क्या है ; और

(ग) क्या डच सरकार द्वारा इस सहायता के लिए कोई शर्त रखी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

कच्चे रेशम का उत्पादन

2178. श्री टी० आर० शमन्ना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कच्चे रेशम का उत्पादन किन-किन राज्यों में होता है ;

(ख) देश में रेशम उद्योग के विकास के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या रेशम उत्पादन के विकास के लिए विश्व बैंक ने कोई सहायता दी है और किन शर्तों पर दी है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज़ियाउर्रहमान अंसारी) : (क) शहतूती कच्चा रेशम मुख्यतः कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू तथा कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में और गैर शहतूती कच्चा रेशम बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, मणिपुर तथा मेघालय में पैदा होता है।

(ख) देश में रेशम उद्योग का विकास करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं:—

(1) बेहतर खाद्य पौधों, रेशम के कीड़ों की बेहतर जातियों और पालन पोषण के बेहतर तरीकों के विकास से संबंधित विद्यमान अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना तथा उनका विस्तार करना।

(2) अनुसंधान के लाभों को रेशम उत्पादकों के पास तक ले जाने के लिए विस्तार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।

(3) शहतूती खेती के अन्तर्गत एकड़ भूमि का विस्तार करना तथा विद्यमान एवं नये फार्मों में सुधरी हुई किस्मों के शहतूत के वृक्ष लगाना।

(4) क्वालिटि बीज का उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रेनिज स्थापित करना।

(5) रेशम कीट के पालन-पोषण की सुधरी हुई पद्धतियों के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देना।

(6) टसर पोषण के लिए खाद्य पौधों की संख्या बढ़ाने के वास्ते लाभप्रद बागान लगाना।

(7) बेहतर क्वालिटी के टसर, मूगा तथा इरी रेशम के कीट बीजों के गुणन के लिए कई केन्द्र स्थापित करना।

(8) पोषण कर्ताओं को लाभप्रद कीमत तथा उपभोक्ताओं को स्थिर कीमत सुनिश्चित कराने की दृष्टि से कच्चे रेशम की विद्यमान विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।

(ग) जी हां। विश्व बैंक ने कर्नाटक रेशम उत्पादन परियोजना के लिए 54 मिलियन डालर (79.85 करोड़ रु०) का परिव्यय मंजूर किया है, जिसमें से 45.36 करोड़ रु० की विश्व बैंक की सहायता निम्नलिखित शर्तों पर है:—

(क) 50 वर्षों की अवधि में वापस लौटना, जिसमें 10 वर्षों की माफी अवधि शामिल है।

(ख) कोई ब्याज दर नहीं ; तथा

(ग) निकाली गई तथा बकाया मूल राशि पर प्रति वर्ष 1 प्रतिशत के तीन चौथाई के हिसाब से सेवा प्रभार।

### भारत और चीन के बीच विमान सेवा

2179. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत और चीन के बीच विमान सेवा चलाने की सम्भावना को जांच कर रही है ;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच विमान सेवाएं चलाने के बारे में कोई विचार विमर्श हुआ था ; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं । तथापि ऐसी सेवाओं के परिचालन के लिए एयर इंडिया चीनी पक्ष के साथ बातचीत चलाने की संभावना की जांच कर रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

### राजस्थान के लखासर गांव के निकट सर्वेक्षण दल द्वारा कैम्प लगाया जाना

2180. श्री दौलत राम सारण : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के चूरू जिले में लखासर गांव के निकट एक सर्वेक्षण दल पिछले अनेक वर्षों से कैम्प लगाए हुए है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा अब तक किए गए सर्वेक्षण कार्य का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) : जी हां । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था लखासर क्षेत्र में 1975 में कार्य कर रही है । उसने पोटाश सहित वाष्पीय खनिजों के लिए चार बोर छिद्रों में लगभग 2600 मीटर ड्रिलिंग की है । विभिन्न बोरछिद्रों में 540 से 680 मीटर के बीच की गहराइयों पर 50—105 मीटर मोटाई वाले हेलाइट (सोडियम क्लोराइड) खनिजीकरण का पता चला है । एक पोटाशयुक्त खनिज पोलीहेलाइट का भी पता चला है ।

### सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती

2181. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में विभिन्न श्रेणी के पदों के बारे में भर्ती सम्बन्धी नीति क्या है ; और

(ख) यदि ये उपक्रम किसी राज्य में स्थित हो तो रोजगार देने के बारे में किस वेतन सीमा तक स्थानीय लोगों को तरजीह दी जाती है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) भारत सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न श्रेणी के पदों के बारे में भर्ती सम्बन्धी नीति इस प्रकार है :-

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अर्थात् अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्य निदेशकों की नियुक्तियां सरकारी उद्यम चयन मंडल अथवा इसके लिए गठित चयन समितियों की सिफारिश के आधार पर की जाती है।

(2) सरकारी उद्यमों द्वारा उद्यमों/अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाओं/साक्षात्कार एवं अन्य प्रणालियों के आधार पर वरिष्ठ, मध्य एवं कनिष्ठ स्तरीय पदों पर नियुक्तियाँ की जाती हैं। सरकार ने सरकारी उद्यमों के मार्ग-दर्शन के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम तैयार करने संबंधी आदर्श सिद्धांत निर्धारित किए हैं।

(ख) सरकार ने सरकारी उद्यमों को सलाह दी है कि वे अधिकतम वेतनमान 800/- रुपये से कम वाले पदों पर भर्ती केवल राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से करे तथा भर्ती के लिए अन्य साधनों को केवल तभी काम में लिया जाय जबकि रोजगार कार्यालय से अनुपलब्धता प्रमाणपत्र उपलब्ध कर लिया जाये।

### आंध्र प्रदेश में एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही

2182. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में सहयोग के लिए अन्य देशों से सम्पर्क किया है ; यदि हां, तो सम्बन्धित देशों से क्या उत्तर मिला।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सोवियत रूस के मैसर्स स्वेतमेतप्रोमएक्सपोर्त, जिसे आंध्र प्रदेश के बाक्साइट भण्डारों पर आधारित 6,00,000 टन वार्षिक क्षमता के निर्यात-प्रधान एल्यूमिना संयंत्र हेतु साध्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था, ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस समय यह रिपोर्ट भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं।

### पुरी जिले में गर्म पानी के सोते का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

2183. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के भपुरा ब्लाक में दस एकड़ की भूमि में एक गर्म पानी का स्रोत है जो बहुत दर्शनीय स्थल है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस विषय में सूचना मंगवाने और इस प्रकार के गर्म पानी के स्रोत को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने का है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और** (ख) जिला पुरी के भापुर ब्लाक में गर्म पानी का एक सोता स्थित है, जो तीन एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है तथा गर्म पानी के सोते की बजाए दलदल वाली भूमि के रूप में दिखाई देता है। राज्य सरकार ने सोते के गर्म पानी के सम्बन्ध में मानवीय उपयोग हेतु उसकी उपयुक्तता के बारे में एक रिपोर्ट मांगी है. और वह इसके बाद ही इस स्थान को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के प्रश्न पर विचार करेगी।

## बिहार में झूमरी तलैया में अभ्रक कागज कारखाना

2184. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में झूमरी तलैया के समीप जर्मन सहयोग से एक अभ्रक कागज कारखाना स्थापित करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 1978 में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे ;

(ख) क्या यह सच है कि यह पिछड़ा हुआ अभ्रक क्षेत्र है तथा यह कारखाना इस क्षेत्र के हजारों व्यक्तियों को जीविका प्रदान करने के लिए यह अभ्रक कारखाना मूल उद्योग (मदर इन्डस्ट्री) सिद्ध होगा ; तथा यह अभ्रक व्यापार को बढ़ाने में भी मदद करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस अभ्रक कागज उद्योग को कब तक आरम्भ करने का है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क)** जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

## त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का विकास

2185. **श्री ए० ए० रहीम :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रूप से खाड़ी के देशों से आने तथा जाने वालों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का और विकास करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ;

(ख) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के विचार से हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया गया है क्योंकि त्रिवेन्द्रम नगर एक बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) :** (क) निम्नलिखित निर्माण-कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

| | |
|---|---|
| (1) धावन-पथ को बढ़ाकर 10,000 फुट करना तथा धावन-पथ और सम्बद्ध पेवमेंट्स को एल० सी० एन०-60 तक मजबूत करना | 168 लाख रुपये |
| (2) नये अन्तर्राष्ट्रीय ब्लाक का निर्माण | 214 लाख रुपये |
| (3) नये नियंत्रण टावर तथा तकनीकी ब्लाक का निर्माण | 48.74 लाख रुपये |
| (4) वर्तमान टर्मीनल भवन का विस्तार | 11.96 लाख रुपये |

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यपद्धति

2186. **श्री डी० एल० बैठा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और उनकी कार्यपद्धति क्या है तथा ये बैंक अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कहां तक सफल हुए हैं ;

(ख) क्या इन बैंकों में, विशेषकर बिहार राज्य स्थित बैंकों में बड़ी तादाद में गरीब लोगों की अर्जियां निपटाने के लिए पड़ी हैं और उनके निपटान में काफी लम्बा समय लगता है जिससे उन लोगों को असुविधा होती है ; और

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए उचित प्रबन्ध करने हेतु कारगर कदम उठाना चाहती है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) :** खासकर छोटे और सीमान्तिक किसानों, खेतीहर मजदूरों, कारीगरों और देहाती इलाकों के अन्य कमजोर वर्गों को ऋण तथा अन्य सुविधाएं देकर ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का विकास करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए जा रहे हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक पुनरीक्षण समिति द्वारा लिए गए एक जायजे के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित रूप से अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है जिनके लिए वे स्थापित किए गये थे।

(ख) और (ग) विलम्ब अथवा किसी अनियमितता के बारे में की गई शिकायतों के सम्बन्ध में ये बैंक तथा उनके प्रयोजक बैंक उपयुक्त स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करते हैं। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास अनिर्णित पड़े ऋण-आवेदन पत्रों के बारे में सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं। इस उद्देश्य से कि ऋण के आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कार्रवाई

करने में विलम्ब न हो, इन बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे कृषि अग्रिमों तथा अन्य सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए सरलीकृत आवेदन-प्रपत्रों को अपनाएं। इन बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे सरलीकृत कार्यप्रणालियों तथा सुलभ शर्तों को अपनाएं ताकि लक्षित समूहों को आसानी से ऋण प्राप्त होने के विषय में सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके।

### भारतीय निवेश केन्द्र के विदेश स्थित कार्यालयों में निदेशकों की नियुक्ति

2187. श्री तारिक अनवर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निवेश केन्द्र के विदेश स्थित कार्यालयों में निदेशकों के पदों पर नियुक्ति के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समय विदेश स्थित कार्यालयों में नियुक्त निदेशकों के वित्तीय और आर्थिक परामर्श के क्षेत्र में अनुभव का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट : (क) और (ग) भारतीय निवेश केन्द्र के स्थानिक निदेशक टोकियों, लन्दन, न्यूयार्क और डसलडोर्फ में नियुक्त हैं। ये पद केन्द्रीय सचिवालय में उप सचिव/निदेशक के पदों के समान हैं जो अखिल भारतीय सेवा अथवा केन्द्रीय सेवा के श्रेणी I के पात्र अधिकारियों की एक पेनल में से चयन द्वारा भरे जाते हैं, जिसकी सिफारिश प्रतिष्ठान अधिकारी भारत सरकार को करता है। इन नियुक्तियों का अनुमोदन मंत्री मण्डलीय नियुक्ति समिती करती है।

(ग) वर्तमान पदस्थ अधिकारियों को अपेक्षित प्रशासनिक, वित्तीय तथा प्रौद्योगिक अनुभव प्राप्त है और इनकी नियुक्ति मंत्री मण्डलीय नियुक्ति समिति के अनुमोदन से की गई थी।

### दीमापुर हवाई अड्डे (नागालैण्ड) की धावन-पट्टी (रन-वे) में सुधार

2188. श्री चिंगवांग कोन्याक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीमापुर (नागालैण्ड) हवाई अड्डे की वर्तमान धावन पट्टी का बोइंग विमान के उतरने के लिये सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरंभ किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं। इन्डियन एयरलाइन्स की निकट भविष्य में दीमापुर के लिये बोइंग 737 सेवाएं परिचालित करने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा विदेशों से खरीदे जाने वाले विमान की लागत

2189. श्री दिग्विजय सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से विमान खरीदे जाने की इन्डियन एयरलाइन्स की विस्तृत योजना क्या है ; और

(ख) इन विमानों की क्या लागत होगी और उनकी डिलीवरी कब होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) इन्डियन एयरलाइन्स ने 2 एयरबस तथा 8 बोइंग 737 विमानों की खरीद के आदेश दे दिए हैं। इनमें दिसम्बर, 1978 तथा अप्रैल, 1979 में दुर्घटना में नष्ट हुए विमानों के बदले में लिए जाने वाले 2 बोइंग 737 विमान भी सम्मिलित हैं।

(ख) दो एयरबस विमानों की खरीद की कुल परियोजना लागत 69.07 करोड़ रुपए तथा 8 बोइंग-737 विमानों की 102 23 करोड़ रुपए है। विमानों के वितरण की समयावली निम्न प्रकार है :

**दो एयरबस विमान**

| | |
|---|---|
| जुलाई, 1980 | — 1 |
| अगस्त, 1980 | — 1 |
| | 2 |

**आठ बोइंग—737 विमान**

| | | |
|---|---|---|
| जून, 1980 | — 1 | (18.6.80 को मिल गया) |
| जुलाई, 1980 | — 2 | |
| अगस्त, 1980, | — 1 | |
| फरवरी, 1981 | — 1 | |
| मार्च, 1981 | — 1 | |
| सितम्बर, 1981 | — 2 | |
| | 8 | |

## बम्बई स्थित सांता क्रुज हवाई अड्डा के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत

2190. श्री ई० बालानन्दन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाड़ी के देशों से भारत वापस आने वाले व्यक्तियों से सांताक्रुज हवाई अड्डा, बम्बई के अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर मांगी गई घूस के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

ख) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ख) खाड़ी के देशों से भारत लौटने वाले व्यक्तियों से बम्बई स्थित सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगे जाने की कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही हेतु उसकी तत्काल जांच की जायगी ।

परन्तु खाड़ी के देशों से भारत लौटने वाले लोगों, विशेष रूप से बिना पढ़े लिखे लोगों के साथ अशिष्ट व्यवहार किए जाने और उन्हें परेशान किए जाने के बारे में तथा अन्य बातों के साथ-साथ सान्ता क्रुज हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क, एयर लाइन्स और आप्रवास अधिकारियों के सामान्य रवैये के संबंध में रिपोर्ट मिली हैं । जहां तक सीमा शुल्क अधिकारियों का प्रश्न है, संबंधित समाहर्ताओं को ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे हवाई अड्डों पर तैनात अपने कर्मचारियों को, देश में आने वाले यात्रियों के साथ शिष्ट व्यवहार करने और उनकी परवाह करने की जरूरत के बारे में समझाएं ; उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले सीमाशुल्क हवाई अड्डों के कार्यचालन का, वरिष्ठ अधिकारियों की टीम द्वारा अचानक निरीक्षण किए जाने की व्यवस्था करें ।

### आयात लाइसेंस जारी करना

2191. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अप्रैल 1977 से दिसम्बर 1979 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए आयात लाइसेंसों में कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त थी ; और

(ख) इन आयातों की मदद से सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करने की सूचना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1979 की अवधि के दौरान जारी किये गये आयात लाइसेंसों का मूल्य 14,730 करोड़ रुपये था ।

(ख) आयात लाइसेंस घरेलू बाजार तथा निर्यात उत्पादन दोनों के लिए आयातित कच्चे माल की उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा जिन आवश्यक चीजों की देश में सप्लाई कम है, उनका आयात करके कीमतों में स्थिरता बनाये रखने के दोहरे उद्देश्य से जारी किये जाते हैं । अतः यह बताना संभव नहीं होगा कि विदेशी मुद्रा की आय पर आयात लाइसेंसिंग का कितना प्रभाव पड़ेगा ।

### राज्यों की राजधानियों के लिए विमान सेवायें

2192. श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन से राज्यों की राजधानियां विमान सेवाओं से जुड़ी हुई है और कौन सी अभी तक नहीं जोड़ी जा सकी है ;

(ख) हिमाचल प्रदेश में एक हवाई अड्डा बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और कुछ कदम उठाये गये हैं तो इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है और वहां विमान सेवा कब तक शुरू हो जायेगी ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रयोजन के लिये 1976-77 में एक राशि की व्यवस्था की गई थी और यदि हां, तो उक्त राशि को खर्च न करने के क्या कारण हैं ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) :** (क) जिन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियां विमान सेवाओं से जुड़ी हुई हैं और जिनकी राजधानियां विमान सेवाओं से नहीं जुड़ी हुई हैं उनके नामों की सूचियां संलग्न हैं।

(ख) शिमला के निकट जबरहट्टी में विमानक्षेत्र के संभावित निर्माण के लिए एक स्थान का चुनाव किया गया था। परन्तु परियोजना को मंजूर नहीं किया गया और धन की स्वीकृति नहीं दी जा सकी। इस पर तीसरी वायुसेवा के एक अंग के रूप में विचार किया जाएगा। तीसरी वायु सेवा का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

**विवरण**

| | राज्य/संघ शासित प्रदेश | राजधानी |
|---|---|---|
| 1. | आसाम | गोहाटी/दिसपुर |
| 2. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद |
| 3. | बिहार | पटना |
| 4. | गुजरात | अहमदाबाद |
| 5. | जम्मू और काश्मीर | श्रीनगर |
| 6. | केरल | त्रिवेन्द्रम |
| 7. | कर्नाटक | बंगलौर |
| 8. | महाराष्ट्र | बम्बई |
| 9. | मध्य प्रदेश | भोपाल |
| 10. | मणीपुर | इम्फाल |
| 11. | उड़ीसा | भुवनेश्वर |
| 12. | पंजाब | चण्डीगढ़ |
| 13. | राजस्थान | जयपुर |
| 14. | तमिल नाडु | मद्रास |
| 15. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ |

| | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 16. | पश्चिमी बंगाल | कलकत्ता |
| 17. | हरियाणा | चण्डीगढ़ |
| 18. | त्रिपुरा | ग्रगरतला |
| 19. | दिल्ली | दिल्ली |
| 20. | गोवा, दमन और दीव | डबोलिम (गोवा) |
| 21. | अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह | पोर्ट ब्लेयर |
| 22. | चण्डीगढ़ | चण्डीगढ़ |

उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की राजधानियों की सूची जो विमान सेवाओं द्वारा जुडे हुए नहीं हैं ।

| | राज्य संघ शासित प्रदेश | राजधानी |
|---|---|---|
| 1. | हिमाचल प्रदेश | शिमला |
| 2. | सिक्किम | गंगटोक |
| 3. | मिजोरम | ग्राइजेल |
| 4. | मेघालय | शिलांग |
| 5. | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर |
| 6. | नागालैंड | कोहिमा |
| 7. | पाण्डीचेरी | पाण्डीचेरी |
| 8. | लक्षद्वीप | कवारती |
| 9. | दादरा, नागर हवेली | सिलवासा |

## उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों का निवेश

2193. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े हुए उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता तथा निवेश दूसरे विभिन्न राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता और निवेश की तुलना में अनुपातिक रूप से कम था ; और

(ख) सरकार द्वारा वहां के आर्थिक विकास को उन्नत बनाने के लिए बैंकों तथा अन्य वित्तीय सस्थानों द्वारा लगाये जाने वाले निवेश में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ख) जी, नहीं। दिसम्बर, 1979 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उड़ीसा में दिये गये अग्रिमों तथा उन बैंकों द्वारा राज्य सरकार और उसके सम्बद्ध निकायों की प्रतिभूतियों में निवेशित राशि, उक्त बैंकों द्वारा उड़ीसा राज्य में जमा के लिए जुटाई गयी रकमों के 91.6 प्रतिशत के बराबर थी। इसी तरह का अखिल भारतीय अनुपात 76.8 प्रतिशत था। सामान्यतः देहाती इलाकों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को और खास कर 20-सूत्री कार्यक्रम से लाभान्वित होने वालों को ऋण देने की रफ्तार को तेज करने के लिए, बैंकों द्वारा कार्यक्रमों को कार्यान्वित किये जाने पर उड़ीसा में भी उत्पादक उद्यमों को और अधिक ऋण सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है।

### आयकर की बकाया राशि

**2194. श्रीमती कृष्णा साही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयकर दाताओं पर 570 करोड़ रुपये की राशि बकाया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह राशि वसूल करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट)** : (क) जी, नहीं।

बकाया सम्बन्धी आंकड़े प्रत्येक तिमाही के अन्त में संकलित किये जाते हैं। 31 मार्च 1980 को समाप्त हुई तिमाही तक की सूचना उपलब्ध है। उस तारीख तक की स्थिति के अनुसार, बकाया आयकर की रकम निम्नानुसार थी :—

| | | |
|---|---|---|
| (i) | बकाया कर | 589.66* करोड़ रु० |
| (ii) | जारी की गई परन्तु वसूली के लिये देय नहीं हुई मांग | 422.20* करोड़ रु० |

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 में कर की बकाया रकमों की वसूली और उगाही करने के लिए अर्थ दण्ड लगाना, चूककर्ता को देय रकमों की कुर्की, चल सम्पत्ति का अभिग्रहण और बिक्री, अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री आदि जैसे बहुत से उपायों की व्यवस्था है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, कर की बकाया रकमों की वसूली के लिए संबंधित आयकर प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त उपाय किये जाते हैं। कर की बकाया रकमों की वसूली के लिए हाल ही में प्रशासनिक उपाय किये गये हैं उनमें से कुछ उपाय अनुबंध में बताये गये हैं।

### विवरण

कर की बकाया को कम करने और काफी लम्बे समय से बकाया पड़े करों की वसूली के लिए, हाल ही में किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) गत वर्ष की तरह ही, आयकर विभाग के चालू वित्तीय वर्ष की 'कार्य योजना' में सर्वोच्च प्राथमिकता कर की बकाया की वसूली को दी गई है।

(2) मई 1980 में हुए आयुक्तों के सम्मेलन में, कर की बकाया की समस्या पर व्यापक रूप से विचार किया गया। सम्मेलन के परिणामतः लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं:—

(क) बकाया मांग में 55 प्रतिशत तथा चालू मांग में 85 प्रतिशत की कमी करना ;

(ख) 1979-80 में जारी की गयी मांग की बकाया प्रविष्टियों में 85 प्रतिशत की कमी करना ;

(ग) आयकर की बकाया की वसूली के जटिल मामलों में अलग आयकर अधिकारियों की नियुक्ति करने की व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी तथा जहां कहीं भी व्यवहार्य होगा उनकी संख्या बढ़ाई जायगी।

(3) कर की बकाया की वसूली की प्रगति पर मासिक निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में आंकड़े, आयुक्तों से तार द्वारा मंगवाए जाते हैं और बोर्ड इस सम्बन्ध में उपयुक्त उपचारी कार्रवाई करता है।

(4) कुछ आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बकाया पड़ी अपीलों के निपटान के लिए अपीलीय तंत्र को सुदृढ़ किया जायगा।

(5) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में विचाराधीन पड़ी ऐसी अपीलों की एक सूची, प्राथमिकता के आधार पर निपटान के लिए वर्ष 1979-80 में विधि-मंत्रालय के माध्यम से न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को भेजी गयी थी जिनमें बकाया की बड़ी रकमें अन्तर्ग्रस्त थीं। आयकर आयुक्तों से निवेदन किया गया कि वे न्यायाधिकरण के स्थानीय पीठों के उपाध्यक्षों/सदस्यों के साथ सम्पर्क बनाये रखें। उनसे यह भी निवेदन किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से मिलें तथा उच्च मांग वाले अनिर्णीत मामलों के निपटान के लिए शीघ्र ही तिथि निर्धारित करने का निवेदन करें। चालू वित्तीय वर्ष में भी इसी तरह की कार्रवाई करने का निश्चय किया गया है।

(6) आयकर आयुक्त के ओहदे का एक वसूली निदेशक कर की बकाया की वसूली विशेषतः 10 लाख रुपये और उससे अधिक के बकाया के मामलों में वसूली की प्रगति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। उसके कार्य की प्रगति पर बोर्ड द्वारा निगरानी रखी जाती है।

(7) परिसमापनाधीन कम्पनियों की ओर बकाया पड़ी कर की रकमों की वसूली में तेजी लाने के लिए कम्पनी कार्य विभाग ने बोर्ड के निवेदन पर 1979 में सभी सरकारी परिसमापकों के नाम पर अनुदेश जारी किया था जिसमें उनसे आयकर प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क स्थापित करने और आयकर अधिकारियों को अपेक्षित सूचना भेजने के लिए कहा गया था। इस सम्बन्ध में आयकर अधिकारियों को भी उपयुक्त अनुदेश जारी किये जा चुके हैं।

(8) जनवरी, 1981 के दूसरे पखवाड़े में एक "कर की बकाया और वापसी निपटान पखवाड़ा" मनाया जाएगा जिसमें कर की बकाया को कम करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

(9) बढ़ा-चढ़ा कर किये गये कर-निर्धारणों तथा उसके परिणामत: जमा हो गई कर की निरर्थक बकाया का निवारण करने की दृष्टि से, आयकर अधिकारियों को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144 क के अधीन किसी निश्चित आय-सीमा से अधिक, एक तरफा कर-निर्धारण पूरा होने से पहले अपने निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्तों से मार्गदर्शन करना होगा।

### मणिपुर में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं में नकद राशि का अभाव

2195. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :**

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नकद राशि की भारी कमी के कारण स्टेट बैंक आफ इण्डिया को मनीपुर में अपनी अनेक शाखाओं को बन्द करना पड़ सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति पर काबू पाने के लिये सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) :** (क) और (ख) इस महीने के मध्य तक भारतीय स्टेट बैंक की केवल मणिपुर में इम्फाल शाखा में ही करेंसी नोटों की कमी के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी स्टेट बैंक की और किसी शाखा के बारे में नहीं। यह रिपोर्ट मिली थी कि कभी पूर्वी राज्यों में अशान्ति की स्थिति के परिणामस्वरूप करेंसी नोटों के (परेषण) की रक्षा और उनकी सुपुर्दगी के सम्बन्ध में कठिनाई होने के कारण हुई। रिपोर्ट मिलने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की इम्फाल शाखा को करेंसी का तुरन्त परेषण किया गया। भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त हुई सबसे हाल की सूचना के अनुसार वहां बैंक कार्य सामान्य रूप से चल रहा है और नकदी की कमी के कारण किसी बैंक के बन्द होने की आशंका नहीं है।

### थम्स-अप का उत्पादन और उत्पादन शुल्क की गैर अदायगी

2196. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 में थम्स-अप के निर्माताओं पार्ले बेवरीज, बम्बई द्वारा कितना थम्स-अप पेय उत्पादित किया गया;

(ख) क्या वर्ष 1979-80 के उत्पादित थम्स-अप पर थम्स-अप के निर्माताओं ने उत्पादन शुल्क का भुगतान नहीं किया;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1979-80 में उत्पादन शुल्क की कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(घ) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने कभी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

**विप्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) :** (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और इस आशय का विवरण-पत्र सदन-पटल पर दिया जाएगा।

## पश्चिम बंगाल बेरोजगारी भत्ता योजना

2197. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव किया है कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगार व्यक्तियों को दिए गये बेरोजगारी भत्ते की कुल राशि के 50 प्रतिशत की अदायगी की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का इस बारे में क्या निर्णय है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार को यह सूचित किया गया कि केन्द्रीय सरकार के अनुसार राज्य का प्रयास अतिरिक्त लाभदायक रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए दुर्लभ वित्तीय संसाधनों का उपयोग किए जाने के लिए होना चाहिए, नकद दान देने के लिए नहीं। परन्तु, राज्य सरकार के लिए इस बात की पूरी छूट है कि अपने संसाधनों के भीतर बेरोजगारी संबंधी राहत योजनाओं को बनायें।

## बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता राशि दिया जाना

2198. श्री ए० के० बालन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार उन राज्यों को राज सहायता देने का है जिन्होंने बेरोजगार व्यक्तियों को धन-राशि देने की योजना को क्रियान्वित किया है।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त लाभदायक रोजगार के अवसरों का सृजन करने की आवश्यकता के प्रति सचेत है। चालू परियोजनाओं के लिए की गई व्यवस्था के अतिरिक्त 1980-81 के केन्द्रीय बजट में नये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 340 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें अतिरिक्त रोजगार के 8000 से 9000 लाख कार्य दिवसों के उत्पन्न होने की सम्भावना है। केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि राज्य का प्रयास यह होना चाहिये कि वह बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करें। सरकार यह महसूस करती है कि सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध संसाधनों को ऐसी योजनाओं पर अपेक्षाकृत अच्छी तरह उपयोग में लाया जा सकता जो सतत आधार पर रोजगार उत्पन्न करती है। परन्तु राज्यों के लिए इस बात की पूरी छूट है कि वे उनके अपने संसाधनों के भीतर बेरोजगार संबंधी राहत योजनाओं को बनायें।

## समुद्री उत्पादों का व्यापार करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

2199. श्री डी० पी० जदेजा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पादों का व्यापार करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने अपने समुद्री उत्पाद व्यापार को बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) समुद्री उत्पादों का व्यापार करने वाली बहुराष्ट्रीय + कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं :—

(क) ब्रिटानिया सी फूड्स

(ख) इंडीटुबैको कम्पनी (इंडिया टुबैको कम्पनी)

(ग) ब्रुक बांड इण्डिया लि०

(घ) यूनियन कारबाईड

(ङ) हिन्दुस्तान लीवर लि०

(च) विमको लि०

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

+ 40 प्रतिशत से अधिक अनिवासी इक्विटी भागीदारी वाली किसी भी कम्पनी को यहां बहुराष्ट्रीय कम्पनी माना जाता है ।

## लघु क्षेत्र में उत्पादन शुल्क का समाप्त किया जाना

2200. श्री सी० चिन्नास्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय लघु उद्योगों के संगठन के संघ से लघु क्षेत्र में उत्पादन शुल्क को समाप्त किये जाने के संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय लघु उद्योगों के संगठनों के महासंघ ने अपने बजट-पूर्व ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, लघु एककों के लिए उत्पादन शुल्क समाप्त करने, अथवा इसके विकल्प में, लघु एककों के लिए शुल्क की तरजीही दर लगाने की मांग की थी, जिससे कि वे बड़े एककों के साथ होड़ में ठहर सकें । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद सं० 68 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के बारे में महासंघ ने एक वर्ष में 30 लाख रु० तक की निकासियों के लिए पूरी छूट का और 30 लाख रु० तथा 90 लाख रु० के बीच की निकासियों के लिए एक श्रेणीबद्ध दर संरचना का सुझाव दिया था । विनिर्दिष्ट मदों (अब इनकी संख्या 72 है) के लघु निर्माताओं के लिए सामान्य छूट योजना के बारे में, महासंघ ने एक वर्ष में 15 लाख रु० तक की निकासियों के लिए पूरी छूट का और 45 लाख रु० तक की निकासियों के लिए एक श्रेणीबद्ध दर-संरचना का सुझाव दिया ।

वर्ष 1980 के बजट में, लघु एककों द्वारा निर्मित, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए शुल्क से छूट की सीमा एक वर्ष में 15 लाख रु० से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। इस बजट में एक और महत्वपूर्ण प्रस्तावित रियायत यह है कि 72 विनिर्दिष्ट मदों में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाले छोटे निर्माताओं के लिए, 5 लाख रु० तथा 15 लाख रु० के बीच की उनकी निकासियों के सम्बन्ध में, शुल्क की सामान्य दरों के मुकाबले 25 प्रतिशत की शुल्क-राहत दी गई है। इन रियायतों से उत्पादन शुल्क के मामले में लघु क्षेत्र को दी जा रही तरजीह का दायरा काफी बढ़ गया है।

### लम्बी पैदल यात्रा करने वाले दलों और पर्वतारोहियों को युवक होस्टलों में ठहरने की सुविधा

2201. श्री के० प्रधानी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवक होस्टल लम्बी पैदल यात्रा करने वाले दलों और पर्वतारोहियों को ठहरने की सुविधाएं उपलब्ध करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का राज्यों को यह निदेश देने का विचार है कि लम्बी पैदल यात्रा करने वाले दलों को अतिथिगृहों में ये सुविधाएं उपलब्ध की जायें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकारें पहले ही पर्यटकों को, जिनमें ट्रैकिंग पार्टियां शामिल हैं, अपने पर्यटक-बंगलों, विश्राम-गृहों, आदि में आवास सुविधाएं प्रदान करती है।

### विभिन्न देशों के साथ ऋण करार

2202. श्री जनार्दन पुजारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों के साथ गत वित्तीय वर्ष में भारत ने कितने मूल्य के ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए ; और

(ख) इन देशों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक से लिए गए ऋण की राशि क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 1979-80 के दौरान भारत सरकार द्वारा विभिन्न देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ जिन ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे उनका एक विवरण संलग्न है।

विवरण

| देशों/अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों का नाम | रकम (करोड़ रुपए)+ |
|---|---|
| भाग 'क' – देश | |
| 1. आस्ट्रिया | 7.87 |
| 2. बेल्जियम | 9.80 |
| 3. कनाडा | 17.50 |
| 4. जर्मन संघीय गणराज्य | 146.70 |
| 5. जापान | 22 32 |
| 6. नीदरलैण्ड | 67.08 |
| 7. संयुक्त राज्य अमेरिका | 73.35 |
| जोड़ 'क' | 344.62 |
| भाग 'ख'—अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण | |
| ++8. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ | 461.29 |
| 9. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक | 203.75 |
| 10. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष | 85.58 |
| 11. ओपेक् | 16.30 |
| जोड़ 'ख' | 766.92 |
| कुल जोड़ क+ख | 1111.54 |

\+ 1979-80 की वार्षिक औसत दरों के अनुसार परिवर्तित

++ इसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा वित्तपोषित विशेष कार्यवाही ऋण के लिए 40.75 करोड़ रुपए की रकम शामिल है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान

2203. श्री अर्जुन सेठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पेंशन तथा ग्रेच्युटी नियमानुसार नहीं दी जाती हैं और बहुत से मामलों में देरी होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान महीने की पहली तारीख को, जिसमें वे देय हैं, होना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों को पेंशन और उपदान के शीघ्र भुगतान के बारे में सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) हां, पेंशन और उपदान की समय पर अदायगी न करने के बारे में कुछ शिकायतें की गई हैं।

(ख) विद्यमान आदेशों के अनुसार पेंशन की अदायगी देय महीने की पहली तारीख से की जानी चाहिए। परन्तु उपदान की अदायगी सेवा-निवृत्ति पर तुरन्त देय हो जाती है।

(ग) पेंशन के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए विभागीय तथा लेखाकरण अधिकारियों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। यदि किसी कारण से कोई पेंशन का मामला निर्धारित समय-सारणी के भीतर न निपटाया जाए तो कार्यालय अध्यक्ष को देय तारीख को पेंशनभोगी को अनन्तिम पेंशन और उपदान की अदायगी की मंजूरी देनी होती है। ऐसे मामलों में जहां पर कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही बकाया पड़ी होने के कारण पेंशन के मामलों को नहीं निपटाया जा सकता हो तो वहां पर विभागाध्यक्ष को अनन्तिम पेंशन का प्राधिकार देना होगा।

### क्षेत्रीय भर्ती बैंकिंग बोर्ड

2204. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षेत्रीय भर्ती बैंकिंग बोर्ड को समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसके स्थान पर सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### औद्योगिक गृहों और व्यक्तियों पर कर की बकाया राशि

2205. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक गृहों, व्यक्तियों, हिन्दू अविभक्त परिवारों और अन्य के नाम क्या हैं जिन पर 1 अप्रैल 1980 को आयकर, सम्पत्तिकर आदि की 50 लाख रुपये तथा इससे अधिक की राशि बकाया हैं ; और

(ख) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) ऐसे 117 निर्धारितियों की एक सूची विवरण 1 के रूप में संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है जिनमें से प्रत्येक की तरफ 31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार आयकर की सकल बकाया मांग 50 लाख रुपये से अधिक हैं। जहां तक धन-कर, दानकर और सम्पदा शुल्क का सम्बन्ध है, कुछ अधिकार-क्षेत्रों के संबंध

में 31 मार्च 1980 की स्थिति के अनुसार पूर्व-सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। इन अधिकार-क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना 31 दिसम्बर, 1979 की स्थिति के अनुसार बतायी गई है। ऐसे 30 निर्धारितियों (जिनमें 26 धनकर से संबंधित हैं और दो-दो दानकर और सम्पदा शुल्क से संबंधित हैं) की तदनुसार तैयार की गई एक सूची विवरण II के रूप में संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है जिनमें से प्रत्येक की तरफ 50 लाख रुपये से अधिक की सकल मांग बकाया है।

(ख) जहां कहीं मांगें विवादग्रस्त हैं, वहां बकाया अपीलों आदि का शीघ्र निपटान करने के उपाय किये गये हैं जिससे अन्तिम रूप से देय निश्चित हुई कर की रकम शीघ्रता से वसूल की जा सके। जहां कहीं करों की मांग बकाया होती है, वहां प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, संबंधित आयकर प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर कानून के अनुसार करों की बकाया रकम को वसूल करने/उसमें घटौती करने उपाय किए जाते हैं।

**विवरण-1**

| | क्र० सं० | कम्पनी का नाम | हैसियत |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| * | 1 | मैसर्स इण्डियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्रा० लि०। | कम्पनी |
| * | 2 | मैसर्स पूना इलैक्ट्रिक एण्ड इंडस्ट्रियल कं० लि०। | कम्पनी |
| * | 3 | मैसर्स फोनिक्स मिल्स लि०। | कम्पनी |
| * | 4 | मैसर्स श्री चांगदेव शूगर मिल्स लि०। | कम्पनी |
| * | 5 | डोर - ओलिवर (आई) लि०। | कम्पनी |
| * | 6 | मैसर्स आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन। | कम्पनी |
| | 7 | मैसर्स इंडियन ओर्गेनिक कैमिकल्स लि०। | कम्पनी |
| | 8 | मैसर्स न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कं० लि०। | कम्पनी |
| * | 9 | न्यू इंडिया एश्योरेंस कं० लि०। | |
| | 10 | श्री गोविन्द्रन् सेक्सरिया का कानूनी वारिस। | व्यष्टि |
| * | 11 | मैसर्स में एण्ड बेकर (ई०) प्रा० लि०। | कम्पनी |
| | 12 | डा० साहिब सिंह एण्ड संस। | अन-रजिस्टर्ड फर्म |
| * | 13 | कावेरी इन्वेस्ट/प्रा० लि० /। मेंट | कम्पनी |
| * | 14 | गुजरात स्टेट कारपोरेशन। / फर्टिलाइजर | कम्पनी |
| | 15 | करमचन्द प्रेमचन्द प्रा० लि०। | कम्पनी |
| * | 16 | नर्मदा इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०। | कम्पनी |
| | 17 | पद्मा इन्वेस्टमेंट (प्रा०) लि०। | कम्पनी |

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| * | 18 | साराभाई लि० । | कम्पनी |
| * | 19 | साराभाई केमिकल्स लि० । | कम्पनी |
| | 20 | श्री भानाभाई खल्याभाई पटेल । | व्यष्टि |
| * | 21 | श्री एफ० पी० गायकवाड़ । | व्यष्टि |
| | 22 | श्री आर० एन०शरोफ नादिवाड़ । | अन-रजिस्टर्ड फर्म |
| | 23 | श्री आर० एन० शरोफ मेहमदाबाद । | अन-रजिस्टर्ड फर्म |
| * | 24 | मैसर्स भारत स्टील ट्यूब्स लि० । | कम्पनी |
| | 25 | मैसर्स रेनबो रिफ्रैक्ट्रीज (प्रा०) लि० । | कम्पनी |
| | 26 | मैसर्स मोदीपोन लि० । | कम्पनी |
| | 27 | मैसर्स मोदी इंडस्ट्रीज लि० । | कम्पनी |
| | 28 | मैसर्स रेनबो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन । | रजिस्टर्ड फर्म |
| | 29 | मैसर्स स्टील इंडस्ट्रियल कारपोरेशन । | रजिस्टर्ड फर्म |
| | 30 | मैसर्स जियाजीराव काटन मिल्स लि० । | कम्पनी |
| * | 31 | मैसर्स सुरेन्द्र ओवरसीज लि० । | कम्पनी |
| * | 32 | मैसर्स अशोका मार्केटिंग लि० । | कम्पनी |
| * | 33 | मैसर्स सेंच्युरी एंका लि० । | कम्पनी |
| * | 34 | मैसर्स इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कं० लि० । | कम्पनी |
| | 35 | श्री बी० एन० भट्टाचार्जी । | व्यष्टि |
| | 36 | मैसर्स असम आयल कं० लि० । | कम्पनी |
| | 37 | मैसर्स कमोरिया केमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि० । | कम्पनी |
| | 38 | श्री पसारी टैक्सटाइल्स । | रजिस्टर्ड फर्म |
| * | 39 | मैसर्स लक्ष्मीजी शूगर मिल्स कं० लि० । | कम्पनी |
| | 40 | मैसर्स पर्ल साइकिल इंडस्ट्रीज लि० । | कम्पनी |
| | 41 | मैसर्स अलोक उद्योग वनस्पति प्लाइवुड लि० । | कम्पनी |
| | 42 | मैसर्स पी० एन० बी० फाइनेंस लि० । | कम्पनी |
| | 43 | डा० जे धर्म तेजा । | व्यष्टि |
| | 44 | श्री एम० आर० धवन । | व्यष्टि |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 45 | मैसर्स डालमिया जैन एयरवेज लि० । | कम्पनी |
| 46 | मैसर्स एलेन बेरी एण्ड कं० (प्रा०) लि० । | कम्पनी |
| * 47 | मैसर्स इंडिया सीमेंट लि० । | कम्पनी |
| * 48 | श्री एस० सी० पाल । | व्यष्टि |
| 49 | मैसर्स सय्यद ए० एम० वजीरअलि । | अन - रजिस्टर्ड फर्म |
| * 50 | बजाज टेम्पो लि० । | कम्पनी |
| * 51 | श्री के० एस० अब्दुला । | व्यष्टि |
| 52 | वैलफेयर फण्ड आफ दी को-आपरेटिव डिपार्टमेंटल एम्पलाइज क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी लि० । | व्यक्तियों का समूह । |
| 53 | मैसर्स पारसन एण्ड व्हिटमोर (फ्रांस) एस० ए० आर० एल० । | व्यक्तियों का समूह । |
| * 54 | मैसर्स चल्लापल्ली शुगर लि० । | कम्पनी |
| 55 | मैसर्स रुनालुर पेपर मिल्स लि० । | कम्पनी |
| * 56 | दी जैपोर शुगर कं० । | कम्पनी |
| 57 | श्री यू० कृष्णजी राव । | व्यष्टि |
| 58 | नवाब मीर बरकत अली खान । | व्यष्टि |
| 59 | मिस्टर एम० एम० पी० डी० सूजा । | व्यष्टि |
| * 60 | मैसर्स एस० बी० इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क० लि० । | कम्पनी |
| * 61 | मैसर्स स्ट्रा प्राडक्टस लि० । | कम्पनी |
| 62 | श्री चन्द्रनाथ वाणिक । | व्यष्टि |
| 63 | मैसर्स इंडियन एक्सप्लेसिव्ज लि० । | कम्पनी |
| * 64 | मैसर्स एस० बी० इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि० । | कम्पनी |
| 65 | मैसर्स अमम सिलीमनाइट लि० कं० । | कम्पनी |
| 66 | मैसर्स बृहमपुत्र टी० कं० लि० । | कम्पनी |
| 67 | मैसर्स किरोड़ीमल लोहड़ीवाला । | हिन्दू अविभाजित परिवार |
| 68 | नवाब शुशर्फ हुसैन एण्ड कं० । | व्यक्तियों का समूह । |
| 69 | मैसर्स नार्थ बंगाल शूगर मिल्स कं० प्रा० लि० । | कम्पनी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| * 70 | मैसर्स चितावलशा जूट मिल्स कं० लि० । | कम्पनी |
| 71 | मैसर्स सूरजमल नागरमल । | फर्म |
| 72 | श्री हरिदास मूंदड़ा । | व्यष्टि |
| 73 | श्री रामनाथ बजोरिया । | व्यष्टि |
| 74 | श्री दयाशंकर सुल्तानिया । | व्यष्टि |
| 75 | मैसर्स चंपारन शुगर क० लि० । | कम्पनी |
| * 76 | मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि० । | कम्पनी |
| 77 | मैसर्स ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि० । | कम्पनी |
| 78 | मैसर्स एस० वी० शूगर मिल्स मार्फत मैसर्स जसवंत शूगर मिल्स । | अन-रजिस्टर्ड फर्म |
| * 79 | बिहार स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन लि० । | कम्पनी |
| 80 | इंद्र जितेन्द्र नारायण सिंह, हजारी बाग । | व्यष्टि |
| * 81 | सेन्ट्रल इंडिया मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग कं० लि० । | कम्पनी |
| 82 | सैंच्युरी स्पीनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि० । | कम्पनी |
| * 83 | ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (वीविंग) कं० लि० | कम्पनी |
| 84 | रेमन एण्ड डेम लि० । | कम्पनी |
| 85 | श्री हाजी मस्तान मिर्जा । | व्यष्टि |
| 86 | मैसर्स एस० पी० बिल्डर्स । | फर्म |
| * 87 | श्री वाइ० ए० पटेल । | व्यष्टि |
| 88 | मगन लाल छगनलाल प्रा० लि० । | कम्पनी |
| * 89 | निर्लोन सिंथेटिक फाइबर्स एण्ड कैमिकल्स लि० । | कम्पनी |
| 90 | इब्राहीम सूफी । | व्यष्टि |
| * 91 | मधुसूदन गोर्धनदास एण्ड कम्पनी । | पंजीकृत फर्म |
| 92 | सरयूकान्त शाह । | व्यष्टि |
| * 93 | टी० के० कटाकिया । | व्यष्टि |
| * 94 | भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लि० । | कम्पनी |
| 95 | नवाब गंज शूगर मिल्स (प्रा०) लि० । | कम्पनी |
| 96 | आटो प्रिंस (इंडिया) रजिस्टर्ड । | पंजीकृत फर्म |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| * 97 | उड़ी सासीमेंट लिमिटेड। | कम्पनी |
| 98 | डालमियां ैयरी इंडस्ट्रीज लि०। | कम्पनी |
| 99 | मैसर्स राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि०। | कम्पनी |
| 100 | मैसर्स राजेन्द्र प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। | अपंजीकृत फर्म |
| 101 | मैसर्स त्रावनकोर टीटानियम प्रोडक्ट्स लि०। | कम्पनी |
| 102 | मैसर्स वी० एम० दक्षिणमूर्ति मुदालियर एण्ड संस। | व्यक्तियों का समूह |
| 103 | वी० एम० दक्षिणमूर्ति मुदालियर। | व्यष्टि |
| 104 | दि साउथ इण्डिया विस्कोस लि०। | कम्पनी |
| *105 | एम० आर० प्रताप। | अविभाजित हिन्दू परिवार |
| *106 | दि शान्ति ट्रस्ट। | व्यक्तियों का समूह |
| 107 | फैरो एलायज़ कारपोरेशन। | कम्पनी |
| 108 | मैंगनीज ओर इंडिया लि०। | कम्पनी |
| 109 | मैसर्स आर० वी० श्रीराम दुर्गाप्रसाद (प्रा०) लि०। | कम्पनी |
| 110 | आर० वी० श्री राम दुर्गाप्रसाद (एक्सपोर्ट)। | पंजीकृत फर्म |
| 111 | जे० के० काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स। | कम्पनी |
| 112 | मैसर्स जे० के० चैरिटेबल ट्रस्ट। | व्यक्तियों का समूह |
| 113 | मैसर्स मन्नू लाल केदार नाथ (फर्म)। | पंजीकृत फर्म |
| 114 | श्री मूसा कासिम। | व्यष्टि |
| 115 | श्री मनिलाल गुप्त। | व्यष्टि |
| 116 | जे० के० सिथेंटिक्स लि०। | कम्पनी |
| 117 | मनि लाल गुप्त। | अविभाजित हिन्दू परिवार। |

* तारांकित मामलों के संबंध में 31-3-80 की स्थिति के अनुसार कोई कर बकाया नहीं है हालांकि उनके खिलाफ 50 लाख रुपये से अधिक की मांग जारी की गई हैं।

टिप्पणी :— इस सूची में उन बैंकिंग कम्पनियों के नाम शामिल नहीं हैं, जिनसे संबंधित सूचना, दिनांक 23-5-1965 की अधिसूचना संख्या 2048 के अनुसार प्रकट नहीं की जा सकती।

विवरण-2

| क्र० सं० | निर्धारिती का नाम | हैसियत |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | धनकर | |
| 1 | श्री माधवराव जे० सिंधिया। | व्यष्टि |
| 2x | स्वर्गीय सर जे० एम० सिंधिया का हिन्दू अविभाजित परिवार। | हि० अविभाजित परिवार |
| 3 | श्रीमती उर्वशी देवी। | व्यष्टि |
| 4* | के० एस० आर० टी० सी० पेन्शन एण्ड ग्रेच्युटी फण्ड ट्रस्ट। | व्यक्तियों का समूह |
| 5x | श्री एम० एम० पी० डिसूजा। | व्यष्टि |
| 6 | मैसर्स प्रेम राज दौलत राम। | हि० अविभाजित परिवार। |
| 7 | हरिदास मूंदड़ा। | व्यष्टि |
| 8x | एस० एन० देसाई टोपीवाला। | व्यष्टि |
| 9 | स्वर्गीय ए० एच० वाडिया ट्रस्ट की संपदा। | व्यक्तियों का समूह। |
| 10 | विलासराय जोहरमल। | हि० अविभाजित परिवार। |
| 11 | जे० धर्मतेजा। | व्यष्टि |
| 12x | श्री एफ० पी० गायकवाड़। | व्यष्टि |
| 13 | नवाब मीर बरकत अली खाँ। | व्यष्टि |
| 14 | महामहिम निजाम के ज्वेलरी ट्रस्ट के ट्रस्टी। | व्यक्तियों का समूह। |
| 15 | महामहिम निजाम के अनुपूरक ज्वेलरी ट्रस्ट के ट्रस्टी। | व्यक्तियों का समूह। |
| 16 | श्री एस० डी० जोदेजा, जामनगर। | व्यष्टि |
| 17 | *श्री भवानीसिंह, स्वर्गीय श्री सवाई मान सिंह, अविभाजित परिवार के कर्त्ता। | हि० अविभाजित परिवार। |
| 18 | *महाराजा सर सवाई मान सिंह। | व्यष्टि |
| 19 | *श्री पृथ्वीराज। | व्यष्टि |
| 20 | *श्रीमती गायत्री देवी। | व्यष्टि |
| 21 | *श्री जय सिंह। | व्यष्टि |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 22 | *श्री जगत सिंह । | व्यष्टि |
| 23 | *श्री भवानी सिंह । | व्यष्टि |
| 24 | *मैसर्स मेघजी गिरधारी लाल । | हि० अविभाजित परिवार । |
| 25x | *प्रिंसेस ऊषा ट्रस्ट । | व्यक्तियों का समूह । |
| 26x | राजा बलदेवदास बिड़ला । | व्यष्टि |
| | दानकर | |
| 1x | श्रीमती लीना ए० साराभाई । | व्यष्टि |
| 2 | श्री एफ० पी० गायकवाड़ । | व्यष्टि |
| | सम्पदा शुल्क | |
| 1*x | स्वर्गीय लेडी रुथ वैंथल । | व्यष्टि |
| 2 | महामहिम स्वर्गीय निजाम हैदराबाद मीर उसमान अली खां । | व्यष्टि |

* सूचना 31 दिसम्बर, 1979 की स्थिति के अनुसार त्रैमासिक रिपोर्टों पर आधारित हैं ।

* इन मामलों में, कोई कर बकाया नहीं था, 50 लाख रुपये के अधिक की मांग जारी की गई थी ।

### केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की बकाया राशि की वसूली

2206. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1980 को जिन फर्मों तथा अन्य लोगों के विरुद्ध दस लाख तथा इससे अधिक की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की राशि बकाया थी उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) इसको वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोट)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोकसभा के पटल पर रख दी जायगी ।

### कर्नाटक में नये इस्पात संयंत्र की स्थापना

2207. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ,

(ख) इस विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) इन संयंत्रों को पूरा करने के लिये यदि कोई निर्धारित की गई लक्ष्य तिथि है तो वह क्या हैं ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) कर्नाटक राज्य के बल्लरी जिले में लगाए जाने वाले विजयनगर इस्पात कारखाने के लिये सलाहकारों ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पहले ही तैयार कर लिया है। इसकी आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् यह मामला "सेल" के निदेशक-मण्डल के सामने रखा गया था। निदेशक-मण्डल ने परियोजना प्रतिवेदन तथा अनुमानों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। उपर्युक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और "सेल" के निदेशक-मण्डल द्वारा उस पर विचार कर लेने के पश्चात् ही अगली कार्रवाई की जायेगी। इस बीच, संयंत्र के लिए भूमि-अर्जन, मिट्टी की जांच, कच्चे माल का परीक्षण आदि जैसे प्रारम्भिक कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

2. सरकार बन्दरगाह पर इस्पात का एक नया कारखाना लगाने की सम्भावनाओं का भी पता लगा रही है, जिसकी अन्ततः क्षमता 30 लाख टन प्रतिवर्ष होगी। इस बारे में जिन सम्भाव्य स्थानों पर विचार किया जा रहा है उनमें मैंगलोर भी एक है। फिर भी, ऐसा कारखाना लगाने तथा इसके स्थान और अन्य शर्तों के प्रश्न पर विस्तृत तकनीकी तथा वित्तीय आधार पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) चूंकि अभी तक पूंजी-निवेश का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः इन कारखानों के लगाने में विलम्ब होने तथा इनके पूर्ण होने की तारीख निश्चित करने का इस समय प्रश्न ही नहीं उठता।

### व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को समाचार पत्रों और सामयिक पत्रिकाओं की खरीद के लिए आयकर में छूट

2208. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री व्यवसाय करने वालों को आयकर में छूट के बारे में 1 फरवरी, 1980 के अतारांकित प्रश्न सं० 185 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वांछित सूचना एकत्र कर ली गई है, यदि हां, तो क्या वह उसे सभा पटल पर रखेंगे ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस श्रेणी के आयकरदाताओं को आवश्यक राहत पहुंचाने के लिए क्या निर्णय किया है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट)** : (क) और (ख) जी, हां। सूचना एकत्र कर ली गई है और कार्यान्वयन रिपोर्ट, सदन-पटल पर रखने के लिए 19-6-1980 को संसदीय कार्य विभाग को भेज दी गई है ;

(ग) जैसा कि 1 फरवरी 1980 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 185 के संबंध में कार्यान्वयन रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है, पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों पर किये जाने वाले खर्चों के संबंध में, विभिन्न श्रेणियों के कर-निर्धारितियों के दावों का निपटान करते समय कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालयों को मार्गदर्शक

सिद्धान्त भी जारी कर दिये हैं, जिनमें एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया गया है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के पास अनिर्णीत पत्र

2209. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को संसद सदस्यों/गण्यमान व्यक्तियों से प्राप्त ऐसे पत्रों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें (1) 3 माह ; (2) 3-6 माह (3) 6-12 माह तक और (4) एक वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है ; और

(ख) प्रत्येक पत्र के अनिर्णीत रहने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

आयकर विभाग में कम्पूटर लगाना।

2210. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग में सरकार ने फिर से कम्प्यूटर लगाने की योजना किस कारण से पुनर्जीवित की है जबकि सरकार द्वारा पहले यह निर्णय कर लिया गया था कि यह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है ;

(ख) क्या सरकार ने आयकर विभाग में कम्प्यूटर लगाने के प्रयोजन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों के आयात के लिए क्रयादेश दिया है ;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का उपकरण आयात किया जाना है और उस पर कितना व्यय होगा ; और

(घ) क्या कम्प्यूटर के कार्यकरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई सरकारी प्रतिनिधि-मंडल बाहर भेजा जा रहा है और यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कौन-कौन हैं और किन-किन देशों का दौरा किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) सरकार ने आयकर विभाग में संगणक- पद्धति पुनः चालू करने का निर्णय अभी तक नहीं लिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

वायदा बाजारों और वायदा बाजार आयोग संबंधी समिति

2211. श्री बालासाहब विखे पाटिल : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न मदों के अग्रिम व्यापार तथा अग्रिम बाजारों अस्वस्थ प्रवृतियों को रोकने हेतु उन्हें प्रभावी ढंग से नियमित करने के प्रयोजन से और साथ ही

विशिष्ट मदों में वायदा व्यापार का विरोध करने वाले सरकारी निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये वायदा बाजारों के कार्यकरण और वायदा बाजार आयोग की भूमिका की समीक्षा करने के लिये डा० ए० एम० खुसरो की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसमें मुख्यता क्या-क्या सिफारिशें की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त प्रतिवेदन संभवत: कब पेश होगा ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रिपोर्ट के 30 जून, 1980 तक सरकार को प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

### तीसरे स्तर की विमान सेवा के लिए आर्थिक भार

2212. श्री भगवान देव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अजमेर से प्रकाशित "आधुनिक राजस्थान" दिनांक 10 अप्रैल में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि "तीसरे स्तर की विमान सेवा" आरम्भ करने के आर्थिक उत्तरदायित्व का वहन राजस्थान सरकार द्वारा किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारों ने इस उत्तरदायित्व को वहन करना स्वीकार कर लिया है,

(ग) यदि हां, तो राजस्थान सरकार द्वारा आरम्भ में कितना आर्थिक उत्तरदायित्व लिया जायेगा ; और

(घ) राजस्थान के किन किन नगरों को उपरोक्त विमान सेवा के पहले चरण में जोड़ा जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) :

(क) सरकार द्वारा उक्त प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) देश में तीसरी वायु सेवायें चालू करने के प्रश्न की जांच की जा रही है। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

## पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विमान सेवाओं का विस्तार

2213. श्री माधवराव सिंधिया : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्रों, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, के लिए विमान सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसका विस्तार अनुमानतः कब तक किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) इन्डियन एयरलाइन्स की पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषतः हिमाचल प्रदेश के लिए विमान सेवा चालू करने की कोई योजनाएं नही हैं। तथापि, उस राज्य में कुछ स्थानों के लिए विमान सेवाएं चालू करने के बारे में तीसरी वायु सेवा के संदर्भ में विचार किया जा सकता है, जिसका प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

## काजू बोर्ड की स्थापना

2214. श्री बी० के० नायर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काजू विकास निदेशालय तथा अन्य संगठनों से देश भर में काजू बागान उद्योग के समन्वित विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य मदों के बोर्डों जैसा ही एक काजू बोर्ड स्थापित करने के आशय की जोरदार सिफारिशें तथा हार्दिक अनुरोध किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

## रूई पर निर्यात शुल्क

2215. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि रूई पर निर्यात शुल्क से इसके निर्यात में बाधा पहुंचती है और किसानों को इसके उचित मूल्य नहीं मिलते है, क्या रूई पर निर्यात शुल्क समाप्त करने अथवा कम करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : जी, नहीं। अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

## तिरुमल्लवरम का समुद्र तटीय विश्राम स्थल के रूप में विकास

2216. श्री बी० के० नायर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि क्विलन शहर में तिरुमल्लवरम एक ऐसी जगह है जो

अपने स्वास्थ्यप्रद वातावरण और दूर तक चले गए कम गहरे समुद्र से लगे होने के कारण समुद्र तटीय विश्राम स्थल के रूप में विकसित किये जाने के लिए एक आदर्श स्थान है ; और

(ख) क्या इस परियोजना को शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) भारत आकर्षक स्थनों से भरपूर है ; विवलॉन शहर में निरूमल्लवरम निस्सन्देह इन्हीं में से एक है । तथापि संसाधनों पर प्रतिबंध के कारण पर्यटन प्रायोजना के लिए एक चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी हो जाता है ; इसी वजह से केन्द्रीय सैक्टर में उन केन्द्रों पर पर्यटक सुविधाओं के विकास पर जोर दिया जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बीच पहले से ही लोकप्रिय हैं अथवा उन्हें आकर्षित करने की संभाव्यता रखते हैं । इसे दृष्टि में रखते हुए केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत केरल में कोवलम, त्रिवेन्द्रम, कोचीन और पेरियार वन्य जीव विहार-स्थल पर पर्यटक सुविधाएं प्रदान की गयी हैं ।

### बम्बई क्षेत्र में निर्माताओं को उत्पाद शुल्क में राहत

2217. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची की मद संख्या 68 के अधीन आने वाली खाद्य-महकों (फूड-फ्लेवर्स) के मामले में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 55/75 दिनांक 1 मार्च, 1975, यथा संशोधित की मद संख्या 68 के अधीन जो कि खाद्य-महकों (फूड-फ्लेवर्स) तथा रंगों के बने पदार्थों, जिनमें सान्द्रित-सत भी शामिल हैं, के बारे में है, बम्बई कलक्टरी में तो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क लगाया जा रहा है जब कि मद्रास कलक्टरी में इन्हें मुक्त रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विषमता के क्या कारण है ; और

(ग) बम्बई क्षेत्र के निर्माताओं को इस संबंध में राहत देने के लिए उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि इस शुल्क के मामले में समानता लाई जा सके ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) से (ग) यथा संशोधित अधिसूचना सं० 55/75-के० उ० शु०, दिनांक 1-3-1975 में "खाद्य उत्पादों और खाद्य निर्माताओं की मदें" पदावली के भिन्न-भिन्न अर्थ निरूपणों के कारण, बम्बई और मद्रास समाहर्तालयों में सुवासक सत्वों के संबंध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निर्धारण हेतु अपनाई जा रही प्रणाली में भिन्नता का सरकार को पता चला था । इन उत्पादों का एकरूप ढंग से शुल्क निर्धारण करने हेतु समाहर्ताओं को अब समुचित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिये गये हैं ।

### कर्नाटक के महालेखाकार के कार्यालय के लिए चुने गए व्यक्तियों द्वारा कार्यभार संभालने के बारे में शिकायत

2218. श्री ए० नीला लोहिथादसन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि कर्नाटक के महालेखाकार के कार्यालय के लिए चुने गए सत्तर व्यक्तियों में से चालीस व्यक्तियों को कर्नाटक के मुख्य मंत्री

तथा कर्नाटक के महालेखाकार के कुछ उच्चाधिकारियों द्वारा प्रोत्साहित किए गए उपद्रवियों द्वारा कार्यभार नहीं संभालने दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस शिकायत पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का इन चालीस व्यक्तियों द्वारा कर्नाटक के महालेखाकार के कार्यालय में कार्यभार संभालने हेतु आवश्यक कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में देश के किसी भाग में भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट)** : इस संबंध में माननीय सदस्य से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) से (घ) भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में लेखा परीक्षकों, लिपिकों और आशुलिपिकों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है। विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए कर्मचारी चयन आयोग, क्षेत्रीय परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से विभिन्न जोनों जिनमें सारे देश को विभाजित किया गया है के लिए अखिल भारतीय परीक्षा का आयोजन करता है। 1979 के दौरान जोन-vi में आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य थे जबकि जोन-vii में तमिलनाडु और केरल राज्य शामिल थे। लेखा परीक्षकों आदि के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने के सम्बन्ध में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार, किसी भी उम्मीदवार को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बताए गए जोनों में से एक जोन को चुनना पड़ता है और उसे उसी जोन में रिक्त पद पर नियुक्त करने पर विचार किया जाता है जिसका वह विकल्प देता है। फिर भी, आयोग उसके द्वारा दिए गए विकल्प से भिन्न जोन में उसकी नियुक्ति की सिफारिश करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। चूंकि लेखा परीक्षकों और लिपिकों के पदों पर निचले पदों के पांच व्यक्तियों द्वारा पदोन्नत कोटा को भरा जाना सम्बद्ध कलेंडर वर्ष 1979 के समाप्त होने से पहले सम्बन्धित संवर्ग में सीधी भर्ती की रिक्तियों के भरे जाने पर आधारित था इसलिए महालेखाकार, कर्नाटक ने कर्मचारी चयन आयोग के मद्रास कार्यालय से उम्मीदवारों की सूची पर शीघ्र कार्रवाई करने को अनुरोध किया। कर्मचारी चयन आयोग ने 55 लेखा परीक्षकों और 25 लिपिकों के नाम जो कि तमिलनाडु और केरल जोन के उम्मीदवार थे, महालेखाकार कर्नाटक के कार्यालय में नियुक्ति के लिए भेजे क्योंकि आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में जोन-vi सूची पहले ही अन्य कार्य लेखों के लिए सीमित संख्या में उपलब्ध उम्मीदवारों की नियुक्ति द्वारा समाप्त हो गई थी। इन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भेजे गए जिनमें उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे 31-12-79 तक रिपोर्ट करें क्योंकि विभागीय कोटा के लिए पदोन्नत पैनल इस तारीख तक समाप्त हो जाना था। 55 लेखा परीक्षकों और 25 लिपिकों में से क्रमशः 14 और 12 उम्मीदवारों ने रिपोर्ट की और इन्हें औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पद का कार्यभार संभालने के लिए कहा गया। बाकी उम्मीदवारों ने पद पर नियुक्त होने के लिए विभिन्न अवधियों में और समय मांगा था। महालेखाकार ने ऐसे मामलों में जहां पर और समय मांगा गया था मंजूरी नहीं दी और सम्बद्ध उम्मीदवारों को टेलीग्राम भेजे जिनमें समय बढ़ाने से इंकार किया गया और इसके साथ-साथ नियुक्तियां रद्द कर दी गई। महालेखाकार कर्नाटक के कार्यालय में रिक्तियों को बाद में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जोन

की सूची में भेजे गए उम्मीदवारों द्वारा भरा गया। यह भी उल्लेख कर दिया जाए कि महालेखाकार, कर्नाटक के कार्यालय में ऊपर बताई गई पहले की नियुक्तियों के संदर्भ में आंदोलन हुआ था। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा के लिए अद्यतन स्कीम ऐसी बनाई गई है कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति की, जैसा कि महालेखाकार कर्नाटक के कार्यालय में उत्पन्न हुई थी, पुनरावृति की कोई सम्भावना नहीं है।

**स्टाक सूची और मूल्य सूची प्रदर्शित करना**

2219. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर स्टाक और मूल्य प्रदर्शित करना बन्द कर दिया है;

(ख) क्या सरकार प्रत्येक दुकानदार द्वारा मूल्य और स्टाक सूचियों के प्रदर्शित करने को अनिवार्य बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों का ब्योरा क्या है?

**नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं।

(ख) व (ग) : आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किये गये मूल्य तथा स्टाक प्रदर्शन आदेश सभी राज्यों और संघ शासित प्रशासनों में पहले से ही लागू हैं। इन आदेशों द्वारा सभी व्यापारियों के लिये यह अनिवार्य है कि वे आदेशों में अधिसूचित वस्तुओं के मूल्य तथा स्टाक अपने परिसरों में निर्धारित तरीके से सुस्पष्ट रूप में प्रदर्शित करें। राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों ने इन आदेशों को लागू करने के लिए अपनी-अपनी प्रवर्तन एजेंसियां गठित की हुई हैं।

**चमड़े से निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए बलगारिया से समझौता**

2220. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने चमड़े से निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए बलगारिया के साथ समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) तथा (ख) जी हां। बलगारिया को चमड़े के माल के निर्यात के लिए व्यापार निगम और बलगारिया के राज्य आर्थिक निगम पिरिन के बीच 3 मई, 1980 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गए। करार के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्था है :—

(1) 1981-1985 के दौरान बल्गारिया को शू अपर्स के 2.71 मिलियन जोड़ों का निर्यात।

(2) बलगारिया में फुटवियर के विनिर्माण के लिए 1980 के दौरान 5 मिलियन वर्ग डेसीमीटर गाय (नप्पा) साफ्ट, गोट स्वेड तथा गाय लाइनिंग का निर्यात।

(3) बल्गारिया को अथवा किसी तीसरे देश को निर्यात के लिए प्रति वर्ष शू अपर्स के 5 लाख जोडों के उत्पादन के लिए भारत के साथ उत्पादन सहकारिता।

(4) बल्गारिया को निर्यात के लिए प्रति वर्ष 1 से 1.5 मिलियन अदद लैम्ब फर स्किन्स का उत्पादन करने के लिए भारतीय भेड़ चर्म के क्षेत्र में उत्पादन सहयोग।

(5) बलगारिया तथा अन्य देशों को निर्यात के लिए दस्तानों के उत्पादन के लिए बलगारियाई प्रौद्योगिकी की मदद से भारत में संयुक्त उपक्रम की स्थापना।

(6) बलगारिया को निर्यात के लिये और तीसरे देशों में संयुक्त विपणन के लिए काउ स्पलिट लैदर से भारत में विशेष किस्म के फुटवियर का उत्पादन।

### लन्दन से आयातित चीनी की लागत

2221. श्री के० एम० मधुकर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन से आयात की गई चीनी को बन्दरगाह पर उतारते समय लागत क्या होगी ; और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई योजना बनाई है कि आयातित चीनी की सप्लाई किस तरह की जाएगी और यदि हां, तो किस दर पर और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) आयातित चीनी की उतारने तक की लागत 560 रु० प्रति क्विंटल होने का अनुमान है।

(ख) आयातित चीनी का आबंटन राज्य सरकारों को किये जाने की योजना है ताकि उनके क्षेत्रों में बल्क उपभोक्ताओं की चीनी की मांग को पूरा किया जा सके। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी आवश्यकताएं बताएं। राज्य व्यापार निगम भी राष्ट्र स्तरीय सहकारी संगठनों से अनुरोध करेगा कि अपने राज्य स्तरीय संगठनों की मार्फत चीनी बेचने हेतु वे अपनी आवश्यकताएं बताएं। आयातित चीनी को लेवी मुक्त चीनी के भाग के रूप में लागत जमा आधार पर बेचा जाएगा।

### उड़ीसा में उचित दर की दुकानों पर जनता को खाद्य तेलों का दिया जाना

2222. श्री अर्जुन सेठी : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा के सूखे से प्रभावित जिलों में लोगों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से खाद्य तेलों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य तेलों का पर्याप्त भण्डार बनाए रखने के लिए प्रयत्न कर लिए हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सरकार ने आयातित खाद्य तेलों की पर्याप्त मात्रा रखने और उड़ीसा को उनकी पर्याप्त सप्लाई करने के लिए पहले ही कदम उठा लिये हैं। तथापि, राज्य में उचित दर की दुकानों के माध्यम से वास्तविक वितरण करने की जिम्मेदारी उडीसा राज्य सरकार की है।

उचित दर की दुकानों को नियमित रूप से चीनी की सप्लाई के लिए चीनी का आयात

2223. श्री पी० एम० सईद
श्री गुलाम रसूल कोचक
श्री तारिक अनवर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उचित दर की दुकानों को निर्बाध गति से चीनी की आपूर्ति करने के विचार से दो लाख टन चीनी का आयात किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आयात के बावजूद बाजार में अभी चीनी की बहुत कमी है ;

(ग) क्या सरकार देश में चीनी की कमी दूर करने के लिए और अधिक चीनी के आयात करने पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो चीनी का आयात किन देशों से तथा किस मूल्य पर किया जा रहा है और उसे भारत में उचित दर की दुकानों को किस मूल्य पर बेचा जा रहा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) इस वर्ष चीनी के उत्पादन में कमी के कारण घरेलु बाजार में इसकी निरन्तर कमी तथा कीमतों में वृद्धि के रुख को देखते हुए राज्य व्यापार निगम द्वारा 200,000 मे० टन परिष्कृत चीनी के आयात करने के लिए एक संविदा की गई है। इसे जून-अगस्त, 1980 की अवधि में क्रमबद्ध तरीके से मगाया जाएगा।

(ग) तथा (घ) : भविष्य में आयात आने वाले मौसम में घरेलू फसल और बाजार में चीनी की आवक पर निर्भर करेंगे। इस समय आने वाली आयातित चीनी की राज्य सरकारों और राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं को बिक्री के सम्बन्ध में नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

जेट विमान रखने वाली कम्पनियां

2224. श्री अर्जुन सेठी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों, कारखानों तथा फर्मों, गैर सरकारी व्यक्तियों तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम क्या है जिनके पास अपने निजी जेट विमान हैं ; और

(ख) उन शर्तों का ब्यौरा क्या है जिनके अधीन कोई फर्म एक जेट विमान खरीद सकती है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) इण्डियन एयरलाइन्स, एयर इण्डिया तथा "नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी" को छोड़कर, जो कि सरकारी उद्यम है, केवल "पुष्पक एविएशन" के पास जेट विमान है।

(ख) प्रत्याशी आवेदक को खरीद के बारे में सरकार को संतुष्ट करना पड़ता है।

**राष्ट्रीय कपड़ा निगम मध्य प्रदेश की मिलों द्वारा कपड़े की बिक्री**

2225. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम, मध्य प्रदेश के अधीन मिलों द्वारा गत तीन वर्षों में घरेलू खपत के कितने कपड़े की बिक्री की गई ;

(ख) उनके द्वारा उपरोक्त अवधि में किस्म-वार निर्यात के लिए कितना कपड़ा बनाया गया, किन-किन एजेंसियों ने कपड़ा वेचा और किन-किन एजेंसियों ने कपड़ा नहीं बेचा ;

(ग) क्या यह सच है कि जिन एजेंसियों ने कपड़ा वापस कर दिया है उन 7-1/2 प्रतिशत छूट दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कारण निगम को कितनी हानि हुई है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी** : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश) लिमिटेड के अधीन वस्त्र मिलों ने वर्ष 1977-78 से 1979-80 के दौरान घरेलू खपत के लिए 3,487.25 लाख मीटर कपड़ा तथा 38.66 लाख किग्रा फेन्ट्स, रैग्स तथा चिन्टजेस वेचा है।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**कर्नाटक में रेशम का उत्पादन बढाने के लिए 'विश्व बैंक' से ऋण**

2226. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'विश्व बैंक' कर्नाटक में रेशम उत्पादन बढाने हेतु ऋण देने पर सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की पेशकश की गई है और इसकी शर्तें क्या-क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज़ियाउर्रहमान अंसारी)** : (क) जी हां।

(ख) विश्व बैंक ने कर्नाटक रेशम उत्पादन परियोजना के लिए 79.85 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया है, जिसमें से विश्व बैंक की सहायता 45.36 करोड़ रु० की निम्नोक्त शर्तों पर होगी :-

1) 50 वर्षों की अवधि में पुनर्भुगतान, जिसमें, 10 वर्षों की माफी अवधि शामिल है।
2) ब्याज की कोई दर नहीं, और
3) निकाली गई तथा बकाया मूल राशि पर प्रति वर्ष 1 प्रतिशत के तीन चौथाई के हिसाब से सेवा प्रभार।

## इस्पात के कोटे का राज्यवार वितरण

2227. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 के दौरान इस्पात के कोटे का राज्यवार वितरण, वास्तविक सप्लाई और पंजीकृत एस० आई० डी० ओ० यूनिट पृथक्-पृथक् कितने-कितने थे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : इस्पात के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। अतः राज्यवार "कोटा" देने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी, वर्ष 1978-79 में राज्य लघु उद्योग निगमों को की गई वास्तविक आपूर्ति का विवरण—1 में दिया गया है। 31.12.1978 को एस० आई० डी० ओ० के अधीन पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की संख्या विवरण—11 में दी गई है।

### विवरण—1

(आंकड़े टनों में हैं)

| क्रम संख्या | राज्य लघु उद्योग निगम का नाम | वास्तविक सप्लाई |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 11,674 |
| 2. | असम (असम की पहाड़ियां भी शामिल हैं) | 3,218 |
| 3. | बिहार | 1,728 |
| 4. | चण्डीगढ़ | 8,456 |
| 5. | दिल्ली | 42,144 |
| 6. | गुजरात | 32,214 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 1,186 |
| 8. | हरियाणा | 29,911 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 17,359 |
| 10. | कर्नाटक | 13,718 |
| 11. | केरल | 17,448 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 7,050 |
| 13. | महाराष्ट्र (गोवा भी शामिल है) | 44,925 |
| 14. | मिजोरम | 183 |
| 15. | मणिपुर | 147 |
| 16. | मेघालय | — |
| 17. | नागालैंड | — |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 18. | उड़ीसा | 7,121 |
| 19. | पाण्डिचेरी | 360 |
| 20. | पंजाब | 35,987 |
| 21. | राजस्थान | 14,622 |
| 22. | तमिलनाडु | 14,981 |
| 23. | त्रिपुरा | 154 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 15,832 |
| 25. | पश्चिमी बंगाल | 12,551 |
| | योग.— | 332.969 |

विवरण-2

| क्रम संख्या | राज्य | इकाइयों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 17,895 |
| 2. | असम | 3,302 |
| 3. | बिहार | 14.187 |
| 4. | गुजरात | 21,394 |
| 5. | हरियाणा | 11.889 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 2.552 |
| 7. | जम्मू-कश्मीर | 2.308 |
| 8. | कर्नाटक | 13.619 |
| 9. | केरल | 12,363 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 17.507 |
| 11. | महाराष्ट्र | 25,426 |
| 12. | मणिपुर | 1,481 |
| 13. | मेघालय | 295 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 14. | नागालैंड | 203 |
| 15. | उड़ीसा | 4,225 |
| 16. | पंजाब | 25,491 |
| 17. | राजस्थान | 18,018 |
| 18. | सिक्किम | 22 |
| 19. | तमिलनाडु | 33,918 |
| 20. | त्रिपुरा | 896 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 24,540 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 63,022 |
| 23. | अरुणाचल प्रदेश | 145 |
| 24. | चण्डीगढ़ | 646 |
| 25. | दादर और नागर हवेली | 83 |
| 26. | दिल्ली | 8,746 |
| 27. | गोआ, दमन और द्वीप | 1,147 |
| 28. | मिजोरम | 271 |
| 29. | पांडिचेरी | 784 |
| 30. | अण्डमान और निकोबार | 111 |
| | योग :— | 326,759 |

दबचरी (महाराष्ट्र) में सरकारी अनुसंधान केन्द्र

2228. श्री आर० के० महालगी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रबड़ बोर्ड ने दबचरी जिला थाणे (महाराष्ट्र) में एक रबड़ अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र सरकार इस प्रयोजन के लिए बोर्ड को लगभग 50 हेक्टेयर भूमि देने पर सहमत हो गई है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और कब किया है; और

(घ) उक्त अनुसन्धान केन्द्र कब स्थापित किया जाएगा, और वहां क्या कार्य किए जाएंगे ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) रबड़ बोर्ड ने कोंकण क्षेत्र में परीक्षण बागान स्थापित करने का निर्णय लिया है। एक स्थान दबचरी में चुना गया है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में रबड़ बोर्ड को सूचित किया है कि इस प्रयोजन के लिए भूमि रिलीज करने के आदेश जारी किये जा रहे हैं।

(ग) तथा (घ) रबड़ बोर्ड पेशकश को स्वीकार करने के लिए कार्यवाही कर रहा है। बोर्ड इस योजना के अनुमोदन के बाद इस क्षेत्र में रोपण सामग्री तथा खेती की प्रथाओं की उपयुक्तता आंकने के लिए आवश्यकता आधारित अध्ययन करेगा।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में "आयरन ओर पैलेटाइजेशन प्लांट"

2229. श्री अरविन्द नेताम : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में बेलाडिला के समीप लोहा अयस्क खानों पर आधारित "आयरन ओर पैलेटाइजेशन प्लांट" की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु भारत सरकार से आवेदन किया है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1980 में सरकार को ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का कार्यकरण

2230. श्री आर० के महालगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि घरेलू बचतों को व्यावसायिक निवेश संस्था के माध्यम से शेयर-बाजार में सरणीकृत किया जाए, जिससे निवेशक की निधियों का विस्तार किया जा सके ;

(ख) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अपने द्वारा वसूले जाने वाले 14 प्रतिशत ब्याज में से लघु-जमाकर्ताओं को 9 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करके मुनाफाखोरी में लगा हुआ है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना पहली फरवरी, 1964 को की गयी थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज की बचतों को बढ़ावा देना, उन्हें समुचित रूप से जुटाना और उनका निवेश उत्पादन कार्य में

लगे निगमित संस्थानों में करना था जिससे कि देश की अर्थ व्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिले और उसमें विविधता का समावेश हो। घरेलू बचतों को व्यावसायिक प्रबन्ध के माध्यम से शेयर बाजार में निविष्ट करना निस्संदेह इस ट्रस्ट का एक महत्वपूर्ण कृत्य है किन्तु इसको इस ट्रस्ट की स्थापना का मुख्य प्रयोजन नहीं माना जा सकता। यह ट्रस्ट अपनी निधियों की सिक्यूरिटी, आमदनी उनको नगदी के रूप में तुरन्त हासिल कर सकने की बातों को ध्यान में रखते हुए, न्यायोचित्यपूर्ण निवेश के निर्णयों द्वारा अपने निवेशाधान क्षेत्र को व्यापक बनाने का प्रयास करता है।

(ख) जी नहीं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ज्यादा लाभोपार्जन नहीं करता। अपने सभी निवेशों पर ट्रस्ट 14 प्रतिशत की कमाई नहीं करता। सामान्य शेयर पूंजी निवेशों पर औसत आमदनी 7.00 प्रतिशत से लेकर 7.75 प्रतिशत तक की रहती है और अधिक कीमत वाली सिक्यूरिटियों के मामले में, यह आमदनो 3 प्रतिशत से लेकर 4 प्रतिशत के बीच की है जो कि काफी कम है। 1978-79 के दौरान, ट्रस्ट ने औसतन सामान्य शेयर पूंजी पर लगभग 8.5 प्रतिशत तरजीही शेयरों पर 7.5 प्रतिशत और ऋण-पत्रों पर 9.0 प्रतिशत की आमदनी प्राप्त की, जो कि 30 जून, 1979 तक ट्रस्ट की 402 करोड़ रुपये की नियोज्य निधि के सम्बन्ध में थी। मांगदेय तथा अल्प सूचना देय राशि पर, जो कि ट्रस्ट की राशि के लगभग 35 प्रतिशत भाग के बराबर थी, अर्जित ब्याज की दर 5.5 प्रतिशत से लेकर 8.5 प्रतिशत के बीच थी। शेष राशि का अधिकांश भाग, बाकबट्टताओं के आधार पर अग्रिम निक्षेपों में, कम्पनियों के स्थिर जमा निक्षेपों में तथा ब्रिज फाइनेंस के लिए लगाया गया जिस पर ट्रस्ट ने 14 प्रतिशत कमाई की।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत, ट्रस्ट से यह अपेक्षा है कि वह अपनी निवल आय का कम-से-कम 90 प्रतिशत भाग, यूनिट स्कीम 1964 में लगाए, जो कि इस ट्रस्ट की मुख्य स्कीम है, जिससे इसका 95 प्रतिशत से भी ज्यादा कारबार होता है। ट्रस्ट ने अपनी आमदनी के अनुरूप, यूनिट धारियों को दिए जाने वाले लाभांश की दर में उत्तरोत्तर वृद्धि की है। 1964-65 में, 6.1 प्रतिशत लाभांश दिया गया था किन्तु 1978-79 में 9 प्रतिशत लाभांश दिया गया।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

## कुछ जूट मिलों का राष्ट्रीयकरण

2231. श्री नीरेन घोष :

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा यूनियन जूट, एलिजेण्ड्रा जूट, खारदाह जूट और किनीसन जेण्ड्रा जूट मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ख) इस का क्या ब्योरा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत यूनियन, जूट, एलेक्जेण्ड्रा जूट, किनीसन जूट और आर० वी० एच० एम० मिलों के प्रबन्ध का अधिग्रहण कर लिया है। इन एककों में से प्रत्येक के आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापना के लिए समुचित निवेश की आवश्यकता है। सरकार इन एककों को दीर्घावधि आधार पर आर्थिक दृष्टि से जीवनक्षम बनाने के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।

### दुर्गापुर और बोकारो इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

2232. श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के तकनीकी सुधारों का सूत्रपात करके दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए बृहत विकास योजना बनाने का कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ तो बोकारो इस्पात संयंत्र के आगे विस्तार तथा इसकी क्षमता के बारे में ब्योरा क्या है और यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन के परामर्श से एक विकास योजना तैयार की जा रही है। इसके वर्ष 1980 के अंत तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। लगभग 144 करोड़ रुपए के अनुमानित पूंजी निवेश से बोकारो इस्पात कारखाने का 40 लाख टन से 47.5 लाख टन तक विस्तार करने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है। प्रौद्योगिक सुधार करके इस कारखाने की क्षमता को 55 लाख टन तक बढ़ाने के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने का प्रस्ताव है। इसकी शर्तों के बारे में भारतीय सलाहकारों तथा उनके सभी सहयोगियों के बीच बातचीत चल रही है।

### सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक के कार्यालय के कर्मचारियों की कठिनाइयां

2233. श्री के० अर्जुनन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रक, सहायता, लेखा और लेखा परीक्षा कार्यालय में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग 1977 से अपनी कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन देता रहा है किन्तु मंत्रालय ने अभी तक उनको कोई उत्तर नहीं दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) और (ख) प्रतिनियुक्ति भत्ते की मंजूरी के लिए सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक के कार्यालय के कर्मचारियों से नवम्बर 1977, फरवरी, 1979 और सितम्बर 1979 में एक जैसी शब्दावली में लिखे हुए

कुछ एक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अभी तक इस विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। फिर भी, सम्बद्ध कर्मचारी अथवा उनके प्रतिनिधि समय समय पर सम्बद्ध अधिकारियों से मिलते रहे हैं और उन्हें स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

## भारत में विदेशी सहयोग से परियोजनायें

2234. **श्री पी० एम० सईद :**

**श्री गुलाम रसूल कोचक :**

**श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी सहयोग से स्थापित होने वाली परियोजनाओं पर राज्य व्यापार निगम भी कार्य कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या उपलब्धि हुई है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) तथा (ख) जी हां। इस सम्बन्ध में कुछ प्रस्तावों पर वार्ताएं चल रही हैं।

## कर अपवंचक

2235. **श्री पी० एम० सईद :**

**श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष आयकर विभाग का मुख्य लक्ष्य बड़े कर दाता और कर अपवंचक होंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या गत महीनों में अर्थात् अप्रैल, मई और जून, 1980 में बड़े कर अपवंचकों पर आयकर छापे मारे गए थे ;

(ग) यदि हां, तो आयकर विभाग के अनुसार अब तक बड़े कर अपवंचकों की कुल संख्या कितनी है ,

(घ) अब तक कितनों का पता लगाया है तथा उनके यहां कितने छापे मारे गये तथा बड़े कर अपवंचकों को कहां तक दंड दिया गया ; और

(ङ) क्या कोई ऐसी मुख्य नीति पर विचार किया जा रहा है जिसके द्वारा देश में कर अपवंचक की प्रवृत्ति को समाप्त किया जा सके ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) :** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आयकर विभाग 'बड़े' कर अपवंचकों की इस प्रकार की कोई पृथक सूची नहीं रखता।

आयकर अधिनियम के अंतर्गत तलाशी लेने और माल पकड़ने की कार्यवाही बड़े अथवा छोटे उन सभी मामलों में की जाती है जहां आयकर आयुक्त निरीक्षण निदेशक के पास उपलब्ध सूचना के परिणामत: यह विश्वास करने के लिए कारण मौजूद है कि संबंधित व्यक्ति के पास कोई ऐसी रकम, सोना-चांदी अथवा अन्य मूल मूल्यवान जिन्स अथवा वस्तु है जो घोषित नहीं की गई है अथवा घोषित नहीं की जायेगी, अथवा ऐसी लेखा-पुस्तकें अथवा अन्य दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं अथवा पेश करने में असफल रहा है, जिन्हें सम्मान के अधीन अथवा कानूनी नोटिस के अधीन पेश किया जाना था अथवा उनके उत्तर में वह किन्हीं लेखा-पुस्तकों अथवा किन्हीं अन्य दस्तावेजों को पेश नहीं करेगा। अप्रैल, 1980 मास के दौरान 316 मामलों में और मई, 1980 में 182 मामलों में तलाशियां ली गयीं और माल पकड़ने की कार्यवाही की गई। इन कार्यवाहियों के दौरान क्रमश: लगभग 119 लाख रुपये और लगभग 98 लाख रुपये मूल्य की ऐसी परिसम्पत्तियां पकड़ी गयीं जो प्रत्यक्षत: हिसाब में नहीं दिखाई गयी पाई गयी। पकड़ी गई सामग्री की जांच की जा रही है। हिसाब में नहीं ली गयी आय की रकम तभी मालूम होगी जब पकड़े गए दस्तावेज और लेखा-पुस्तकों की जांच पूरी हो जाती है, आवश्यक जांच की जाती है और सम्बन्धित व्यक्तियों को अपने स्पष्टीकरण/कैफियत पेश करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जून, 1980 मास से सम्बन्धित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) सरकार कर-अपवंचन की समस्या को, कर कानूनों को अधिक कारगर ढंग से लागू करके हल करने का प्रस्ताव करती है। सरकार कुछ अन्य उपायों पर भी विचार कर रही है, जिनके ब्यौरे अभी नहीं बताये जा सकते।

### स्वदेश भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा को औद्योगिक एककों में लगाना

2236. श्री पी० एम० सईद :

श्री० एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक तथा आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने सुझाव दिया था कि स्वदेश भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा को मुख्यत: निर्यात वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये बने औद्योगिक एककों में लगाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपनी समीक्षा में यह बताया है कि स्वदेश भेजी जाने वाली यह विदेशी मुद्रा भारत में या विदेशों में हो सकती है तथा संसाधनों का उपयोग इस शर्त के बिना होना चाहिये कि यह राशि व्याज सहित वापस विदेशी मुद्रा में चुकाई जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या परिषद् ने बताया है कि ऐसी कार्यवाही से उत्पादन और देश के विदेशी मुद्रा के भण्डार के उपयोग में सहायता मिलेगी तथा इससे देश के विदेशी मुद्रा के भारी अन्तराल में वे अपना स्तर भी बनाये रख सकेंगे ;

(घ) उन्होंने जो प्रतिवेदन दिया है उसकी अन्य मुख्य बातें क्या-क्या हैं ; और

(ङ) क्या सरकार ने परिषद् की सभी सिफारिशों पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो उन्हें कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (ग) जी, हां । सरकार ने राष्ट्रीय व्यावहारिक तथा आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक आर्थिक पत्रिका "मार्जिन" के अप्रैल 1980 के संस्करण में "भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा जनवरी-मार्च, 1980" नामक लेख देखा है । विदेशी मुद्रा भण्डार को मजबूत बनाने के उद्देश्य से, इस लेख में अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त प्रोत्साहनों का भी उल्लेख किया गया है जो विदेशों से विदेशी मुद्रा राशियों को आकर्षित करने के लिए दिए जा सकते हैं । इस सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि सरकार ने ऐसी धनराशियों को आकर्षित करने के लिए पहले से ही विभिन्न उपाय किए हैं । उदाहरण के लिए अनिवासी भारतीय तथा भारतीय मूल के लोग किसी भी क्षेत्र में कार्यरत किसी कंपनी में अपनी पूँजी लगा सकते हैं लेकिन उन्हें इस प्रकार लगाई गई पूंजी और उससे हुई आमदनी को वापस मंगाने का अधिकार नहीं । एक और सुविधा है जिसके अन्तर्गत कुछ चुने हुए उद्योगों की नई कंपनियों के नए शेयरों में लगाई गई पूँजी के 20 प्रतिशत तक की राशि को वापस मंगाने का अधिकार है । ये लोग उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और निर्यात प्रधान उद्योगों में कार्यरत कंपनियों में पूंजी वापस मंगाने के अधिकार सहित 74 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं । यहां यह भी बता दिया जाए कि वर्ष 1979-80 के दौरान पारिवारिक प्रेषणाओं की निर्यात भिन्न सकल आवक प्राप्तियों की अनन्तिम राशि 3128 करोड़ रुपए की है जबकि 1978-79 में यह राशि लगभग 2255 करोड़ रुपए थी ।

जहां तक भारत के विदेशी मुद्रा के अन्तर को देखते हुए, राष्ट्रीय व्यावहारिक तथा आर्थिक अनुसंधान परिषद् के देश के विदेशी मुद्रा भण्डार के विशेषकर उत्पादन परियोजनों के लिए उपयोग के सुझाव का संबंध है, सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के भण्डार को लाभप्रद रीति से उपयोग करने के लिए कई उपाय किए गए हैं । ताकि अर्थ-व्यवस्था के विकास की दर को बढ़ाया जा सके और कीमतों को एक युक्तियुक्त स्तर तक बनाया रखा जा सके । कच्चे माल, मशीनों, अतिरिक्त पुर्जों और खाद्य तेलों जैसी कम मात्र में मिलने वाली वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध की गई है । कोयला, कच्चे तेल, बिजली जैसे मुख्य क्षेत्रों के कार्य निष्पादन और देश के सामान्य आधार-भूत ढांचे में सुधार के लिए जोरदार कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश में उत्पादन बढ़ाया जा सके और जहां तक संभव हो सके आयात की आवश्यकताओं को कम किया जा सके । कई क्षेत्रों में निर्यात के लिए उत्पादन को बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं इसके अलावा 1980-81 के चालू राजकोषीय वर्ष के लिए 15 अप्रैल, 1980 को संसद में प्रस्तुत की गई आयात नीति में निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल की गई हैं जिससे निर्यातों को सहायता मिल सके :—

(1) निर्माता निर्यातक अपने प्रतिपूरक लाइसेंसों (रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस) के बदले अब पहले से कहीं अधिक मदों का अपनी मर्जी से आयात कर सकेंगे ।

(2) शुल्क की छूट के लाभ सहित अग्रिम लाइसेंस देने की योजना का क्षेत्र पहले से अधिक व्यापक बना दिया गया है ।

(3) प्रतिपूरक लाइसेंसों के बदले शुल्क-मुक्त आयात करने की एक योजना शुरू की गई है । शुरू में यह योजना कुछ ही निर्यात उत्पादों पर लागू होती है ।

(4) निर्यात गृहों के लिए आयात नीति को उदार बना दिया है ताकि निर्यात गृह आयातित निवेश्य वस्तुओं की पूर्ति के मामले में निर्यात गृह अपने निर्माताओं को पहले से अधिक सहायता प्रदान कर सकें।

(5) निर्माता निर्यातकों को उनके खपत के मूल्य से 10 प्रतिशत तक के अधिक के कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता के रूप में उनके उत्पादन के 10 प्रतिशत या अधिक के मूल्य के स्वतः लाइसेंस दिए जाएंगे।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय व्यावहारिक तथा आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। उनकी समीक्षा में राष्ट्रीय आय और औद्योगिक उत्पादन, कीमतों और भुगतान शेष आदि के संबंध में यथार्थिक सूचना दी गई है। सरकार किसी भी स्रोत से मिलने वाले सभी प्रकार के लाभदायक सुझावों का स्वागत करती है और इन मामलों की बराबर समीक्षा करती रहती है।

**परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा निर्यातकर्ताओं को कोटा दिया जाना**

2237. **श्री एन० ई० होरो :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 मई, 1980 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (ए०ई०पी०सी०) द्वारा निर्यातकर्त्ताओं को कोटा दिये जाने की वर्तमान प्रणाली के कारण प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) तथा (ख) जी हां। सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है। यह कहना सही नहीं है कि परिषद् द्वारा कोटा वितरित किये जाने के परिणामस्वरूप निर्यातों में करीब 100 करोड़ रु० की हानि होगी। परिषद् द्वारा कोटे का प्रबन्ध करना, उसके कार्यों में से एक है। इसके अलावा परिषद् विभिन्न निर्यात संवर्धन गतिविधियों में लगी हुई है। नीचे दिये गये गत दो वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत से परिधानों के निर्यात में वृद्धि का रुख रहा :—

| वर्ष | भारत से निर्यात किये गये परिधानों का मूल्य (करोड़ रु० में) |
|---|---|
| 1978 | 279 करोड़ रु० |
| 1979 | 380 करोड़ रु० (अनुमानित) |

उद्योग और आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों की जांच
करने के लिए कर्मी दल (टास्क फोर्स)

2238. श्री एन० ई० होरो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योग और आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों की जांच करने और राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुकूल प्रबंधकीय नेतृत्व की भूमिका की परिभाषा करने के लिए किसी विशेष कर्मीदल का गठन करने का है ;

(ख) क्या प्रबंधकीय प्रतिमा को विकसित करने में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सहायता करने हेतु अखिल भारतीय प्रबन्धक संघ द्वारा एक विशेष दल की स्थापना करने सम्बन्धी किसी सुझाव का केन्द्रीय मंत्री ने समर्थन किया था ; और

(ग) यदि हां, तो देश में प्रबन्ध विकास की गति में तेजी लाने के लिए सरकार से प्राप्त हुआ ब्योरा क्या है ?

विप्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) मंत्री महोदय की समुक्ति इस प्रकार है :

"मैं इन तथ्यों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकारी क्षेत्र के उद्यम, अंश-दान तथा अपनी महान अभिवृद्धि एवं विकास दोनों ही दृष्टियों से नियामक भूमिका अदा करते हैं । केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्यमों में लगी पूंजी जहां 1968 में 83 सरकारी उद्यमों में 3333 करोड़ रुपए थी, बढ़ कर आज देश भर के कुल 176 उद्यमों में यह 15,602 करोड़ रुपए हो गई है । इस अवधि के दौरान लगी पूंजी देश में 10.3 प्रतिशत की दर से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । इसके अलावा सरकारी क्षेत्र देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसमें लगभग 18 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। अतः मुझे यकीन है कि अखिल भारतीय प्रबन्धक संघ ने इस विकास को भली भांति खपा लिया है तथा यह इसके गठन, प्रतिनिधित्व एवं संरचना में परिलक्षित होता है । यह अधिक उपयोगी सिद्ध होगा यदि सरकारी उद्यमों में प्रबन्धकीय प्रतिमा विकसित करने में सरकारी ब्यूरो की सहायता के लिए अखिल भारतीय प्रबन्धक संघ के अन्तर्गत कोई विशेष दल कार्य करे ।

(ग) इस विषय में कोई विशेष प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

उपभोक्ताओं को आयातित चीनी उपलब्ध कराया जाना

2239. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 में पहले पांच महीनों के दौरान उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायी गई आयातित चीनी का ब्योरा क्या है ;

(ख) आयातित कुल मात्रा की प्रतिशतता क्या है ;

(ग) देशों से की गई खरीद का ब्योरा क्या है ; और

(घ) इसे किस मूल्य पर खरीदा गया और किस मूल्य पर उसभोक्ताओं को वेचा गया ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) 1980 के पहले पांच महीनों के दौरान कोई चीनी आयात नहीं की गई।

(ग) तथा (घ) राज्य व्यापार निगम ने हाल ही में संविदा करते समय प्रचलित सर्वोत्तम उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर 200,000 मे० टन परिष्कृत चीनी आयात करने के लिए एक संविदा की है। संविदा के अनुसार, आयातित चीनी इजराइल तथा दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर किसी भी क्षेत्र की हो सकती है। आयातित चीनी, लेवी मुक्त चीनी के हिस्से के रूप में लागत जमा आधार पर वेची जाएगी।

### बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा आयकर विवरणी प्रस्तुत किया जाना

2240. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक बड़े औद्योगिक घरानों ने वर्ष 1979-80 के लिये अपनी आय कर विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन बड़े घरानों की कम्पनियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन कम्पनियों ने वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत न करने के क्या कारण बतलाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

### विदेश व्यापार सूचकांक की संगणना

2241. श्री पीयूष तिरकी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में विदेश-व्यापार सूचकांक की संगणना की वर्तमान पद्धति में सुधार करने के लिये एक तकनीकी समिति नियुक्त की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : जी, हां।

### कनारा बैंक में अनुसूचित जातीय एवं अनुसूचित जनजातीय कर्मचारी।

2242. श्री राम विलास पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कनारा बैंक के अनुसूचित जातीय एवं अनुसूचित जनजातीय कर्मचारियों के साथ अधिकारियों के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है ;

(ख) क्या "छुआछूत" को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों द्वारा उनपर अत्याचार किये जाते हैं और गोपनीय रिपोर्ट लिखी जाती है ; और

(ग) क्या कनारा बैंक अनुसूचित जातीय/अनुसूचित जन जातीय कर्मचारी संगठन ने वित्त मंत्री और अधिकारियों से इस सम्बन्ध में शिकायत की है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां, इस संगठन ने एक संसद सदस्य के माध्यम से वित्त मंत्री के पास एक अभ्यावेदन भेजा था और वित्त मंत्री ने इस सम्बन्धी स्थिति उन्हें ठीक से स्पष्ट कर दी है।

## नारियल जटा उद्योग के लिये निर्यात संवर्धन परिषद

2243. सुशीला गोपालन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उद्योग के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की संस्था बनाये जाने के क्या कारण हैं जबकि नारियल जटा बोर्ड इन्हीं कार्यों को इस समय कर रहा है ; और

(ग) इस परिषद् की क्या विशेषताएं होंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) कयर उद्योग के कुछ प्रमुख निर्यातकों ने मुख्यत: पूरी तरह से कयर उद्योग के लिए निर्यात संवर्धन परिषद् स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव इस मंत्रालय को भेजा है। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

## विदेशी ऋण का उपयोग

2244. श्री मूलचन्द डागा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 1980 तक विदेशों से सहायता के रूप में प्राप्त ऋण की कुल राशि कितनी है ;

(ख) उपरोक्त राशि में से सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अलग-अलग कितनी राशि का उपयोग किया गया ;

(ग) उपरोक्त ऋण पर विदेशों को कुल कितनी राशि ब्याज के रूप में प्रतिवर्ष दी जा रही है ; और

(घ) भारत सरकार द्वारा विदेशों के इस पूरे ऋण को कब तक चुका दिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) भारत सरकार को 31 मार्च, 1980 तक विदेशों से सहायता के रूप में ऋणों की कुल 11,373.32 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी।

(ख) विदेशी सहायता भारत सरकार द्वारा प्राप्त की जाती है तथा उस समस्त अर्थ-व्यवस्था के लिए उपलब्ध साधनों के केन्द्रीय पूल में डाल दिया जाता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त

होने वाली सहायता, परियोजना सहायता, परियोजना-भिन्न सहायता तथा कार्यक्रम सहायता के रूप में होती है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कार्यक्रम सम्बंधी सहायता मुख्य रूप से वस्तुओं, फालतू पुर्जों, संघटकों तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात के वित्तपोषण के समर्थन के लिए होती है। ये आयात गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न एककों, संस्थाओं, राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों आदि के उपयोग के लिए होते हैं। इसलिए इन रकमों के सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उपयोग में लाई गई राशि के रूप में अलग-अलग करना संभव नहीं है।

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान उपर्युक्त ऋण सहायता पर दिए जाने वाले ब्याज की राशि 198.73 करोड़ रुपए आंकी गई है।

(घ) संबद्ध ऋण करारों की ऋण परिशोधन अनुसूचियों के अनुसार, 31 मार्च, 1980 तक लिए गए ऋण वर्ष 2030 तक पूरी तरह चुका दिए जाएंगे।

### राजस्थान से वसूल किये गये केन्द्रीय कर

2245. श्री मूलचन्द डागा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राजस्थान से 1975 से 1980 तक की अवधि के दौरान वर्षवार केन्द्रीय करों के रूप में कितनी राशि वसूल की ;

(ख) क्या ऐसी कोई राशि बकाया है ;

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी राशि बकाया है और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनसे यह वसूल की जानी है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जायेगी।

### विमानों के अपहरण की घटनायें

2246. श्री छीतूभाई गामित : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत छह महीनों के दौरान अन्तर्देशीय विमान-सेवाओं में विमान-अपहरण की कोई घटना हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### भारत में एयरबस सेवा आरम्भ किया जाना

2247. श्री छीतूभाई गामित : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में एयर बस सेवा आरम्भ की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो देश के किन-किन बड़े-बड़े नगरों से होकर एयरबस गुजराती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) इन्डियन एयरलाइंस द्वारा एयरबस विमान का परिचालन फिलहाल निम्नलिखित नगरों के लिए किया जा रहा है :—

—बम्बई
—दिल्ली
—कलकत्ता
—मद्रास
—हैदराबाद
—बंगलोर
—त्रिवेन्द्रम्, तथा
—श्रीनगर

पश्चिम बंगाल में बाढ़ राहत

2248. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 में पश्चिम बंगाल सरकार ने बाढ़ राहत पर कितनी राशि खर्च की;

(ख) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि की मंजूरी दी; और

(ग) क्या इन दो राशियों के बीच कोई अन्तर है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) से (घ) 1978-79 में राज्य में बाढ़ से हुई क्षति का मौके पर अध्ययन करने और प्रभावित लोगों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास और क्षतिग्रस्त संपत्ति की मरम्मत तथा पुनःस्थापन के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता के निर्धारण के लिए केन्द्रीय दलों ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों की राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने जांच की और उसकी सिफारिशों पर विभिन्न मदों से संबंधित व्यय की अधिकतम सीमाएं अनुमोदित की गई तथा 88.93 करोड़ रुपए की अग्रिम आयोजनागत सहायता का आवंटन किया गया। मार्च, 1979 में राज्य सरकार ने कुल 93.33 करोड़ रुपए के प्रत्याशित व्यय की सूचना दी। कुछ मदों पर व्यय अनुमोदित उच्चतम सीमा से अधिक था। तथापि, व्यय के लेखापरीक्षित आंकड़ों की प्राप्ति पर समायोजन किए जाने की शर्त के अधीन, राज्य सरकार को अस्थाई आधार पर 88.93 करोड़ रुपए की अग्रिम आयोजनागत सहायता का पूरा आवंटन किया गया। समायोजन अभी किया जाना है।

आयकर विभाग में अपर डिवीजन क्लर्कों को स्थाई करने के लिए
कोटा प्रणाली

2249. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर आयुक्त, दिल्ली ने 17 नवम्बर, 1975 के पश्चात भी अपर डिवीजन क्लर्कों के स्थाई किए जाने के मामले में कोटा प्रणाली लागू की है;

(ख) यदि हां, तो 17 नवम्बर, 1975 को स्थाई बनाने के बारे में जारी किए गए सरकारी आदेशों का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन अपर डिवीजन क्लर्कों, (पदोन्नत) के जिनका भर्ती किए गए यू० डी० सी० द्वारा अधिलंघन किया गया है, स्थाईकरण को ठीक करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

## विमानों के आने जाने में समय की पाबन्दी

2250. श्री टी० आर० शमन्ना : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता चला है कि हाल ही के दिनों में विमानों के आने-जाने के समय में (विशेषतया बंगलौर दिल्ली तक) निश्चित रूप से बहुत विलम्ब होता है; और

(ख) क्या वह इसकी जांच करेंगे तथा यह यूनिट-वार करेंगे कि विमान अपने निर्धारित समय पर आयें जायें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी हां। विलम्ब की सभी घटनाओं की विभिन्न स्तरों पर छानबीन की जाती है और उपचारी कार्यवाही की जाती है। एयर कारपोरेशनों तथा सरकार दोनों ही का यह निरंतर प्रयत्न रहता है कि उड़ान-सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने के साथ-साथ उड़ानों में समय की पाबन्दी भी बनाए रखी जाए।

## त्रिपुरा में रबड़ बोर्ड का कार्यालय

2251. श्री अजय विश्वास : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने त्रिपुरा में अपना कोई कार्यालय खोला है;

(ख) क्या बोर्ड की फारेस्ट प्लान्टेशन कारपोरेशन आफ त्रिपुरा तथा कुछ निजी रबड़ उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ग) वर्ष 1980-81 के लिए त्रिपुरा में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कितनी धन-राशि नियत की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां,

(ख) तथा (ग) रबड़ बोर्ड ने हाल ही में "रबड़ बागान विकास योजना" नामक एक योजना प्रस्तुत की है जिसका उद्देश्य 1980-81 से 1984-85 तक पांच वर्षों की अवधि में केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों के परम्परागत क्षेत्रों तथा गोआ, महाराष्ट्र, त्रिपुरा तथा अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के गैर परम्परागत क्षेत्रों दोनों में कुल 60,000 हेक्टार क्षेत्र में नई पौध

लगाना/पुनर्रोपण करना है। इस योजना के अन्तर्गत रबड़ उपजकर्ताओं और साथ ही संयुक्त क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र/सहकारी क्षेत्र के निगमों को वित्तीय सहायता दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत, जो इस समय सरकार के विचाराधीन हैं, विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं।

### एल्यूमिनियम के लिए नई परियोजनाएं

2252. श्री अरविंद नेताम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार एल्यूमिनियम के लिए नई परियोजनाओं पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय को अन्तिम रूप कब तक दिया जाएगा, और

(ग) इस के विचारार्थ निर्धारित किए गए मानदंड क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार और फ्रांस सरकार ने उड़ीसा में एल्यूमिनियम कम्पलैक्स की स्थापना हेतु हाल में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ज्ञापन के अनुसार फ्रांस सरकार परियोजना के बारे में व्यापक वित्तीय व्यवस्था हेतु एक-मुश्त सौदा प्रस्तुत करेगी। इस बीच, पूंजी-निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा परियोजना की जांच की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में 6,00,000 टन वार्षिक क्षमता के एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना हेतु सोवियत रूस के मैसर्स स्वेतमेतप्रोमक्सपोर्त द्वारा तैयार की गई साध्यता रिपोर्ट इस समय भारत एल्यूमिनियम कंपनी (बालको) के विचाराधीन है। रूसी एजेंसी ने अभी हाल ही में 800,000 टन वार्षिक की उच्च क्षमता के एल्यूमिना संयंत्र की प्रौद्योगिक-अर्थक्षमता के बारे में एक पूरक रिपोर्ट भी दी है। 'बालको' इस समय साध्यता रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। परियोजना की सरकारी मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा समीक्षा कराए जाने के बारे में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) परियोजनाओं का मूल्यांकन तकनीकी, आर्थिक और वित्तीय पैरामीटरों के संदर्भ में किया जाता है।

### मौजूदा एल्यूमिनियम परियोजनाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण

2253. श्री अरविंद नेताम : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार देश में वर्तमान एल्यूमिनियम की परियोजनाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) अलुपुरम प्रदावक की क्षमता को 15,850 टन से बढ़ाकर 20,350 टन वार्षिक करने के लिए मैसर्स

इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लि० से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार हो रहा है। इस संबंध में अतिशीघ्र निर्णय कर लिया जाएगा।

**चालू वर्ष के दौरान स्टेनलेस स्टील का आयात**

2254. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान स्टेनलेस स्टील आयात को बढ़ाकर 30,000 टन तक कर देने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने बाजार मूल्यों में स्थिरता लाने के विचार से आयात रोक देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) समग्र आयातों के लिए कोई आंकड़े निश्चित नहीं किये गये हैं।

(ख) सेल ने सुझाव दिया है कि स्टेनलेस स्टील के आयात की अनुमति देने का निर्णय इस सामग्री के स्वदेशी उत्पादन को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए।

(ग) भावी आयातों की मात्रा निश्चित करते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में दिये गये परन्तु वसूल न हुए ऋण**

2255. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में दिये गये परन्तु वसूल न हो पाये ऋणों की राशि में निरन्तर वृद्धि से बैंक प्राधिकारियों को भारी चिन्ता हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों को दिये गये उक्त ऋणों संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट)** : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्षों में दिये गए कृषि ऋणों की अतिदेय रकमों (ओवरड्यूज) के प्रतिशत इस प्रकार हैं :-

| | |
|---|---|
| जून, 1977 | 51.2 |
| जून, 1978 | 49.8 |
| जून, 1979 | 47.8 |

इन आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि इन ऋणों की वसूली में मामूली सा सुधार हुआ है।

(ख) प्रतिदेय कृषि ऋणों का राज्यवार ब्यौरा, जून, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उपलब्ध है और वह नीचे दिया गया है :-

| राज्य का नाम | कुल बकाया ऋण (लाख रुपये) | प्रतिदेय ऋणों की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| हरियाणा | 6353.37 | 32.1 |
| हिमाचल प्रदेश | 580.48 | 53.2 |
| जम्मू व कश्मीर | 205.90 | 37.4 |
| पंजाब | 8446.52 | 23.6 |
| राजस्थान | 5826.46 | 50.0 |
| चंडीगढ़ | 143.27 | 65.1 |
| दिल्ली | 862.42 | 51.0 |
| असम | 392.80 | 70.2 |
| मणिपुर | 50.00 | 69.9 |
| मेघालय | 60.32 | 73.8 |
| नागालैंड | 8.72 | 30.8 |
| त्रिपुरा | 124.31 | 55.4 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.70 | 57.1 |
| मिजोरम | 0.58 | 56.1 |
| सिक्किम | — | — |
| बिहार | 5864.58 | 64.2 |
| उड़ीसा | 2250.62 | 58.2 |
| पश्चिम बंगाल | 5821.97 | 59.1 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 18.94 | 99.3 |
| मध्य प्रदेश | 7041.46 | 61.1 |
| उत्तर प्रदेश | 13263.63 | 43.5 |
| गुजरात | 6563.79 | 59.8 |
| महाराष्ट्र | 15142.95 | 62.1 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| दादर और नागर हवेली | 2.73 | 63.9 |
| गोग्रा, दमन और दयू | 444.34 | 23.7 |
| आंध्र प्रदेश | 18470.65 | 42.1 |
| कर्नाटक | 13556.29 | 52.6 |
| केरल | 5764.13 | 31.6 |
| तमिलनाडु | 15150.60 | 47.0 |
| लक्षद्वीप | 0.89 | 16.7 |
| पांडिचेरी | 526.31 | 23.1 |
| अखिल भारत | 133938.83 | 49.8 |

### वाणिज्यिक बैंकों की सांविधिक विनियमन अनुपात

2256. श्री गुलाम रसूल कोचक :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंक कूपन दरों में लगातार वृद्धि और समय-समय पर जारी ऋण और पूंजी निवेश के मूल्य में ह्रास के संदर्भ में सांविधिक विनियमन अनुपात को बनाये रखने में होने वाले भार को निरन्तर महसूस कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों ने यह तर्क दिया है कि उन्हें एस० एल० आर० (सांविधिक विनियमन अनुपात) उनके अधिकार में रखी गयी प्रत्याभूतियों के पुस्तक मूल्य पर रखने की अनुमति दी जाये न कि बाजार मूल्य पर जैसा कि अभी है ;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या अन्य कठिनाइयां बताई गयी हैं ;

(घ) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के विचारों की जांच करने पर सहमत हो गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) से (ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत, बैंकों द्वारा रखे जाने वाले, सांविधिक नकदी अनुपात के प्रयोजन के लिए पात्र-परिसम्पत्ति के रूप में समझी जाने वाली अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए जाने वाले भार-मुक्त निवेशों को, वर्तमान बाजार भावों से अनधिक मूल्य पर आंका जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों तथा प्राप्तियों में ऊर्ध्वमुखी समायोजनों के कारण, इस धारा की आवश्यकताओं को पूरा करने में बैंकों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान मे रखते हुए तथा बैंकों को कुछ राहत प्रदान करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह

निर्णय किया है कि उन मामलों में जहां पर बैंकों द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपने निवेशों को वर्तमान बाजार दरों पर आंके जाने के कारण, बैंकों द्वारा विभिन्न रूप में रखी जाने वाली पात्र परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता, 34 प्रतिशत की नकदी अपेक्षाओं से घट जाती है वहां यह मान लिया जाएगा कि उन बैंकों ने 34 प्रतिशत तक नकदी अनुपात बनाए रखने के सम्बन्ध में जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया है बशर्ते कि :—

(1) उन्होंने कम-से-कम 25 प्रतिशत नकदी अनुपात बनाए रखा हो (जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 24 के अनुसार अपेक्षित है।) इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त प्रतिभूतियां बाजार मूल्य से अनधिक मूल्य पर आंकी जाएंगी ; और

(2) उन्होंने 9 प्रतिशत का एक अतिरिक्त नकदी अनुपात बनाए रखा हो—इस प्रायोजन के लिए प्रयुक्त प्रतिभूतियां पुस्तक मूल्य पर आंकी जाएगी जिसमें से बैंक द्वारा अपने निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए यदि कोई उपबन्ध किए गए हों तो उन्हें घटा दिया जाएगा। ये उपबंध उक्त प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में हुए मूल्य ह्रास से अधिक नहीं होने चाहिए।

बैंकों को उक्त रियायतें नवम्बर, 1980 के अंत तक उपलब्ध रहेंगी। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस तारीख तक अपने निवेशों का पुनर्भरण करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसके पश्चात् बढ़े हुए नकदी अनुपात के परिकलन के लिए समय-समय पर निर्धारित प्रतिभूतियों को केवल बाजार मूल्यों पर ही आंका जायेगा।

### मुद्रास्फीति के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा सुझाया गया कार्यक्रम

2257. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने सितम्बर, 1979 में तत्कालीन केन्द्रीय सरकार से कार्यवाही के लिए एक कार्यक्रम सुझाया था जिससे मुद्रास्फीति को रोका जा सके तथा आम आदमी को कुछ राहत मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी है अथवा की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री ने मुद्रास्फीति को रोकने की नीतियों के सम्बन्ध में जो सुझाव दिए हैं, वे 27 सितंबर 1979 को सम्पन्न हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उनके द्वारा दिये गये वक्तव्य का ही अंग है। जिन उपायों का उन्होंने सुझाव दिया है वे विवरण में दिये गये हैं।

(2) इन सुझावों के अंदर उन्होंने जो कुछ कहा है उसका आशय मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात करके पूर्ति की ठीक व्यवस्था करने तथा खाद्य वस्तुओं और दुर्लभ चीजों के निर्यात पर पाबंदी लगाने और बैंक ऋणों के विस्तार को उचित रूप से संयत करके मांग का ठीक प्रबंध करने से है। मुख्य मंत्री ने यह सुझाव

भी दिया है कि रेल यातायात के संभार-तंत्र में सुधार करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए और 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिए खाद्यान्नों के काफी ज्यादा भण्डार वितरित किए जाएं।

(3) सरकार ने मूल्यों की स्थिति पर निकट से नजर रखी है और कीमतों की वृद्धियां रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं उनको जनवरी, 1980 के मध्य से और तेज कर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को फिर से मजबूत बनाया जा रहा है और इस प्रणाली की व्याप्ति और इसके क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। सरकारी भण्डारों के खाद्यान्न को जारी करने का कार्य भी तेज कर दिया गया है। दिसम्बर, 1979 से चीनी के लिए दोहरी मूल्य नीति फिर से लागू की गयी। आवश्यक वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता को, आयात के द्वारा/कम उपलब्ध वस्तुओं के नियमित निर्यात के द्वारा बढ़ाया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा का पर्याप्त मात्रा में आवंटन किया गया है। मुद्रा उपलब्धि तथा बैंक ऋण के अनुचित विस्तार पर नियंत्रण रखने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। समाज विरोधी गतिविधियों को, जैसे कि कालाबाजारी, मुनाफा खोरी तथा जमाखोरी को रोकने के लिए मुनासिब कार्रवाइयां की जा रही हैं। उत्पादन में वृद्धि करने तथा आधारभूत ढांचे के प्रबंध की और कुशल व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सरकार मूल्यों की स्थिति पर सावधानी से नजर रख रही है और वह ऐसे आवश्यक उपाय करके मुद्रास्फीति रोकने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है।

## विवरण

(क) संघ सरकार की सार्वजनिक खरीद तथा वितरण की एक व्यापक व्यवस्था तुरंत बनानी चाहिए, जिसके अंतर्गत मुख्य अनाजों, दालों, नमक, चीनी, सूती वस्त्र, खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल, दियासलाइयों, कागज तथा कपड़ा धोने का साबुन वितरित किया जाए और इस बात की भी सुनिश्चित व्यवस्था की जाए कि इन सब चीजों को सारे देश में एक ही कीमत पर बेचा जाये।

(ख) सार्वजनिक वसूली तथा वितरण के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता देने के लिए 500 करोड़ रुपये की एक विशेष निधि निर्धारित की जानी चाहिये; चालू वर्ष के बजट में से निर्यातकों, बड़े जमींदारों तथा समृद्ध कृषकों तथा निर्माताओं के लिए निर्धारित आर्थिक सहायता की मात्रा को कम करके विशेष निधि के लिए साधन जुटाए जाने चाहिए।

(ग) आगामी बारह महीनों की अवधि में अत्यावश्यक आयात के लिए 1000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा निर्धारित की जानी चाहिए।

(घ) अगले आदेश होने तक, खाद्य वस्तुओं तथा दुर्लभ वस्तुओं का समस्त निर्यात प्रतिबद्ध कर दिया जाना चाहिए; यह पाबन्दी चीनी के निर्यात पर भी लगा देनी चाहिए।

(ङ) चीनी के निर्यात के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता देने के लिए चालू वर्ष के बजट में निर्धारित समस्त राशि का उपयोग आम जनता को 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम पर चीनी सप्लाई करने के लिए किया जाना चाहिए, इसके अलावा, चीनी के वितरण पर उसी तरह से जैसे

पिछले वर्ष तक या फिर से नियंत्रण लगा दिया जाना चाहिए और चीनी के उत्पादन के 80 प्रतिशत भाग को सार्वजनिक वितरण के लिए निश्चित कर दिया जाना चाहिए।

(च) कोयले की कीमतों के मामले में पहले की-सी स्थिति अर्थात् जो 17 जुलाई से पहले थी, फिर से कायम की जाए। इसी प्रकार से सूती वस्त्रों, पेट्रोलियम के उत्पादों तथा दियासलाइयों की कीमतों को भी उसी स्तर पर नीचे ले आना चाहिए जिस स्तर पर वे पिछले केन्द्रीय बजट के पेश किए जाने से पहले थी और यह कार्य उत्पाद-शुल्कों के सप्रायोजन के माध्यम से किया जाना चाहिए।

(छ) राज्य व्यापार निगम की वर्तमान नीति को, जिसके द्वारा आयातित खाद्य तेलों की वाणिज्यिक बिक्री बोली द्वारा की जाती है, पलट दिया जाए और तेलों तथा खाद्य तेलों का समस्त आयात, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए।

(ज) केन्द्रीय सरकार को रेल यातायात के संभार-तंत्र में सुधार करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिए और इसी संदर्भ में रेल कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिए स्थिति पर विचार करना चाहिए।

(झ) एकाधिकार सम्पन्न तथा बड़े औद्योगिक घरानों की वेध-ऋण जरूरतों को तो पूरा किया जाना चाहिये, परंतु उनको दिए जाने वाले ऋण में भारी कमी कर दी जानी चाहिए और नये खाते खोलने की तरकीब से नए नकद ऋणों की प्राप्ति की व्यवस्था उपयोग करने से उनको रोक दिया जाना चाहिए।

(ञ) पूर्ववर्ती दो वर्षों की अवधि में ऋण के विस्तार को उसके सर्वोच्च स्तर के उपयोग की सीमा के 80 प्रतिशत तक सीमित करने के सूत्र का कड़ाई से पालन नहीं किया जाना चाहिये। बैंकों को रुग्ण एककों, छोटे पैमाने के एककों और सार्वजनिक क्षेत्रों के एककों के पक्ष में अपने स्वविवेक से सुधिाएं देनी चाहिए।

(ट) अतिरिक्त रोजगार कार्यक्रमों तथा तथाकथित लघु-उद्योग के लिए आत्म-नियोजित वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों को ऋण दिया जाता है उसे कम नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से, छोटे किसानों, फसल में हिस्सेदारी करने वाले किसानों, निहित भूमियों के अभ्यर्थियों छोटे कारीगरों तथा निर्धन और कमजोर लोगों को जो ऋण दिये जाते हैं, उनके संबंध में पुनर्वित्त तथा अन्य सुविधाओं को कम नहीं किया जाना चाहिए।

(ठ) सामान्य ऋणों पर, जो प्रतिबन्ध लगाया गया है, उसके आधार पर विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले अग्रिमों में और कटौती नहीं की जानी चाहिए।

(ड) उस सिद्धांत का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये जिसके अनुसार खाद्य सम्बन्धी वसूली के लिए दिये जाने वाले अग्रिमों के लिए सरजोही दी जाती है ; और

(ढ) केन्द्रीय भण्डार से खाद्यान्न की काफी ज्यादा मात्रा तुरंत मुहैया की जानी चाहिये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से तथा "काम के बदले अनाज', सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए वितरित हो।

## पश्चिम बंगाल को सीमेंट, चीनी और खाद्य तेल की सप्लाई

2258. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री पश्चिम बंगाल को सीमेंट, चीनी और खाद्य तेल की सप्लाई के बारे में 21 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1522 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च से मई, 1980 तक, महीनेवार, उपरोक्त प्रश्न में उल्लिखित प्रत्येक मद के आबंटन और वास्तविक सप्लाई की स्थिति क्या है ;

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

## स्टील इंगोटों तथा तैयार इस्पात का उत्पादन

2259. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 से 1979-80 के दौरान स्टील इन्गोटों तथा तैयार इस्पात का वर्षवार कितना उत्पादन हुआ,

(ख) इसी अवधि के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के तैयार इस्पात का आयात किया गया, और

(ग) इस्पात के उत्पादन में देश के कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की आशा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्ष 1976-77 से 1979-80 के दौरान छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का इस्पात पिण्ड और विक्रय इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है :-

(हजार टन)

| वर्ष | इस्पात पिण्ड | तैयार इस्पात |
|---|---|---|
| 1976-77 | 8428 | 6922 |
| 1977-78 | 8424 | 6894 |
| 1978-79 | 8152 | 6593 |
| 1979-80 | 8028 | 6039 |

(ख) वर्ष 1976-77 से 1979-80 के दौरान आयात किये गये तैयार इस्पात की मात्रा और मूल्य नीचे दिये गये हैं :-

| वर्ष | मात्रा (टनों में) | मूल्य (लाख रुपए में) |
|---|---|---|
| 1976-77 | 316,109 | 12,971 |
| 1977-78 | 431,743 | 17,872 |
| 1978-79* | 782,201 | 27,360 |
| 1979-80* | 1,159,863 | 40,723 |

*आंकड़े केवल सेल द्वारा तैयार इस्पात के आयात के बारे में हैं ।

(ग) अर्थ-व्यवस्था के लिए सभी प्रकार के इस्पात की आवश्यकता की पूर्ति में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना अपने आप में न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय उद्देश्य है। इस बात को देखते हुए कि इस्पात की कितनी मात्रा में आवश्यकता है और क्या उसका उत्पादन करना मितव्ययी होगा, इन मदों का पूर्णतया तथा आंशिक रूप से आयात करना वांछनीय है। इस प्रकार कुछ पूर्णतया विकसित तथा औद्योगिक दृष्टि से समुन्नत देश भी कुछ प्रकार का इस्पात आयात करते हैं जबकि कुछ अन्य प्रकार का इस्पात निर्यात भी करते हैं।

इस सामान्य दृष्टिकोण को अपनाते हुए सरकार का विचार है कि देश में इस्पात के उत्पादन की योजना इस उद्देश्य से बनाई जानी चाहिए जिससे इस्पात की उन मदों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त की जाए जिनमें आवश्यकता पूरी तरह मालूम हो और आर्थिक दृष्टि से उनका उत्पादन करना लाभप्रद हो। इस दिशा में पहले ही कदम उठाये जा रहे हैं।

### एल्यूमिना संयंत्रों में एल्यूमिना उत्पादन की क्षमता

2260. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या इस्पात और खान मंत्री एल्यूमिना संयंत्रों में एल्यूमिना उत्पादन की क्षमता के बारे में 14 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 496 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल्यूमिना संयंत्रों में एल्यूमिना उत्पादन की क्षमता क्या है और पिछले वर्ष इसका वास्तविक उत्पादन कितना हुआ था ;

(ख) उसी वर्ष इसका कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ; और

(ग) क्या सरकार ने देश में ही एल्यूमिना का उपयोग करने की कोई योजना बनाई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) कोरबा एल्यूमिना संयंत्र की स्थापित क्षमता 200,000 टन वार्षिक है। लेकिन, प्रौद्योगिकी तथा डिजाइन संबंधी कठिनाइयों के कारण, उपलब्ध क्षमता लगभग 150,000 टन वार्षिक है। 1979-80 के दौरान 116,640 टन उत्पादन हुआ।

(ख) 78,793 टन।

(ग) कोरबा एल्यूमिना संयंत्र कोरबा प्रद्रावक के गृहीत संयंत्र के रूप में बनाया गया है। यदि प्रद्रावक को जरूरत की पूरी बिजली मिलने लगे तो देश में या देश के बाहर बिक्री के लिए एल्यूमिना उपलब्ध नहीं होगा। एल्यूमिना उत्पादन का नियमन प्रावस्था-क्रम से प्रदावक के चलाए जाने पर उसकी अपेक्षित मात्रा और प्राप्त निर्यात आदेशों में उल्लिखित मात्रा को ध्यान में रख कर किया जाता है।

### पंजाब नेशनल बैंक, चांदनी चौक, दिल्ली के कमरे को तोड़ा जाना।

2261. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 मई, 1980 को पंजाब नेशनल बैंक, चांदनी चौक, दिल्ली के सुरक्षित कक्ष (स्ट्रांग रूम) को तोड़ने का प्रयास किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि प्राधिकारियों को इस बात का 19 मई, अर्थात् सोमवार को पता चला ;

(ग) यदि हां, तो पूरा ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या पुलिस को इस की शिकायत दर्ज कराई गई थी ,

(ङ) यदि हां, तो कब और किस को और उस से संबंधित पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट)** : (क) से (च) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि 19 मई, 1980 की सुबह शाखा प्रबंधक तथा अन्य कर्मचारियों ने यह देखा कि बैंक की चांदनी चौक शाखा के स्ट्रांग रूम और सेफ डिपाजिट वोल्ट को तोड़ कर खोलने की कोशिश की गई है । हालांकि, इस घटना का सही समय तो नहीं पता चल सका फिर भी यह समझा जाता है कि यह घटना शनिवार दिनांक 17 मई, 1980 की रात और सोमवार दिनांक 19 मई, 1980 के सुबह तड़के के बीच किसी समय घटित हुई । शाखा प्रबंधक ने इस घटना की रिपोर्ट 19 मई, 1980 को लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन में कर दी और उड़न दस्ते को भी सूचित कर दिया । बैंक को कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई । पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी। बैंक के चौकीदार तथा एक लिपिक सहित चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस जांच अभी चल रही है ।

### स्वर्ण नीति का पुनरीक्षण करने के लिये नियुक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्णय

2262. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या वित्त मंत्री रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा नीलामी किए गए स्वर्ण के बारे में 14 मार्च, 1980 के अतरांकित प्रश्न संख्या 572 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नीति का पुनरीक्षण करने के लिए नियुक्त समिति के प्रतिवेदन की जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या हैं और उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : (क) और (ख) स्वर्ण नीति समीक्षा समिति, 1979 की रिपोर्ट की प्रतियां, माननीय सदस्यों के अवलोकन के लिए संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं । श्री पुरी की रिपोर्ट मिलने पर ही, समिति की सिफारिशों पर निर्णय लिया जायगा ।

### एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स का पुनर्गठन

2263. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के वर्तमान ढांचे के पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में व्यक्त किए गये विचारों का ब्योरा क्या है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) :** (क) एयर इन्डिया तथा इन्डियन एयरलाइन्स की प्रबंध संरचना का अलग-अलग अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति करके, पहले ही पुनर्गठन किया जा चुका है। इन दोनों कारपोरेशनों के निदेशक-मंडलों को भी 18.6.80 से दो वर्ष की अवधि के लिये पुनर्गठित कर दिया गया है।

(ख) पहले निदेशक-मंडलों की कार्यकाल की अवधि समाप्त हो गयी थी।

(ग) कृपया संलग्न विवरण देखें।

विवरण

| एयर-इंडिया | | इंडियन एयरलाइन्स | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | |
| 1. श्री रघुराज, अध्यक्ष-व- प्रबन्ध निदेशक एयर इण्डिया | अध्यक्ष | 1. श्री ए० एच० मेहता अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक इन्डियन एयरलाइन्स | अध्यक्ष |
| 2. श्री चरणजीत सिंह, संसद सदस्य | निदेशक | 2. श्री चरणजीत सिंह, संसद सदस्य | निदेशक |
| 3. श्री सी० बी० जैन, पर्यटन के महानिदेशक | ,, | 3. श्री ए० एन० हकसर, उद्योगपति | ,, |
| 4. ए०सी०एम०आई०एच० लतीफ, वायुसेनाध्यक्ष | ,, | 4. सी० बी० जैन, पर्यटन के महानिदेशक | ,, |
| 5. फील्ड मार्शल एस० एफ० एच० जे० मानेक्शा | ,, | 5. ए०सी०एम०आई०एच० लतीफ, वायुसेनाध्यक्ष | ,, |
| 6. श्री ए० एच० मेहता, अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक इन्डियन एयरलाइन्स | ,, | 6. श्री एम० एस० ओबेराय उद्योगपति | ,, |
| 7. श्री बी० डी० पाण्डा, उद्योगपति | ,, | 7. श्री रघु राज, अध्यक्ष-व-प्रबन्ध निदेशक एयर इन्डिया | ,, |
| 8. श्री एस० रामनाथन्, अध्यक्ष, भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण | ,, | 8. श्री एस० रामनाथन् अध्यक्ष, भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण | ,, |

| 1 | | 2 | |
|---|---|---|---|
| 9. श्री जे०आर०डी० टाटा, उद्योगपति | ,, | 9. श्री बी० वेंकटरामन, सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय | ,, |
| 10. श्री बी० वेंकटरामन सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय | ,, | | |

### सिले सिलाये वस्त्रों का निर्यात

2264. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान कितनी मात्रा में सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात हुआ ;

(ख) क्या इस व्यापार में कोई बहु-राष्ट्रीय कंपनी कार्यरत है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या किसी विदेशी फर्म ने सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात करने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी फर्म का नाम क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) कलैन्डर वर्ष 1978 और 1979 के दौरान सिले सिलाए परिधानों के निर्यात क्रमश: 279 करोड़ रु० (अनन्तिम) और 380 करोड़ रु० (अनुमानित) के मूल्य के हुए ।

(ख) यह जानकारी अलग से संकलित नहीं की जाती ।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) परिधानों के निर्यातों के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

### दुर्लभ वस्तुओं का निर्यात

2265. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किन्हीं दुर्लभ वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं के नाम क्या हैं और 1978-79 और 1979-80 के दौरान उनके निर्यात का मूल्य क्या था ; और

(ग) ऐसी वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में सरकार के निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार का मुख्य उद्देश्य, निर्यातों को अधिकतम सीमा तक बढ़ावा देना है किन्तु यह इस ढंग से हो कि देश में आवश्यक रूप से जरूरी मदों के अनियमित निर्यातों से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। आंतरिक पूर्ति एवं मांग स्थिति को देखते हुए, जिसमें समय समय पर परिवर्तन होने की गुंजाइश होती है, संबंधित मंत्रालयों/विभागों से समय समय पर परामर्श करके विशिष्ट वस्तुओं संबंधी निर्यात नीति की समीक्षा की जाती है।

## बिहार में डाल्टनगंज के लिये विमान सेवा

2266. कुमारी कमला कुमारी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार डाल्टनगंज के लिए निकट भविष्य में विमान सेवा की व्यवस्था करने का है ;

(ख) क्या भुवनेश्वर से दिल्ली आने वाले विमान रांची, डाल्टनगंज तथा पटना से हो कर आयेंगे , और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) यातायात की दृष्टि से कोई संबद्धता नहीं है।

## चाय बोर्ड के मुख्य कार्यालय को कलकत्ता से गोहाटी स्थानान्तरित करना

2267. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से अनुरोध किया गया है कि चाय बोर्ड के मुख्य कार्यालय को कलकत्ता से गोहाटी अथवा जोरहाट स्थानान्तरित कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) हाल ही में इस आशय का एक सुझाव प्राप्त हुआ है।

(ख) सरकार का चाय बोर्ड के मुख्य कार्यालय के स्थान में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते में वृद्धि

2268. श्री के० मालन्ना : क्या वित्त मंत्री केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान

किराये भत्ते की दरों में वृद्धि के बारे में 14 मार्च, 1980 के प्रतारांकित प्रश्न संख्या 613 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराये का बढ़ा हुआ भत्ता देने के बारे में निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) से (ग) इस प्रश्न पर विचार करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) की समिति की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

### पर्यटन और होटल व्यवसाय को उद्योग के रूप में मान्यता देना

2269. श्री के० मालन्ना : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन और होटल व्यवसाय को "उद्योग" के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या उन्होंने इस बारे में कोई संकेत भी दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के निर्णय का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) जी, हां । होटल व्यवसाय को निर्यात अभिमुखी उद्योगों के बराबर लाने की व्यवहार्यता पर सरकार विचार करती रही है । इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

### चिट फंड व्यापार का नियमन

2270. श्री के० मालन्ना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में चिट फंड व्यापार को नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि रिजर्व बैंक और सरकार को समय-समय पर मालूम होने वाले कदाचारों को रोकने में मदद मिल सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में कुछ राज्यों के अपने अलग कानून हैं ; और

(ग) क्या राज्यों द्वारा बनाये गये कानून इस सम्बन्ध में अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ख) इनामी चिट और धन परिचालन योजना के संचालन पर, इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी)

अधिनियम, 1978 से लागू हो गयी है, पाबंदी लगा दी गई है। जहां तक परम्परागत चिट फंडों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार, उनका विनियमन करने के लिए अखिल भारतीय अधिनियम बनाने पर विचार कर रही है। इस समय कुछ राज्यों में इससे सम्बन्धित अपने ही कानून हैं।

(ग) चूंकि कुछ राज्यों द्वारा चिट फंड के लिए बनाये गये कानून, राज्यों द्वारा ही शासित किये जाते हैं इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

## गुजरात में हवाई अड्डे

2271. श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ और हवाई अड्डे खोलने अथवा मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में ऐसे कितने हवाई अड्डे बनाए जाएंगे तथा उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गुजरात राज्य में कितने हवाई अड्डों की मरम्मत अथवा विस्तार किया जाएगा और उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) केरल राज्य में कालीकट के निकट करीपुर में तथा अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह में पोर्ट ब्लेयर के पास कालीकट में दो नये विमान क्षेत्रों के निर्माण का प्रस्ताव है। वर्तमान विमान क्षेत्रों का विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और उसकी योजना संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप परिचालनात्मक अपेक्षाओं के आधार पर तैयार की जाती है। गुजरात राज्य में अहमदाबाद, बड़ौदा, भुंज, भावनगर, राजकोट पोरबन्दर, जामनगर तथा केशोद में विकास कार्य या तो पहले से ही चल रहे हैं, या उन्हें आरम्भ कर देने का प्रस्ताव है।

## ईरानी प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा

2272. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पक्का पता लगाने के लिए इस माह के दौरान एक उच्चस्तरीय ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा की थी कि पश्चिमी देशों के साथ ईरान के विवाद से व्यापार, औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में जो क्षति हुई है उसे भारत किस सीमा तक भर सकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ की गई वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) ईरान के साथ किये गये विभिन्न व्यापारिक सौदों का विवरण क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) ईरान के इस्लामी गणराज्य के वाणिज्य मंत्री महामहिम मि० रेजा सदर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल

इस मास के प्रारम्भ में भारत आया। इस प्रतिनिधिमंडल के साथ हुए विचार विमर्श व्यापार तथा आर्थिक सहयोग से संबंधित थे। व्यापार, उद्योग, नौवहन, परिवहन तथा रेलवे, कृषि, और आयोजना तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग के कुछ संभव क्षेत्रों का पता लगाया गया। व्यापार सम्बन्धी एक समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया जिसकी 1974 के व्यापार करार के अनुसार बारी बारी से तेहरान और नई दिल्ली में समुचित स्तरों पर बैठक होगी।

## विमानन नीति को उदार बनाना

2273. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानन नीति को उदार बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) :** (क) और (ख) सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि विमानन नीति में किस प्रकार संशोधन किया जाए ताकि भारत आने वाले पर्यटकों के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। विस्तृत ब्यौरा सरकार द्वारा इस विषय में कोई निर्णय लिये जाने के बाद मालूम हो सकेगा।

## घरेलू युवा पर्यटन को प्रोत्साहित

2274. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का घरेलू युवा पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए किसी निधि की स्थापना करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) :** (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी किसी निधि के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है जो स्वतः ही स्वदेशी युवा पर्यटन की अभिवृद्धि कर सके। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने यूथ ट्रैवल को प्रोत्साहन देने के लिए देश में 16 यूथ होस्टलों की एक श्रृंखला निर्मित की है। एक यूथ होस्टल निर्माणाधीन है और दूसरे के लिए 1979-80 के दौरान संस्वीकृति जारी की गई थी। केन्द्रीय पर्यटन विभाग गुलमर्ग में हिमभारती (इंस्टिट्यूट आफ स्कीइंग एण्ड माउन्टेनेरिंग) के माध्यम से हमारे युवाओं के लिए शरदऋतु में हिम-स्कीइंग और ग्रीष्म ऋतु में जल-स्कीइंग पाठ्यक्रम भी अर्पित करता है जिससे यूथ ट्रैवल को मनोरंजन प्रधान कार्यकलापों के संवर्धन सहित प्रस्तुत किया जाता है। हमारे युवाओं के लिए यह वित्तीय इमदाद भी देता है तथा विभिन्न ट्रैकिंग कार्यक्रमों के आयोजन में स्कीम-प्रशिक्षकों की निःशुल्क आधार पर सेवाएं अर्पित करते हुए सहायता प्रदान करता है। केन्द्रीय सरकार भी यूथ होस्टल्स एसोसिएशन आफ इण्डिया को, जो युवा पर्यटन की अभिवृद्धि करती है, वार्षिक रूप से सहायक अनुदान देती है। इस प्रकार युवा पर्यटन का संवर्धन

करने हेतु किसी खास निधि के न होते हुए भी स्वदेशी युवा पर्यटन की अभिवृद्धि करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने कई कार्यक्रम आरम्भ किये हैं।

### दिल्ली में नाप और तोल के लाइसेंसों का जारी किया जाना

2275. श्री धर्मदास शास्त्री : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में बाटों और मापकों की थोक और खुदरा बिक्री हेतु नाप और तोल नियंत्रक द्वारा लाइसेंस जारी किये जाने के लिये क्या-क्या नियम और विनियम बने हुए हैं;

(ख) मार्च, 1980 से 5 मई, 1980 तक, क्षेत्रवार और फर्म-वार, ऐसे कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ग) क्या ऐसा कोई लाइसेंस किसी ऐसी फर्म को भी दिया गया है, जिसके विरुद्ध गत वर्ष अथवा इस वर्ष विभाग में शिकायतें प्राप्त हुई थीं ?

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) लाइसेंस, राजस्थान बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1958, जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लागू हैं तथा उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों के तहत जारी किये जाते हैं।

(ख) मार्च से 5 मई, 1980 के दौरान निम्नांकित फर्मों को दो लाइसेंस जारी किये गये थे :—

(1) मैसर्स रोमा पेन्ट एण्ड हार्डवेयर, 104/3, मीनाक्षी गार्डन, नई दिल्ली।

(2) मैसर्स अग्रवाल ब्रदर्स, ई-56, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, दिल्ली।

(ग) जी हां, एक फर्म के मामले में।

### गंगटोक–कलकत्ता और कूच-विहार–कलकत्ता मार्गों के लिये तीसरी विमान सेवा

2276. श्री अमर राय प्रधान : : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शीघ्र ही एयर टैक्सी जैसे छोटे विमानों वाली एक वायु सेवा का संचालन प्रारम्भ किया जा रहा है; और

(ख) क्या गंगटोक-कलकत्ता और कूच-बिहार-कलकत्ता हवाई मार्गों को इस तीसरी विमान सेवा के अन्तर्गत लाया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) तीसरी वायु सेवा तथा एयर टैक्सी सेवा के परिचालन के सामान्य प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं और इन पर शीघ्र ही कोई निर्णय ले लिए जाने की सभावना है।

(ख) इस विषय पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

### खुले बाजार में डालरों, मार्क्स तथा येन की खरीद के बारे में निर्णय

2277. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने खुले बाजार में डालरों, मार्क्स तथा येन की खरीद करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक भारत सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा खरीद ली है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) और (ख) सम्भवतः, माननीय सदस्य का आशय भारतीय रिजर्व बैंक अमेरिकी डालर ड्यूशमार्क और जापानी येन खरीदे जाने के लिए दरों का हिसाब लगाने के वास्ते अपनाए गए तरीके में हाल में किए गए परिवर्तन से है ।

2. भारतीय रिजर्व बैंक, 2 जून, 1980 से प्राधिकृत डीलरों से अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजारों की सबसे हाल की दरों और प्रवृत्तियों पर आधारित दरों पर अमेरिकी डालर, ड्यूशमार्क और जापानी येन की हाजिर और वायदा दोनों किस्म की खरीद कर रहा है, जबकि इसके विपरीत पहले रिजर्व बैंक इन करेंसियों की खरीद लंदन के बाजार में एक दिन पहले के कार्य दिवस के बन्द भावों पर आधारित दरों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक की पौंड स्टलिंग की दर के आधार पर करता था ।

3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत डीलरों से 2 जून, 1980 से 20 जून, 1980 तक (सबसे हाल का उपलब्ध विवरण) खरीदी गई विदेशी करेंसियों की राशियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

| | (करोड़ रुपए) |
|---|---|
| पौण्ड स्टर्लिंग | 150.03 |
| अमेरिकी डालर | 51.71 |
| ड्यूशमार्क | 2.57 |
| जापानी येन | शून्य |

### एल्यूमिनियम की कमी

2278. श्री जय नारायण रोट : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि एल्यूमिनियम की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ा है ; और

(ग) क्या इस स्थिति से निपटने के लिए कोई उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) एल्यूमिनियम प्रदावकों पर लागू बिजली कटौतियों के कारण एल्यूमिनियम के उत्पादन में सितम्बर, 1979 से काफी कमी

आई है। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता इकाइयों को एल्यूमिनियम की उपलब्धि में कमी हुई है।

(ख) और (ग) इस कमी का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विशेषतया बिजली क्षेत्र पर भारी असर पड़ा है। इस असर को कम करने के उद्देश्य से खनिज और धातु व्यापार निगम को ई०सी० व सी०जी० दोनों ग्रेड के धातुओं का पर्याप्त मात्रा में आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ताकि मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा किया जा सके। खनिज और धातु व्यापार निगम ने आयातित एल्यूमिनियम की पर्याप्त मात्रा निर्माण इकाइयों को उपलब्ध की है। उच्च स्तर पर सम्बन्धित राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे एल्यूमिनियम प्रद्रावकों के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई सुनिश्चित करें ताकि उनकी उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

**समाज के कमजोर वर्गों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण**

2279. **श्री आर० के० म्हालगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को बिना कोई गारन्टी लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से 4000 रुपये तक की राशि का ऋण देने की एक योजना तैयार की है ;

(ख) उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और यह योजना संभवतः कब आरम्भ हो जायेगी ; और

(ग) क्या उक्त योजना में कोई प्रतिबन्धों तथा सीमाओं सम्बन्धी प्रावधान भी होंगे, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोट)** : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त, 1979 में जारी किये गए अनुदेशों के अंतर्गत यह शर्त रखी गई है कि कृषि और तत्सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए दिये जाने वाले सभी ऋणों की एक हजार तक की राशि केवल करार अथवा मांग वचन-पत्र (डिमांड प्रामिसरी नोट) के आधार पर दी जाएगी। पांच हजार रुपये तक के ऋणों के लिए फसलों अथवा ऋण राशि से निर्मित चल परिसम्पत्ति के दृष्टिबंधन (हाईपोथेकेशन) को छोड़ कर कोई अतिरिक्त गारन्टी अथवा जमानतें आवश्यक नहीं होंगी।

(ग) इन अनुदेशों के संबंध में कोई अन्य प्रतिबंध अथवा सीमाएं नहीं हैं।

**कच्चे पटसन की गांठें खरीदना**

2280. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने केन्द्र को यह अनुरोध करते हुए एक तुरन्त पत्र भेजा है कि आगामी मौसम में कच्चे पटसन की कम से कम 20 लाख गांठें खरीदने के लिए भारतीय पटसन निगम को निदेश दिया जाए ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक पर्याप्त ऋण की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगा ; और

(ग) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम और भारतीय खाद्य निगम कच्चे पटसन के भण्डार के लिए गोदामों में स्थान उपलब्ध करवायेंगे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) भारतीय पटसन निगम, 1980-81 के दौरान अपने वसूली कार्य के लिए ऋण तथा भण्डारण स्थान प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक तथा अन्य प्राधिकरणों से संपर्क बनाए हुए है ।

**राष्ट्रीय पटसन कपड़ा निगम**

2282. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के समान राष्ट्रीय पटसन वस्त्र निगम की स्थापना की गई है ;

(ख) इसकी संरचना एवं प्रबंध सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) निगम द्वारा "बीमार" एककों के रूप में कितनी पटसन मिलें चलाई जा रही हैं ; और

(घ) क्या निगम कच्चे पटसन और पटसन से बनी वस्तुओं के विपणन के लिए अपनी स्वतन्त्र एजेन्सी की स्थापना करेंगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम लिमिटेड को, जोकि एक सरकारी कम्पनी है, 3 जून, 1980 को निगमित किया गया है और इसका पजीकृत कार्यालय पश्चिम बंगाल राज्य में रखा गया है । जिन मुख्य उद्देश्यों के लिए इस कम्पनी की स्थापना की गई है वे ये हैं :—

(1) पटसन विनिर्माण का कार्य करना ;

(2) पटसन विनिर्माण कार्य से संबंधित किसी भी व्यक्ति अथवा कम्पनी के व्यवसाय/सम्पत्ति आदि का अधिग्रहण करना तथा उत्तरदायित्व संभालना ;

(3) इसके द्वारा अधिगृहीत किसी भी कम्पनी/व्यक्ति के व्यवसाय का प्रबंध संचालन करना ;

(4) पटसन मिलें स्थापित करना और पटसन गेस्टा तथा अन्य रेशों के कताईकारों/बुनकरों, रंगकारों आदि के व्यवसाय का संचालन करना और पटसन तथा अन्य रेशों के क्रेताओं/विक्रेताओं तथा व्यापारियों का कार्य करना और खरीदारी तथा गांठें तैयार करने आदि का कार्य करना ;

(5) ऐसे कतिपय अन्य व्यवसायों का संचालन करना, जो मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति में आनुषंगिक अथवा सहायक हैं, जिनमें यदि यह चाहें तो कच्चे पटसन की खरीद तथा पटसन माल का विपणन कार्य भी शामिल है।

कम्पनी का प्रबन्ध संचालन निदेशक मण्ड़ल द्वारा किया जाएगा जिनकी संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 14 होगी। कम्पनी के अध्यक्ष की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रथम निदेशक मंडल की घोषणा 11 जून, 1980 को कर दी गई है जिसमें 9 निदेशक शामिल हैं, और इसी दिन नेशनल कम्पनी लिमिटेड के अधिकार, स्वामित्व और उत्तर-दायित्व राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम में निहित कर दिये गए हैं।

**विदेश व्यापार घाटे का विदेशी मुद्रा कोष पर प्रभाव**

**2283. डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 में विदेशी व्यापार घाटा वर्ष 1979-80 के दौरान हुए घाटे से काफी अधिक हो सकता है ;

(ख) भारी मात्रा में दिये जाने वाले आयात के बिल चुकाने के कारण विदेशी मुद्रा कोष में अनुमानतः कितनी कमी आयेगी ; और

(ग) विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने और भावी प्रगती पर इसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए सरकार को क्या करने की योजना है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) :** (क) जी, हां।

(ख) विदेशी मुद्रा भंड़ार में होने वाली वृद्धि अथवा कमी आयात, निर्यात, अदृश्य राशियों के परिणाम स्वरूप देश में धन के आने/बाहर जाने और पूंजीगत लेनदेनों जैसे दूसरे देशों के साथ भारत के लेनदेनों के निवल परिणामों की द्योतक होती है। इसलिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में होने वाले परिवर्तनों को केवल देश के आयात बिल से जोड़ना ठीक नहीं होगा। फिर भी, भारत के आयात बिल में 1979-80 के मुकाबले 1980-81 में पर्याप्त वृद्धि होने का अनुमान है। इसलिए वर्ष 1980-81 के दौरान विदेशी मुद्रा भण्डार में भारी कमी होने की प्रत्याशा है।

(ग) सरकार विदेशी मुद्रा भण्डार पर पड़ने वाले दबाव पर काबू पाने और उसकी भावी वृद्धि के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए अनेक कदम उठा रही है, जिनमें ये शामिल हैं :

(1) कोयला, बिजली, रेल,पतन जैसे मुख्य क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन और सामान्य मूल-भूत ढांचे में सुधार के उपाय करना ताकि औद्योगिक क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित हो सके और आन्तरिक उत्पादन में सुधार करना तथा आयात की आवश्यकताओं को भी यथासंभव कम करना।

(2) निर्यात की क्षमता वाली मदों के उत्पादन पर जोर देने जैसे निर्यात को बढ़ाने के प्रयत्न करना ताकि निर्यात के लिए बड़ी मात्रा में माल उपलब्ध हो सके ; निर्धारित मूल्य (वेल्यू एडिड) की मदों और खासतौर से निर्मित और अर्धनिर्मित

वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देना ; नौवहन की और पत्तनों पर भीड़ भाड़ की समस्याओं को हल करना और विदेशों में विपणन संबंधी अधिसूचना का समन्वय करना और उसे सुदृढ बनाना।

(3) चालू राजकोषीय वर्ष 1980-81 के लिए आयात नीति में निर्यात को प्रधानता दी गई है।

(4) देश में भेजी जाने वाली राशियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अन्य योजनाओं के साथ साथ निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं :—

(1) अनिवासी (स्वदेशी) खाता योजना, जिनके अन्तर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीयों को रुपए में विनिर्दिष्ट खाते खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे खातों की शेष राशि मुक्त रूप से वापस ली जा सकती है और जमा राशि पर होने वाली आय भारतीय आयकर से मुक्त होती है।

(2) विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना जिसके अन्तर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीयों को विनिर्दिष्ट करेंसियों (पौंड स्टर्लिंग अथवा अमेरिकी डालर) में खाते खोलने की अनुमति दी गई है और मूलधन और उन पर मिलने वाला ब्याज जो आयकर से मुक्त होता है, उसी करेंसी मे वापस लिया जा सकता है।

(3) कतिपय औद्योगिक उपक्रमों में निवेश की अनुमति की योजना जिसके अन्तर्गत निवेश की 74 प्रतिशत राशि वापस ली जा सकती है।

(4) नई भारतीय कम्पनियों के नए सामान्य शेयरों में 20 प्रतिशत तक पूंजी निवेश की अनुमति की योजना जिसे वापस लिया जा सकता है ; और

(5) स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा का हकदारी योजना (रिटर्निंग इंडियन्स फारेन एन्टाइटलमेंट स्कीम) जिसके अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों को पहली नवम्बर, 1977 को अथवा उसके बाद भारत में अपने निवास का स्थानान्तरण करने पर, 10 वर्ष की अवधि तक देश में भेजी गई अथवा सामान्य बैंकों के माध्यम से लाई गई विदेशी मुद्रा के 25 प्रतिशत तक राशि विदेश यात्रा, डाक्टरी इलाज, विदेशों में बच्चों की शिक्षा, निकट संबंधियों को उपहार, व्यावसायिक उपयोग के लिए विशेष उपकरणों के आयात बशर्ते कि आयात लाइसेंस संबधी औपचारिकताएं पूरी की गई हों, जैसे प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई हैं।

देश में भेजी जाने वाली राशियों के संबंध में सुविधाओं और प्रक्रियाओं आदि की बराबर समीक्षा की जाती है ताकि देश में भेजी जाने वाली राशियों को प्रोत्साहन दिया जा सके और विदेशी मुद्रा भण्डार को बढाया जा सके।

### बम्बई उच्च न्यायालय में आय कर और सीमा सम्पत्ति कर से संबंधित लंबित अपीलें

2284. डा० बसंत कुमार पंडित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालय स्तर पर आय कर और सम्पत्ति कर के मामलों और अपीलों पर निर्णय लेने में अत्यधिक विलम्ब होता है ;

(ख) यदि हां, तो बम्बई उच्च न्यायालय में आय कर तथा सम्पत्ति कर के कुल कितने मामले, अपीलें लम्बित है ; उनमें से कितनी 7 वर्ष, 5 वर्ष और 3 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है ;

(ग) क्या बम्बई में आयकर और सम्पत्ति कर के विभिन्न आयुक्तों ने सरकार से अनुरोध किया है कि उच्च न्यायालय में आयकर और सम्पत्ति कर की अनिर्णीत पड़ी अपीलों का निपटान करने के लिए एक विशेष बैंच नियुक्त किया जाए ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) :** (क) जी, हां । सामान्यतया बम्बई उच्च न्यायालय को आयकर तथा धनकर संबंधी मामलों के निपटान में लगभग 9 वर्ष लगते हैं ।

| | आयकर | धनकर |
|---|---|---|
| (ख) बम्बई उच्च न्यायालय में विचाराधीन पड़े आयकर तथा धन कर संबंधी मामलों/अपीलों की कुछ संख्या उपर्युक्त में से | 3410 | 334 |
| (1) 7 वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन मामले | 213 | 31 |
| (2) 5 वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन मामले | 561 | 68 |
| (3) 3 वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन मामले | 1396 | 169 |

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

## ब्रिटेन से सहायता

2285. **श्री मीकू राम जैन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की सरकार ने भारत को दी जाने वाली सहायता को उच्च प्राथमिकता न देने और उसके स्तर में वृद्धि न करने का निर्णय किया था ।

(ख) ब्रिटेन मे इस समय कितनी मात्रा में सहायता मिलती है;

(ग) क्या सहायता की वर्तमान मात्रा बहुपक्षीय एजेंसियों, जिन्हें ब्रिटेन समर्थन देता है, से उपलब्ध किए जा रहे संसाधनों के उचित अनुपात में हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार ब्रिटेन से यह अनुरोध करने का है कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, और

(ङ) उसका ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मगन भाई बारोट)** : (क) यूनाइटेड किंगडम सरकार ने विदेशी सहायता सहित सरकारी खर्चे में कटौती करने की अपनी नीति के संदर्भ में सूचित किया है कि निकट भविष्य में भारत को दी जाने वाली ब्रिटिश सहायता में वृद्धि करना सम्भव नहीं होगा। तथापि, उपलब्ध साधनों के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम की सरकार हमारे विकास प्रयत्नों के लिए सहायता जारी रखने की इच्छुक है।

(ख) 19 मार्च, 1980 को 1141.8 लाख पौंड स्टर्लिंग के ब्रिटिश अनुदानों के करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

(ग) यद्यपि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्रोतों से उपलब्ध सहायता के बीच किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष परस्पर संबंध नहीं है फिर भी भारत को दी जाने वाली ब्रिटिश सहायता द्विपक्षीय सहायता का एक बड़ा भारी स्रोत है।

(घ) तथा (ङ) हमारे विचार पहले ही ब्रिटिश सरकार को द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान तथा अन्य सरकारी सम्पर्कों के माध्यम से पहुंचा दिए गए हैं।

### भारत सोवियत संयुक्त उद्यम

2286. **श्री मीकू राम जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हमारे उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में इस समय चल रही भारत-सोवियत संयुक्त परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) सोवियत संघ की सहायता से किन-किन परियोजनाओं का विकास अथवा विस्तार करने का विचार है ; और

(ग) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)** : (क) तथा (ख) सोवियत संघ से प्राप्त सहायता से भारत में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में 50 से भी अधिक परियोजनाएं हैं। सोवियत ऋण की सहायता से स्थापित अथवा स्थापित की जा रही परियोजनाओं की, जो मुख्यत: सरकारी क्षेत्र में हैं, एक सूची संलग्न है।

(ग) आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग हेतु अन्त: सरकारी भारत-सोवियत संघ संयुक्त आयोग की जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी, बैठक प्रति वर्ष होती है और भारत और सोवियत संघ के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में वृद्धि के संबंध में विचार विमर्श किए जाते हैं। भारत सोवियत संघ के साथ आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तक तकनीकी सहयोग के

दीर्घकालिक कार्यक्रम में भी शामिल हुआ है जिसमें उन विभिन्न दिशाओं का उल्लेख है जिनमें भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक संबंधों का विस्तार किया जा सकता है। यह कार्यक्रम 10-15 वर्षों की अवधि का है, दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए मार्गोपाय ढूंढने के प्रयोजन से विभिन्न स्तरों पर लगभग निरन्तर दोनों देशों के बीच विचार विमर्श किये जाते हैं।

विवरण

1. भिलाई स्टील प्लांट।
2. बुकारो स्टील प्लांट।
3. विशाखापत्तनम स्टील प्लांट।
4. नेयवेली, थर्मल पावर स्टेशन (तमिलनाडु)।
5. सिंगरोली पावर स्टेशन, उत्तर प्रदेश।
6. कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (म० प्र०)।
7. भाखड़ा राइट बैंक हाईड्रो इलैक्ट्रिक पावर स्टेशन, पंजाब।
8. लोवर सिलेरू हाइड्रो पावर स्टेशन (आन्ध्र प्रदेश)।
9. हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, रांची।
10. हैवी इलैक्ट्रीकल प्लांट, हरिद्वार।
11. कोरबा कोल माइनिंग प्रोजैक्ट।
12. कोल माइनिंग मशीनरी प्लांट (एम ए एम सी)।
13. रानीगंज तथा सिंगरोली क्षेत्रों में कोल प्रोजैक्ट्स।
14. आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन (आयल एण्ड गैस एक्सप्लोरेशन)।
15. बरोनी रिफाइनरी (बिहार)
16. कोयाली रिफाइनरी (गुजरात)
17. मथुरा आयल रिफाइनरी (उ० प्र०)
18. ओप्थैलमिक ग्लास प्रोजैक्ट।
19. प्रेसिजन इन्स्ट्रूमेंटस लि०, कोटा।
20. कोरबा एल्यूमीनियम स्मेलटर।
21. ड्रग्स प्रोजैक्ट्स।
22. कलकत्ता अन्डरग्राउन्ड रेल प्रोजैक्ट।
23. ट्रिपोसकैटर कम्युनिकेशन प्रोजैक्ट।

## तस्करी रोकने की कार्यवाही

2287. श्री छीतू भाई गामित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसार तस्करी रोकने की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए गत पांच महीनों के दौरान क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) इस अवधि में पकड़े गये तस्करी के सामान का मूल्य क्या था तथा इसी अवधि में वर्ष 1978–79 तथा 1979-80 के आंकड़े क्या थे ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान कई एजेंन्सियों को मिलाकर एक सुदृढ़ तस्करी रोक एजेन्सी कायम करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में, सीमा शुल्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को, तस्करी के लिये आकर्षण वाली मदों के संदर्भ में तस्करी के लिए विशेष रूप से सुगम क्षेत्रों में तस्करी निवारक कार्यवाहियां तेज करने की हिदायत दी गई है ।

(ख) वर्ष 1978, 1979 और 1980 में माह जनवरी से मई तक की अवधि में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये तस्करी के माल का मूल्य निम्नानुसार है :—

| अवधि (जनवरी से मई) | मूल्य (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|
| 1978 | 16.23 |
| 1979 | 13.29 |
| 1980 | 27.85 (लगभग) |

(ग) इस प्रकार की एजेंसी पहले से ही मौजूद है । सीमा शुल्क विभाग, और उससे सम्बद्ध कानूनों के प्रवर्तन और प्रशासन के अंग रूप में तस्करी निवारक उपायों के निष्पादन और समन्वय से सम्बंधित एक प्राथमिक एजेंसी है ।

## पिछले स्टाक से आगे ले जाये जाने वाली रुई की मात्रा कम करने का प्रस्ताव

2288. श्री दिग्विजय सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लाभार्थ पिछले स्टाक से आगे ले जाये जाने वाली रुई की मात्रा कम करने की सरकार को क्या योजना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : चालू रुई मौसम सितम्बर, 1979-अगस्त, 1980 के दौरान सरकार ने अब तक निर्यात के लिए रुई की 5.60 लाख गांठें रिलीज की हैं । मौसम का अन्तिम स्टाक, चालू मौसम (1979-80) की समाप्ति पर मौसम के प्रारंभ में परिलक्षित 25.32 लाख गांठों से घट कर 19.72 लाख गांठ हो जाने की संभावना है । यह घटा हुआ स्टाक लगभग 3 महीने की खपत, जिसे सामान्यतः आगामी रुई वर्ष की नई आवक से

पूर्व कम आवक वाले मौसम के दौरान आवश्यक समझा जाता है, के बराबर पर्याप्त स्टाकों की व्यवस्था के लिए काफी है।

### 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु वाणिज्यिक बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त बताया जाना।

2289. श्री नवीन रवाणी : क्या वित्त मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक ने 20-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को क्या विशेष मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं ; और

(ख) बेरोजगार तकनीकी विदों तो और नगरीय एवं अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों को व्यक्तिगत जमानत पर ऋण देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) 20-सूत्री कार्यक्रम को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कार्यप्रणालियां तैयार की जा रही है और तत्पश्चात् बैंकों को उपयुक्त सलाह दी जाएगी।

(ख) बैंक अधिकांशत: छोटे पैमाने के उद्योगों, खासकर तकनीकी दृष्टि से अर्हताप्राप्त तथा अन्य उद्यमकर्त्ताओं से प्राप्त ऋण-प्रस्तावों पर परियोजना की सक्षमता के आधार पर विचार करते हैं और उन्हें यह परामर्श दिया गया है कि वे अचल परिसम्पत्ति अथवा तीसरे पक्ष की गारंटियों के रूप में समर्थक (कोलेटरल) जमानत पर जोर न दें। संयुक्त ऋण योजना के अंतर्गत कारीगरों, शिल्पियों, कुटीर और ग्राम उद्योयोगों को दिये जाने वाले 25,000 रुपये तक के ऋणों के सम्बंध में बैंकों को विशेषकर यह परामर्श दिया गया है कि उन्हें किसी समर्थक जमानत पर जोर नहीं देना चाहिए। छोटे व्यापारियों जैसे स्वनियोजित व्यक्तियों को ऋण मंजूर करने के मामले में बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि जब गुणात्मत दृष्टि से आवेदनपत्र अन्यथा संतोषजनक हो, तो केवल तीसरे पक्ष की गारंटी के अभाव में ऋण देने से इनकार न किया जाए।

### भारत से रीसस बन्दरों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के बारे में भारत और अमरीका के अधिकारियों के बीच बात-चीत

2290. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य मंत्री अमरीका को भारतीय बन्दरों के निर्यात पर प्रतिबन्ध के बारे में 21 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3391 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोगात्मक अनुसंधान कार्यों के लिए भारत से रीसस बन्दरों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने अथवा उसमें ढील देने के बारे में भारत और अमरीका के अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई है ;

(ख) क्या यह बताया गया है कि अमरीका अधिकारियों ने उस अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा का उल्लंघन किया है जिसके अनुसार इन बन्दरों का रयायनों अथवा कीट युद्ध प्रयोगों के लिए उपयोग करने पर प्रतिबन्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार अमरीकी आयातकर्ताओं के आश्वासनों को स्वीकार करने तथा बन्दरों का निर्यात पुनः आरम्भ करने को तैयार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी)** : (क) जी नहीं । ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है ।

(ख) ऐसे उल्लंघनों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठाता ।

**सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा वस्तुओं का जब्त किया जाना**

2291. **श्री मोकू राम जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क अधिकारियों ने पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और कितनी किस्म की वस्तुएं जब्त की हैं ; और

(ख) सीमा शुल्क विभाग ने इन जब्त वस्तुओं के निपटान के लिए इनका मूल्य निर्धारित करने हेतु क्या फार्मूला अपनाया है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट)** : (क) वर्ष 1978 और 1979 के दौरान सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़ी गई प्रमुख वस्तुएं, उनके अनुमानित मूल्यों सहित नीचे दी गई हैं :—

| वस्तु | 1978 | 1979 |
|---|---|---|
| | (मूल्य लाख रुपयों में) | |
| सोना | 152 | 136 |
| चाँदी | 9 | 122 |
| घड़ियां | 309 | 336 |
| संश्लिष्ट फेब्रिक | 1019 | 1218 |
| हीरे | 91 | 101 |
| विविध सामान | 1305 | 1850 |

(ख) पकड़े गए/जब्तशुदा माल की, निपटान हेतु कीमतें एक समिति द्वारा बाजार से पूछताछ करने के बाद निर्धारित की जाती हैं ; इस समिति में शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के दो सहायक समाहर्ता और बिक्रि का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी होते हैं । जब भी आवश्यक समझा जाता है, व्यापारिक संघों और संगत क्षेत्रों के अन्य विशेषज्ञों से भी सहायता ली जाती है ।

हवाई अड्डों में यात्रियों की निकासी में विलंब

2292. श्री भीकू राम जैन : पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के हवाई अड्डे में यात्रियों की निकासी में असाधारण विलम्ब होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि शुल्क देय वस्तुओं की जांच-पड़ताल में बहुत समय लगता है : यात्रियों की तलाशी के लिए सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा अनुमान लगाया गया उचित समय कितना है ; और

(ग) शीघ्र निकासी और इस प्रयोजन के लिए काउन्टरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) देरी मुख्यत: विमानक्षेत्रों पर अपर्याप्त स्थान तथा व्यस्ततम समय के दौरान भीड़-भाड़ के कारण होती है ।

(ख) बैगेज नियमों में संशोधन करने से, जिसके कि परिणामस्वरूप, विभिन्न वर्गों के यात्रियों को दी जाने वाली रियायतों को पर्याप्त उदार एवं युक्ति संगत बना दिया गया है और तब से ले कर लागू किए गए अनेक क्रिया-विधि संबंधी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भी, यात्रियों की क्लीयरैंस की रफ्तार में काफी सुधार हुआ है तथा किसी भी उड़ान विशेष के सभी यात्रियों को लगभग आधे घंटे के अन्दर क्लीयर कर दिया जाता है, जिसे उचित समझा जा सकता है ।

(ग) निर्माणाधीन/निर्माण किए जाने वाले प्रस्तावित नये टर्मीनल काम्प्लेक्सों में यात्रियों के शीघ्र निपटान (क्लीयरैंस) करने के लिए विनियामक एजेंसियों के लिए अतिरिक्त काउंटरों की व्यवस्था की जा रही है ।

राजस्थान में खनिज संसाधनों के लिए सर्वेक्षण

2293. श्री दौलत राम सारण : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुरु जिले के लखासार गांव में तथा बीकानेर एवं गंगानगर के साथ लगाने वाले जिलों में पोटाश के अमूल्य निक्षेपों का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन निक्षेपों के समुप्रयोजन की योजनाएं क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था ने झांझुआ, लाखासर, सुदासर, गोसाईंसर और कालू में ड्रिलिंग की थी । लाखासर, गोसाईंसर और कालू में हेलाइट (सोडियम क्लोराइड) की मोटी परतें होने का पता चला है । हेलाइट खनिजीकरण के साथ पोटाशयुक्त पोलीहेलाइट खनिज भी है । इन निक्षेपों की ठीक-ठीक आर्थिक क्षमता का निर्धारण करने के लिए आगे खोज कार्य किया जा रहा है ।

## उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशियां

2294. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल जमा राशियां क्या हैं और वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 में अब तक उड़ीसा में उनका निवेश क्या था ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि उड़ीसा में जमा राशियों को कहीं और निवेशित किये जाने के लिए ले जाया जा रहा है और उसका उपयोग उड़ीसा में नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो जमा राशि को कहीं और ले जाकर निवेश किए जाने से रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट)**: (क) दिसम्बर 1977, 1978 और 1979 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा रकमों और उनके द्वारा दिये गये अग्रिमों तथा उक्त बैंकों द्वारा उड़ीसा राज्य में सरकार और उसके संबद्ध निकायों की प्रतिभूतियों में निवेशित रकमों तथा इसी तरह पूरे देश में इन बैंकों की जमा रकमों, उनके द्वारा दिये गये अग्रिमों और उनके द्वारा राज्य सरकारों तथा उनके सम्बद्ध निकायों की प्रतिभूतियों में निवेशित रकमों के आंकड़े नीचे दिये गए हैं :—

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा रकमों, उनके अग्रिमों तथा उनके द्वारा राज्य सरकारों और उनके संबद्ध निकायों की प्रतिभूतियों में निवेशित रकमों का विवरण

(करोड़ रुपए)

| | उड़ीसा | | | अखिल भारत | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1977 | 1978 | 1979x | 1977 | 1978 | 1979x |
| जमा राशियां | 184 | 238 | 291 | 17903 | 22195 | 26546 |
| अग्रिम | 106 | 134 | 134 | 12981 | 15562 | 17596 |
| राज्य और उनके संबद्ध निकायों की प्रतिभूतियों में निवेश | 86 | 97 | 103 | 2255 | 2478 | 2802 |
| ऋण+निवेश : जमा अनुपात (%) | 104.0 | 97.1 | 91.6 | 85.1 | 81.3 | 76.8 |

x अनन्तिम

(ख) और (ग) जैसाकि उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है, उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा राशियों और उनके द्वारा निवेशित रकमों का अनुपात तत्संबधित अखिल भारतीय अनुपातों से अधिक रहा है ।

## अभ्रक व्यापार में लगे निर्धन वर्ग के लोगों को ऋण दिया जाना

2295. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभ्रक व्यापार में लगे निर्धन वर्ग के लोगों को ऋण देने के लिए भारतीय अभ्रक व्यापार निगम की स्थापना की गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि निर्धन वर्ग के लोग नीति के अनुसार ऋण नहीं ले पाते हैं क्योंकि 'मिटको' का मुख्यालय पटना में स्थित है जो कि अभ्रक क्षेत्र से 160 किलो मीटर दूर है ;

(ग) क्या यह सच है कि गिरिडीह का सम्बन्ध टेलेक्स, रेल, राजमार्ग और अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़ा हुआ है और यह अभ्रक का एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर हां में है, तो क्या सरकार का विचार मिटको के मुख्यालय को गिरिडीह स्थानान्तरित करने का है जिसमे अपव्यय रोका जा सके और समाज के निर्धन वर्ग के लोगों को ऋण दिया जा सके ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं। भारतीय अभ्रक व्यापार निगम की स्थापना निर्यात व्यापार में व्यापार तथा उद्योग के कमजोर वर्गों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने, लघु उत्पादकों तथा व्यापारियों को शोषण से बचाने के लिए उनके द्वारा उत्पादित अभ्रक के लिए न्यायोचित मजदूरी तथा कीमतों के भुगतान, और लघु खान-स्वामियों तथा व्यापारियों की मांग के मौसमी उतार-चढाव से सुरक्षा करने के लिए खरीदारियों के एक क्रमबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से कीमतों के स्थिरीकरण में उद्देश्यों को लेकर की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह टेलेक्स से संबद्ध है, एक ब्रांच रेल लाइन से जुड़ा है परन्तु राजमार्ग नहीं है। गिरिडीह अभ्रक का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## रबड़ का आयात

2296. श्री पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दूसरे देशों से रबड़ का काफी मात्रा में आयात कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितनी मात्रा और कितने मूल्य के रबड़ का आयात किया गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) रबड़ के आयात की अनुमति उसकी मांग और पूर्ति स्थिति की समीक्षा के आधार पर दी जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित रबड की मात्रा और मूल्य निम्नोक्त प्रकार हैं :—

| वर्ष | मात्रा | सी० आई० एफ० मूल्य |
|---|---|---|
| | (मे. टन) | (लाख रु०) |
| 1977-78 | शून्य | — |
| 1978-79 | 25850 | 2357.62 |
| 1979-80 | 21100 | 2289.83 |

लघु क्षेत्र के जरिए निर्यात हेतु कर्णधार समिति

2297. श्री नवीन रवाणी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लघु क्षेत्र के जरिए निर्यात हेतु कर्णधार समिति गठित की गई है जिसमें भारत के लघु उद्योगों के संघों के फेडरेशन (लघु एककों का सर्वोच्च संघ) का कोई प्रतिनिधि नहीं लिया गया था।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार बड़ी संख्या में केवल अधिकारियों को लेने के बजाए एफ०ए०एस०आई०आई० के प्रतिनिधि को शामिल करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) 1978 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा गठित किए गए लघु क्षेत्र संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसरण में वाणिज्य मंत्रालय ने अपने संकल्प सं० 17(20)/80–ई०पी०एल० दिनांक 4 जून, 1980 के द्वारा विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की अध्यक्षता में लघु क्षेत्र में निर्यात संवर्धन के लिए एक संहत संचालन समिति गठित की थी। इस समिति में विभिन्न मंत्रालयों तथा व्यापार विकास प्राधिकरण, इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्, भारतीय निर्यात संगठनों की फैडरेशन तथा लघु उद्योग निगम परिषद् जैसे अन्य निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें भारतीय लघु उद्योग एसोसियेशनों की फैडरेशन का कोई प्रतिनिधि नहीं है।

संचालन समिति आवश्यकता समझने पर केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर लघु उद्योगों के विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों और साथ ही लघु क्षेत्र के निर्यातोन्मुख प्रमुख उद्योगों की एसोसिएशनों को भी अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

सरकारी उद्यम चयन बोर्ड का पुनर्गठन

2298. श्री नवीन रवाणी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम चयन बोर्ड का पुनर्गठम किया गया है ; यदि हां, तो इस समय इसके सदस्यों और अध्यक्ष का नाम क्या है ;

(ख) इस बोर्ड का तथा पहले ही सरकारी उद्यम ब्यूरो के समन्वयकारी एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे एक अन्य बोर्ड का प्रशासनिक दर्जा क्या होगा ; और

(ग) इस बोर्ड के अधीन सरकारी एककों के प्रबन्धकों के कितने पद आते हैं और दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को भेजने की आवश्यकता कम करने के लिए विशेष सरकारी एकक कार्मिक-वर्ग बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोट)** : (क) सरकारी उद्यम चयन मण्डल का पुनर्गठन दिनांक 29-4-1980 को किया गया है इसके निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. श्री के० आर० पुरी — अध्यक्ष
   भूतपूर्व गवर्नर,
   भारतीय रिज़र्व बैंक ।
2. श्री मोहम्मद फजल, — सदस्य
   सदस्य, योजना आयोग ।
3. श्री बी० पी० साहनी — सदस्य
   भूतपूर्व,सदस्य कार्मिक,
   रेलवे बोर्ड
4. श्री के० पी० ए० मेनन, — सदस्य
   सचिव,
   रक्षा उत्पादन विभाग-जिन्हें अब रक्षा
   सचिव नियुक्त किया गया है ।
5. श्री आर० एच० मोदी, — सदस्य
   उपाध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
   टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०
   जमशेदपुर
6. श्री के० सी० खन्ना, — सदस्य
   अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
   कुद्रेमुख आइरन ओर कं० लि०,
7. श्री प्रह्लाद कुमार बसु, — पदेन सदस्य
   महानिदेशक, सरकारी उद्यम कार्यालय एवं
   अपर सचिव, भारत सरकार

(ख) सरकारी उद्यम कार्यालय वित मंत्रालय के व्यय विभाग के अन्तर्गत एक प्रशासनिक कार्यालय है। सरकारी उद्यम चयन मंडल परामर्शदायी स्थिति में कार्य करता है और इसे सरकार को अपने परमाधिकार के अन्तर्गत नियुक्तियां करने सम्बन्धी सलाह देने के लिए स्थापित किया गया है। यह निदेशक मण्डल से नीचे के दूसरे और तीसरे स्तर के पदों के चयन के बारे में

उद्यमों को भी सलाह देता है। सरकारी उद्यम कार्यालय के महानिदेशक को सरकारी उद्यम चयन मण्डल के सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के अलावा सरकारी उद्यम चयन मण्डल का सचिवालय जो कि सरकारी उद्यम कार्यालय का ही अंग है, एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है।

(ग) सरकार के परमाधिकार के भीतर, सरकारी उद्यम चयन मण्डल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध निदेशक और कार्य-निदेशक के कुल मिलाकर लगभग 416 पद शामिल हैं। सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत यथानिर्दिष्ट सरकारी उद्यम चयन मण्डल की नीति में यह निर्धारित किया गया है कि जब तक बाहर से विशिष्ट रूप से बेहतर उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो सरकारी उद्यमों में खाली पदों को उन्हीं में से पदोन्नतियों द्वारा भरा जाए। यदि उद्यमों के अन्दर ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो अन्य सरकारी उद्यमों में कार्य कर रहे उम्मीदवारों को तरजीह दी जानी चाहिए, ताकि होनहार अधिकारियों, जिन्हें अपने उद्यमों में पदोन्नति के कोई अवसर सुलभ नहीं हैं, को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। प्रबन्धकीय प्रतिभा का विकास करने के उद्देश्य से सरकारी उद्यम कार्यालय अन्य बातों के साथ-साथ वरिष्ठ और शीर्ष स्तरीय प्रबन्धकों के लिए भारत और विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने और सहायता देने, प्रबन्ध विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं और गोष्ठियां आयोजित करने का प्रयास कर रहा है और प्रशिक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए सांस्थानिक विकास एवं प्रशिक्षण पाठ्य-चर्या व्यवस्थित करने में सरकारी उद्यमों की सहायता कर रहा है। सरकारी उद्यमों को सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों पर निर्भरता घटाने के लिए प्रतिनियुक्ति की निश्चित अवधि निर्धारित की गई है। वे या तो सरकारी उद्यमों में जिन पदों पर कार्य कर रहे हैं, उनके स्तर के अनुसार 2/3 वर्ष की अवधि के भीतर सरकारी उद्यमों में ही स्थायी रूप से खपा लिए जाएं या अपने मूल संवर्ग में वापस जाने के लिए अपना विकल्प दे दें।

### प्याज का निर्यात

2299. श्री नवीन रवाणी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्याज के निर्यात के बारे में सरकार की पहली और वर्तमान नीति क्या-क्या थी ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस वर्ष फिर गुजरात और महाराष्ट्र में प्याज की भारी मात्रा बाजार में आ जाने से प्याज उत्पादकों को अपनी प्याज घाटा उठाकर बेचना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो केवल नेफेड के माध्यम से प्याज का निर्यात करने का कोई प्रयास है और इस वर्ष कितने प्याज का निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सरकार की पूर्ववर्ती तथा विद्यमान नीति प्याज का निर्यात राष्ट्रीय कृषि सहकारी बिपणन संघ लि० की मार्फत, जिसे दिसम्बर, 1975 से सभी अनुमेय गन्तव्य स्थानों को निर्यात करने के लिए सरणीकरण अभि-करण बनाया गया है, विनियमित करने की रही है।

(ख) कीमतों में भारी गिरावट को रोकने के लिए नेफेड ने बाजार में हस्तक्षेप किया और क्वालिटी के अनुसार 45 रु० प्रति क्विंटल से लेकर 60 रु० प्रति क्विंटल तक की कीमतों पर प्याज खरीदा।

(ग) गैर सरकारी निर्यातकों को भी नेफेड की मार्फत निर्यात करने की अनुमति दी जाती है। घरेलू कीमतों तथा उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर निर्यात कोटा निर्धारित किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता

2300. श्री अरविंद नेताम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (सहयोग) ने हाल में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) और (ख) भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम के बीच 24 मई, 1980 को एक परियोजना करार पर हस्ताक्षर हुए जिसका आशय विकासशील देशों में तकनीकी सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा अन्य विकासशील देशों के द्वारा की जाने वाली पारस्परिक सहयोग की कार्यवाहियों के लिए एक आधारभूत व्यवस्था कायम करना है।

इस करार के अन्तर्गत, भारत सरकार तथा अन्य विकासशील देशों के बीच पारस्परिक परामर्श से चुनी जाने वाली सुनिर्दिष्ट गतिविधियों के लिए भारत आवश्यक निवेश्य वस्तुएं मुहैया करेगा और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तकनीकी सहयोग के लिए अपने साधनों में से, अर्थात् अपने परिचायक आयोजन संबंधी आंकड़ों में से जो कि भारत के लिए नियत है 58 लाख डालर (4.58 करोड़ रुपए) की राशि का अंशदान देगा।

इन परियोजनाओं का संबंध इन सभी बातों से होगा ; अर्थात्, सामूहिक रूप से प्रौद्योगिकी के अभिग्रहण उसके अपनाए जाने और उसके अन्तरण के लिए विकासशील देशों के साथ मिलकर मिलिजुली अनुसंधान तथा विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय संस्थाओं तथा अन्य विकासशील देशों में उनके मुकाबले की संस्थाओं के बीच संयोजन एवं युग्मन व्यवस्था, अनुभव के पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए सभी विकासशील देशों के बीच गोष्टियों, बैठकों प्रेषण तथा यात्राओं की व्यवस्था, भारत में अन्य विकासशील देशों के राष्ट्रिकों का प्रशिक्षण, सुनिर्दिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए भारतीय विशेषज्ञों को अन्य विकासशील देशों में स्थानांतरित करना, ऐसे व्यवहार्यता अध्ययनों तथा तकनीकी एवं आर्थिक सर्वेक्षणों की व्यवस्था करना जिनके संबंध में भारत तथा अन्य विकासशील देशों के बीच पारस्परिक सहमति हो जाए, ऐसी चुनी हुई भारतीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना जो विकासशील देशों के बीच उस सीमा तक तकनीकी सहयोग की भावना को बढ़ाती है जिससे कि वे उपर्युक्त कृत्यों का निर्वहन करने में सक्षम हो जाते हैं, भारत में सुनिश्चित समस्याओं को हल करने के लिए दूसरे विकासशील देशों से तकनीकी विशेषज्ञों का अभिग्रहण तथा अन्य विकासशील देशों में प्रशिक्षण।

## गाजीपुर स्थित सरकारी अफीम कारखाने में नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी करना

2301. जैनुल बशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजीपुर स्थित सरकारी अफीम कारखाने में कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं और कितने वर्षों से काम कर रहे हैं ;

(ख) उन्हें अब तक स्थायी कर्मचारी न बनाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस तथ्य को देखते हुए कि उनके नैमित्तिक श्रमिक वहां वर्षों से कार्यरत हैं, सरकार और अधिक रिक्त स्थान बनाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

## विदेशी कम्पनियों द्वारा साम्य पूंजी कम किया जाना

2302. श्री तारिक अनवर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों उनकी भारतीय सहायक कम्पनियों तथा शाखाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने गत पांच वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत 40 प्रतिशत तक अपनी विदेशी साम्य पूंजी कम कर दी है और उनका भारतीयकरण किस वर्ष में किया गया ;

(ख) विदेशी कम्पनियों की उन सहायक कम्पनियों और शाखाओं के नाम क्या हैं जिन्हें उपरोक्त अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में छूट दी गई ; और

(ग) उपरोक्त (ख) में उल्लिखित कम्पनियों को यह छूट दिये जाने के मुख्य कारण क्या हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) :** (क) एक विवरण, जिसमें उन सभी कम्पनियों के नाम और उसके साथ वह वर्ष भी दिया गया है जिसमें उन्होंने अपने अ-निवासी हिताधिकारों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कम करके 40 प्रतिशत या उससे भी कम कर दिया है, संलग्न है।

(ख) तथा (ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने, अपनी दिनांक 27 नवम्बर, 1974 की अधिसूचना संख्या फेरा 23/74-आर०बी० के द्वारा, निम्न वर्गों की कम्पनियों को, जिनमें अ-निवासी हिताधिकार 74 प्रतिशत तक है और जिनको उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत फरवरी, 1970 के बाद लाइसेंस दिए गए हैं, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29(2) के अन्तर्गत अपनी मौजूदा गतिविधियों को जारी रखने के लिए बैंक की अनुमति प्राप्त करने की व्यवस्था से छूट दे दी है :

(i) वे कम्पनियां, जोकि सम्पूर्ण रूप से उन वस्तुओं के उत्पादन में लगी हुई हैं, जिनको औद्योगिक लाइसेंस नीति 1973 के परिशिष्ट I में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ii) निर्यात प्रधान कम्पनियां, जिनके पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित उत्पादों की वार्षिक औसत कारखाना निकलती लागत, कुल वार्षिक उत्पादन की कारखाना निकलती लागत के 60 प्रतिशत से कम नहीं थी।

इस अधिसूचना के उपबन्धों के अनुसरण में दो कम्पनियों, अर्थात् गेडोर टूल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड तथा स्टर्डिया कैमिकल्स लिमिटेड को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(2) से छूट दी गई थी। किन्तु मैसर्स स्टर्डिया कैमिकल्स लिमिटेड ने स्वैच्छिक आधार पर ही 1979 में अपने अनिवासी हितधिकारों को कम करके 34.17 प्रतिशत कर दिया है।

**विवरण**

**उन कम्पनियों के नामों का विवरण, जिन्होंने विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अपने अ-निवासी हिताधिकारों विनियमन को कम करके 40 प्रतिशत या उससे भी कम कर दिया है।**

| क्रम संख्या | कम्पनी का नाम | वर्ष जिसमें हिताधिकार को कम किया गया |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अतुल केमिकल इंडस्ट्रीज लि० बम्बई | 1979 |
| 2. | एटलस कोपको इंडिया लिमिटेड, बम्बई | 1978 |
| 3. | एमेलगेमेशन्स रेपको लिमिटेड, मद्रास | 1979 |
| 4. | एबिविवपो आफ इंडिया प्राइवेट लि०, कलकत्ता | 1978 |
| 5. | एजोफेन लिमिटेड, बम्बई | 1977 |
| 6. | अछरूराम कालकोफ एण्ड कम्पनी, कलकत्ता | 1979 |
| 7. | एवरी इंडिया लिमिटेड | 1980 |
| 8. | एक्रों इंडिया लिमिटेड बम्बई | 1977 |
| 9. | एल्फ्रेड हरबर्ट (इं) लिमिटेड, कलकत्ता | 1978 |
| 10. | आर्बर एकर्स फारम इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली | 1977 |
| 11. | दी अन्नामलाई रोपवे कम्पनी लिमिटेड, कोयम्बटूर | 1977 |
| 12. | एशिया इलैक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई | 1979 |
| 13. | एंग्लों-फ्रेंच ड्रग कम्पनी (ईस्टर्न) लिमिटेड, बम्बई | 1979 |
| 14. | मैसर्स अराट इलैक्ट्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद | 1977 |
| 15. | मैसर्स एम्फीश्रोनिक्स लिमिटेड, पूना | 1978 |
| 16. | अंगूरी टी. एस्टेट्स, कलकत्ता | 1979 |
| 17. | ए० सी० ई० सी० इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई | 1975 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 18. | ए० सी० सी० विकर्स बेवकाक लिमिटेड बम्बई | 1976 |
| 19. | एण्ड्रयू पूल एंड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता | 1975 |
| 20. | एस्यू ह्विकसन लिमिटेड, कलकत्ता | 1976 |
| 21. | आन्ध्र फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड | 1976 |
| 22. | बाटा इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता | 1978 |
| 23. | बेल ग्राफिक रेकार्डिंग चार्टस लिमिटेड, कलकत्ता | 1978 |
| 24. | बेकलावेट आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई | 1979 |
| 25. | दी ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता | 1978 |
| 26. | ब्रिटिश पेंटस (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता | 1977 |
| 27. | बोरासिल ग्लास वर्क्स लिमिटेड, बम्बई | 1979 |
| 28. | बीचम (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई | 1979 |
| 29. | ब्रुक बाण्ड इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता | 1979 |
| 30. | बी० पी० इंडियन एजेंसी) लिमिटेड, बम्बई | 1979 |
| 31. | वृंदावन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता | 1979 |
| 32. | ब्लैकी ऐण्ड सन इण्डिया लिमिटेड, बम्बई | 1978 |
| 33. | बंगाल बिहार कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता | 1979 |
| 34. | भारत फिरज वर्नर (पी०) लिमिटेड, बंगलोर | 1979 |
| 35. | भारत विडनर (पी०) लिमिटेड, बड़ौदा | 1979 |
| 36. | बिमताल बेयरिंगस लिमिटे कोयम्बटूर | 1978 |
| 37. | बंगाल इनगाट कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता | 1976 |
| 38. | बिन्नी लिमिटेड, मद्रास | 1975 |
| 39. | बिटकोरप प्राइवेट लि० गुंटूर | 1976 |
| 40. | ब्लंडैल डयोमाइट पेंटस लि०, बम्बई | 1975 |
| 41. | बाकरिंगर नेल लि० बम्बई | 1976 |
| 42. | ब्राडमा आफ इंडिया, लि०, बम्बई | 1976 |
| 43. | ब्रेनफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लि० | 1976 |
| 44 | ब्रिटिश मेटल कारपोरेशन (आई) प्रा० लि०, कलकत्ता | 1975 |
| 45. | ब्रुश इण्डिया लि०, बम्बई | 1975 |
| 46. | बम्बई रिंग ट्रेवलर्स कं० लि०, बम्बई | 1977 |
| 47. | कोलगेट पामोलिव (आई) प्रा० लि०, बम्बई | 1978 |
| 48. | चैसब्रो पोण्ड्स इंक, मद्रास | 1979 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 49. | कोटस ग्राफ इण्डिया लि०, कलकत्ता | 1978 |
| 50. | चेलपार्क कं० लि०, बंगलौर | 1978 |
| 51. | कोर्न प्राडक्टुस कं० (आई०) प्रा० लि०, वम्बई | 1979 |
| 52. | केडबरी फ्राई (इंडिया) प्रा० लि०, वम्बई | 1979 |
| 53. | कैम्पबेल ऐण्ड कं० (साउथ इंडिया) लि०, कोचीन | 1977 |
| 54. | कूपर लैबोरेट्रीज इंटरनेशनल इंक बम्बई | 1976 |
| 55. | क्रेसेंट डाइज ऐण्ड कैमिकल्स लि०, कलकत्ता | 1978 |
| 56. | कलकत्ता कोल स्टोरेज लि०, कलकत्ता | 1975 |
| 57. | कटालिस्ट्स ऐन्ड केमिकल्स इंडिया (पश्चिमी एशिया) लि० बम्बई | 1976 |
| 58. | कमटेक्स इंजीनियरिंग ग्राफ इंडिया लि० बम्बई | 1975 |
| 59. | कांटीनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली | 1977 |
| 60. | ड्रासवैक माणिकलाल प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई | 1976 |
| 61. | डीको इंडिया लिमिटेड, बम्बई | 1976 |
| 62. | द्वारका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रा लि० कलकत्ता | 1977 |
| 63. | डायमण्ड शमरौक (आई) लि०, बम्बई | 1977 |
| 64. | डान वाटसन एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता | 1978 |
| 65. | डेवी पावरगैस लिमिटेड बम्बई | 1976 |
| 66. | डेवी एशमोर (इंडिया) लिमिटेड | 1979 |
| 67. | डैनफास (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली | 1979 |
| 68. | ड़ेवर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड बम्बई | 1978 |
| 69. | डेंटल प्रोडक्टस ग्राफ इंडिया लिमिटेड बम्बई | 1976 |
| 70. | डाइसाल प्राइवेट लिमिटेड बम्बई | 1976 |
| 71. | डुफार इंटरफान लिमिटेड बम्बई | 1977 |
| 72. | एरिक्सन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली | 1978 |
| 73. | ई० पी० ग्लाम ग्राफ इंडिया लिमिटेड बम्बई | 1979 |
| 74. | बुटेकटिक वेल्डिंग एलायज ग्राफ इंडिया लि०, बम्बई | 1979 |
| 75. | इंगलिश इंडियन क्लेज लि०, नई दिल्ली | 1977 |
| 76. | एम्स-सैल ग्राफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई | 1979 |
| 77. | एडवर्ड टी० रावर्टसन एण्ड सन लिमिटेड, बम्बई | 1975 |
| 78. | एवरेस्ट स्टीमशिप कारपोरेशन कलकत्ता | 1977 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 79. | ई० ग्रीन एण्ड सन्स (इंडिया) लिमिटेड बम्बई | 1977 |
| 80. | एलाफ हैन्सन लिमिटेड बम्बई | 1977 |
| 81. | ईस्टर्न सिरानिक्स लिमिटेड बम्बई | 1976 |
| 82. | एल्प्रो इंटरनेशनल लिमिटेड बम्बई | 1977 |
| 83. | ई० आई० डी० फ़ैरी लि० | 1976 |
| 84. | ऐम्स मेटल्स प्राइवेट लि० बम्बई | 1979 |
| 85. | फैसिट ऐशिया लि०, बम्बई | 1976 |
| 86. | फूंड स्पैशियल्टीज लि०, नई दिल्ली | 1978 |
| 87. | फेरो कोटिंग्स एन्ड कलर्स लि०, पश्चिमी बंगाल | 1979 |
| 88. | फेनर (इंडिया) लिमिटेड, मदुरै | 1979 |
| 89. | एफ० एल० स्मिथ एंड कम्पनी (बम्बई) प्राइवेट लि०, बम्बई | 1979 |
| 90. | फरमाग वाच कम्पनी बम्बई | 1977 |
| 91. | फैवइंडिया इंक, नई दिल्ली | 1976 |
| 92. | फेवर ल्यूबा एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई | 1976 |
| 93. | फेमाटेक्स इंडिया प्राइवेट लि०, बम्बई | 1977 |
| 94. | फोर्डहेम प्रेसिंग्स (इंडिया) प्रा० लि० | 1976 |
| 95. | फोरनीका इंडिया लि०, बम्बई | 1976 |
| 96. | ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया लि० कलकत्ता | 1978 |
| 97. | ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इंडिया लि० कलकत्ता | 1977 |
| 98. | गुडलेस नैरोलाक पेंटस लि०, बम्बई | 1978 |
| 99. | गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लि० बम्बई | 1980 |
| 100. | गिडिंग्स एण्ड लेविस फ्रेजर लि०, कलकत्ता | 1977 |
| 101. | जेम फोटोग्राफिक (इंड़िया) प्रा० लि०, बम्बई | 1978 |
| 102. | गेटज ब्रदर्स एण्ड कम्पनी इंक | 1978 |
| 103. | गरडू इंडिया कारपोरेशन, बम्बई | 1979 |
| 104. | जार्ज एलन एण्ड अनविन (आई) पी० लि०, बम्बई | 1977 |
| 105. | ग्रीनहेम एस्टेट्स (पी०) लि० कोचीन | 1976 |
| 106. | गीडी वेलर प्रा० लि० कोयम्बटूर | 1979 |
| 107. | जेव्रयाल इंडिया लि०, बम्बई | 1978 |
| 108. | ग्लैडस्टोन लायल एण्ड कम्पनी लि० कलकत्ता | 1975 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 109. | ग्रिफन लेवोरेट्रीज प्रा० लि० बम्बई | 1977 |
| 110. | गल्फ आयल (इंडिया) प्रा० लि० बम्बई | 1976 |
| 111. | हिन्दुस्तान मिल्कफूड मैन्यूफैक्चरर्स लि०, नई दिल्ली | 1979 |
| 112. | हिन्द लैम्पस लि०, शिकोहाबाद | 1979 |
| 113. | हिक्सन एंड दादाजी लि० बम्बई | 1977 |
| 114. | हीथ एण्ड कम्पनी कलकत्ता प्रा० लि० कलकत्ता | 1979 |
| 115. | होटज होटेल्स प्रा० लि० नई दिल्ली | 1979 |
| 116. | हर्बट एण्ड कम्पनी प्रा० लि०, कलकत्ता | 1977 |
| 117. | होव इंडिया प्रा० लि०, नई दिल्ली | 1980 |
| 118. | हैड राइटसन इंडिया लि०, कलकत्ता | 1977 |
| 119. | हनीवेल लि०, बम्बई | 1977 |
| 120. | हाईट्रोथर्म प्रा० लि० बम्बई | 1977 |
| 121. | एच० एण्ड आर० जानसन (आई) लि०, बम्बई | 1976 |
| 122. | दी हेवडंवाल्डी रिफाइनरी (पी) लि०, कलकत्ता | 1976 |
| 123. | हिन्दुस्तान क्लोकनर स्विचगीयर लि०, बम्बई | 1976 |
| 124. | आई० आरू० सी० स्टील लि०, कलकत्ता | 1978 |
| 125. | इण्डिया पिस्टनस रेपको लि०, तमिलनाडु | 1979 |
| 126. | इण्डियन डुप्लीकेटर कं० प्रा० लि० नई दिल्ली | 1979 |
| 127. | इण्डो-फ्रेंच टाइम इण्डस्ट्रीज लि०, बम्बई | 1978 |
| 128. | आई० टी० सी०, लि०, कलकत्ता | 1977 |
| 129. | इण्टेटान लि०, बम्बई | 1978 |
| 130. | इनारको लि०, बम्बई | 1979 |
| 131. | इण्डियन आक्सीजन लि०, कलकत्ता | 1979 |
| 132. | इण्टरनेशनल जेनरल इलेक्ट्रिक कं० (इण्डिया) प्रा० लि० बम्बई | 1977 |
| 133. | इण्डिया टायर रबर कं० (आई०) लि०, बम्बई | 1979 |
| 134. | ईरान टी ट्रेडिंग कं० लि०, कलकत्ता | 1978 |
| 135. | इण्डियन मोलेसिस कं० प्रा० लि०, नई दिल्ली | 1977 |
| 136. | इण्डस्ट्रियल ऐण्ड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्रा० लि०, नई दिल्ली | 1977 |
| 137. | इण्डियन शेयरिंग लि०, बम्बई | 1980 |
| 138. | आयरण एक्सचेंज (इण्डिया) लि., बम्बई | 1979 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 139. | आई० ए० ऐण्ड आई० सी० प्रा० लि०, बम्बई | 1976 |
| 140. | इण्डियन टैक्सटाइल पेपर ट्यूब कं० लि०, रामनाड | 1980 |
| 141. | इण्डियन आयल ब्लैंडिंग लि०, बम्बई | 1975 |
| 142. | इण्डियन स्पलाइसिंग (मेकेनिकल) ऐण्ड एसेसरीज लि०, कलकत्ता | 1975 |
| 143. | इण्डियन ट्यूब कं०, लि०, कलकत्ता | 1976 |
| 144. | इण्डो निपन केमिकल कं० लि०, बम्बई | 1975 |
| 145. | इण्डोपाल लि०, बम्बई | 1975 |
| 146. | जे० के० हेलन कर्टिस लि०, बम्बई | 1975 |
| 147. | जे० एल० मेरीसन सन ऐण्ड जोन्स (इण्डिया) लि०, बम्बई | 1975 |
| 148. | ज्योति मार्केटिंग ऐण्ड प्रोजेक्ट्स लि०, बम्बई | 1975 |
| 149. | जोशी फार्मूलेक्स लि०, राजकोट | 1976 |
| 150. | जेम्स फिनले ऐण्ड कं० लि०, कलकत्ता | 1976 |
| 151. | जेम्स वारेन ऐण्ड कं० (इण्डिया) लि० कलकत्ता | 1978 |
| 152. | जे० ब्रेसवेल प्रा० लि०, बम्बई | 1977 |
| 153. | जालिंगा टी कं० लि० | 1977 |
| 154. | के० एमू० डब्ल्यू० जोनसन लि०, कलकत्ता | 1975 |
| 155. | करसन्स मैन्यूफैक्चरिंग कं० आफ इण्डिया लि०, बम्बई | 1975 |
| 156. | कापर्स इण्डिया प्रा० लि०, कलकत्ता | 1975 |
| 157. | किलिक कैरीबोनम लि०, बम्बई | 1979 |
| 158. | किसान प्रोडक्टस लि०, बंगलौर | 1977 |
| 159. | निट फोल्डस लि० पंजाब | 1979 |
| 160. | केंट लीडस मीटर मैन्यूफैक्चरिंग लि०, बम्बई | 1978 |
| 161. | करीमजी ट्रेडिंग कम्पनी प्रा० लि०, बम्बई | 1977 |
| 162. | कोडक लि०, बम्बई | 1979 |
| 163. | कुलीजान कारपोरेशन (आई०) प्रा० लि०, कलकत्ता | 1979 |
| 164. | खटाऊ जंकर लि०, बम्बई | 1976 |
| 165. | लाल—रू मेर्जारिंग टूल्स लि०, बम्बई | 1978 |
| 166. | लंदन रबर कं० (इंडिया) लि०, मद्रास | 1979 |
| 167. | लाइनोटाईप ऐण्ड मशीनरी लि०, बम्बई | 1977 |
| 168. | लिपटन (इण्डिया) लि०, कलकत्ता | 1979 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 169. | लूवै राबर्टसन इंजीनियरिंग कंपनी लि०, कलकत्ता | 1979 |
| 170. | लिपटन लि०, कलकत्ता | 1978 |
| 171. | लुईस ड्रेफस ऐण्ड कं० लि०, कलकत्ता | 1980 |
| 172. | लंदन स्टार डायमण्डफ कं० (इंडिया) प्रा० लि०, बम्बई | 1979 |
| 173. | लुब्रीजोल इण्डिया लि०, बम्बई | 1980 |
| 174. | एल० ऐण्ड टी ड्रिलिंग इक्विपमेंट लि०, बम्बई | 1975 |
| 175. | मल्होत्रा स्पीयर जेवसन स्पाज मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०, बम्बई | 1975 |
| 176. | महेन्द्र ओवन लि०, पूना | 1976 |
| 177. | मार्टिन ऐण्ड हरिस (पी०) लि०, ब कलकत्ता | 1975 |
| 178. | मैकनेली भारत इंजीनिरिंग इजीनियरिंग कं० लि०, कलकत्ता | 1976 |
| 179, | मेहूर बीयर्ड-सेल्स लि० मद्रास | 1975 |
| 180. | मोरारजी डोरमैन स्मिथ लि० बम्बई | 1975 |
| 181. | मुलर एण्ड फिलिप्स (इं) लि० बम्बई | 1975 |
| 182. | मरफी इन्डिया लि० बम्बई | 1974 |
| 183. | मेटल लैम्प केप्स (इं) लि० बंगलोर | 1977 |
| 184. | मेरीडियन वाच कं० बम्बई | 1977 |
| 185. | मोनोटाइप कारपोरेशन लि० कलकत्ता | 1977 |
| 186. | मार्कोनी इन्टरनेशनल मेरीन कं० लि० बम्बई | 1978 |
| 187. | मेक्ग्रेगर ऐण्ड बालूपर लि० कलकत्ता | 1976 |
| 188. | मिर्च इंडस्ट्रीज प्रा० लि० बम्बई | 1978 |
| 189. | मैडोरीना वाच कं० प्रा० लि० बम्बई | 1978 |
| 190. | मैकमिलन कं० आफ इं० लि० नई दिल्ली | 1980 |
| 191. | गाहूलोस्टार इलैक्ट्रोनिक इक्विपमेंट प्रा० लि० बम्बई | 1977 |
| 192. | नेशनल स्टैंडर्ड डन्डने लि० बम्बई | 1975 |
| 193. | नार्डन (इं) लि० बम्बई | 1978 |
| 194. | नावटे टिम्बर कं० लि० असम | 1977 |
| 195. | नाइलोप्लास्ट इंडस्ट्रीज प्रा० लि० बम्बई | 1979 |
| 196. | निप्पन डण्डोन टैक्सटाइल फिनिशिंग कं० प्रा० लि० कलकत्ता | 1978 |
| 197. | न्यू ईस्टर्न (इं) प्रा० लि० बम्बई | 1978 |
| 198. | नेशनल केश रजिस्टर कं०, कलकत्ता | 1976 |
| 199. | विकोलस आफ इं० लि० बम्बई | 1980 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 200. | ओरिएण्ट इंजीनियरिंग एण्ड कमर्शियल कं० लि० कलकत्ता | 1978 |
| 201. | ओवरसीज मर्केण्डाइज इंस्पेक्शन कं० लि० कलकत्ता | 1977 |
| 202. | पैरी एण्ड कं० लि० मद्रास | 1976 |
| 203. | परफेक्ट सर्कल विक्टर लि० नासिक | 1978 |
| 204. | पाइरीन राय मैटल ट्रीटमेंट लि० बम्बई | 1976 |
| 205. | पिकर-एक्स-रे (इं) लि० कलकत्ता | 1978 |
| 206. | बुरोलेटर इं लि० नई दिल्ली | 1977 |
| 207. | बेवरेजज लि० बम्बई | 1978 |
| 208. | रुकनी टी कं० लि० | 1978 |
| 209. | रोनिया विकर्स इं० लि० नई दिल्ली | 1978 |
| 210. | रेमिंगटन रांड आफ इंडिया लि०, कलकत्ता | 1979 |
| 211. | रीव्स (आर्टिस्टस मैटीरियल्स) लि० बम्बई | 1977 |
| 212. | रेकिट एण्ड कोलमैन आफ इं० लि० कलकत्ता | 1977 |
| 213. | राबर्ट हडसन (आई) लि० कलकत्ता | 1978 |
| 214. | रोलेक्स वाच कं० (प्रा०) लि० बम्बई | 1977 |
| 215. | रिलायन्स कंस्ट्रक्शन प्रा० लि० बम्बई | 1979 |
| 216. | रोडियो फाउंडेशन इंजीनियरिंग एण्ड हजरत एण्ड कं० लि०, बम्बई | 1979 |
| 217. | रोड मशीन्स (इं) प्रा० लि० कलकत्ता | 1979 |
| 218. | राविन्द्रा हैरोस प्रा० लि० | 1977 |
| 219. | सप्त टेक्सटाइल प्रोडक्टस (इं) लि० बम्बई | 1976 |
| 220. | सवेरा एण्ड कं० (प्रा०) लि० कलकत्ता | 1977 |
| 221. | सिफको लि० बम्बई | 1975 |
| 222. | स्मिथ एण्ड नेफ्यू इं लि० बम्बई | 1975 |
| 223. | स्टीलेज इंडस्ट्रीज लि० बम्बई | 1975 |
| 224. | स्टप्स (इं) लि० बम्बई | 1976 |
| 225. | सुहृद गीगी लि० अहमदाबाद | 1979 |
| 226. | सिनबायोटिक्स (आई) लि० बम्बई | 1678 |
| 227. | स्नोसेम इं लि० बम्बई | 1977 |
| 228. | सायर्म एशिया लि० बम्बई | 1979 |
| 229. | एम० ए० ई० (भारत) लि० कलकत्ता | 1979 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 230 | सिंगर टी० वी० एस० लि० मद्रास | 1977 |
| 231. | सिम्मोज्स–मार्शल लि० बम्बई | 1978 |
| 232. | स्टीवर्टस एन्ड लायडस ग्राक इं० लि० कलकत्ता | 1979 |
| 233. | शाह मैडीकल एण्ड सर्जिकल कं० लि० वड़ोदर | 1980 |
| 234. | सैम्युल ग्रामवार्न (इं) लि० कलकत्ता | 1977 |
| 235. | सेपलफर (ब्रदर्स ग्राई) लि० बम्बई | 1977 |
| 236. | स्माल डीजल्स प्रा० लि० बम्बई | 1978 |
| 237. | सोफ्रीमाइन्स इं० लि० कलकत्ता | 1978 |
| 238. | स्टरडिया केमिकल्स लि० बम्बई | 1979 |
| 239. | सेमी कण्डक्टर्स लि० बम्बई | 1979 |
| 240. | शाह माल्लीएबल कास्टिंग्स लि० बम्बई | 1980 |
| 241. | टी० ग्राई ऐण्ड सेल्स लि० मद्रास | 1975 |
| 242. | टेलर इंस्ट्रमेन्ट कम्पनी (इं) लि० फरीदाबाद | 1975 |
| 243. | टेक्सटाइल एक्सपोर्ट (प्रा०) लि० बम्बई | 1976 |
| 244. | टिनप्लेट कम्पनी ग्राफ इं० लि० कलकत्ता | 1977 |
| 245. | त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि० इलाहाबाद | 1978 |
| 246. | टिपरा हिल डवेलपमेंट कं० लि० | 1978 |
| 247. | त्रिगोयर इं लि० बम्बई | 1978 |
| 248. | टाटा फिनले लि० बम्बई | 1977 |
| 249. | टेकालमिट इं० लि० वेस्ट बंगाल | 1978 |
| 250. | थाम्सन प्रेस इं० लि० | 1979 |
| 251. | थापर इस्ट्राफवर कं० ग्राफ इं० लि० कलकत्ता | 1979 |
| 252. | तारंजियन इं० प्रा० लि० कलकत्ता | 1979 |
| 253. | यू० एस० टिवागिन ऐण्ड फार्मस्यूटिकल कारपोरेशन (इं) लि० बम्बई | 1977 |
| 254. | यूनिवर्सल लैम्प मैन्यूफैक्चरिंग प्रा० लि० कलकत्ता | 1975 |
| 255. | वजीर सुलतान तम्बाकू कं० लि० हैदराबाद | 1975 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 256. | वानटन पम्पस (इं) प्रा॰ लि॰ मद्रास | 1976 |
| 257. | विकर्स इं॰ प्रा॰ लि॰ न्यू दिल्ली | 1979 |
| 258. | वलकन लेवल लि॰ बम्बई | 1978 |
| 259. | वलंका (इं) लि॰ बम्बई | 1980 |
| 260. | वालरत्रे टर एलाय कास्टिंग्स लि॰ | 1978 |
| 261. | वेस्टिंगहाऊस सैक्सवाई फार्मर लि॰ कलकत्ता | 1979 |
| 262. | विमको लि॰ बम्बई | 1977 |
| 263. | विलियम गुडाको ऐण्ड सन्स (इं) लि॰ | 1978 |
| 264. | वलंड फीचर सर्विसिस लि॰ नई दिल्ली | 1977 |
| 265. | वेडाग वैस्टफालिया डिननडालल ग्रोमल ए॰ जी॰ कलकत्ता | 1976 |

### विंटेज कारों का निर्यात

2303. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या वणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अनेक विंटेज कारों की देखभाल न होने के कारण टूट-फूट हो रही है, और

(ख) क्या ऐसी कारों का मूल्य भारत की तुलना में उनके मूल देशों में बहुत अधिक है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनका निर्यात करने और मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करने की अनुमति देने का है ?

**वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) यह हो सकता है कि कुछ विंटेज कारों का मूल्य भारत की तुलना में विदेशों में अधिक हो । निर्यात नीति के संदर्भ में, विंटेज कारों के निर्यात की अनुमति गुणावगुण के आधार पर दी जा सकती है ।

### विशेष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एकक

2304. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भर्ती और पदोन्नति तथा अन्य संबंधित मामलों में आरक्षण के प्रश्न पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के हितों की देखभाल करने की दृष्टि से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के अधिकारियों की अध्यक्षता में, मुख्यालय में तथा

भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एक विशेष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एकक स्थापित किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस तरह के एकक न बनाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ये एकक कब बनाए जाएंगे ?

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) :** (क) से (ग) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मुख्यालय में एक विशेष सैल का सृजन किया गया है और अनुसूचित जाति समुदाय का ही एक अधिकारी इस कार्य की देखरेख कर रहा है। अपेक्षित मात्रा से कम कार्य होने के कारण विमान क्षेत्रों के लिए इस प्रयोजन के लिए कोई पृथक सैल आवश्यक नहीं समझा जाता है। मुख्यालय का सैल विमान क्षेत्रों से प्राप्त सभी सूचना व आंकड़ों के समन्वयन व संकलन के लिए उत्तरदायी है।

### बिहार में बैंक की शाखाओं का खोला जाना

2305. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रत्येक 25,000 की आबादी पर एक बैंक खोला गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार में प्रत्येक 50,000 की आबादी पर एक बैंक खोला गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) और (ख) भागों का उत्तर हां, में हो तो क्या सरकार का यह भेदभाव दूर करने का विचार है ताकि बिहार में भी प्रत्येक 25,000 की आबादी पर एक बैंक खोल दिया जाय।

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) :** (क) से (ग) मार्च 1980 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, बिहार में औसतन प्रति 31,000 लोगों के लिए बैंक की एक शाखा थी। तत्सम्बन्धी अखिल भारतीय औसत के अनुसार प्रति 17,000 लोगों के लिए एक शाखा थी। परन्तु, शहरी और महानगरीय केन्द्रों तथा इस प्रकार के केन्द्रों की जनसंख्या को छोड़कर, बिहार में प्रति 35,000 ग्रामीण/अर्ध शहरी लोगों के लिए एक ग्रामीण/अर्ध शहरी शाखा और सम्पूर्ण देश में प्रति 22,000 लोगों के लिए एक शाखा थी।

जिन ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं कम हैं विशेषकर उन क्षेत्रों में जनसंख्या की दृष्टि से बैंकों की व्याप्ति का विस्तार करने के लिए बैंकों से यह कहा गया है कि वे 1979-81 की अवधि में मुख्यत: कमी वाले जिलों के बैंक रहित उन ग्रामीण और अर्ध शहरी केन्द्रों में शाखाओं का विस्तार करने पर जोर दें जहां व्याप्ति प्रति 20,000 ग्रामीण/अर्धशहरी लोगों के लिए एक ग्रामीण/अर्ध शहरी शाखा से कम हों। इस कार्यक्रम के अनुसार बिहार के कमी वाले जिलों के ग्रामीण/अर्ध शहरी केन्द्रों में 1441 शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 871 केन्द्रों में कार्यालय खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं तथा और अधिक केन्द्रों का आबंटन करने की कार्रवाई चल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार के परामर्श से कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समन्वय कर रहा है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में निवेश

2306. श्रीमती कृष्णा साही : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे होटलों पर 30 करोड़ रुपये का निवेश कर रखा है और क्या उनसे केवल तीन प्रतिशत की ही आय होती है,

(ख) क्या ऐसे होटलों से कम से कम 12 प्रतिशत आय होनी चाहिए जो कि प्राप्त नहीं हो रही है; और

(ग) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इन होटलों की आय बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऐसा कोई मानदंड निर्धारित नहीं है जिसके अन्तर्गत यह विनिर्दिष्ट किया गया हो कि होटलों पर निवेश से 12% आय होनी चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में विदेशी पूंजी निवेश

2307. श्रीमती कृष्णा साही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 1980 तक भारत में विदेशी पूंजी निवेश की कुल राशि दो हजार करोड़ रुपये थी,

(ख) क्या यह सच है कि भारत में पूंजी निवेश का 12 प्रतिशत तक सकल लाभ कमाते हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर सकारात्मक हो तो क्या सरकार का विचार भारत में इस विदेशी पूंजी निवेश को, जो हानिकारक है समाप्त करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) यद्यपि मार्च, 1980 के अन्त तक की अवधि में विदेशी निवेश की बकाया राशि के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी तौर पर शुरू किया गया सर्वेक्षण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी यह सम्भावना है कि यह राशि 2,000 करोड़ रुपए की होगी।

(ख) रिजर्व बैंक के अध्ययन के अनुसार 1974 तक देश में विदेशियों द्वारा नियंत्रित कंपनियों ने लगी पूंजी पर 14.6 प्रतिशत की दर से सकल लाभ कमाया है।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कम प्राथमिकता प्राप्त कार्य करने वाली कुछ विदेशी कम्पनियों को अपना कारोबार समेट लेने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ

अन्य कम्पनियों के बारे में, जिनका कारबार जारी रखे जाने की अनुमति दी गई है, सरकार की नीति वर्तमान लाभों आदि को बाहर भेजने की अनुमति देने की है बशर्ते कि उन्होंने भारतीय करों की अदायगी कर दी हो।

सरकारी क्षेत्र में स्टील इन्गोटों का उत्पादन

2308. श्री पीयूष तिरकी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में इस समय स्टील इन्गोटों का उत्पादन कितना है;

(ख) क्या और अधिक स्टील इन्गोटों का उत्पादन करने के लिए सरकार ने कोई लक्ष्य-योजना तैयार की है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क), (ख) और (ग) वर्ष 1980-81 के लिए सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में इस्पात पिण्डों के उत्पादन का लक्ष्य 72.20 लाख टन निर्धारित किया गया है जबकि वर्ष 1979-80 में वास्तविक उत्पादन 62.49 लाख टन हुआ था। इस प्रकार यह लक्ष्य 15.5 प्रतिशत अधिक है। वास्तविक उत्पादन तथा निर्धारित लक्ष्य का कारखानावार विवरण नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

| कारखाना | वर्ष 1979-80 का वास्तविक उत्पादन | वर्ष 1980-81 के लिए निर्धारित लक्ष्य | वर्ष 1979-80 के वास्तविक उत्पादन की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| भिलाई | 2108 | 2200 | (+) 4.4 |
| दुर्गापुर | 882 | 1070 | (+) 21.3 |
| राउरकेला | 1268 | 1460 | (+) 15.1 |
| बोकारो | 1426 | 1820 | (+) 27.6 |
| इस्को | 565 | 670 | (+) 18 6 |
| कुल | 6249 | 7220 | (+) 15.5 |

चाय का निर्यात

2309. श्री पीयूष तिरकी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें चाय का निर्यात किया जाता है;

(ख) गत एक वर्ष में प्रत्येक देश को कितनी-कितनी चाय का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार अन्य देशों को अधिक चाय निर्यात करने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) भारतीय चाय, विश्व के लगभग 80 देशों को निर्यात की जाती है यद्यपि वर्ष 1979-80 के लिए निर्यात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं किन्तु ऐसा अनुमान है कि वर्ष 1979-80 में 210.57 मिलीयन कि० ग्रा० चाय के कुल निर्यात किए गए जबकि वर्ष 1978-79 में 172.40 मिलीयन कि० ग्रा० के निर्यात हुए थे। वर्ष 1978-79 के लिए निर्यात आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) तथा (घ) जी हां। गैर परम्परागत देशों को और साथ ही ऐसे देशों को अधिक चाय भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं जहां गत वर्षों में पर्याप्त मात्रा में भारतीय चाय के निर्यात नहीं किये गये हैं।

विवरण

भारत से प्रमुख देशों को निर्यात की गई चाय की मात्रा

(आंकड़े मिलीयन कि० ग्रा० में हैं)

| देश का नाम | 1978-79 |
|---|---|
| अफगानिस्तान | 9.20 |
| आस्ट्रेलिया | 1.93 |
| ए० आर० ई० | 13.65 |
| कनाड़ा | 1.09 |
| जर्मन सं० गणराज्य | 2.87 |
| ईरान | 6.73 |
| इराक | 6.52 |
| आयरलैंड | 4.54 |
| जोर्डन | 0.93 |
| कुवैत | 1.44 |
| लीबिया | 3.65 |
| पोलैंड | 9.70 |
| सऊदी अरब | 1.58 |
| सूडान | 9.16 |

| | |
|---|---|
| संयुक्त अरब अमीरात | 9.49 |
| ब्रिटेन | 44.72 |
| सं० रा० अमरीका | 2.33 |
| सोवियत संघ | 28.89 |
| अन्य देश | 13.98 |
| योग | 172.40 |

## तम्बाकू का निर्यात

2310. श्री रासबिहारी बेहरा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान प्रत्येक देश को कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के तम्बाकू का निर्यात किया गया;

(ख) इसी अवधि में तम्बाकू के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) इस निर्यात पर किस दर से निर्यात शुल्क लगाया गया तथा इस प्रकार कितनी राशि का निर्यात शुल्क एकत्रित किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज़ियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तथा (ख) 1979-80 के दौरान तम्बाकू के देशवार निर्यात, मात्रा तथा मूल्य सहित, दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अविनिर्मित तम्बाकू के निर्यात पर लगाए गए शुल्क की दरें और 1979-80 के दौरान उससे एकत्र की गई राशि नीचे दी जाती है :—

| अधिनियम जिसके अंतर्गत शुल्क लगाया गया है | लगाए गए शुल्क की दर | 1979-80 के दौरान एकत्र की गई शुल्क राशि (हजार रु०) |
|---|---|---|
| सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 | 75 पैसे प्रति कि० ग्रा० अथवा 20%, जो भी कम हो | 48878 |
| तम्बाकू उपकर अधिनियम, | 1/2 प्रतिशत यथामूल्य | 4740 |
| कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 | 1/2 प्रतिशत यथामूल्य अनिर्मित तम्बाकू के टैरिफ मूल्य पर | 3604 |

विवरण

1979-80 के दौरान अनिर्मित तम्बाकू के देश-वार निर्यात

| देश का नाम | मात्रा (हजार किग्रा) | मूल्य (हजार रु०) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ब्रिटेन | 20,243 | 37,88,28 |
| बैल्जियम | 1,935 | 2,9535 |
| डेनमार्क | 15 | 1,91 |
| फिनलैंड | 16 | 3,32 |
| फ्रांस | 3,389 | 1,18,98 |
| आयरिश गणराज्य | 598 | 1,13,96 |
| इटली | 1,078 | 1,79,54 |
| नीदरलैंड | 1,565 | 1,85,17 |
| पुर्तगाल | 235 | 53,13 |
| स्वीडन | 20,20 | 2,20 |
| प० जर्मनी | 111 | 18,99 |
| बल्गारिया | 1,239 | 71,33 |
| चैकोस्लोवाकिया | 685 | 1,07,40 |
| सोवियत संघ | 16,730 | 29,33,89 |
| बहरीन द्वीपसमूह | 170 | 4,85 |
| साइप्रस | 147 | 14,42 |
| दुबई | 313 | 19,94 |
| इराक | 1,100 | 2,57,99 |
| इजराइल | 38 | 3,27 |
| कुवैत | 225 | 38,85 |
| द० यमन जनवादी गणराज्य | 1,972 | 1,20,99 |
| स० अरब | 1,253 | 69,31 |
| सं० अरब अमीरात | 21 | 1,93 |
| यमन अरब गणराज्य | 2,963 | 1,80,58 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| बंगला देश | 123 | 16,88 |
| चीन | 1,800 | 2 ,97,04 |
| इन्डोनेशिया | 77 | 5,65 |
| जापान | 2,500 | 6,63,68 |
| मालदीव | 17 | 2,26 |
| सिंगापुर | 48 | 5,28 |
| मलयेशिया | 1 | 10 |
| कैमरून | 90 | 8,98 |
| कांगो | 70 | 314 |
| मिस्र | 106 | 645 |
| लीबिया | 50 | 1071 |
| नाइजीरिया | 2,078 | 2,05,87 |
| सोमालिया | 120 | 6,36 |
| प० अफ्रीका | 1,162 | 61,02 |
| आस्ट्रेलिया | 40 | 9,30 |
| सं० रा० अमरीका | 467 | 64,63 |
| योग | 64,810 | 99,52,93 |

टिप्पणी : उपर्युक्त जानकारी तम्बाकू बोर्ड द्वारा संकलित किये गये अनन्तिम निर्यात आंकड़ों पर आधारित है।

## पश्चिम बंगाल में बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता

**2311. श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने संबंधी कोई प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले में सहायता हेतु केन्द्र से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने 1978-79 से बेरोजगारी सहायता कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई बेरोजगार व्यक्ति जो कि 5 वर्ष से अधिक किसी रोजगार कार्यालय में वैधरूप से पंजीकृत रहा है और जिसकी पारिवारिक आय 500 रु० प्रति मास से अधिक नहीं है, वह 50 रु० प्रतिमास बेरोजगारी सहायता प्राप्त करता है। यह सहायता 3 वर्ष तक मिल सकती है बशर्ते कि इस अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति को कोई लाभकारी रोजगार न मिल जाये।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ समय पूर्व केन्द्रीय सरकार से बेरोजगारी सहायता कार्यक्रम पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत पूरा करने के लिए अनुरोध किया था। राज्य सरकार को यह सूचित किया गया कि केन्द्रीय सरकार के अनुसार राज्य सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि वह अपने दुर्लभ वित्तीय संसाधनों का उपयोग अधिक लाभकारी रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए करे न की नकद दान देने के लिए। परन्तु राज्य सरकार के लिए इस बात की पूरी छूट है कि वह उसके अपने संसाधनों के भीतर बेरोजगार संबंधी राहत योजनाओं को बनायें।

## सूती कपड़े का निर्यात

2312. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 से 1979-80 तक (वर्षवार) कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का सूती कपड़ा माल विदेशों को निर्यात किया गया ; और

(ख) उद्योग तथा कपड़ा माल के आयातकर्ताओं को निर्यात राज–सहायता के रूप में वर्ष 1966-67 से 1979-80 तक (वर्षवार) कुल कितनी राज-सहायता दी गई ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## गाजीपुर में अफीम की खेती

2313. श्री जैनुल बशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजीपुर में जहां सरकारी अफीम का कारखाना है अफीम की खेती का क्षेत्रफल निरन्तर घटाया जा रहा है ;

(ख) क्या इस कारखाने के लिए अफीम दूर के स्थानों से मंगाई जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) विश्व में भारतीय अफीम की मांग में कमी आने के कारण, परम्परागत रूप से पोस्त उगाने वाले तीनों राज्यों अर्थात्, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पोस्त की काश्त का रकवा, जो वर्ष 1977-78 में 63684 हैक्टेयर था घटाकर वर्ष 1978-79 में 52082 हैक्टेयर और वर्ष 1979-80 में

35167 हैक्टेयर कर दिया गया था। इसके परिणामतः, गाजीपुर जिले में भी पोस्त की काश्त का रकबा, जो वर्ष 1977-78 में 271 हैक्टेयर था, कम करके वर्ष 1978-79 में 206 हैक्टेयर और वर्ष 1979-80 में 151 हैक्टेयर कर दिया गया है।

(ख) और (ग) अफीम उगाने वाले तीनों राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान की अफीम की उपज नीमच और गाजीपुर स्थित दोनों सरकारी कारखानों को, कच्ची अफीम की उनकी अन्तर्ग्रहण क्षमताओं के आधार पर, भेजी जाती है। नीमच का कारखाने की अन्तर्ग्रहण क्षमता सीमित होने से, गाजीपुर कारखाने को उत्तर प्रदेश की सारी उपज के अतिरिक्त राजस्थान की उपज की बहुत बड़ी मात्रा और कभी-कभी मध्य प्रदेश की उपज का एक हिस्सा भेजा जाता है।

---

## बागपत में हुई घटना तथा कई अन्य मामलों के सम्बन्ध में सभा में हुई चर्चा के कथित गलत प्रकाशन के बारे में

**श्री मनीराम बागड़ी** (हिसार) : अध्यक्ष जी, कल जो "बागपत में पुलिस जुल्म" के सवाल पर लोक सभा में मामला उठा था और आप ने जो लोक सभा को विश्वास दिलाया था और मेरी तरफ से तथा पासवान जी की तरफ से जो आप को विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया था, उसके बारे में अखबारों में गलत छपा है। जैसे मेरे बारे में "तेज" अखबार में छपा है- उस की हैडलाइन्ज में दिया है:- 1

"बागपत में पुलिस मैनों के हाथों औरत को सरे-बाजार वरहना करने और आबरू रेजी का वाक्या। पार्लियामेन्ट के दोनों सेवानों में हंगामा। वज़ीरे-दाखला ज्ञानी जैलसिंह खुद जांच करेंगे।"

मुझे यह तो नहीं कहना है कि वज़ीरे दाखला की जांच हो या लोक सभा की हो, इसके बारे में तो जब चर्चा चलेगी तब देखेंगे। लेकिन इस में आगे चल कर यह दिया गया है- "मणिराम बागड़ी, लोक दल के मेम्बर की भी पुलिस ने पिटाई की है।" ऐसा और अखबारों में भी जुड़ा है। मुझे ऐतराज इस पर भी है- मैं इसको भी गलत रिपोर्टिंग मानता हूँ कि एक मिनिस्टर का वाक्य और लोक सभा के अध्यक्ष का जो वाक्य है - उस में फर्क है। लोक सभा में जो सवाल उठा था, उस पर आपने लोक सभा को विश्वास दिलाया था और वह समस्त भारत की बात थी, पार्टी से ऊंची बात थी, जिस में आप ने सारे राष्ट्र को विश्वास दिलाया था, उसको हैडलाइन्ज में लाना चाहिए था, लेकिन अखबारवालों ने सरकार के मंत्री की बात को छापा। असल में जनतन्त्र की बात अखबार वाले समझ नहीं पाते हैं। मेरा निवेदन है कि अखबार वालों की इस तरह की खबरें छापने में शुद्धि कीजिए, इमसे गलतफहमी फैलती है, झगडे भी बढते हैं। मैं मौके पर नहीं गया था, मौके पर जयपाल सिंह और पासवान जी गये थे.........

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उस को देखा है, चैक भी किया है। उसका इन्फरेंस उन्होंने गलत निकाला है। मैं चाहूंगा कि प्रेस आइन्दा ठीक रिपोर्टिंग करे जिस से कोई भ्रम पैदा न हो। मुझे एक और शिकायत भी मिली है—श्री नारायण चोबे ने शिकायत की है कि वह सी० पी० (एम०)

के नहीं हैं, सी० पी० (आई०) के हैं, लेकिन रेडियो उन को सी० पी० (एम०)—सी०पी०(एम०) कर के बोलता है। यह बात भ्रमात्मक है, यह नहीं होना चाहिए। मैं रेडियो और प्रेस दोनों से कहूंगा कि वे आब्जेक्टिव और करेक्ट प्रचार करें।

**श्री मनीराम बागड़ी** : आप कल के अखबारों को और कल की प्रोसीडिंग्ज को मंगा कर देख लें। ऐसा लगता है जैसे लोकसभा चल ही नहीं रही है। हैड-लाइन्ज राज्य सभा की, कार-गुजारियां राज्य सभा की, हैड-लाइन्ज ज्ञानी जैल सिंह की, नीचे सिर्फ दो हर्फ हैं कि स्पीकर ने लोक सभा को विश्वास दिलाया। जैसे लोक सभा कुछ भी नहीं है। बरतानिया के अन्दर हाउस आफ़ लार्ड्स और हाउस आफ़ कामन्ज होते हैं, लेकिन हमारी लोक सभा जनता का प्रतीक है। यह सुप्रीम है, इसके फैसले का समस्त भारत में प्रचार होना चाहिए। लेकिन न मालूम ये अखबारवाले कहां ज्ञानी जैल सिंह से फंस गये हैं, जैल सिंह के ऊपर कुछ नज़र ही नहीं आता है।

**श्री राम विलास पासवान** (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझ को भी दो शब्द कहने हैं—पहली बात तो यह कि आप विगत एक सप्ताह के रेडियो बुलेटिन्ज मंगा कर देखें। लोक सभा में जो इम्पार्टेन्ट कार्यवाही होती है उन के बारे में रेडियो के मुख्य समाचार जो रात को पौने नौ बजे और सवेरे 8 बजे प्रसारित होते है, उनमें कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। कल मेरा कालिंग एटेन्शन था और सरकार ने जो इतना बड़ा निर्णय लिया था कि "माइन्ज सेफटी बोर्ड" की स्थापना करने जा रहे हैं—उस की कोई चर्चा न रात के हिन्दी अथवा अंग्रेजी बुलेटिन में और न सुबह के बुलेटिन में की गई है।

प्रिवलेज के सम्बन्ध में आप ने रूलिंग दिया था कि आप होम- मिनिस्ट्री को डायरेक्ट कर रहे हैं, उन के द्वारा उस की जांच करवायेंगे- इस की न्यूज क्यों नहीं आई? मैं जानता हूं यह दुख का समय है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन सरकार द्वारा जो इम्पार्टेन्ट घोषणा लोक सभा के सदन में की जाती है, जैसे मेरे काल-एटेन्शन के बारे में थी, उस की न्यूज न निकाली जाय, उस को सप्रेस किया जाय- मैं समझता हूं यह पार्लियामेन्ट का अपमान है, संसद का अपमान है, इस को निश्चित रूप से देखना चाहिये।

दूसरी बात—19 जून को हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री श्री शंकरानन्द जी के खिलाफ प्रिवलेज का मोशन दिया था, जिस में उन्होंने कहा था कि 5 जून को.........

**अध्यक्ष महोदय** : वह आपके सामने आयेगा।

**श्री रामविलास पासवान** : आपने कहा था कि इस सम्बन्ध में आप शीघ्र ही निर्णय देंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : वह आ रहा है, आप को भेजेंगे।

**श्री राम विलास पासवान** : यह तो दिल्ली का मामला है और पूरी एवीडंस है, इसलिये हाऊस को इसके बारे में सूचित करें।

**अध्यक्ष महोदय** : यह हो जाएगा।

**श्री निरेन घोष (दम दम)** : श्रीमान्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : श्रीमान जी, वह बड़े शालीन हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, आज वह बड़े शालीन है।

**श्री निरेन घोष** : मैं बहुत लम्बे समय से यह महसूस कर रहा हूं कि दूसरी सभा बड़े अच्छे ढंग से महत्वपूर्ण मामलों पर कार्यवाही करने में समर्थ हो रही है और हमारी सभा वैसा करने में समर्थ नहीं है..........

**अध्यक्ष महोदय** : क्यों नहीं ? मैं सहमत नहीं हूं। हमने बहुत अच्छे ढंग से कार्यवाही की है।

**श्री निरेन घोष** : नहीं, नहीं, मैं इसे इकट्ठा ही कर देता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : हम कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। नियमों के अनुसार, मैं सभा में किसी भी चर्चा पर रोक नहीं लगाऊंगा। मैं इस सभा की मर्यादा तथा स्वतंत्रता को जहां तक हद भी संभव हो सका बनाये रखूंगा।

**श्री निरेन घोष** : कृषि मंत्री महोदय के विरुद्ध मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव के सम्बन्ध में आप ने निदेश दिया था कि इस को निदेशक 115 के अधीन लाया जाना चाहिए। मैंने आप से निवेदन किया है। आप निदेश दें कि इसे कब लिया जायेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : हां, हम इस पर विचार करेंगे।

**श्री राजेश पाइलट (भरतपुर)** : आपकी अनुमति से, श्रीमान, यदि आप मुझे तीन मिनट की इजाज़त दें तो मैं बागपत कांड से संबंधित तथ्य प्रस्तुत करूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं। जब इस मामले की बारी आयेगी तब आप तथ्य प्रस्तुत कर सकते है। जांच हो रही है। मैंने मंत्रालय से बातचीत की है। पहले मंत्रालय की बारी आने दीजिए।

**श्री मनी राम बागडी** : मेरा प्वाइन्ट आफ़ आर्डर है अन्डर रूल 376। मैंने कालिंग एटेंशन का एक नोटिस दिया था कि गांधी नगर के अन्दर जो पीने का पानी नलकों के जरिये पिलाया जाता है स्कूल के विद्यार्थियों को और सारी दिल्ली के दूसरे लोगों को, वह गन्दा पानी होता है......

**अध्यक्ष महोदय** : आप को यह लिखित में देना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर ध्यान दे। यह बड़ा गंभीर मामला है। परन्तु आप मुझे लिखित में नोटिस दें। मैंने मंत्रालय से इस पर ध्यान देने को कहा है.......हां, आप सही है।

**श्री मनीराम बागड़ी** : अध्यक्ष जी, आप मुझे पूरी बात कहने दें ताकि अखबार वाले सुनें और उन को पता लगे कि जनता गन्दा पानी पीने से बीमार होती है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसे नोट कर लिया है। यह बहुत गंभीर मामला है। स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पर ध्यान देने के लिये कह रहा हूं।

**श्री राम विलास पासवान :** यह एक दिन का मामला नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि एक रेलवे स्टेशन के पास जो टंकी थी, उस में एक लाश मिली और उस पानी को लोगों ने पिया।...(व्यवधान)...लाखों लोगों ने उस पानी को पिया है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने गृह मंत्रालय से इस पर विचार करने के लिए कहा है। मुझे मालूम है कि जन-स्वास्थ्य के लिए यह एक अविलम्ब समस्या है।

**श्री राम विलास पासवान :** पहले एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए।

**अध्यक्ष महोदय :** सुन ली आप की बात। पानी के मुतालिक आप की बात है।

**श्री राम विलास पासवान :** पानी के मुतालिक ही हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि रेलवे स्टेशन के बगल में पानी की टंकी में एक आदमी की लाश मिली और उस पानी को लाखों लोगों ने पिया है।

**अध्यक्ष महोदय :** आप मुझे एक पूर्ण विवरण दें। जिसमें सभी तथ्य दिये गये हों।

**श्री राम विलास पासवान :** हम लोगों ने कालिंग एटेंशन का नोटिस दिया है।

**अध्यक्ष महोदय :** कब दिया है ?

**श्री राम विलास पासवान :** आज से पांच दिन पहले दिया है। यह 9 तारीख का मामला है। इस पर कालिंग एटेंशन का नोटिस दिया है। यह एक गंभीर मामला है और इस की जांच होनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** अब सभापटल पर पत्र रखे जाने है।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

### वायुयान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे आदि

**पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) :** श्री अनन्त प्रसाद शर्मा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14 (क) के अंतर्गत निम्न- लिखित के अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 1980, जो दिनांक 10 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 537 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (चौथा सशोधन) नियम, 1980, जो दिनांक 24 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 578

में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 954/80 ]

(2) अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 25 की उपधारा (2) के अंतर्गत, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 24 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(5) उपर्युक्त मद (2) और (3) में उल्लिखित भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी-955/80]

### रेशमी और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) रेशमी और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी-956/80]

(2) काफी बोर्ड के वर्ष 1977-78 (सामान्य निधि) और 1976-77 (कुल निधि) के लेखाओं पर लेखापरीक्षा** प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी-957/80]

### आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सूती कपड़ा नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ, जो दिनांक 31 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1508 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी०-958/8०]

**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 20 जून, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

**साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें, लोक भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना**

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकट रामन)** : श्री मगन भाई बारोट की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) साधारण बीमा (अधिकारियों तथा विकास कर्मचारियों की सेवा समाप्ति, अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति) संशोधन स्कीम, 1980, जो दिनांक 12 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 313 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) साधारण बीमा (पर्यवेक्षकों, क्लर्कों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों को युक्ति-युक्त बनाना तथा उनमें संशोधन करना) संशोधन स्कीम, 1980, जो दिनांक 12 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 314 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) सां० आ० 430 (ङ) जो दिनांक 17 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें दिनांक 12 मई, 1980 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 313 (ङ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी०-959/80]

(2) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अन्तर्गत लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 9 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 204 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी०-960/80]

(3) (एक) निक्षेप बीमा तथा ऋण प्रत्याभूति निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत निक्षेप बीमा और ऋण प्रत्याभूति निगम के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण पर प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त निगम के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी०-961/80]

## आसाम विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1980

सचिव : श्रीमान, मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया तथा 10 जून, 1980 को सदन में पिछली बार प्रतिवेदन दिये जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त असम विनियोग (दूसरा लेखानुदान) विधेयक, 1980 सभा पटल पर रखता हूं।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में चीनी के मूल्यों में भारी वृद्धि के समाचार

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु। वे यहां नहीं हैं। श्री मधुकर।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : अध्यक्ष जी, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"जून, और जुलाई, 1980 के लिये सरकार द्वारा कम कोटा दिये जाने के कारण दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में चीनी के मूल्यों में भारी वृद्धि का समाचार।"

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : सर्वप्रथम मैं सदन के साथ सरकार की चीनी के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखने विषयक चिन्ता में शरीक होना चाहूंगा। हाल ही के सप्ताहों में सदन को देश में गन्ना और चीनी की अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का अवसर मिला है। पहली अक्तूबर से प्रारम्भ हुए चालू चीनी वर्ष के प्रारम्भ के दौरान चीनी के खुदरा मूल्य 2.90 रुपये से 3.20 रुपये प्रति किलो के रेंज में थे, लेकिन पिछली सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियंत्रित मूल्यों पर उनकी उपलब्धता ने काफी कठिनाइयां पैदा कीं। चीनी की आंशिक नियंत्रण और दोहरी मूल्य निर्धारण नीति को 17 दिसम्बर, 1979 से पुनः लागू करने से, उपलब्धता स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ। तथापि, खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में मजबूती का रुख देखने को मिला। फिलहाल देश की प्रमुख मंडियों में मूल्य लगभग 600 से 670 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में हैं।

2. महोदय, हमें बहुत से आयामों से गन्ना और चीनी की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर विचार करना चाहिए। अस्थायी अनुमानों के अनुसार वर्तमान मौसम 1979-80 में गन्ने का उत्पादन लगभग 1300 लाख मीटरी टन होगा और इस स्तर पर, यह पिछले वर्ष (1978-79 चीनी मौसम) से 17 प्रतिशत तक कम है। सदन इस बात से सहमत होगा कि गन्ने के उत्पादन में इस भारी कमी, जिससे स्वीटनिंग तत्वों की समूची उपलब्धता में लगभग 30 लाख मीटरी टन की कमी हुई है, से स्वीटनिंग तत्वों की स्थिति पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में लगभग 20 प्रतिशत तक की भारी गिरावट होने तथा साथ-साथ मौसम के अन्त में देश के बहुत सारे भागों में सूखा पड़ने के कारण, गन्ने से उत्पादित सभी स्वीटनिंग तत्वों के मूल्यों में कुल मिलाकर कम उपलब्धता के कारण मजबूती आयी।

3. सरकार का उद्देश्य चीनी का उत्पादन, चीनी की निर्मुक्तियां करना, जमाशुदा माल को बाहर निकलवाने संबंधी अभियान चलाना, लेवी चीनी का तेजी से संचलन करवाना, आगामी मौसम में शीघ्र पिराई करने के लिए प्रोत्साहन देना, नयी क्षमता का सृजन करने के लिए लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा करना आदि सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल कर कार्यक्रमों का एक समन्वित पैकेज करना और उसे कार्यान्वित करना है।

4. सीमित स्टाक होने के बावजूद हम उदारतापूर्वक मुक्त बिक्री की चीनी निर्मुक्त कर रहे हैं। मध्य-दिसम्बर, 1979 में आंशिक नियंत्रण की नीति को शुरू करने से प्रतिमास 2.71 लाख मीटरी टन लेवी चीनी जारी करने के अलावा, हमने जनवरी से जुलाई, 1980 तक सात महीनों के दौरान मुक्त बिक्री के लिए 1.25 लाख मीटरी टन से 2.75 लाख मीटरी टन प्रतिमास के बीच चीनी निर्मुक्त की है और ये निर्मुक्तियां 1973 से 1978 के छः वर्षों, जबकि आंशिक नियंत्रण की नीति लागू थी, की निर्मुक्तियों की मात्रा से बहुत ही अधिक है। यह कहना है कि मुक्त बिक्री के प्रति जुलाई, 1980 के लिए निर्मुक्त की गई 1.25 लाख मीटरी टन की मात्रा कम है, चीनी और गन्ने की स्थिति तथा इस मौसम में बहुत ही कठिन स्थिति को निपटाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को अपर्याप्त कदर करने के समतुल्य होगा।

5. लेवी चीनी के क्षेत्र में भी, जोकि देश के उत्पादन का 65 प्रतिशत बैठती है, सरकार द्वारा कई एक क्रियाशील कदम उठाए गए है। आंशिक नियंत्रण को पुनः लागू करने की प्रारम्भिक अवस्था में, यह स्वीकार करना होगा कि परिवहन संबंधी बाधाओं और कार्यविधियों में सुधार लाने की आवश्यकता सहित कई एक परिचालन संबंधी कठिनाइयां थीं। इन पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और मध्य दिसम्बर, 1979 से मई, 1980 तक किए गए 14.77 लाख मीटरी टन के आवंटन के प्रति, मई, 1980 के अन्त तक लगभग 13.70 लाख मीटरी टन का संचलन हो चुका है और शेष 1.07 लाख मीटरी टन की मामूली यात्रा रह गई है जिसे भारतीय खाद्य निगम और सीधे अलाटी राज्यों द्वारा भेजा जाना है। इस मात्रा को भी शीघ्र भेजने की व्यवस्था की जा चुकी है।

6. मान्यता प्राप्त व्यापारियों की स्टाक रखने की सीमा को कम करने, राज्य सरकार के प्राधिकारियों के माध्यम से स्टाक रखने की सीमा को सख्ती से लागू करने और जमाशुदा माल को बाहर निकलवाने से संबधित कार्य को तेज करने, स्टाक को प्रत्यक्ष रूप से सुपुर्द करने के साथ यदि सौदा न किया गया हो वहां एक थोक विक्रेता द्वारा अन्य थोक विक्रेता को चीनी बेचने पर प्रतिबंध लगाने, मान्यता प्राप्त व्यापारियों द्वारा 10 दिनों के अन्दर-अन्दर स्टाक बेचने की शर्त लगाने, चीनी मिलों के लिए संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों को साप्ताहिक बिक्री और प्रेषणों के ब्यौरे देना अनिवार्य कर मुक्त बिक्री की चीनी की बिक्री और प्रेषणों से संबंधित सूचना पर निगाह रखने जैसे कई एक विनियामक उपाय भी सरकार द्वारा किए गए हैं।

7. यह स्वीकार करना होगा कि चीनी की स्थिति कठिन है और आगामी कुछ महीनों में हमें अपनी खपत पर नियंत्रण रखना होगा। तथापि, इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि लगभग दो तिहाई उत्पादन को देश भर में 2.85 रुपये किलोग्राम के समान मूल्य पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है। 2 लाख मीटरी टन चीनी के आयात

से कुछ राहत अवश्य मिलनी चाहिए लेकिन सदन इस बात से सहमत होगा कि इस समस्या पर तभी काबू पाया जा सकता है जब चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने और स्थापित क्षमता में तुरन्त वृद्धि करने के लिए उपाय किए जाएं। अक्तूबर और नवम्बर, 1980 के महीनों में शीघ्र पिराई कार्य शुरू करने के लिए चीनी यूनिटों को प्रेरित करने की दृष्टि से, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्पादन शुल्क विषयक प्रोत्साहन देने हेतु हम एक योजना शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। दीर्घकालीन उपाय के रूप में, हमने लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाने का निश्चय किया है ताकि नयी फैक्ट्रियों को अग्रता के आधार पर चालू किया जा सके।

श्री कमला मिश्र मधुकर : तीस वर्षों का इतिहास बताता है कि चीनी के दाम निरन्तर बढ़ते रहे हैं। आप कोई भी ब्यान उठा कर देख लें, उन में चीनी के दाम घटाने की बात कही जाती रही है लेकिन वास्तव में दाम हमेशा ही बढ़ते रहे हैं और बढते जा रहे हैं। इसका कारण है कि सरकार और मिल मालिकों के बीच हमेशा से ही मिली भगत रही है। इस मिली भगत के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं की लूट हुई है, किसानों की लूट हुई है और चीनी मिल मालिकों का मुनाफा बढता चला गया है। हमेशा ही जनता तबाह हुई है। यह एक तथ्य है और इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या जनता की सरकार, सभी सरकारों ने सेठों के साथ मिल कर जनता को लूटा है और इस लूट में कोई कसर नहीं छोडी है। इस मामले में आप में और दूसरों में कोई फर्क नही।

मैं आपकी आज्ञा से एक लेख, जोकि जन शक्ति में छपा है और श्री इन्द्रदीप सिंह द्वारा लिखा गया है, जो बहुत बड़े विद्वान और अर्थ शास्त्री भी हैं, से कुछ वाक्य पढ कर आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है :

> जरूरी चीजों के दाम में खास कर चीनी के दाम में सरपट बढ़ती पर हाल ही में एक बहस के दौरान मांग की गई कि भारतीय जनता के खिलाफ चीनी सेठों के युद्ध में मुजरिमाना भूमिका के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी को 11 साल की, मोरारजी देसाई को 27 माह की और चौधरी चरणसिंह को 24 दिन की सजा दी जानी चाहिये।

ऐसा क्यों ? इसकी वजह है कि बार बार कंट्रोल चीनी पर किया गया है और बार-बार चीनी को डिकंट्रोल किया गया है। पांच बार कंट्रोल, डिकंट्रोल या आंशिक कंट्रोल किया गया है। इस में लिखा है :

> हर बार कंट्रोल उठाने का उद्देश्य खुले बाजार में चीनी के दाम को गिरने से रोकना था। हर पुनः कंट्रोल का उद्देश्य चीनी की माहवारी निकासी को नियंत्रित करके बाजार में बनावटी अभाव पैदा करना और दाम बढ़ाना था।

श्री चरणसिंह की जब हकूमत आई तो उस समय चीनी सेठों को उसने कम से कम 140 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाने का मौका दिया। यह एक तोफा था जो उसने चीनी मिल मालिकों को दिया।

महारानी इन्दिरा गांधी ने लोक सभा के चुनाव अभियान के दौरान चीनी के दाम घटाने के लिए बडे कदम उठाने की लफ्फाजी और बड़ी बड़ी बातें कहीं लेकिन वे सब मजाक बन कर

रह गई है । क्यों मैं एसा कह रहा हूं ? इसलिए कह रहा हूं कि आपकी और मिल मालिकों की मिली भगत है, मेलजोल है और उसकी वजह से चीनी के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। बार बार यह मांग की जाती रही है और कांग्रेस पार्टी में भी यह मांग उठती रही है कि उत्पादकों की समस्याओं को हल किए बगैर चीनी का उत्पादन नहीं बढ़ सकता है । किसानों को इन्सेंटिव देने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों को लूटा गया है और मिल-मालिकों का मुनाफा बढ़ाया गया है । मिल में काम करने वाले मजदूरों को लूटा गया है और कन्ज्यूमर्स उपभोक्ताओं को लूटा गया है । आम जनता को भी उससे कोई लाभ नहीं हुआ है । हम क्यों आंशिक कंट्रोल करते हैं, बाकी 35 परसेंट कहां जाता है ? चीनी मिल मालिकों के लिये खुला बेलगाम मुनाफा है। सरकार की कोई नीति नहीं है । मैं बहुत दिनों से आपको लोक-सभा में देख रहा हूं, उन दिनों आप किसानों के लिये बहुत कहते रहते थे लेकिन आज आपकी आवाज बन्द हो गई है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं चीनी उपभ्रोक्ताओं को सस्ते दर पर मिले इसके लिये आपको आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा, उसके लिये मंत्री महोदय तैयार हैं या नहीं, यह बता दें ।

दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि चीनी के जो दो मूल्य तय किये हैं, इसको खत्म करने जा रहे हैं या नहीं ? यानी एक दाम पर जितना चीनी का स्टाक है वह सब उपभोक्ताओं को उचित दर दुकान के ज़रिये एक भाव पर मिल सके, क्या मंत्री महोदय इसके लिये तैयार हैं या नहीं ?

आप खुद जानते हैं कि गन्ने के दाम घटाये गये, कभी बढ़ाये नहीं । किसानो को बहुत नुक्सान होता है और होता क्या है कि वह गन्ने के बजाय दूसरी खेती करने में लग जाते हैं। इसलिये गन्ने के दाम आप 19 रुपये क्विटल करने जा रहे हैं या नहीं ?

इसके अलावा चीनी का जो आपने इम्पोर्ट किया है, मैं समझता हूं कि इससे कोई समस्या का हल होने वाला नहीं है । अखबारों में आया है कि इम्पोर्ट में बंगलिंग भी हुआ है, हुआ है या नहीं, लेकिन 2 लाख टन चीनी इम्पोर्ट करने से इस समस्या का हल होने वाला नहीं है । इसलिये चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की जो मांग है, जो प्रस्ताव आपने पास किया है, उस वायदे को पूरा करने जा रहे हैं या नहीं ?

इस साल चीनी के लिये आप किसानों को गन्ने का क्या मूल्य देने जा रहे हैं, इसकी स्पष्ट कोई घोषणा करने जा रहे हैं या नहीं ? इसके साथ ही जो पुरानी चीनी मिल हैं, जिनको जंग लग गया है, उनके नवीकरण करने के लिये आप क्या करने जा रहे हैं ? आपने करोड़ों रुपये दिये है, लेकिन वह वसूल नहीं हुआ है इसलिये तमाम मिलों का राष्ट्रीयकरण कर के, चीनी के तमाम स्टाक को लेकर आम जनता को एक मूल्य पर दिलाने की आप कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं या नहीं ? अब तक आपके लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी चीनी लोगों को मिल नहीं रही है, चीनी सोना बनने जा रही है, इसके दाम कम नहीं हो रहे हैं, इसलिये मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्नों का उत्तर दें ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अखबारी बातें कहीं, उनके मुताल्लिक तो मैं कुछ जवाब दे नहीं सकता लेकिन चाहे जिसकी जो सजा वह बतायें, मुझे तो खुशी है कि कम सजा हमारे लिये उन्होंने निर्धारित की है ।

माननीय सदस्य ने किसानों को इंसेंटिव देने की बात कही है. किसानों के लिये मैं जितना काम करता रहा हूं और उनके लिये लड़ता रहा हूं आज यह उसी का नतीजा है कि मेरे जिम्मे कृषि का महकमा दिया गया है, ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। मेरी आवाज बन्द नहीं हुई है। किसानों के बारे में मेरी लगन और हमदर्दी को देखते हुए ही यह काम मुझे सौंपा गया है। यह सरकार किसानों की पूरी सेवा कर रही है।

मिलों के पास जितना चीनी का स्टाक है, वह पूरी तरह सरकार के काबू में है। हमारे पास सारा हिसाब-किताब है। मैं हाउस को यह यकीन दिलाता हूं कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। सारी चीनी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और वह सही तौर पर बांटी जा रही है। मिलें हमारे रिलीज़ आर्डर के मुताबिक चीनी की मूवमेंट करायें, इस मामले में भी हम सख्ती बरत रहे हैं। हमने बहुत सी मिलों को नोटिस दिये हैं और कुछ को प्रासीक्यूट किया है। मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि हम मिलों के साथ कोई नर्मी नहीं करने जा रहे हैं।

हमने मेहनत कर के, कोशिश कर के और बहुत मुश्किल हालात का मुकाबला करते हुए ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट कराई है। अब तक टोटल 14.77 लाख मीट्रिक टन चीनी एलाट हुई है। जैसा कि मैंने अपने बयान में कहा है, मई के आखिर तक 13.70 लाख मीट्रिक टन का मूवमेंट हो चुका है। सिर्फ एक लाख मीट्रिक टन का मूवमेंट बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि वह इस महीने में हो जायेगा। इस वक्त कोई बैकलाग नहीं है। सरकार की यह कारगुजारी सराहनीय है। मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वह देखें कि हमारी रेलवेज़ कितनी मुश्किलात में से निकली है। कहीं कोयला पहुंचाना है और कहीं डीज़ल। ड्राउट एरियाज़ में हम पानी भी रेलों के द्वारा पहुँचा रहे हैं। हम ने कहीं भी अनाज की कमी नहीं होने दी हैं। चीनी का पिछला बैकलाक बहुत भारी था। जनवरी के बाद हमने उसको क्लीयर किया है। उसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

सरकार हमेशा शूगरकेन की ज्यादा प्राइस दिलाने की कोशिश करती है। माननीय सदस्य को मालूम है कि इस साल गन्ने की कीमत किसानों को 25, 26 और 27 रुपये क्विंटल तक मिली है। किसानों को गन्ने की कीमत कम नहीं मिली है। (व्यवधान)

**श्री रामावतार शास्त्री (पटना)** : बिहार में साढ़े बारह रुपये दिये गए हैं।

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : यह तो माननीय सदस्य बिहार वालों से पूछें कि कीमत कैसे कम रही।

**श्री रामावतार शास्त्री** : आप सब के मालिक हैं।

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : किसानों को गन्ने की ज्यादा से ज़ायदा कीमत मिली। हम किसानों के लिए सबसे बड़ा इनसेन्टिव यही समझते हैं कि उन्हें गन्ने का दाम वक्त पर मिल जाए। इतनी तेज़ी के साथ और अच्छी तरह भुगतान कराया गया है कि किसानों को कहीं कोई शिकायत नहीं पैदा होने दी। (व्यवधान)

पिछले साल इन्हीं दिनों में गन्ने की जो बाकी रकम थी, वह 77 करोड़ रुपए थी। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस साल सिर्फ़ 21 करोड़ रुपये देने बाकी रह गये है। रुपयों का भुगतान सही वक्त पर करा दिया गया है। किसानों के लिये इससे बड़ा इन्सेन्टिव और

नहीं हो सकता है कि उन्हें वक्त पर दाम मिले और दाम भी सही मिलें । किसानों को ठीक दाम मिलने में सरकार ने कोई बाधा नहीं डाली । किसानों ने मनमाने दाम हासिल किये और हमने इसमें रुकावट डालने की बात कतग्रन नहीं सोची । हमने क़ायदा बनाया हुआ है कि किसानों की अदायगी की 10 परसेंट से ज़्यादा बकाया नहीं रहनी चाहिए, अगर रहती है, तो मिल के खिलाफ़ एक्शन लिया जाता है । हम उसको नोटिस देते हैं और अगर वह न माने, तो गवर्नमेंट चीनी मिल को टेक ओवर कर सकती है आपके एक्ट के मुताबिक । जितना 21 करोड़ रुपया इस साल बकाया है, वह सिर्फ़ 4 फ़ीसदी बनता है । भुगतान का इतना कम बकाया चीनी मिलों की हिस्ट्री में कभी नहीं रहा । इस तरीके से इस बार यह रकम कम से कम रही है और ज्यादातर भुगतान कर दी गई, सिर्फ 4 परसेंट बाकी है, वह भी जल्दी से जल्दी क्लीयर हो रही है ...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : चीनी के दाम वाकई ज्यादा हैं, मैंने तो खुद अर्ज किया है । लेकिन चीनी के दाम सिर्फ यहां की चीनी कम होने की वजह से या हमारे मैजर्स की वजह से ही कम नहीं किये जा सकते । हम ने जो एटेप्स लिए हैं हम समझते हैं कि उक का हाउस को कुछ एहसास होगा । होली के त्योहार के मौके पर भी दिल्ली में हमारे इकदामात की वजह से चीनी छः रुपये से ऊपर नहीं बिकी । ......(व्यवधान)......

अगर आप का दोस्त कोई ब्लैक मार्केटियर हो, उस के पास से आप खरीदने जायें तो उस की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है । जो आम भाव है हम उस का जिक्र कर रहे हैं । यह सरकार के कडे कदम की वजह से है कि आज भी हिन्दुस्तान के अन्दर चीनी का भाव बहुत कम है और चीनी की कीमत आप इस बात को एप्रिशिएट करेंगे इंटरनेशनल प्राइसेज के ऊपर भी डिपेंड करती है । ......(व्यवधान)......

मेरी बात सुन लिजिए या अपनी कह लीजिए । ......(व्यवधान)......

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए, शान्त रहिये, व्यवधान न डालिये ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : चीनी का अभाव है सारी दुनिया में और इस बार चीनी का भाव इंटरनेशनल मार्केट में हिन्दुस्तान में जो भाव है उस से कम नहीं है । तो हम बाहर से चीनी मंगा कर भी भाव को कम नहीं कर सकते ।

जहां यक स्टाक की बात है उसको देखते हुए हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मार्केट में चीनी की कमी न होने पाए ।

फ्री सेल के लिए 35 परसेंट चीनी रखी गई है और इस की वजह से हम 2 रुपयें 85 पैसे के ऊपर आम आदमी के कन्जम्शन के लिए जितनी भी ज्यादा से ज्यादा चीनी हो सकती है सप्लाई कर रहे हैं । फ्री सेल में 35 प्रतिशत की इजाजत उनको दी गई है । इसकी वजह से हम 66 प्रतिशत चीनी मिलों से वसूल करके 2 रुपये 85 पैसे पर आम जनता में तकसीम कर रहे हैं । 2 रुपये 85 पैसे का भाव आपको दुनियां में कहीं नहीं मिलेगा । तो इसके लिए जो यह सरकार जनता के लिए कर रही है कुछ सराहना होनी चाहिए ।

इम्पोर्ट पर जो एतराज आनरेबल मेम्बर ने उठाया उसका बड़े वाजेह तौर पर साफ बयान कल राज्य सभा में माननीय कामर्स मिनिस्टर ने दिया था और बिल्कुल सफाई सरकार की तरफ से दे दी गई थी । उस से आप को तसल्ली होनी चाहिए ।

मैं और कोई चीज ऐसी नहीं समझता ···(व्यवधान)······

हमारे पास चीनी का स्टाक बचता दीखेगा, मांग बढ़ेगी और त्यौहार आएंगे फिर और भी सोच सकते हैं। यह तो गर्मी का मौसम देखकर और डिमांड ज्यादा देख कर ज्यादा दे दी थी। चार लाख टन महीने जो रिलीज करते रहे हैं इसके अलावा जो दे दी गई थी वह चीनी वक्त को, मौसम को, डिमांड को और त्यौहार को देख करके ज्यादा कर दी गई थी। लेकिन चार लाख टन जो हम नार्मली देते रहे हैं उसमें हम कमी नहीं आने देंगे। यह हमारी कोशिश है। वह डिस्ट्रीब्यूशन बराबर जारी रहेगा।······(व्यवधान)······

**अध्यक्ष महोदय :** मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** नेशनलाइजेशन के मुताल्लिक उन्होंने कहा तो मैं यही अर्ज करूंगा कि चीनी में जो इस वक्त कमी पड़ी है नेशनलाइजेशन उस का कोई इलाज नहीं है। ······· (व्यवधान)······ नहीं, वह कोई इलाज नहीं है। न ही सरकार की अभी यह कोई थिंकिंग है कि हम इस ड्युअल प्राईसिंग पालिसी के अन्दर कोई तब्दीली करें। सन् 77 तक बहुत अच्छी तरह से यही पालिसी चलती रही थी और इसी को लागू करके सारी राहत पहुंचाएंगे।

**श्री रामावतार शास्त्री (पटना) :** सबसे पहले मैं मंत्री जी ने जो एक बड़ा वक्तव्य दिया है उसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा लेकिन इस से कुछ सूचना इस बात की नहीं मिलती है कि चीनी की कीमत कम होगी या नहीं और तमाम जरूरतमन्द लोगों को चीनी मिलेगी या नहीं। ये दो सबसे अहम सवाल हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर्थिक समीक्षा मंत्री जी ने भी पढ़ी होगी जो इस साल 1979-80 की वितरित की गई है। उसमें ओवर आल तमाम चीजों की कीमत मार्च 1979 से मार्च 1980 के बीच में 19.9 बढ़ी है लेकिन चीनी की कीमत 36 प्रतिशत बढ़ी है। यह उसमें लिखा हुआ है। गुड़ की कीमत 89 प्रतिशत बढ़ी है और गुड़ कौन खाता है? सबसे गरीब आदमी खाता है। उस आर्थिक समीक्षा में और बहुत सी बातें कही गई हैं। जितनी सारी वस्तुएं गरीब आदमी इस्तेमाल करते हैं, जिन के बारे में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने बड़ी वाहवाही लूटने की कोशिश की कि हम गरीबों को छूट दे रहे हैं, वही गरीब गुड़ खाते हैं, कोयला लेते हैं, जिस की कीमत में 55 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल में 98 प्रतिशत वृद्धि हुई। ये सब चीजें गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। और बातों को जाने दें। 36 प्रतिशत चीनी की कीमत में वृद्धि हुई। यह आपकी आर्थिक समीक्षा कहती है। इसके बाद फिर बढ़ गई है। अभी आपने कुछ दिन पहले एलान किया था कि चीनी की कीमत कम हो इसके वास्ते हम 83.52 रुपये प्रति क्विंटल जो उत्पाद-कर लेते थे उसमें छूट दे रहे हैं। 1 जून से 76.32 रुपये प्रति क्विंटल उत्पाद कर लेना तय किया गया। फिर भी चीनी की कीमत दिल्ली में 7 रुपये प्रति किलो, कलकत्ता में 7 से लेकर 8 रुपये प्रति किलो, पटना में साढ़े 6 से 7 रुपये प्रति किलो और बम्बई में जहां आपकी नई चीनी भी आ गई है जिसे आपने बाहर से आयात किया है। उसके बाद भी 30 से 35 रुपये प्रति क्विंटल चीनी का दाम वहां बढ़ा। दिल्ली में भी इसी प्रकार 30 से 35 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा। गांवों की स्थिति आप समझ लीजिये। यह स्थिति है। गांवों में तो चीनी मिलती ही नहीं है। जो राशन के दुकानदार हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वे गोल-माल करते हैं। जरा देहातों में जाकर देखिए, चीनी वहां पहुंचती नहीं है और अगर पहुंचती भी है

तो शहर में भी और देहातों में भी तो फोर्टनाइटली कोटा मिलता है । 15 तारीख को फोर्टनाइट खत्म होता है, चीनी पहुंचती है 12 को, 13 को, 11 को, दिल्ली में भी ऐसा होता है और फिर वह ब्लैक मार्केट में चीनी चली जाती है । गरीब लोग पैसे की वजह से खरीद नहीं पाते । यह तो एक पहलू हुआ ।

यहां दिल्ली में तो पार्लियामेंट के मेम्बरों को भी चीनी नहीं मिल रही है । मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं । मुझे पहली तारीख से आज 27 तारीख है, आज तक एक चुटकी चीनी नहीं मिली है और ब्लैक से 7 रुपये प्रति किलो चीनी ले रहा हूँ । मैंने अध्यक्ष महोदय का ध्यान बार-बार खींचा जिसका नतीजा हुआ कि बहुत कृपा करके उन्होंने इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार किया । पूर्ति मंत्री का ध्यान हम ने खींचा दस दिन पहले कि चीनी नहीं मिल रही है । हमें चीनी मिलती है प्रेसीडेंट मार्केट में जो राशन की दुकान है वहां से······(व्यवधान)······

**अध्यक्ष महोदय** : आपने हमारी चिट्ठी का जिक्र ही नहीं किया ।

**श्री रामावतार शास्त्री** : हां, आपने चिट्ठी भी भेजी, अध्यक्ष महोदय ने मंत्री जी को चिट्ठी भी भेजी, उसका भी कोई नतीजा आज तक नहीं निकला । आज भी चीनी नहीं मिल रही है । दुकानदार कहता है कि चीनी है नहीं । उसको मालूम है कि कहीं हड़ताल हो रही है, क्योंकि मजदूरों पर जवाबदेही सब लोग डाल देते हैं तो उसने भी डाल दी कि कहीं हड़ताल हो रही है, इसलिए नहीं मिल रही है । अगर ज्यादः तलब है तो दूसरी दुकान से ले आओ, हमारे यहां नहीं है, हम क्या करें ।

अध्यक्ष महोदय : इतना मीठा बोलते हैं ।

**श्री रामावतार शास्त्री** : तो यह स्थिति चीनी की आज हमारे यहां है । जो चीनी आप दे रहे हैं, मई में 6.75 लाख टन चीनी आपने दिल्ली के ओपेन मार्केट में दी तो उस समय यह चीनी कहां से आ गई ? आप इतने दरिया दिल कैसे हो गये ? फिर जून में 1.75 लाख टन और जुलाई में 1.25 लाख टन चीनी ओपेन मार्केट में दी । आपने एक्साइज ड्यूटी में भी छूट दी लेकिन उसके बावजूद चीनी की कीमत कम होना जानती नहीं, वह तो बढ़ना ही चाहती है, वह चाहती है कि हम गरीबों को लूटें और बड़े बड़े सेठ चीनी मिल मालिक हैं, जिनसे करोड़ों रुपया एलेक्शन के चंदे में आप लेते हैं उनकी आप सेवा करना चाहते हैं । गरीबों के लिए आपके दिल में कोई दर्द नहीं है । यही वजह है कि बम्बई में 600 रुपए प्रति क्विंटल चीनी के भाव में 35 रुपए और बढ़ गए, यहां दिल्ली में भी 35 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो गई जबकि बहुत जगह तो और भी ज्यादा दाम बढ़ गए । तो आज देश में चीनी की बिक्री का यह हाल है और आप कहते हैं कि खाने पीने में थोड़ी कमी करो । आपने बयान में कहा है कि यह स्वीकार करना होगा कि चीनी की स्थिति कठिन है, आगामी कुछ महीनों में हमें अपनी खपत पर नियंत्रण करना होगा । जब चीनी मिलती ही कम है तब खपत पर क्या कंट्रोल करें ? कुछ मिले भी तो सही, हमें पहली जून से अभी तक नहीं मिली है तो खपत पर क्या कंट्रोल करें ? तो आज चीनी की यह स्थिति है ।

मैंने चार राजधानियों की बात यहां पर बताई है—दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और पटना की, जहां साढ़े 6 रुपए से 8 रुपए किलो तक चीनी काले बाजार में बिक रही है । राशन की

दुकान से जब संसद् सदस्यों को चीनी नहीं मिलती तो फिर जनता को कौन पूछता है ? इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सवालों पर आता हूं।

क्या यह बात सच है कि आप चीनी कारखानों का राष्ट्रीयकरण इसलिए नहीं करना चाहते कि चीनी सेठ आपको करोड़ों करोड़ रुपए हर साल चुनाव कोष में और दूसरे कोषों में भी चन्दा देते हैं ? क्या इसीलिए आप राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते ?

आपने अभी मई तक बताया है, आप मेहरबानी करके बताएं कि आपने फ्री सेल के लिए जनवरी से लेकर अब तक दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता के लिए माहवारी कितना कोटा दिया ? आपने कितना एलाटमेन्ट किया और कितना पहुंचा ? इन्हीं तीनों जगहों का जिक्र कालिंग अटेंशन में है इसलिए आप बतायें कि वहां के लिए आपने कितना कोटा तय किया और कितना पहुंचा ?

क्या यह बात भी सच है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए खुले बाजार की चीनी को बड़े-बड़े व्यापारी पाकिस्तान भी भेज देते हैं ? यदि आपको जानकारी है तो बताएं कि इसको कैसे रोक रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 8 रुपए प्रति किलो जो चीनी बिक रही है वह चोर-बाजारी का फल है तो चोरबाजारियों के खिलाफ आपने कौन सी कार्यवाही की है ? आपने कितने चोरबाजारी करने वाले, जनता को लूटने वाले चीनी सेठों को निरोधात्मक नजरबंदी कानून के अन्तर्गत नज़रबन्द किया है—यह भी कृपा करके बता दीजिए। क्या आप मौजूदा चीनी संकट को देखते हुए जो चीनी आप बाहर निर्यात कर रहे हैं, फिलहाल उसको बन्द करने का विचार रखते है, अगर नहीं, तो क्यों ? क्या यह बात सही है कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चे की सरकार है, इस बात को ध्यान में रखकर वहां की जनता को कठिनाई में डालने के लिए, वहां की सरकार को कठिनाई में डालने के लिए, आप चीनी का कोटा उन्हें बगल के उत्तर प्रदेश से नहीं देकर, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से देते हैं, फलत: जहां बात है कि चीनी कभी समय पर नहीं पहुंचती है ? यद्यपि, यह बात आपके दिल में है कि चीनी समय पर नहीं पहुंचेगी, तो वहां के लोग आन्दोलन करेंगे और वहां की सरकार कठिनाई में पड़ेगी और आपको मौका मिलेगा राष्ट्रपति शासन लागू करने का। तो क्या आपने उनको चीनी का कोटा उत्तर प्रदेश से देने के बारे में सोचा है ? अगर सोचा है, तो आपने क्या तय किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कम बोलें तो अच्छा होगा क्योंकि आप चीनी पर बोल रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, यदि आप कहें तो एक-आध और पूछ लूं। देश में यह सवाल उठता है कि चीनी की बहुत जगह कठिनाई है और खुद पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने भी यह सवाल उठाया है कि क्या सरकार जनसंख्या के आधार पर चीनी का डिस्ट्रीब्यूशन करने के किसी प्रस्ताव पर, किसी बात पर, विचार कर रही है ? अगर नहीं कर रही है, तो इसके कारण क्या हैं ? क्योंकि जनसंख्या का आधार तो सबसे ज्यादा जनतान्त्रिक आधार हो सकता है, इससे बढ़कर और जनतान्त्रिक आधार क्या हो सकता है।

चीनी-किसानों का सवाल है। जब तक किसानों को आप सहूलियत नहीं देंगे, केवल एक्साइज ड्यूटी में सहूलियत देना काफी नहीं है, उनके उत्पादन की कीमत बढ़ाने पर विचार नहीं

करेंगे और यह कह देंगे कि बिहार सरकार जाने, पश्चिम बंगाल की सरकार जाने, उत्तर प्रदेश की सरकार जाने या महाराष्ट्र की सरकार जाने, तो काम नहीं चलेगा। एक इन्टीग्रेटेड शुगर पालिसी होनी चाहिए, जिससे उत्पादन भी बढ़े और वितरण भी ठीक से हो। जब तक आप एक ऐसी इन्टीग्रेटेड शुगर पालिसी तय नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। इसलिए मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में आपकी सरकार की क्या नीति है ?

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** माननीय उपाध्यक्ष जी, शास्त्री जी ने आम जनता की बात करते-करते, ज्यादा अपने मुताल्लिक सवाल कर दिए।

**श्री रामावतार शास्त्री :** एक और जरूरी सवाल है। यहां चीनी सात-आठ रु० किलो बिक रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक किलो चीनी के उत्पादन में कितना खर्च होता है ? यह भी आप पूरे देश को बतायें, ताकि देश की जनता यह तय कर सके कि आप की नीति ठीक है या गलत है।

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** उपाध्यक्ष जी, शास्त्री जी ने जनता की बात करते-करते ज्यादा एम०पीज० की तकलीफ की बात की है। दिल्ली में चीनी की पोजीशन और दूसरी स्टेट्स की नीसबत बहुत अच्छी है। इसलिए शास्त्री जी को कठिनाई क्यों हुई, इस मामले में हम पता करेंगे। इस साल दिल्ली में चीनी की एलोकेशन जून, 1980 तक 34 हजार टन है, जिसमें से 32 हजार टन सप्लाई हो चुकी है ···—

(व्यवधान)

मैं लेवी की बात कर रहा हूँ। फ्री के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। फ्री शुगर फैक्ट्रीज होल-सेलर्स को सप्लाई करती है और वे कहीं भी पहुंच सकती हैं, किसी भी मार्केट में पहुँच सकती है, जहां जरूरत हो।·······

(व्यवधान)

रिलीजेज रैग्युलेटेड है। हम सिर्फ यह आर्डर करते है कि स्टाक में से मिल सवा लाख टन चीनी देती रहें और वह डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। जितनी टोटल क्वान्टिटी है, उसके मुताबिक मिल्ज़ टेण्डर लेकर होल-सेलर्स को देती है और जो प्राइस वह वसूल करती हैं, उस पर हम कोई रुकावट नहीं करते हैं।

मैं बात कर रहा था—लेवी शुगर की, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिये पब्लिक को दी जाती है। दिल्ली के अन्दर जून तक 32 हज़ार टन दी जा चुकी है, जो लिफ्ट हो चुकी है। सिर्फ 2 हज़ार टन दिल्ली की बाकी है, जिसके देने में कोई कठिनाई नहीं है, यह जून तक की है।

**श्री रामावतार शास्त्री :** कितनी थी ?

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** जून तक 34 हज़ार टन। दिल्ली का माहाना कोटा अगर आप मालूम करना चाहें तो वह 5304 टन है। सारे देश के अन्दर हर स्टेट का कोटा मुकर्रिर किया हुआ है। सन् 1978 का जो पापुलेशन का प्रोजेक्शन था, उसके हिसाब से 425 ग्राम फी-कस

फ़ी-महीने के महीने के हिसाब से तकसीम की जाती है, उसका आगे डिस्ट्रिब्यूशन करना स्टेट्स का काम है। सारे स्टेट्स का ब्यौरा अगर आप चाहेंगे तो मैं वह भी दे दूंगा······

श्री रामावतार शास्त्री : कलकत्ता और बम्बई का बतला दीजिये।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : हम शहर के हिसाब में नहीं देते हैं, स्टेट का कोटा एलोकेट करते हैं इसलिये शहर का नहीं बतला सकता हूं।

दिल्ली की पोजीशन बहुत अच्छी है—चीनी के मामले में। लेकिन जैसा मैंने पहले अर्ज किया था— कमी तो है और यह कमी इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जो सरकार शास्त्री जी की मदद से यहां पहले चल रही थी······

श्री रामावतार शास्त्री : शास्त्री जी की मदद से नहीं थी, यह गलत बात है। इतनी भी जानकारी आपको नहीं है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : अब तो आप इस सरकार के पूरी तरह से मददगार हैं।

इसमें शक नहीं कि स्वीटनिंग-एजेन्ट्स की देश में कमी है। 20 लाख टन चीनी इस साल कम पैदा हुई है। 20 लाख टन की कमी बहुत भारी कमी है। यह कमी चीनी की ही नहीं है, गुड़ में भी हुई है, खाण्डसारी में भी हुई है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से चीनी 2 रुपये 85 पैसे किलो में मिलती है और गुड़ का भाव 3 रुपये से ऊपर चलता है, इसलिये हर शख्स चीनी खरीदना चाहेगा, इसलिये 2 रुपये 85 पैसे की लेवी चीनी पर ज्यादा जोर है। गांव के अन्दर भी हर आदमी अपने हिस्से की चीनी को छोड़ना नहीं चाहेगा······

श्री रामावतार शास्त्री : मैं बिहार की बात बतला सकता हूँ, वहां नहीं पहुंचती है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : आपके गांव की कोआपरेटिव सोसायटी कोई गड़बड़ कर रही हो, तो मैं नहीं कह सकता। बहरहाल जो कमी है, वह काफ़ी है और शुगर-केन प्रोड्यूसिंग एरिया में भी काफ़ी कमी हुई है। इसकी वजह यही है कि किसान को गन्ने का सही दाम नहीं मिला। उस साल पैदावार बढ़ी, लेकिन किसान को पैसा नहीं मिला, इसी वजह से किसान ने कम गन्ना बोया। सन 1978-79 में 31 लाख हैक्टेयर ज़मीन में गन्ने की काश्त हुई थी, लेकिन इस साल घटकर 25 लाख हैक्टेयर रह गई, इससे 20 लाख टन चीनी पैदा हुई—जिसकी वजह से यह कठिनाई है और इसको मैं पहले ही मान चुका हूं। इस पर काबू पाने के लिए हम इन्तिहा कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे।

शास्त्री जी ने नेशनलाइज़ेशन की बात कही—उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं। नेशनलाइज़ेशन करके हम नहीं समझते हैं कि इन हालात पर काबू पा लिया जायगा। न हम इस बात को ही प्रेक्टिकल समझते हैं कि सरकार चीनी का सारा स्टाक ले ले और फिर उस का वितरण अपने जिम्मे ले ले। उसमें भी हज़ारों दिक्कतें हैं, यह नहीं हो पायेगा। जो ज्यादा से ज्यादा सेवा हम कर सकते हैं वह यह है कि 65 परसेन्ट लेवी शुगर आम लोगों के लिये 2 रुपये 85 पैसे पर सप्लाई करें और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिये अगर हमारे पास स्टाक हो तो बढ़ायें······

(व्यवधान)

उनको बढ़ायेंगे तो यह भी हो सकता है कि सारा ब्लैक मार्केट में चला जाय, फ्री-सेल के अन्दर चला जायगा। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लेवी शुगर को ज्यादा लेकर तकसीम कर दें, अपने स्टाक को भी खत्म कर दें, उससे वह लोगों तक पहुँच जायगी। इस बात की भी तसल्ली नहीं है, इसलिये हम चाहते हैं कि जितना स्टाक हमारे पास है, अगले क्रशिंग सीज़न तक, उससे लोगों का काम चल जाय, जितना ज्यादा से ज्यादा वे सकते हैं, पहुंचायें और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। उसके लिए हमने कोशिश की ताकि जो लोगों का हिस्सा है, वह उन तक पहुंच सके और स्टेट गवर्नमेंट्स से भी हम कोआपरेशन मांग रहे हैं क्यों-कि सारे डिस्ट्रीब्यूशन का काम उनके जरिये होता है ......

(व्यवधान)

माडर्नाइजेशन की बात अलग है। मिलों को उसके लिए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ़ से अलग से सोफट लोन वगैरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं। उसका ताल्लुक हमारे महकमे से नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनसैंटिव्ज की जो बात है, समपत कमेटी की जो सिफारिशें थीं, उनको ध्यान में रख कर हम नई मिलों को क्या मदद दे सकते हैं, इस पर विचार कर रहे हैं ताकि अगले क्रशिंग सीजन में चीनी की पैदावार को बढ़ाया जा सके।

महाराष्ट्र से यू० पी० को चीनी क्यों सप्लाई हो रही है या बिहार को क्यों हो रही है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी चीनी हम रिलीज करते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन सब मिलों से किया जाता है। महाराष्ट्र के अन्दर चीनी की पैदावार देश के दूसरे भागों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। देश के अन्दर जहां भी कमी है, वहां पर महाराष्ट्र से ज्यादा शूगर उठा कर लानी पड़ेगी और महाराष्ट्र की मिलों की शूगर न उठाएं और दूसरे मिलों की सारी शूगर उठा लें, तो यह उन मिल वालों के ऊपर ज्यादती होगी। उनका स्टाक रुका पड़ा रहेगा और इस तरह से उनका सारा रुपया ब्लाक हो जाएगा। इसलिए बराबर सारी मिलों से प्रोपो-र्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। किसका स्टाक कितना रिलीज हो, कितना उठाया जाए, उसके लिए कोशिश यही की जाती है कि नज़दीक से नजदीक जगह से, जहां सीधी डाइरेक्ट लाइन जाती हो, वहाँ उससे, ब्रोड गेज की लाइन हो, तो उससे पहुंचाया जाए और अगर मीटर गेज हो, तो उस लाइन से स्टाक पहुंचाया जाए, यह कोशिश की जाती है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सीधी मिलों से, नजदीक से नज़दीक मिलों से चीनी पहुंचाई जाए। इन सब बातों का ध्यान रख कर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और इसमें हम पूरी तरह से सतर्क हैं लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है जितना हम कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

**श्री रामावतार शास्त्री** : हमारे यहां जो दुकान है, उस पर चीनी नहीं मिल पाती है।

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से इसका पता लगाऊंगा कि वहां डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हुआ है। जहां एम० पीज० का राशन मिलता है, वहां चीनी मिले, इस का मैं पता लगाऊंगा क्योंकि हमारे शास्त्री जी जो हैं, उनको एम० पीज० की भी फिक्र है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप श्री शास्त्री से पूछें कि क्या उन्हें स्वयं शिकायत मिली है।

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : यदि श्री शास्त्री को कोई विशिष्ट शिकायत है तो वे मुझे लिखें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या उन्हें चीनी की शिकायत मिली है ?

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : एक बात एक्सपोर्ट के मुताल्लिक शास्त्री जी ने कही। यह बात पहले भी हाऊस में कही जा चुकी है और बार-बार यह सवाल आया है। हमने एक्सपोर्ट पर काफ़ी पाबन्दी लगा दी है अपना चीनी का स्टाक कम देखते हुए। शुरू साल में कोई 50 हजार टन शूगर एक्सपोर्ट जरूर की गई थी क्योंकि इन्टरनेशनल कमिटमेंट था और उसको पूरा करने के लिए ऐसा किया गया था लेकिन अब हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जब तक हमारी शूगर की पोजीशन इम्प्रूव न हो जाए और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल चीनी की पैदावार इतनी बढ़ेगी इस सरकार की कोशिशों से और मेहनत से कि शास्त्री जी को खुले बाजार में चीनी काफ़ी सस्ती मिल जाएगी।

**श्री रामावतार शास्त्री** : उपाध्यक्ष जी, कास्ट आफ़ प्रोडक्शन के बारे में नहीं बताया। यह बहुत इम्पोर्टेन्ट सवाल है कि कास्ट आफ़ प्रोड्क्शन फ़ी किलो क्या थी ?

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : कास्ट आफ़ प्रोडक्शन मुख्तेलिफ रीजन्स में और मुख्तेलिफ मिलों में अलग-अलग होती है। उसकी डिटेल्स इस वक्त नहीं दे सकूंगा कि किस जगह कितनी कास्ट आफ़ प्रोडक्शन आती है लेकिन कास्ट आफ़ प्रोडक्शन का हिसाब लगा कर यह 2 रुपये 85 पैसे फ़ी किलो लेवी शूगर मिलों से वसूल करने की बात रखी गई थी और उनका कोटा पूरा हो जाए, उनको पूरी कास्ट मिले, उनको कोई टोटा न रह जाए, इसलिए 36 परसेन्ट की उनको छूट दी गई थी। कास्ट आफ़ प्रोडक्शन पर भी दौबारा सरकार विचार कर रही है। हमने फिर यह मामला ब्यौरो आफ़ इन्डस्ट्रियल कास्ट्स एण्ड प्राइसेज को सौंपा है, जिससे हमको यह पता चले कि कास्ट आफ़ प्रोडक्शन जो पहले हमने कैलकूलेट की थी, वह ठीक है या उसमें कोई फ़र्क करने की आवश्यकता है।

---

## सभा का कार्य

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 30 जून, 1980 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :—

(1) वर्ष 1980-81 के लिए बजट (सामान्य) पर आगे सामान्य चर्चा।

(2) वर्ष 1980-81 के लिए रेलवे बजट के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

(3) नेशनल कम्पनी लिमिटेड, (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक, 1980

(विचार तथा पास करना

(4) आवश्यक सेवाएं (असम) अध्यादेश, 1980 के निरनुमोदन सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा तथा कुछ सेवाओं को आवश्यक घोषित किये जाने संबंधी अधिसूचना की अनुमति संबंधी संकल्प के साथ आवश्यक सेवाएं (असम), विधेयक 1980

(विचार तथा पास करना)

(5) असम राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1980
(विचार तथा पास करना)

(6) उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मत दान।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। कल मध्याह्न भोजन अवकाश से ठीक पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय यह कहने वाले थे कि हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में लिए प्रस्ताव का नोटिस दे सकते हैं जब हम सोमवार को विमान दुर्घटना की न्यायिक जांच गठित करने के संबंध में अधिसूचना को वापस लेने संबंधी प्रश्न को उठाना चाहते थे। हमने लगभग 2.30 अपराह्न अन्य दो सदस्यों द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षर किया गया एक नोटिस भी प्रस्तुत किया था। जबकि अध्यक्ष महोदय द्वारा एक आश्वासन पहले ही दिया गया था कि वह मामले पर विचार करेंगे तथा नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के लिये प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, हमें इस प्रतिवेदन से यह मालूम होता है कि उस प्रस्ताव के लिए कोई समय आबंटित नहीं किया गया है। जबकि अध्यक्ष महोदय स्वयं यहां आश्वासन दे चुके थे, क्या कार्य मंत्रणा समिति इसको अस्वीकृत कर सकती है ? मेरा निवेदन यह है कि कार्य मंत्रणा समिति इस प्रकार की सिफारिशें नहीं कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने पहले ही नियम 193 के अधीन प्रस्ताव स्वीकार किया है।

श्री निरेन घोष (दमदम) : गत सप्ताह भी हमने कुछ महत्वपूर्ण मदों को कार्य सूची में सम्मिलित करने के लिए जोर डाला था। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इस पर विचार होगा और वह इन विचारों को कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष रखेंगे। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि कुछ भी नहीं किया गया है और कुछ भी शामिल नहीं किया गया है। क्या सदन में यह प्रथा बनेगी कि ड़ेढ़ माह बीत जायेगा और सारे राष्ट्र के सामने जो समस्याएं हैं उन पर यह सदन विचार करने में समर्थ नहीं होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मदें तो आपने पहले से ही लिखित में दी है।

श्री निरेन घोष : परन्तु मैं उनका यहां उल्लेख करना चाहूंगा। हम चाहते थे और अभी भी मैं चाहता हूं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र और विशेष कर आसाम बंद के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जानी चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि आसाम की सरकार खत्म हो गई है। यह भारत सरकार है या भारत से बाहर की सरकार है ? यही प्रश्न पूछा जा रहा है। पूरा प्रशासनिक तंत्र टूट गया है।

कल श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये, पहला सोवियत रूस द्वारा अफगानिस्तान से सेनाओं की सांकेतिक वापसी की उद्घोषणा और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि साम्यवादी चीन के उप सभापति ने ऐसा संकेत एवं साक्षात्कार दिया है कि सीमा-विवाद को सुलझाने के लिये "देना और लेना' के आधार पर विस्तृत निर्णय किया जा सकता है। यह समस्या गत 20 वर्षों से चल रही है। अतः सदन से मैं निवेदन करता हूं कि इस मामले पर अविलंब विचार करें कि क्या करें और क्या न करें।

एक और प्रश्न मेरे राज्य के बारे में है। हल्दिया शोधनशाला का विस्तार काफी लंबे समय से नहीं किया गया है। यह केवल 25 लाख टन की क्षमतावाली शोधनशाला है। नयी शोधनशालाएं स्थापित हो रहीं है। उसके विस्तार की कोई योजना नहीं है। क्या कारण है कि इसका विस्तार नहीं किया जा रहा है ? आधुनिक पूर्ण क्षमतावाली शोधनशाला एवं पेट्रो रसायनिक कारखाना-समूह के बिना एक औद्योगिक राज्य नहीं रह सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस पर विचार किया जाना चाहिये।

मेरा अंतिम प्रश्न स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के बारे में है। वे लोग जिन्हें ट्रेड यूनियन के क्रियाकलापों के लिए पहले गिरफतार किया गया था और सताया गया था उन्हें भी पेंशन–योजना में शामिल किया गया है। उन्हें अब किसी न किसी कारण इस योजना से अलग किया जा रहा है विभिन्न राज्यों के मामले रखने और उचित सुनवाई प्राप्त करने में कई तरह की बाधाएं पैदा की जा रही हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इस मामले पर भी विचार किया जाना चाहिये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप त्रिपुरा में "व्याप्त अनाज की भारी कमी" का उल्लेख करना तो भूल ही गये।

**श्री निरेन घोष :** जी हां, चूंकि लोकसभा सचिवालय ने मुझे बताया कि इसे अगले सप्ताह लिया जायेगा। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि त्रिपुरा की समूची समस्या पर बिना पक्षपात पूर्ण रवैया से विचार किया जाना चाहिये। यह बहुत ही गंभीर समस्या है।

**श्री रामावतार शास्त्री (पटना) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने दो आइटम्ज दी है। पहली बोनस के बारे में है। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ रेल, डाक डाक तार कर्मचारियों को बोनस देना स्वीकार किया है, जिससे हम सहमत नहीं हैं। लेकिन उसने एक फैसला किया है। मैं सवाल उठाना चाहता हूँ दूसरे विभागों का इस सिलसिले में। डिफेंस से 5 लाख 20 हजार मजदूर हैं जिनमें से 1 लाख 98 हजार को बोनस दिया गया है और बाकी अभी तक अन्धकार में हैं। उनका क्या होगा, यह सवाल है। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज़ हैं, वे भी एजीटेड कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनको बोनस मिलना चाहिए। तीसरे ए० आई० आर० और टेलीविज़न के कर्मचारी हैं। उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ अपना केस-मेक आउट किया है कि उन्हें क्यों बोनस मिलना चाहिए। चौथे जो अस्पतालों के कर्मचारी हैं वे भी बहुत दिनों से बोनस की मांग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन सभी लोगों को बोनस देने के सम्बन्ध में हमें विचार करने का मौका मिलना चाहिए। यह लाखों कर्मचारियों का प्रश्न है और वे आशाभरी आंखों से हमारी और आपकी ओर देख रहे हैं। हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम उनके सवाल को उठाएं, उस पर बहस करें और सरकार से मांग करें कि वह इस दिशा में शीघ्र कदम उठाए। मैं चाहता हूं कि इस मामले पर विचार करने का हमें मौका दिया जाय।

दूसरा प्रश्न मैं टेलीफोन की गड़बड़ी का उठाना चाहता हूँ। कलकत्ता का सवाल हो या पटना का या दिल्ली का या किसी और शहर का, सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति टेलीफोन व्यवस्था की है। 199 को आप करें या 198 को या 197 को, कहीं से कुछ जवाब नहीं मिलता है। मैं अभी तक अपने फोन की मशीन को तीन बार बदलवा चुका हूं, लेकिन वह ठीक नहीं हुई है। एस टी डी जल्दी नहीं मिलता। मंत्री को फोन करें, वह नहीं मिलता। संसद सदस्यों को

फोन करना चाहें तो वह नहीं मिलता। पूरी टेलीफोन व्यवस्था पूरे देश में पिछले दिनों में खराब हो गयी है, उसकी स्थिति दयनीय हो गई है। अगर यह स्थिति रही, तो जो जवाबदेही का काम हम करना चाहते हैं, एक दूसरे सदस्यों से परामर्श करना चाहते हैं, वह होता नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस सवाल पर भो कुछ समय रखा जाये। आप कहेंगे कि कम्युनिकेशन्स मिनिस्ट्री की डिमांड्ज़ पर बहस होगी, तो उसमें कुल 3; 4 घण्टे में क्या होने वाला है? मैं चाहता हूं कि इस सवाल पर बहस होनी चाहिए। टेलीफोन बहुत आवश्यक हैं खासतौर से शहर के लिये, सरकार के लिए और हम लोगों के लिये और जनता के लिये। ससदीय कार्य मंत्री भी इसके मुक्तभोगी होंगे, मैं चाहूंगा कि इस विषय पर भी यहां चर्चा करवाइये।

**श्री नारायण चौबे (मिदनापुर)** : महोदय, उर्वरक संयंत्र 1 करोड़ रुपये तक की हानि पर चल रहे हैं। इस सत्य को सरकार भी स्वीकार करती है। पूर्वी क्षेत्रों में हमारे संयंत्रों का लाभ 44% से घटकर 37% हो गया है। यह एक गम्भीर मामला है जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था होगी। इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

दूसरे, कलकत्ता की हल्दिया बंदरगाह जो सी पी टी है, वहां निजी कम्पनियों को उनकी गाड़ियों के किराये भाड़े के रूप में लाखों रुपये दिये जा रहे हैं। जबकि सरकारी बसों व गाड़ियों का उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसा सरकारी कर्मचारी निजी कम्पनियों से मिलकर कर रहे हैं। इस पर विचार करना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि वहां रेलवे अस्पतालों में दवाइयों व औषधियों की भारी कमी है। सरकार रेल कर्मचारी के परिवार को पूरे वर्ष के लिए 150 रुपये की स्वीकृति देती है और जो भी अतिरिक्त राशि खर्च की जाती है उसकी तनख्वाह में से कटौती कर ली जाती है। डाक्टरों चिकित्सकों एवं नर्सों की तनख्वाह की राशि सालाना कम हो रही है। गत वर्ष यह राशि 4 करोड़ रुपये थी और इस साल यह 3 करोड़ रुपये है। जबकि दवाइयों एवं औषधियों की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं और सरकार द्वारा स्वीकृत राशि घटती जा रही है। इस पर विचार किया जाना चाहिये।

**प्रो० मधु दंडवते (राजापुर)** : महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुझाव देता हूं कि चर्चा तथा मंत्री द्वारा वक्तव्य में तीन मदों को शामिल किया जाए। सबसे पहले नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा उन समस्त भारतीय विमान नियमों और अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन विनियमों जिनके अनुसार 5,000 फुट और वह भी आवासीय क्षेत्रों में उड़ान व कलाबाजी करना मना है, इन नियमों को लागू करने में असफलता पर चर्चा की जानी चाहिये। दुर्भाग्यवश, इन उपबंधों को उचित ढंग से लागू नहीं किया गया जिसके कारण श्री संजय गांधी और कैप्टन सक्सैना, दो बहुमूल्य जीवों की जानें चली गयी हैं। इससे भी गंभीर यह है कि न्यायिक जांच, जिस की पहले ही एक अधिसूचना के माध्यम से घोषणा कर दी गई थी उसे वापस ले लिया गया है। यह बहुत अप्रजातांत्रिक कदम है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि इस विषय पर विचार किया जाना चाहिये, क्योंकि भावी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि इसके लिये कुछ समय दिया जायेगा।

दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव चीन के उप प्रधान मंत्री से आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत-चीन सीमाविवाद को एक प्रकार के एकमुस्त-समझौते के आधार पर निपटाना

चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने दिल्ली प्रतिरक्षा-पत्रिका के साथ साक्षात्कार में यह संकेत दिया कि वे पूर्वी क्षेत्र के सम्बन्ध में मैकमोहन रेखा को स्वीकार करेंगे और पश्चिमी क्षेत्र में यथापूर्व स्थिति बनाये रखी जानी चाहिये। कोई नहीं जानता कि यह प्रस्ताव कहां तक प्रामाणिक है परन्तु विदेश मंत्री को इस सम्बंध में निश्चित वक्तव्य देना चाहिए। एक बात और है। मैं सुझाव दे रहा हूं कि यह घटना जो घटी है और जो बहुत महत्वपूर्ण है उसे किसी रूप में भी कुछ स्थान मिलना चाहिए। दूसरे दिन जब संसद के कुछ सदस्यगण बागपत, उस औरत और उसके पति पर किए गए अत्याचार की जांच हेतु गए तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मेरे पास यहाँ सम्पूर्ण लेखा जोखा है। परंतु मैं आपका अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। मैं आपको केवल यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 3 दिसम्बर, 1970 को महाराष्ट्र के दो पुलिस अधिकारियों, श्री पद्मनाभन और श्री एम० पी० चौबे को, लोकसभा के समक्ष नि:शर्त क्षमा मांगने के लिए बुलाया गया क्योंकि उन्होंने संसद सदस्य श्री के० एम० कौशिक के साथ नागपुर रेलवे स्टेशन में बुरा व्यवहार किया था। उसी तरह यदि कुछ संसद सदस्य बागपत में हुए अत्याचार की जांच के सिलसिले में गए और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, तो यह मुद्दा भी 3 दिसम्बर, 1970 की तरह उतना ही महत्वपूर्ण है इसलिए इस मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए और आवश्यक हो तो इस मामले पर लोक सभा द्वारा कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये।

**श्रीमती प्रमिला दंडवते** (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, आने वाले सप्ताह में मैं तीन आइटम्ज चर्चा के लिए लेने के लिए पार्लियामेंटरी एफेयर्ज मिनिस्टर से प्रार्थना करती हूं।

बागपत में श्रीमती माया त्यागी पर जो अत्याचार हुआ है, वह सवाल बहुत ही महत्व का है। पिछले कुछ समय से पुलिसमैन का महिलाओं के साथ जो वर्ताव रहा है, वह बहुत ही आपत्तिजनक है, जिस पर हमें शर्म आती है। अब तक तो केवल गरीब बहनें ही ऐसे अत्याचारों की शिकार होती आ रही हैं, लेकिन इस घटना में एक अच्छे घर की महिला के पति को मारा गया और उस महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस विषय पर यहां चर्चा अवश्य होनी चाहिए। 1973 में जनता के साथ पुलिसमैन के बर्ताव के बारे में गोरे कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन्ज की थीं। वे रिकमेंडेशन्ज कहां तक मन्जूर हुई हैं और इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? इन सब बातों पर पूरे तौर पर चर्चा होनी चाहिए।

पिछले हफ्ते वे चार माताएं बोट क्लब पर आई थीं, जिनकी लड़कियों को उनके सुसराल वालों ने जला दिया था। उनके साथ 300 से ज्यादा बहनें थीं। मैं समझती हूं कि यह सवाल भी देश के लिए बहुत महत्व का है। पहले भी इस बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन वह काफी नहीं है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि प्राहिबिशन आफ डावरी एक्ट, 1961 काफी नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि इस बारे में भी आने वाले सप्ताह में चर्चा होनी चाहिए।

वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइजेशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे देश में 80,000 डाक्टर जरूरत से ज्यादा हैं। हमारे देश के 78 प्रतिशत लोग देहात में रहते हैं। उन्हें कोई मेडिकल फेसलिटी नहीं मिलती है, जबकि शहरों के लोगों के लिए डाक्टर जरूरत से ज्यादा हैं। इसलिए हमारे यहां से 15,000 डाक्टरों का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पिछली सरकार के जमाने में बेयरफुट डाक्टर्ज की स्कीम के अन्तर्गत देहात के ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति को मेडिकल एड पहुंचाने की

व्यवस्था की गई थी। सरकार को इस बारे में स्टेटमेंट देना चाहिए कि वह इस बारे में क्या सोच रही है। हमारे डाक्टर अधिक पैसा पाने के लिए देश छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। हमारे देश के आरोग्य के लिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर भी चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ। "किन मुद्दों को शामिल किया जाये" पर इस चर्चा में दंडवते परिवार ने हमारी सहायता की है। पुरुषों के बारे में प्रो० दंडवते ने मुद्दा उठाया और महिलाओं के बारे में माननीय महिला सदस्य ने।

प्रो० मधु दंडवते: मैं आशा करता हूँ कि कोई भी तीसरे वर्ग के लिए नहीं बोलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बिगड़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर वक्तव्य दे। यहूदियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अभी हाल में ही अरब पैलेस्टाइन के तीन मेयर्स के ऊपर बम्ब गिराये गये। उनमें से दो वैस्ट बैंक मेयर्स गंभीर रूप से अपंग हो गये, उनके पैर उड़ गये जब उनकी कारों का विस्फोट हुआ। वैस्ट बैंक के बहुत से नागरिक घायल हो गए। यह अरब के अधिकृत क्षेत्रों के लोगों को आतंकित करने का पूर्वनियोजित उपाय है और इसकी निंदा करने के लिए सरकार के वक्तव्य की आवश्यकता है।

वैस्ट बैंक के नागरिकों की सुरक्षा तो दूर रहा, उनके विरुद्ध दमनकारी कदम उठाए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि वैस्ट बैंक के निवासियों ने इसके विरोध में तीन दिन की हड़ताल की घोषणा की किंतु सैनिकों ने लाऊड-स्पीकरों से लोगों को चेतावनी दी कि दुकानें जबरदस्ती खोली जायेंगी। पूर्वी जेरूसलाम अरब के सैकड़ों दुकानदारों को गिरफ्तार कर उन्हें उनकी दुकानें खोलने के लिए मजबूर किया गया। ऐसी वहाँ दशा है। कठोर शेंसर बैठा दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप कौन सी बात कहना चाहते हैं?

श्री जा० एम० बनातवाला: कठोर शेंसरशिप लागू किया गया। आतंक इतने बड़े पैमाने पर है कि इजरायली न्यायालयों में पैलिस्टाइनों के लिये प्रतिवाद करने वालों इजरायली वकीलों को धमकी दी गई है।

महोदय, जब ऐसी स्थिति है तो भारत इस सबको शांत दर्शक की भांति देखकर नहीं रह सकता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अपनी निद्रा से जगकर अन्तर्राष्ट्रीय नीति के अनुकूल और पैलिस्टनों को हमारी सहायता के अनुसार सरकार, सदन में उचित और सही वक्तव्य दे।

श्री आर० के० महालगी (थाणे): मैं केवल एक ही प्रश्न रखना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने केवल एक ही प्रश्न रखा है।

श्री आर० के० महालगी: जो समाचार हाल ही में प्रकाशित हुए उन्हें दृष्टिगत रखते हुए यह अनिवार्य है कि विदेश मंत्री अगले सप्ताह इनके बारे में वक्तव्य दें।

18 जून, 1980 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार बी बी सी ने अपने दूरदर्शन प्रसारण के माध्यम से यह बताया था कि पाकिस्तान अणु बम्ब बनाने जा रहा हैं और काफी हद तक यह संभावना है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा ताकि पाकिस्तान अणु बम्ब और आणविक अस्त्र का निर्माण न कर सके। वह बड़ा खतरनाक समाचार था और उससे राजनैतिक हस्तक्षेप का पता चलता है। सरकार को ब्रिटिश सरकार के साथ इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

यह भी उस दूरदर्शन साक्षात्कार में कहा गया था कि पाकिस्तान अणु बम्ब अगले 18 महीनों में बनाने जा रहा है और वह उसे भारत की सीमा में विस्फोट करेगा। रूस और अमरीकी उपग्रहों के द्वारा लिये गये चित्रों से पता चलता है कि पाकिस्तान भारत की सीमा में ही अणु बम्ब का परीक्षण करने वाला है। इसका कोई ज्ञान नहीं कि भारत सरकार किस प्रकार से इस चुनौती का मुकाबला करेगी। समाचार प्रकाशन से यह स्पष्ट था कि लिबिया के कालोनियल गद्दाफी ने पाकिस्तान को अणु बम्ब बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये दिया था। अरब देशों ने 2000 करोड़ रुपये पाकिस्तान को आधुनिकतम अस्त्र और यूरेनियम खरीदने के लिए दिया जिसे अणु बम्ब बनाने के लिये प्लूटोनियम में बदला जायेगा, इसे इस संदर्भ में देखना चाहिये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया संबंधित विषय की चर्चा करिये।

**श्री आर० के० महालगी :** भारत का सम्बन्ध लिबिया और अरब देशों से अच्छा है। अतः यह आवश्यक है, कि भारत सरकार को इस मामले पर इन देशों और वे देश भी जिन्हें हम अपना मित्र समझते हैं, के साथ मिलकर विचार करना चाहिये।

अगले सप्ताह सरकार का इस सम्बन्ध में वक्तव्य आवश्यक है। अतः इसे अगले सप्ताह की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) :** मैं ऐसे लोक महत्व के विषयों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिये माननीय सदस्यों का आभारी हूँ। मैं उनसे असहमत नहीं हूं। श्रीमान जी, चालू सत्र के लिए हमारे पास बहुत अधिक कार्य है। अतः उन्होंने जो प्रश्न कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष उठाये हैं, मैं केवल उनका उल्लेख मात्र ही करूंगा तथा अभी और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। **(व्यवधान)**

**श्री आर० के० महालगी (ठाणे) :** मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसके बारे में आप उन्हें नहीं बता सकते ?

**श्री भीष्म नारायण सिंह :** उसकी सूचना मैं सम्बद्ध मंत्री से दे दूंगा।

---

## कार्य मंत्रणा समिति

### छठा प्रतिवेदन

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मंत्री महोदय अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) :** श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो 26 जून, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला ।

**श्री जी० एम० बनातवाला :** उपाध्यक्ष महोदय, पैरा 6 में एक सिफारिश है जिसके अंतर्गत नियम 193 के अन्तर्गत जब तक वित्त विधेयक पारित नहीं हो जायेगा तब तक अनियत दिन प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं की जायेगी । परन्तु सदन के समक्ष अनेक महत्वपूर्ण मामले चर्चा हेतु लंबित पड़े हैं ।

जब से यह सत्र आरम्भ हुआ है तभी से अफगानिस्तान में सोवियत संघ द्वारा सैनिक हस्तक्षेप पर विचार करने की मांग की जा रही है । श्रीमान जी, अभी हाल ही में……

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप ब्यौरे में न जायें । आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसे पढ़ दिजिए ।

**श्री जी० एम० बनातवाला :** यदि आप चाहते हैं तो मैं इसे पढ़ देता हूं । मुझे इसकी व्याख्या करने की अनुमति तो होनी चाहिए ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** इसके लिए भी कोई समय नहीं है ।

**श्री जी० एम० बनातवाला :** जब से यह सत्र आरम्भ हुआ है तभी से लेकर आज तक सदन में निरन्तर मांग की जाती रही है कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के द्वारा सैनिक हस्तक्षेप पर चर्चा की अनुमति प्रदान की जाए ।

अब मैं निश्चित रूप से यह सिफारिश करना चाहता हूं कि अनियत दिन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जानी चाहिए । स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और हाल ही में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी कुछ टुकड़ियों को वापिस बुलाने की घोषणा की है । भारत सरकार ने बिना इस बात का पता लगाये कि कितने सैनिक वापिस बुलाये या कैसे बुलाये, शीघ्र ही सोवियत संघ के इस कदम के स्वागत हेतु अपना वक्तव्य जारी कर दिया और कहा कि इससे तनाव कम करने में सहायता मिलेगी । यह वापसी केवल शाब्दिक है और इस प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है……

**उपाध्यक्ष महोदय :** इसका उल्लेख आप पहले ही कर चुके हैं । आप अधिक समय ले रहे हैं । मेरा अनुरोध है कि आप मेरे साथ सहयोग कीजिए ।

**श्री जी० एम० बनातवाला :** आप मेरी बात को जरा सुन तो लीजिए, मैं केवल दो सैकिण्ड का समय और लूंगा । जैसा कि मैंने कहा सोवियत संघ द्वारा यह वापसी केवल शाब्दिक है । सोवियत संघ द्वारा इस प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया गया है जिससे यह पता चले कि उनकी नीति में कोई परिवर्तन हुआ है । सरकार द्वारा बाहर जो वक्तव्य दिया गया है उससे यह आभास होता है कि इस मामले में सरकार की नीति कमजोर है, असंतोषजनक है, तथा आईरूप से तैयार की गई है । श्रीमान जी, कार्य मंत्रणा समिति ने अब यह सिफारिश की है कि अनियत-दिन-प्रस्ताव पर या नियम 193 के अन्तर्गत कोई चर्चा नहीं की जाएगी ।

इसलिए इस सिफारिश विशेष पर मैं अपना असंतोष व्यक्त करता हूं । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसके बारे में एक उपयुक्त वक्तव्य दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो 26 जून, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामलों को लिया जाएगा। डा० पंडित

---

## नियम 377 के अधीन मामले

### (एक) मध्य प्रदेश सरकार के पास पड़े उर्वरक के भंडार का मूल्य न बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : श्रीमान जी, मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न मामले के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

हाल ही में सरकार द्वारा उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि की गई है। इससे कृषि कार्यों तथा कृषि उपकरणों के मूल्यों में वृद्धि होगी। इस बात के मांग निरन्तर की जा रही है कि राज्यों को जो नये उर्वरक दिये जायें, उन पर नया बढ़ा हुआ मूल्य वसूल किया जाये। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, अनेक संसद सदस्यों तथा राज्य कृषि निगम ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास उर्वरक का जो स्टाक पहले से पड़ा है, उसके मूल्य में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। इसे पुराने मूल्य पर ही बेचा जाना चाहिए। ताकि इससे छोटे तथा सीमान्त किसानों को कम से कम वर्तमान कृषि मौसम के दौरान तो लाभ हो सके। केन्द्रीय सरकार को पुराने पड़े हुए उर्वरकों के स्टाक पर राज्य सरकारों को समकरण निधि में से राजकीय सहायता देनी चाहिए। यह निश्चय ही एक अविलम्बनीय मामला है जिस पर सरकार को छोटे किसानों के पक्ष में विचार करना चाहिए क्योंकि मध्य-प्रदेश सरकार के पास जो स्टाक पड़ा है, वह इसलिए पड़ा है क्योंकि गत दो मौसमों में वहां सूखा पड़ता रहा है जिसके कारण उर्वरकों के स्टाक का उपयोग नहीं किया जा सका। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उर्वरकों के पुराने स्टाक पर वर्तमान मूल्य वृद्धि न की जाये।

### (दो) कोक ब्रिकट के उत्पादन के लिए ग्रीज कोक की अत्यधिक कमी का समाचार

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादव पुर) : श्रीमान जी, पिछले चार या पांच वर्षों से पश्चिम में कोक ब्रिकट उद्योग लघु उद्योग क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग बन गया है। पश्चिम बंगाल के कुटीर तथा लघु उद्योग निदेशालय में कोक ब्रिकट ऐककों की पंजीकृत संख्या 448 है और इन कारखानों में काम करने वालों की संख्या 5000 हैं। परन्तु इसके लिए आपेक्षित कच्चे माल, ग्रीज कोक के अभाव के कारण इस उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है।

अधिकांश कोक ब्रीकट एकक बंद होने की अवस्था में पहुंच गये हैं क्योंकि उन्हें पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम लिमिटेड से, जो लघु स्तर के पंजीकृत औद्योगिक एककों को कच्चे माल का वितरण करने वाली एजेन्सी है, ब्रीज कोक प्राप्त नहीं हो रहा है।

अपेक्षित संख्या में मालडिब्बे उपलब्ध न होने के कारण पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम दुर्गापुर तथा बर्नपुर से पर्याप्त मात्रा में ब्रीज कोक नहीं ला पा रहा है और इसके परिणाम स्वरूप समूची वितरण व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई है और ब्रिकट का उत्पादन करने वाले एकक ब्रीज कोक के अभाव में लगभग बन्द पड़े हैं। बी० पी० हार्ड कोक के वितरण के मामले में भी यही कठिनाई महसूस की जा रही है जिस से कच्चे माल की खपत करने वाले सैकडों कारखानों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ब्रीज कोक के परिवहन हेतु प्रत्येक महीने जहां कम से कम 7 रेकों की आवश्यकता है, वहां रेलवे कर्मचारियों द्वारा पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम को केवल 2 रेकों की ही मंजूरी दी गई है। निगम द्वारा रेकों की संख्या बढ़ाये जाने का निवेदन रेलवे के संचलन निदेशक के पत्र संख्या सी० एम०/पी० आर० ओ० जी०/ई० एन०/ई० एच० एम०/1980/दिनांक 18.1.1980 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

इन परिस्थितियों में मैं रेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह संबद्ध रेल अधिकारियों को आवश्यक निदेश दे कि पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम लिमिटेड को अपेक्षित संख्या में मालगाड़ी के डिब्बे उपलब्ध करवाये जायें ताकि ब्रीज कोक तथा बी० पी० हार्ड कोक पर्याप्त मात्रा में पहुँचाया जा सके जिससे कि विशेष रूप से ब्रिकट उत्पादन एककों तथा राज्य के अन्य ढलाई कारखानों को उस संकट से बचाया जा सके जो कि अब कच्चे माल के उपलब्ध न होने के कारण उनके समक्ष उत्पन्न हो गया है।

### (तीन) हाथ से कते सूत की कीमतों में वृद्धि के कारण केरल में हथकरघा उद्योग पर आये संकट का समाचार

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : केरल में हथकरघा उद्योग को निरन्तर संकट का सामना करना पड़ रहा है जोकि अब और गम्भीर हो गया है। इसी के परिणाम स्वरूप केरल के हथकरघा श्रमिकों ने यह निर्णय किया है कि यदि भारत सरकार द्वारा उनके मांगों को स्वीकार न किया गया, तो वह 30 जून, 1980 से हड़ताल आरम्भ कर देंगे और केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों पर धरना देंगे।

इस उद्योग के समक्ष जो संकट चल रहा है उसकी गंभीरता को समझना बहुत आवश्यक है। सभी प्रकार के धागों के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। यह परम्परागत उद्योग इस मूल्य वृद्धि को वहन नहीं कर पा रहा है जिसके फलस्वरूप उद्योग में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी व्याप्त है और श्रमिकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

इस उद्योग की यह निरन्तर मांग यही है कि भारत सरकार द्वारा उसे अट्टी का सूती धागा, उचित दर दुकानों के माध्यम से अक्तूबर 1978 में प्रचलित मूल्यों पर उपलब्ध करवाया जाये। इसके साथ-साथ देश भर में हथकरघा श्रमिकों के लिए राज्यों में मज़दूरी की दरों में पाई जाने वाली असमानताओं को समाप्त करने के लिए समान वेतन निर्धारित किये जाने चाहिये।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस उद्योग के बढते हुए संकट तथा प्रस्तावित हड़ताल से बचने के लिए, इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करे। यह भी अनुरोध है कि सरकार द्वारा सभा में शीघ्र ही एक वक्तव्य दिया जाये।

## (चार) दण्डकारण्य परियोजना को बन्द करने के बारे में पुनर्वास मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में

**श्री निरेन घोष (दमदम)** : मैं नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व का निम्न मामला उठाना चाहता हूं :

श्रीमान जी, पुनर्वास मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य से कि 1981 तक दण्डकारण्य परियोजना को समाप्त कर दिया जायेगा, शरणार्थियों तथा उन सभी लोगों को, जो कि इस समस्या के बारे में कुछ जानते हैं, स्तम्भित कर दिया है।

यह बात सभी अच्छी तरह जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बंगला देश कहा जाता है, से आने वाले शरणार्थियों को कारगर ढंग से बसाने में है वास्तविक रुचि नहीं दिखाई है। यद्यपि इस देश के विभाजन से पूर्व यह वचन दिया गया था कि प्रत्येक शरणार्थी को बसाया जाएगा। इस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया। हाल ही में इस परियोजना के अध्यक्ष ने, केन्द्र सरकार के साथ मतभेद होने के कारण अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है। उनका कहना है कि केन्द्र सरकार उन उपायों को करने का प्रयत्न भी नहीं करती जिनसे ऐसा आभास हो कि वह पुनर्वास कार्य करना चाहती है अपितु सरकार तो केवल परियोजना को समाप्त करने के इच्छुक है। उसके स्थान पर विभाग के सचिव को परियोजना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वह दिल्ली में बैठेगा—जबकि मुख्य कार्यवाही प्रशासक दण्डकारण्य में ही रहेगा जिससे कि मामलों के तुरन्त निपटारे सम्बन्धी निर्णयों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह बहुत खेद की बात है कि कोई भी अच्छा व्यक्ति इस पद पर ज्यादा देर रह नहीं पाया है। जब तक कोई दूरगामी कार्यक्रम तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक कोई पुनर्वास कार्य नहीं हो पायेगा। प्राक्कलन समिति ने 1960,1962 तथा 1968 में इसकी रूप-रेखा तैयार करने की सिफारिश की थी। गत सितम्बर में दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र विकास प्राधिकरण की मांग की गई। परन्तु इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है। यहां पर कोई उद्योग नहीं है, बैलाडीला इस क्षेत्र से बाहर है तथा यहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। धरती पथरीली होने के कारण पानी को नहीं सोख पाती है जिसके फलस्वरूप वर्षा का लाभ खेती-बाडी के लिए नही उठाया जा सकता। वहां के आदिवासियों के साथ किसी प्रकार का मेलजोल नहीं है। इन परिस्थितियों में दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण के 50,000 परिवार किस प्रकार तथा कैसे निर्वाह कर सकते हैं? 6 औद्योगिक यूनिट और 20 उत्पादन केन्द्रों में से 17 बन्द कर दिये गये हैं। उड़ीसा ने भी 42,652 एकड़ भूमि देने का वचन पूरा नहीं किया है।

कुछ तीन एकड़ की तथाकथित सिंचित भूमि पर भी समय पर पानी दिया जाना है। 381 गांवों में से केवल आठ में बिजली है। प्रत्येक योजना को धीरे-धीरे घटाया गया है, कम किया गया है और उसे कमजोर बनाया गया है। और, इन लाखों शरणार्थियों के पास कोई नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से एक पूर्ण वक्तव्य की मांग करता

हूं। मैं फिर मांग करता हूं कि जब तक सभी दलों की संसदीय समितियां उस मामले पर अपना मत नहीं देती तब तक डी॰ डी॰ ए॰ पर कोई असर नहीं होगा। इस तरह के किसी भी मामले में, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार की अपनी आवाज होनी चाहिए और इसकी स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

### (पांच) मछुओं के लाभ के लिये तिरुनेलवेली (तमिलनाडु) के वेम्बर नामक स्थान पर नौका जेट्टी के निर्माण की आवश्यकता

***श्री डी॰ एस॰ ए॰ शिव प्रकाशम (तिरुनेलवेली)** : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाता हूं। भारत की दक्षिणी प्रायद्वीप तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हैं और वहां पर समुद्र-संपदा प्रचुर मात्रा में पायी जाती है। केन्द्रीय योजना आयोग ने तमिलनाडु के दक्षिणवर्ती भागों को पिछड़ा और स्थायी तौर पर सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। इसलिए, मछली पालन यहां पर मुख्य व्यवसाय है और इस क्षेत्र में समुद्र सम्पदा का विद्रोह न करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस क्षेत्र में रोजगार अवसरों के अलावा, समुद्री भोजन (मछली) विदेशी मुद्रा दिलाने वाला महत्वपूर्ण साधन है। हाल ही में, हमारी सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया था कि जापान से मशीनीकृत नावें मछली पकड़ने के उद्देश्य से बंगाल की खाड़ी में लगातार आती रहती हैं। यहां 'प्रॉन' मछली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जोकि अनेक यूरोपीय देशों में लोकप्रिय भोजन है। मेरे जिला तिरुनेलवेली में, समुद्र की ओर वेम्बर नामक गांव में 10,000 से अधिक लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। यहां नाव-जेट्टी न होने के कारण मछियारे 'प्रॉन' मछली को तट पर नहीं ला सकते और निर्यात प्रयोजनों के लिये उसका डिब्बा बन्दा पेक नहीं कर सकते। यदि वेम्बर में नाव जेट्टी—बनाई गई तो अनुमान है कि केवल 'प्रॉन' मछली के निर्यात से ही तीन करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की प्रतिवर्ष आय होगी। इसके लिए केवल एक करोड़ रुपए की लागत आएगी। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तिरुनेलवेली जिले में वेम्बर गांव में नाव जेट्टी के निर्माण के लिए शीघ्र धन की व्यवस्था की जाये।

### (छः) भारतीय सैनिक अधिकारियों के 1971 से पाकिस्तान में लापता होने का समाचार

**श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस)** : उपाध्यक्ष महोदय, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि भारतीय सेना के लगभग चालीस अधिकारी सन् 1971 से पाकिस्तान में लापता हैं। भारत सरकार द्वारा इस बात के प्रमाण दिये जाने पर कि उसके कुछ सैन्य अधिकारी पाकिस्तान की जेलों में नजरबन्द हैं, पाकिस्तान की सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वह 1971 से लापता कुछ भारतीय सैन्य अधिकारियों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। वैसे अब तक पाकिस्तान सरकार यही कहती रही है कि कोई भारतीय अधिकारी वहां नहीं है। भारत ने पाकिस्तान सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया और उसे साफ शब्दों में बता दिया कि यदि उसने हमारे अधिकारियों का पता नहीं लगाया तो वह पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री आगाशाही, जिनके अगले महीने भारत आने की सभावना है, के साथ होने वाली बातों में यह मामला उठाया जायगा। इस पर पाकिस्तान सरकार ने भारत को सूचित किया है कि

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उसने हमारी सूचनाओं के आधार पर लापता भारतीय सैन्य अधिकारियों की छानबीन शुरू कर दी है।

मान्यवर, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह शीघ्र से शीघ्र इस बात का पता लगाये कि पाकिस्तान में हमारे लापता सैनिक अधिकारियों की कुल कितनी संख्या है और वह कहां पर हैं और किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माननीय विदेश मंत्री यह भी सदन को बतलायें कि वे अधिकारी कब तक स्वदेश आ जायेंगे ताकि उनके घर परिवार एवं देश के लोगों को एक निश्चित तसल्ली मिल सके।

### (सात) झारखण्ड प्रान्त के लिये किया जा रहा कथित आंदोलन

**श्री नारायण चौबे (मिदनापुर)** : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के एक मामले पर इस प्रकार निवेदन करना चाहता हूं :—

झारखण्ड प्रान्त के लिए आन्दोलन के कारण पश्चिम बंगाल के बांकुरा, पुरुलिया, मिदनापुर तथा अन्य जिलों में और बिहार तथा उड़ीसा के कुछ भागों में तेजी से गम्भीर स्थिति पैदा हो रही है। चर्च का एक वर्ग सुनियोजित ढंग से आदिवासियों को उकसा रहा है और आमरा बंगाली तथा आनंद मार्ग बंगाली भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे है। आसाम तथा त्रिपुरा की घटनाओं ने इन आन्दोलनकारियों को और अधिक प्रोत्साहित किया है। यदि समय रहते उसका समुचित रूप से सामना नहीं किया गया तो अन्य स्थानों की भांति यहां भी हिंसा भड़क सकती है। आदिवासियों की पुरानी तथा कानून सम्मत मांगों को पूरा करने के लिए तत्काल उपाय करने चाहिए तथा उन्हें राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रभाव से बाहर रखा जाए और साथ ही विध्वंस की इन ताकतों का साहस के साथ मुकाबला किया जाना चाहिए।

---

## सामान्य बजट—1980-81, सामान्य चर्चा—जारी

**उपाध्यक्ष महोदय**: अब यह सदन सामान्य बजट—1980-81 पर आगे चर्चा शुरू करेगा।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त (बाशीरहाट)** : मुझे समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि वित्त मंत्री महोदय को अपनी ही पार्टी के कुछ सदस्यों तथा बड़े व्यापारियों के कुछ वर्गों द्वारा—बाहरी दृष्टि से इन दोनों का संयोग बड़ा विचित्र लगता है, वस्तुतः यह संयोग उतना विचित्र नहीं है—तथा-कथित यथार्थवादी बजट जो उन्होंने प्रस्तुत किया है तथा आम जनता को जो रियायतें दी हैं, उसके लिए बधाई दी गई है।

महोदय, कहने के लिए बहुत बातें हैं परन्तु समयाभाव के कारण मैं कुछेक बातों पर ही विशेष ध्यान दूंगा। मेरी राय में वित्त मंत्री महोदय ने उन तीन मौलिक लक्षणों को छिपाया है जो वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था की, जिसमें हम कार्य कर रहे हैं, पृष्ठभूमि हैं। उन्होंने इसका कोई भी हवाला नहीं दिया है और उन्होंने कुछ प्रस्ताव इस तरह पेश किए हैं मानों कि वे किसी खाली स्थान पर हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये पृष्ठ भूमिक लक्षण सम्पूर्ण स्थिति के

आधारभूत है और बजट के सभी प्रस्तावों का परिणाम तथा उनका वास्तविक प्रभाव इसी पृष्ठभूमि पर निर्भर करेगा।

पहली बात—मुझे आशा है कि आप बाद में यह नहीं कहेंगे कि मुझे इस सम्बन्ध में मानसिक ग्रन्थि है—यह है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जिसमें कई वर्ग हैं न कि एक समतावादी समाज में एप्लाईड इकानोमिक रिसर्च की राष्ट्रीय परिषद के अनुसार, इसके आंकड़ों में बताया गया है कि इस देश के एक प्रतिशत बड़े परिवार 14 प्रतिशत राष्ट्रीय सम्पदा के स्वामी हैं जबकि इसके नीचे के 50 प्रतिशत परिवार 7 प्रतिशत से कम राष्ट्रीय संपदा के स्वामी हैं। यह हमारे देश में विद्यमान असमानता की सहज एक झलक है। यदि आप इसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभाजित करके देखें तो हम पाते हैं कि नीचे के 50 प्रतिशत परिवार 8.2 प्रतिशत संपदा का स्वामित्व करते हैं जबकि सबसे धनी एक प्रतिशत परिवार 13 प्रतिशत सम्पदा के स्वामी हैं। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में नीचे के 50 प्रतिशत लोग 3.2 प्रतिशत सम्पदा के मालिक हैं जबकि सबसे धनी 1 प्रतिशत लोग 20 प्रतिशत सम्पदा के स्वामी हैं। यह बताना काफी है कि इस देश में धन का एक बहुत ही बड़ी मात्रा में केन्द्रीकरण हुआ है। जब भी कोई बजट तैयार किया जाता है और बजट प्रस्ताव किए जाते हैं तो इस बात को दिमाग में रखना चाहिये।

प्रश्न है कि क्या बजट जिसे वित्तीय और आर्थिक दस्तावेज माना जाता है कि लक्ष्य, धन के एकत्रीकरण पर, जहां भी यह हो, जिस सीमा तक यह कर सकता हो, उस सीमा तक प्रहार करता होना चाहिए अथवा नहीं। मैं समझता हूं कि कोई भी इससे इन्कार नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि इस बजट में, जिसे मंत्री महोदय ने पेश किया है, इस आधारभूत मुद्दे को छोड़ दिया है और इस मुद्दे से बचने से अथवा इससे दूर भागने से इसने (बजट में) वास्तव में इस समूचे विषय पर अपने घुटने टेक दिए हैं।

महोदय, दूसरी आधारभूत बात—यह भारत के लिए ही कोई विशेष बात नहीं है—ऐसी अवधि जिसमें उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मुद्रास्फीति हो और कीमतें बढ़ती जाती हो निजी उद्योग के क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायक होती है। यह एक वास्तविकता है। इसे ऐसे किसी भी देश के आंकड़े देकर सिद्ध किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार की ऊंची मुद्रास्फीति का शिकार है। महोदय, यह सोचना गलत है कि मुद्रास्फीति ऐसी कुछ चीज है जो जनता के हर वर्ग को कष्ट पहुँचाती है। ऐसी बात बिलकुल नहीं है। महोदय आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुद्रास्फीति के ऊंचे मूल्य, अभाव, नकारात्मक राष्ट्रीय आयवृद्धि, व्यापार घाटे, गति हीनता, सूखा तथा राजनीतिक संकट की ठीक इसी अवधि में—इस प्रकार की स्थिति में भी—, 1978-79 के भारतीय रिजर्व बैंक के 421 चुनी हुई पब्लिक लिमिटेड कंपनीज प्राइवेट कंपनीज —सरकारी कम्पनियां नहीं—के अध्ययन से यह पता चलता है कि इस अवधि के दौरान मुनाफे में 33.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और लाभांश भुगतान पिछले वर्ष से 15 प्रतिशत बढ़ा है। दूसरे कुछ आंकलन भी हैं:—एक आंकलन इकानोमिक टाइम्स द्वारा तैयार किया गया है जो कि 215 चुनी हुई कम्पनियों के आधार पर है। इनमें बताया गया है कि ठीक इसी अवधि में, इन 215 कम्पनियों का कर पूर्व मुनाफा पिछले वर्ष के 25.5 प्रतिशत की तुलना में 50.9 प्रतिशत बढ़ा इसलिए, यह कोई नई बात नहीं है कि जब हम भाग्य को कोस रहे हैं कि हमारे देश में इस तरह की आर्थिक संकट व्याप्त है ठीक इसी अवधि में निजी उद्योग (कारपोरेट) क्षेत्र में आपको अधिकतम

बिक्री, अधिक मुनाफे, ऊंचे लाभांश परि सम्पत्तियों के निर्माण की ऊंची दर दिखाई देती है।— ये सभी नकारात्मक विकास और गतिहीनता अभाव आदि की अवधि में ही हुए।

मैं जानता हूं कि बड़े व्यापारी—जो कुछ वे पाते हैं, उससे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। महोदय, और आप रोजाना समाचार पत्रों में यह पाएंगे कि वे आप से बाहर हो रहे हैं, वे यही रोने में लगे रहते हैं और कहते हैं कि वे अभी भी इतनी तमाम कठिनाइयों से परेशान हैं और मंत्री महोदय ने इनके प्रति पर्याप्त विचार नहीं किया है और वे लोग इसी तरह की बातें करते हैं। एक दिन शेयर बाजार में भाव बढ़ जाते हैं तो दूसरे दिन नीचे आ जाते हैं, हम जानते हैं कि किस तरह इन सब बातों को चलाया जाता है। जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि बजट में इस वास्तविकता की उपेक्षा कर दी गई हैं जो यह है कि दुनिया भर में मुद्रा स्फीति के शिकार वे लोग हैं जिनकी निश्चित आय है, जो साधारण मजदूर हैं, किसान हैं, जो कि गरीबी की रेखा से नीचे हैं आदि। हां वे मुद्रास्फीति के शिकार है। परन्तु कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुद्रास्फीति से लाभ उठा रहे हैं, मुद्रास्फीति से लाभ उठाने वाले वे लोग हैं जो उत्पादन, भंडार, बाजार, कीमतों, अपने उत्पादनों में मिलावट, अपनी बेलेंस शीटों को छलपूर्वक परिचालित करने की स्थिति में हैं। यह लोगों का वह वर्ग है—धनवान वर्ग—जो मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं। दुनिया भर में आप पाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे देशों में जो हमसे आगे हैं, जिस तरह पूंजीवादी विकास इन देशों में होता है, मुद्रास्फीति, जो कि यहां व्याप्त होती जा रही है, लोगों में कुछ वर्गों पर ही चोट पहुंचाती है परन्तु वहां ऐसे भी दूसरे वर्ग हैं जो ठीक उन उंचे मूल्यों और मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप समृद्ध हैं। श्री वेंकटरामन के भाषण में इन सब बातों की कोई झलक नहीं है। इसलिए बजट वाले दिन जो पहली स्वतः स्फूर्ति प्रतिक्रिया आयी वह यह है। श्री गोयनका के इंडियन एक्सप्रेस में यह कहा गया। मैं केवल अगले ही दिन के लिखे गए संपादकीयों के शीर्षकों को उद्धृत कर रहा हूं। श्री गोयनका के इंडियन एक्सप्रेस में शीर्षक दिया गया 'वेलडन' (सुकृत), श्री टाटा के स्टेट्समैन ने शीर्षक दिया 'वेल बिगन' (अच्छी शुरुआत), श्री बिरला के हिन्दुस्तान टाइम्स ने शीर्षक दिया 'एक प्लेजेंट सरप्राइज' (एक मनोरम आश्चर्य)। श्री साहू जैन के टाइम्स आफ इंडिया में शीर्षक दिया गया था 'एन इमेजीनेटिव बजट' (एक कल्पनाशील बजट)। और 'फिक्की, के अध्यक्ष श्री के० एन० मोदी ने इसे 'एक यथार्थवादी बजट' बताया। ये कुछ स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं जो बजट के सम्बन्ध में व्याप्त की गई थी और जो उनकी वास्तविक भावनाओं को व्यक्त करती है। क्योंकि, महोदय, बजट के पीछे मुख्य अवधारणा यथापूर्व स्थिति को बरकरार रखने की है। यह यथापूर्व बजट है। इसमें कोई दिशा निर्देश नहीं किया गया। मैं यह तो नहीं कहता कि एक ही बजट से बहुत भारी परिवर्तन लाया जा सकता है। परन्तु कुछ परिप्रेक्ष्य अवश्य होना चाहिए, कुछ दिशा निर्देशन अवश्य होना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि क्या हम अर्थ-व्यवस्था में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन चाहते है। पिछले दिन शासक दल के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे। मुझे उनसे यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि कई वर्षों से हम मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को चला रहे हैं तथा अब समय आ गया है कि हम तथा कथित मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के परिणामों का अध्ययन करें। हमारे समक्ष इतना गम्भीर आर्थिक संकट कैसे आ गया है? गरीब लोग और गरीब क्यों बनते जा रहे हैं। निर्धनता के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों की संख्या क्यों बढ़ रही है। गांव से शहरों में आने वाले दीन-हीन लोगों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। यह सभी बातें कल शासक दल के सदस्यों द्वारा भी कही गई थी। प्रश्न यह है कि क्या इस बजट द्वारा कुछ

अपेक्षित परिवर्तन लाने का माध्यम बन सकता है। मैं समझता हूं कि बजट में ऐसा कुछ नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य यथा स्थिति बनाये रखना है।

योजना परिव्यय में प्रस्ताविक वृद्धि की गई है। यह बहुत अच्छी बात है कि योजना परिव्यय में वृद्धि हो रही है क्योंकि उसके बिना कोई उन्नति सम्भव नहीं है। प्रस्तावित वृद्धि 16.6% है। परन्तु, श्रीमान्, मंत्री महोदय ने स्वयं ही बताया है कि पिछले वर्ष मूल्य वृद्धि 20 प्रतिशत हुई है। इसका अर्थ है प्रस्तावित वृद्धि मूल्य वृद्धि को पूरा करने में भी समर्थ नहीं है, इस प्रकार जो व्यवस्था की गई है वह वास्तव में नकारात्मक है। इस बजट में वृद्धि की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि इसमें 20 प्रतिशत मूल्य वृद्धि को भी पूरा नहीं किया गया। वित्तीय उपायों ना कि राजकोषीय उपायों पर निर्भरता के कारण परिव्यय में वास्तविक वृद्धि की बात समाप्त हो जाती है।

यह तो कुछ वित्तीय उपायों को तदर्थ रूप में लिए जाने का ढंग है। निःसंन्देह मैं श्री वेंकट-रामन को उनके बुद्धिचातुर्य पर बधाई देता हूँ। निःसन्देह वह बहुत चतुर व्यक्ति हैं। वह प्रदर्शन कला में प्रवीण हैं। इस बजट को कुछ लोकप्रियता का आवरण देने की चेष्टा की गई है, जिसका उनके दल के सदस्यों द्वारा जोर-शोर से स्वागत किया गया। परन्तु मैं नहीं समझता कि वे लोग वित्त मंत्री द्वारा प्रदर्शन कला पूर्ण बजट की वस्तुस्थिति को समझते हैं। आप देखेंगे कि वास्तविक बल व्यवस्था के सार्वजनिक प्रबन्ध पर दिया गया है। वह उसपर तथा अधिक सक्षम कर प्रशासन पर ही निर्भर कर रहे हैं। परन्तु इस संरचनात्मक व्यवस्था के अन्दर सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसका कि इस देश में मूल-भूत तथा अन्यन्त महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, परन्तु बजट में उसे उतना महत्व नहीं दिया गया।

योजना आयोग पर ही दृष्टि डालें। किसी का असम्मान किए बिना मैं कहना चाहता हूँ कि आयोग इस समय कुछ भूतपूर्व सचिवों का परामर्श निकाय बन गया है। वर्तमान योजना आयोग का वर्तमान गठन इसी प्रकार का है। योजना आयोग का यह प्रभाव और प्रतिष्ठा नहीं रही जो उसे इस सारे आयोजन के आर्थिक ढांचे में प्रभावी बना सके। जब तक संगत मूल्य प्रणाली तथा अनुदानों की नीति नहीं अपनायी जाती सरकारी क्षेत्र लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकते। मुझे इस बात पर निराशा होती हैं कि इस बारे में कोई विस्तार-पूर्वक चर्चा नहीं की गई। इस समय सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र के पूरक के रूप में कार्य कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य निजी व्यवसाय के हितों का संरक्षण है। इसकी संरचनात्मक व्यवस्था पर 5000 करोड़ रुपए लगे है परन्तु लाभ केवल 4% है और इनकी मूल्य अनुदान की नीति इस तरह की है कि सरकारी क्षेत्र, केवल हानि में ही चल सकते है।

उदाहरणार्थ राज्य व्यापार निगम को ही ले जोकि निजी क्षेत्रों का कच्चा माल सप्लाई करेगा। परन्तु निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्य मनमाने ढंग से तय किये जाते है। इसका क्या अर्थ है? क्या सरकारी क्षेत्र का यही उद्देश्य है?

ईक्विटी अंश संबंधी परिवर्तन खण्ड पर नयी सीमाएं लगा दी गई हैं। इसका निःसन्देह सहकारी क्षेत्र द्वारा स्वागत किया गया है। इसका अर्थ है कि निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के धन से जितनी उन्नति कर रहा था उससे अधिक उन्नति करेगा क्योंकि इस बात पर रोक लगाई गई है कि

वित्तीय संस्थाएं तथा बैंक इन कम्पनियों में चालीस प्रतिशत से अधिक ईक्विटी शेयर न रख सके।

कर-दाताओं द्वारा अधिक अदायगी के द्वारा काले धन को निकालने की योजना है। स्वेच्छा प्रकटन योजना तथा करों, अर्थात आयकर में आंशिक कटौती करने की पुरानी नीति अपना रहे हैं जिससे कर-दाता स्वतः ईमानदारी से कर जमा करेंगे और कर अपवंचन घटेगा। परन्तु यह ख्याली पुलाव है और यह अनुभव से भी सिद्ध नहीं हुई। मेरे पास समय नहीं है कि मैं 1970-71 से अद्यतन आंकड़ों से यह दिखा सकूं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि आयकर की आंशिक दर में वृद्धि से प्रति वर्ष आयकर वसूली की प्रतिशत में वृद्धि हुई है। मुझे भय है कि अनुभव से यह सिद्ध नहीं होता। कुछ वर्षों में जबकि आयकर की दर ऊंची थी तो आमदनी पर्याप्त हुई और जब आयकर की दर कम थी तब आमदनी कम हुई, बढ़ी नहीं। हम सब जानते हैं कि स्वेच्छा प्रकटन योजना का क्या बना, जिसे अंततः छोड़ना पड़ा। यह सिद्ध हो गया कि योजना बिल्कुल सफल नहीं हुई। हमारे देश में भले ही आप आयकर को कम करें तोभी बड़ी संख्या में लोग, पैसा होते हुए भी, कर देने को तैयार नहीं हैं। कुछ भी हो वह कर बचाना चाहेंगे। इसलिए आपको इसपर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए।

सब प्रत्यक्ष करों में रियायतें केवल धनी और सम्पन्न लोगों के लिए समृद्धि साधक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आयकर की दर घटाई गई है, परंतु यह भी मात्र एक प्रदर्शन है क्योंकि आयकर की छूट सीमा आठ हजार रुपये से बढ़ा कर बारह हजार रुपए कर दी गई है। यह बात अच्छी है परन्तु इसमें दो बातें हैं, जो सामने नहीं आयीं। एक तो यह है कि जो व्यक्ति बारह हजार से अधिक कमाते हैं उन पर कर आठ हजार से ऊपर की रकम पर लगेगा। इससे लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है अर्थात् जिनकी आय आठ हजार से बारह हजार के बीच है। यदि आपकी आय तेरह हजार है तो भी आपको आठ हजार की छूट के हिसाब से कर देना पड़ेगा न कि बारह हजार की। इसकी बात यह है कि पहले बारह हजार से अधिक आय वाले व्यक्तियों को बच्चों की शिक्षा भत्ते के रूप में छूट मिलती थी। वह शिक्षा छूट समाप्त कर दी गई है। वह शिक्षा भत्ता जो कि पहले उपलब्ध था छूट सीमा बारह हजार से बढ़ाते समय हटा दिया गया है। इसलिए मैं, किसी का भी अपमान किए बिना, इसे मात्र प्रदर्शन कह रहा हूं।

इसके बाद, सम्पत्ति कर की छूट सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दी गई है। मुझे समझ नहीं आता कि उसकी क्या आवश्यकता थी। कृषि भूमि पर सम्पत्ति कर समाप्त कर दिया गया है। जब उन्होंने इसकी घोषणा की तब उसका इस सभा में भारी स्वागत किया गया। परंतु उनकी पार्टी के गठन को ध्यान में रखते हुए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। करों का अपवंचन सफलता पूर्वक होता है उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्हें इससे एक करोड़ रुपए से अधिक की आय नहीं हुई। इससे पता चलता है कि कर-अपवंचन होता है तथा क्योंकि इससे एक करोड़ की उपलब्धि नहीं होती, इसलिए यह अच्छा समझा गया कि इसे समाप्त कर दिया जाये।

इसके अलावा नए उद्योगों को सात वर्ष के लिए करों में छूट दी गई है, नए कारखानों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत छूट, आयातित माल तथा पूंजीगत माल पर सीमा शुल्क तथा कुछ

उद्योगों को करों में भारी छूट दी गई है। इन रियायतों से देश में थोड़े से व्यक्तियों को ही लाभ पहुँचेगा जिनका सम्बन्ध निजी संगठित निगमित क्षेत्र से है। निगमित क्षेत्र पर एक पैसा भी अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया। बैंक से लिए जाने वाले ऋणों पर 7% कर को छोड़कर बाकी सभी मामलों में यही स्थिति है। मैं नहीं समझता हूं कि यह चक्करदार मार्ग क्यों अपनाया गया है। यदि वह जमा राशि पर एक प्रतिशत दर बढ़ा देते तो इससे सभी को लाभ पहुंचता तथा इससे भी वही लाभ मिलता। बैंकों से ऋण एक प्रतिशत महंगे हो जाते परन्तु जमाकर्ताओं को अधिक लाभ पहुँचता। ऋणों पर देय व्याप्त यह 7½ प्रतिशत कर से ऋणों की लागत बढ़ेगी तथा जमाकर्ताओं को तदनुकूल लाभ नहीं मिलेगा।

संसाधनों के जुटाने की उनकी योजना का जहां तक प्रश्न है, मुझे पता नहीं है कि वह 233 करोड़ रुपए के करों की बात बार-बार क्यों करते हैं। पूरे वर्ष से इससे केवल एक करोड़ रुपए ही नहीं मिलेंगे, 233 करोड़ रुपए तो वर्ष के शेष महीनों में मिल जायेंगे। यदि आप पूरे 12 मास की आय का हिसाब लगायेंगे तो यह 445 करोड़ रुपए बैठती है। बजट के अलावा, सभी जानते हैं कि हमें पेट्रोलियम उत्पादों से 2100 करोड़ रुपए, उर्वरकों से 665 करोड़ रुपए, रेलवे से 290 करोड़ रुपए, डाक-तार से 27 करोड़ रुपए, 850 रुपए विदेशी ऋणों से तथा 100 करोड़ रुपए संस्थागत निवियों से प्राप्त होंगे।

आखिरी मद को छोड़कर बजट के पूरे प्रभाव को उत्पाद शुल्कों की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। सारी बातों को ध्यान में रखना होगा यह सारी चीज ही मुद्रा प्रसार की आग को भड़का रही है और इसे कोई रोक नहीं सकता है।

मूल्य वृद्धि अपरिहार्य है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां आप मूल्य वृद्धि को गणितीय ढंग से गणना करते हैं और बताते हैं कि वृद्धि केवल 6.5 पैसे होगी। हर बार इसकी गणना की गई है। रेलवे या वित्त मंत्रालय के अधिकारी और नौकरशाह प्रेस सम्मेलनों का आयोजन करते हैं और कहते हैं कि उनकी गणना के अनुसार प्रति रुपए केवल 2 पैसे या 0.005 पैसे की वृद्धि होगी। परन्तु हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां व्यापार और उद्योग पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे लोग कभी भी निम्नतम वृद्धि को भी अपने लाभ से घटाने के लिये तैयार नहीं हैं। वे हमेशा इसके सारे भार व इससे अधिक को उपभोक्ता के ऊपर लादते हैं। प्रत्येक वर्ष हम यह देखते हैं।

वास्तव में नए करों का प्रभाव बहुत भारी व अधिक है। इसके बाद भी 1417 करोड़ रुपए का अंतर रह जाता है। भारी मुद्रास्फीति की और दौर शुरू हो गया है। इसका मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक के क्रेडिट में भारी वृद्धि होने वाली है। यह अपरिहार्य है। इसका अर्थ यह है कि वे और अधिक नोट छापेंगे। यह उन्हें करना होगा। अधिक मुद्रा प्रचलन में आयेगी।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट में इस पर प्रकाश नहीं डाला है और यह नहीं कहा है कि पिछले कुछ सालों से मुद्रा-प्रचलन में भारी वृद्धि की समस्या को कैसे हल किया जायेगा अथवा इस वृद्धि को कैसे रोका जायेगा।

हमें याद रखना चाहिये कि यह सब 16 महीने निरंतर मूल्य वृद्धि के बावजूद हो रहा है। हो सकता है यह जनता शासन के कारण हुआ है। वह यह तर्क देना चाहेंगे। परन्तु मैंने पहले

बता दिया है—इस समय मेरे पास ब्यौरा देने के लिये समय नहीं है—कि ये सभी मूलभूत तत्व जनता पार्टी के सत्ता में आने के पूर्व भी मौजूद थे। इसमें संदेह नहीं कि कुछ जनता शासन के दौरान जोर पकड़ गये हैं। परन्तु मुद्रा एवं क्रेडिट प्रसार के ये मौलिक तत्व बहुत पहले से मौजूद थे। इस बार वर्तमान बजट ऐसे समय पर प्रस्तुत किया गया है जबकि पिछले 16 महीनों से निरन्तर मूल्य वृद्धि हो रही है और मुद्रास्फीति में 20% की दर से वृद्धि हो रही है तथा पिछले 4½ वर्षों में मुद्रापूर्ति में अविवेकपूर्ण ढंग से विस्तार हुआ है। ऐसे समय में यदि आप इस प्रकार के नये कर एवं बोझ वाला भारी बजट लायेंगे तो हम लोग वास्तविक संकट में पड़ जायेंगे। यदि आप इसे कम भार वाला बजट कहते हैं तो 1976 में जनता सरकार के पूर्व भी इस प्रकार का कम भार वाला बजट आया था किन्तु उसके पूर्व कम से कम कई महीनों तक मूल्य अपेक्षाकृत स्थित रहे। उसके बाद 1976 में आपका तथाकथित कम भार वाला बजट प्रस्तुत किया गया था। उससे कुछ लोगों को रियायत मिली। परन्तु मैं समझता हूं कि अब ऐसा करना एक प्रकार से जुआ खेलना है। अब अधिकतम इस समय जब कि 20 प्रतिशत की दर से मुद्रास्फीति हो रही है और इतने लम्बे समय से इस कदर मूल्य बढ़ने का सिलसिला चल रहा है, इस से मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को बढ़ावा ही मिलेगा।

अंत में, मैं आम आदमी अर्थात उपभोक्ता को उत्पादन शुल्क में दी गई राहत के बारे में कुछ कहूंगा जिनसे बहुत बड़ी राहत की संज्ञा दी गई है। सर्वप्रथम कुल रियायतों की राशि जिनके लिए आश्वासन दिया गया है, पूरे वर्ष के लिये 15 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। जिसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। मैं समझता हूं कि उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ इस सदन के सदस्यों को बताना चाहिये था कि जब कुछ वस्तुओं पर से उत्पादन शुल्क घटाया गया तब 5 प्रतिशत का विशेष उत्पादन शुल्क उन वस्तुओं पर भी लगाया गया जिन पर पहले नहीं लगता था और जिन वस्तुओं पर 5 प्रतिशत का शुल्क लगा हुआ था उन पर शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। यह छूट कुछ ही वस्तुओं पर दी गई है। इस विशेष उत्पादन शुल्क से कुछ वस्तुओं पर छूट होने के बावजूद करीब 200 करोड़ रुपये की आय होगी क्योंकि विशेष उत्पादन शुल्क को लगाते समय मूल्य वृद्धि को दृष्टिगत रखा गया है। उदाहरण के लिये, 30 मूल औषधियों को सामान्य उत्पादन शुल्क से मुक्त किया गया परन्तु यहां पुनः कुछ दिखावा है क्योंकि अब तक इन 30 मूल औषधियों पर सामान्य उत्पादन शुल्क नहीं लगता था। उन पर पहले से ही 2.5% का रियायती उत्पादन शुल्क लगा हुआ था। इनका भुगतान होता था। यह बात सही है कि अब यह 2.5 प्रतिशत शुल्क खत्म कर दिया गया है परन्तु आप हिसाब लगायें तो देखेंगे कि इससे बहुत कम अन्तर पड़ेगा। मेरी समझ में बात आती यदि वह 12.5 प्रतिशत का शुल्क जो मुख्य दवाइयों और स्वामित्ववाली दवाइयों पर लगता है उसे खत्म करते। इससे आम आदमी जो दवाई की दूकान पर डाक्टर द्वारा बतायी गयी दवाई खरीदने के लिए जाता है उसे वास्तविक राहत मिलेगी। इन सब पर 12.5 प्रतिशत का शुल्क लगता है। इसे छुआ तक नहीं गया। और केवल 30 औषधियों को चुना गया है जिन पर किफायती दर से 2.5 प्रतिशत का भी शुल्क दिया जाता है। इन दवाइयों पर लगने वाले शुल्क में बहुत कम कमी होगी। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। कपड़ा उस में से एक है। कपड़े से मेरा मतलब सूती वस्त्र से नहीं है क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि काटनलाबी से कुछ दबाव ने इस समय काम किया है। यह आशा की जा रही है कि कपास की फसल अच्छी होगी। मैं नहीं जानता कि यदि अच्छी नहीं होती या कमजोर होती है तो क्या होगा? परन्तु जो हुआ है वह यह है कि कृत्रिम रेशे और विस्कोम लम्बे रेशे पेट्रोलियम में वृद्धि से निश्चित रूप से बुरी तरह प्रभावित हुये है। और यह हम

देखेंगे कि देश में निर्मित लम्बे रेशे की कीमतें आयातित रेशे की कीमत से अधिक होने जा रही है। यही इस सब का कुल परिणाम होगा। इस तथ्य के अलावा कि बहुत सी कपड़ा मिलों ने हाल के वर्षों में तेल से चलने वाले बायलरों का प्रयोग शुरू कर दिया है। सम्पूर्ण पेट्रोलियम के संकट एवं इनके मूल्यों में वृद्धि से वस्त्र उद्योग का एक बहुत बड़ा भाग प्रभावित होने जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में बहुत ज्यादा आंसू नहीं बहा रहा हूं क्योंकि इस देश के आम लोग इस प्रकार के कृत्रिम लम्बे मुख्य रेशे से बने कपडे का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह उसकी पहुँच से बाहर है। मुझे विश्वास है कि इन सब चीजों का उपयोग बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये निर्यात करने में होता है। इस प्रतिस्पर्धा में लाभ प्राप्त करने वाली केवल काटन लाबी होगी। मैं नहीं जानता कि यह निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि करने और विदेशी मुद्रा से लाभ कमाने से कैसे मेल खाता है।

जहां तक इस्पात का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है कि रेलभाडे की ऊंची दरें इस्पात संयन्त्र सहन नहीं कर पायेंगे। वे मूल्यवृद्धि की मांग कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि यह समाचार पत्रों में है। सीमेंट उत्पादक पहले से ही सीमेंट के लिये अधिक उत्पादन मूल्य की मांग कर रहे हैं। वे लोग इनमें कोई भी भाड़े की दर को सहन करने के लिये तैयार नहीं है। प्रत्येक चीज उपभोक्ता पर ही लाद दी जाती है। सीमेंट की कमी है। यहां तक कि यह काले बाजार में भी उपलब्ध नहीं है। कोई सीमेंट प्राप्त नहीं कर सकता है।

जहां तक सड़क परिवहन का सम्बन्ध है, चूंकि डीजल का मूल्य बढ़ गया है इसलिए बजट के तुरन्त बाद सभी प्रकार की मूल्य वृद्धि हुई है। फायर स्टोन ने टायरों में मूल्य वृद्धि की घोषणा कर दी है। न केवल रेल परिवहन बल्कि सड़क परिवहन में भारी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब कि जितनी भी वस्तुओं का परिवहन रेलवे या सड़क से हो रहा है उनके मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा।

मैंने भाषण को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा है। वित्त मंत्री महोदय ने "सामाजिक न्याय के साथ विकास" का नारा दिया है। परन्तु न तो मुझे सामाजिक न्याय दिखता है न विकास। इसमें कोई सामाजिक न्याय नहीं है। जो होने जा रहा है वह यह है कि इन आयातों का संयुक्त प्रभाव यह होगा कि औसत आम आदमी के कंधों पर पहले से भी बहुत ज्यादा भार लादा जायेगा। अन्य लोग पहले जो कुछ कह चुके हैं उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। रेल भाडे और पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि हो रही है, ये सब केवल चालाकी है। तकनीकी रूप से ये सब बजट के क्षेत्र में नहीं आते हैं। बजट में कहा गया है कि नये करों का बोझ कम कर दिया गया है और यह केवल 225 करोड़ रुपये होंगे, जो सत्य नहीं है। पूरे वर्ष में यह 445 करोड़ रुपये होंगे। परन्तु लोग इस तरह से गणना नहीं करेंगे। उनका सम्बन्ध समूचे बजट से है जो सरकार के द्वारा गत कुछ रोज पहले प्रस्तुत किया गया है। इसलिए यह मूल रूप से ऐसा बजट है, जैसा मैंने शुरू में कहा है कि इससे मात्र उन लोगों को रियायत मिलती है जो मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि से लाभ उठाते हैं। ऊंची लागत वाली अर्थ व्यवस्था से संगठित, निगमित और निजी क्षेत्र को लाभ होता है और यही श्री वेंकटारामन के बजट द्वारा उसी स्थिति को बनाये रखा जा रहा है जबकि सारा भार, मुझे कहना चाहिये, कि कमजोर या कुचलने वाले भार को उन वर्गों के लोगों के ऊपर लादा जा रहा है जिनको मुद्रास्फीति से हमेशा नुकसान होता है। जिनके पास इस मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिये कोई साधन नहीं है, जो हमेशा मुद्रास्फीति के शिकार रहे हैं। सामाजिक आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाने के सम्बन्ध में मैं यही

कहना चाहता हूं। मैं कोई विशिष्ट शब्दावली या सूक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं जिससे कि मुझ पर कोई सिद्धांन्तवादी या हठधर्मी होने का आरोप न लगाये। क्या मुझे यह कहना चाहिये कि यह मिश्रित अर्थ व्यवस्था है ? किसी भी मिश्रण की तरह यह भी एक प्रकार का मिश्रण है, जैसे डाक्टर दवाई देता है। मिश्रण में हमें यह निश्चित करना पड़ता है कि इस मिश्रण में कौन-कौन से विभिन्न तत्व हैं। हमारी अर्थ व्यवस्था में इस सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र और ऐसी चीजों का ईमानदारी से मूल्यांकन करने का यह समय नहीं है कि इन सालों में हम कहां आये है और कहां तक यह सरकारी क्षेत्र सरकारी है और कहां तक निजी क्षेत्र के केवल सेवक के रूप में काम कर रहा है ?

निजी क्षेत्र की क्या हालत है ? उनकी परिसम्पत्तियों का अध्ययन करिये और देखिये कि पिछले 10 वर्षों की समयावधि में 1970 के बाद से परिसम्पति का निर्माण कैसे हुआ है। इस समयावधि में पहले के कांग्रेस शासन का समय, जनता व जनता शासन के बाद का भी समय आयेगा। बड़े-बड़े उच्च व्यापार गृह को लीजिये और देखिये कि वहां लोग तकलीफ झेल रहे हैं और संभव अलगाव की बदतर स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं वहां इन बडे व्यापार गृहों की परिसम्पत्ति प्रतिवर्ष बड़ी तेजी से बढ़ रही है। यह कैसे हो रहा है ? इसके पीछे कोई जादू या रहस्य नहीं है। सम्पूर्ण व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है कि इस देश की सम्पत्ति इन्हीं लोगों को मिलती है और वे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं का नियंत्रण करने की स्थिति में है। इन बड़े-बड़े व्यापार गृहों की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर अच्छी पकड़ है और वे अपनी शर्तें अभी सरकार से मंजूर करा सकते हैं और वे ऐसा करते आ रहे हैं। इस बजट से इसी बात का पता चलता है। यह कहना निरर्थक है कि श्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ उत्पादन शुल्कों को बढ़ाया और आप उन्हें कम कर रहे हैं। जिसे उन्होंने बढ़ाया था उसे आप कम कर रहे हैं इससे निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी और जितना आपने कम किया है उसी हद तक मैं आपको बधाई देने के लिए तैयार हूं यद्यपि उन्होंने इसका विरोध किया है और कहा है कि आपने उन पर आरोप लगाये हैं। उन्होंने इन सब शुल्कों को नहीं बढाया। इसका उत्तर आपको देना है। परंतु मुझे इस बजट में मुद्रास्फीति, महंगाई एवं बेरोजगारी की इन समस्याओं का कोई समाधान दिखाई नहीं देता।

महोदय कल जब आप एक साधारण सदस्य के रूप में बोल रहे थे तो आपने ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में बहुत कुछ कहा। मैं देखता हूं कि यह योजना वास्तव में बर्तमान कार्यक्रम 'काम के बदले अनाज' का सुधरा हुआ रूप है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम एक अच्छी चीज है, यह आवश्यक है और हाल के वर्षों में चलाये गये सर्वोत्तम कार्यक्रमों में से एक है। निस्संदेह उन्होंने इसे थोड़ा और मजबूत करना चाहा है। बस इतना ही है। मैं यह कह सकता हूं कि यह ऐसी क्रान्तिकारी या मौलिक योजना नहीं है जैसा कि आप अपने कल के ओजस्वी भाषण में ऐसा कहने की कोशिश कर रहे थे। बस इतना ही है।

पूर्ण रूप से इस बजट पर दृष्टिपात करने से लगता है कि छः महीने के समय में यह इस देश को और अधिक संकट में डाल देगा। मुझे आशंका है कि मुद्रास्फीति काबू से बाहर हो जायेगी। इसके परिणामस्वरूप कुछ लोगों को नुकसान होगा और कुछ लोग फलें-फूलेंगे। इससे देश में तनाव और संघर्ष बढ़ेगा जिसे कोई रोक नहीं सकता है। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें

किसी के द्वारा षडयंत्र के तरीके से किया जा रही है। अर्थव्यवस्था में ही कुछ हो रहा है कि लोगों को लगता है कि उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है जबकि कुछ दूसरे लोग अनुचित लाभ उठा रहे हैं। आप समाज में बढ़ते हुए तनाव और संघर्ष को रोक नहीं सकते हैं। गरीब लोगों और साधारण श्रमजीवी वर्ग को अपने अधिकारों व मांगों के लिये संघर्ष करने का निश्चित रूप से हक है। अगर ऐसी हालत पैदा होती है तो मुझे नहीं मालूम कि सत्ताधारी दल किसका साथ देगा। यह उन लोगों के लिये भी चुनौती होगी। यह उन्हें स्पष्ट ढंग से बताना होगा कि वे किसके पक्ष में हैं। परंतु हम में से कुछ लोगों का जहां तक सम्बन्ध है, हम जनता के साथ रहेंगे और उनकी कुछ भी कठिनाइयां और बोझ हो, यदि वे अपने अधिकारों और मांगों के लिए लड़ेंगे तो हम निस्संदेह उनके साथ होंगे।

इससे पहले कि श्री वेंकटरामन उत्तर दें और निर्णय करें, मैं उनसे इस बात पर विचार करने के लिए कहूंगा कि क्या वह कोई संशोधन करने जा रहे हैं, क्या ये भारी रियायतें, जो कुछ लोगों के एक ऐसे वर्ग को दी गई है, जिन्होंने पहले ही मुद्रास्फीति से लाभ उठाया है, कम नहीं की जानी चाहिए और कम से कम उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि अकेले वे ही लाभ प्राप्त करने वाले हैं जबकि भारी तादाद में लोग बेरोजगारी, भुखमरी और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसलिए, हम इस बजट को अपना समर्थन नहीं दे सकते। यह बजट अमीर आदमियों के लिए है। जिन तथाकथित लाभों का वायदा किया गया है, वे वास्तव में लोगों तक पहुंचने वाले नहीं हैं। उसे उन बेईमान व्यापारियों, काला-बाजारियों जमाखोरों और धोखे बाजों के इस पूरे गिरोह द्वारा बीच में ही हड़प लिया जाएगा जोकि हमारी अर्थव्यवस्था को संचालित कर रहा है। दोनों ही तरीकों से आम आदमी नुकसान में रहेगा और लोगों का एक छोटा वर्ग लाभ प्राप्त करेगा। निसदेह यह हमारे देश को भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा।

**श्री चरणजीत सिंह (दक्षिण दिल्ली)** : सभापति महोदय, मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य महोदय ने जिस स्थिति को प्रस्तुत किया है उससे मैं समझता हूं कि उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि बजट को एक प्रदर्शन-कला का रूप दिया गया था। इसलिए मैं समझता हूं कि बजट तो पहले ही बिक चुका है, क्योंकि केवल उन चीजों को प्रदर्शन का रूप दिया जा सकता है जोकि जनता को बेची जाएंगी। पहले, मैं सरकार को, खास तौर पर अपनी गतिशील प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने माननीय वित्त मंत्री को बजट के प्रति बहुत ही साहसपूर्ण, ठोस और व्यावहारिक रुख अपनाने में अपनी प्रेरणा और मार्गदर्शन दिया। उन्होंने अल्पकालिक और मध्यमकालिक समस्याओं पर, जिनका कि देश सामना कर रहा है, पूरी तरह ध्यान दिया है और इसके साथ ही उन्होंने समाज के गरीब तथा कठिनाइयों से दबे हुए वर्गों की न्याय सम्मत आकांक्षाओं की ओर भी ध्यान दिया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अत्यंत विषम और अभूतपूर्व आर्थिक स्थिति में इस बजट को बनाने में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अत्यधिक दक्षता और दूरदर्शिता से काम लिया है। वह इस देश के भविष्य में आशा और विश्वास की नयी किरण लाने में समर्थ रहे हैं और बड़ी दक्षता के साथ वह उन मानसिक वाग्जालों और व्यवहारिक अड़चनों को दूर करने में सक्षम रहे हैं। जिन्होंने पिछले तीन सालों में देश को निराशा के दलदल में धकेल दिया था। इस देश के आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास की ओर एक निरन्तर प्रगति के लिए रास्ते को साफ कर दिया गया है। इस तरह का अभियान शुरू करने के लिए समय अत्यधिक

अनुकूल है, क्योंकि अब हम राजनीतिक मोर्चे पर अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर चुके हैं और न केवल केन्द्र में अपितु अधिकांश राज्यों में क्रियोन्मुखी और स्थायी सरकारें हैं।

हमें आर्थिक क्षेत्र में जिन कठिन और बहुआगामी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके बारे में विस्तारपूर्वक कुछ कहना आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि इन सभी का माननीय वित्त मंत्री महोदय ने प्रशसनीय ढंग से अपने बजट भाषण में उल्लेख कर दिया है। तथापि, कुछ मुख्य मुख्य बातों का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा, जिनके अनुसार बजट सम्बन्धी नीति पर विचार किया जाना है। आज देश गतिहीन स्थिति का सामना कर रहा है, यदि औद्योगिक उत्पादन नहीं घट रहा तो भी कुछ क्षेत्रों में व्यापक औद्योगिक अशान्ति और सामाजिक उथल-पुथल से ऊंची मुद्रास्फीति की स्थिति और लद गई है। वर्ष 1979-80 में मूल्यों में तेजी, वास्तविक कुल राष्ट्रीय आय में लगभग 3 प्रतिशत की कमी, पिछले वर्ष की तुलना में व्यापारिक संतुलन में दुगने घाटे, और आर्थिक तथा वित्तीय नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में पूर्ण अव्यवस्था का रिकार्ड रहा है। माननीय वित्त मंत्री ने इस स्थिति के लिए जनता और लोकदल सरकारों को ठीक ही उत्तरदायी ठहराया है जो आनेवाली समस्याओं से निपटने के लिए समुचित नीतियों को अपनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में असफलता रही। इसके विपरीत, 1977 और उसके पहले के वर्षों में भी सरकार द्वारा शुरू की गई सही नीतियों को उलटने से अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में कम योगदान नहीं रहा है। मैं इस बात पर जोर देकर कहूंगा कि यह दृष्टिकोण किसी राजनीतिक विचार से प्रेरित नहीं है, परन्तु कुछ विशेष उदाहरणों के साथ इसकी वास्तविकता आसानी से देखी जा सकती है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कोयला, बिजली और परिवहन के क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे की स्थिति का सामना करने में समन्वित प्रयास के अभाव का उल्लेख किया है। मैं ब्याज की दरों के ढांचे से सम्बन्धित नीतियों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। मैं वित्त मंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज से प्राप्त होने वाली आय पर पुनः कर लगाया है और वे उसकी परिधि में सावधिक उधार देने वाली वित्तीय संस्थाओं को भी ले आए हैं। यह याद रखना होगा कि मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करने के लिए 1974 से 1977 तक के वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों से एक कदम था—ब्याज की दरों के बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में नीति। जनता सरकार ने इस नीति को उलटने में कोई समय नहीं लगाया और 1977 और 1978 उत्तरोत्तर चरणों में बैंकों की उधार देने और उधार लेने की दरों में कमी कर दी जिसका परिणाम यह हुआ कि बचत और दीर्घावधि जमा में कमी आई, जबकि मुद्रा सप्लाई में आशातीत वृद्धि हुई हैं। कल भी बजट पर बोलते हुए श्री चरणसिंह ने कहा कि मुद्रा सप्लाई में वृद्धि 1976-77 में हुई थी जब कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ थी। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि इस वृद्धि का कारण था—खाद्यान्नों के भंडार और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। ये दो बातें जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती हैं, निःसंदेह रूप से बाद के वर्षों में नहीं रहीं।

उनके इस गलत दृष्टिकोण के कारण, वर्ष 1978-79 में ब्याज कर को भी समाप्त कर दिया गया था, जिसके कारण राजकोष को 100 करोड़ से अधिक की हानि हुई और सम्भवतः इसी मात्रा में घाटे की अर्थव्यवस्था भी बढ़ी। यह समझा जाता है कि शीघ्र ही रिजर्व बैंक, बैंकों को इस तरीके के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करेगा जिसमें वे चालू वर्ष के दौरान लागू किए जाने वाले ब्याज-कर के परिप्रेक्ष्य में ब्याज की दरों को समायोजित किया जाएगा। मैं वित्त

मंत्री महोदय से इस बात को सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध करूंगा कि उधार देने और उधार लेने की ब्याज की दरों के समूचे ढांचे की पूरी तरह समीक्षा की जाए, ताकि बचत और जमा को प्रोत्साहन मिले और उद्योग के उत्पादक क्षेत्रों पर कोई अनावश्यक भार न पड़े और उसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में विद्यमान सट्टाबाजारी प्रवृत्तियों पर प्रभावी अंकुश लग सके। मुझे इस बात में रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी जिससे उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके जिनको उन्होंने अपने भाषण में प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में, इस बात की जांच कर लेना आवश्यक होगा कि क्या बैंककारी उद्योग का संगठनात्मक ढांचा, वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति करने में समुचित सफलता को सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा घोषित की गई नीतियों के लिए वास्तव में पर्याप्त रूप से जिम्मेदार है। इस तरह की समीक्षा किए जाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं बार-बार हुई हैं जिनमें मुद्रा सप्लाई के साथ वाणिज्यिक जमाराशि के विस्तार का घोषित लक्ष्य प्राप्त कर पाना व्यावहारिक रूप से बहुत दूर रहा है।

यह कहना सही है कि 1979–80 के दौरान मुद्रा सप्लाई 10.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, जो कि पिछले दो वर्षों की तुलना में काफी कम है। तथापि पिछले दो वर्षों और वर्ष 1979-80 की दरें बिल्कुल तुलना किए जाने योग्य नहीं हैं और मुद्रा की सप्लाई की वृद्धि की घोषित दरों में तेजी से आई कमी कुछ सीमा तक गुमराह करने वाली है।

वर्ष 1979-80 के दौरान मुद्रा सप्लाई में तेजी से हुई कमी का मूल कारण है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनाया गया एक नया वर्गीकरण है जिसमें बचत और जमा की कुछ श्रेणियों को दीर्घावधि बचत शीर्ष के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है जिससे मुद्रा सप्लाई को बढ़ने से रोका जा सके। मैं यह बात इस दृष्टि से बता रहा हूं कि इस क्षेत्र में आत्मसंतोष की स्थिति को दूर किया जा सके और मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि इस सम्बन्ध में निरन्तर निगरानी रखे जाने की आवश्यकता है।

यद्यपि अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव कम नहीं हुआ है फिर भी यह आशा की जा सकती है कि सप्लाई में वृद्धि करने और मांग घटाने की दोहरी नीति के रूप में किये जाने वाले समन्वित प्रयासों तथा इस नीति को दृढ़ता से पालन किये जाने के परिणामस्वरूप हम निश्चित ही वांछित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मानसून के प्रारंभ होने के साथ यह आशा की जाती है कि मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार के दृढ़ प्रयासों को पूरा करने और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण अनुकूल बातें सामने आएंगी, परन्तु सभी स्तरों पर कठिन परिश्रम करना होगा ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि बजट में प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम महज एक वार्षिक परिपाटी बन कर न रह जाए। अपितु अधिक अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए वास्तव में इनको उत्साह और कड़ाई के साथ आगे बढ़ाना होगा। मैं इस बात पर विशेष जोर दूंगा कि वितरण प्रणाली में सुधार तथा विस्तार किए जाने की आवश्यकता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आवश्यक वस्तुएं समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को उचित मूल्य पर मिल सकें, क्योंकि एक प्रभावी और कुशल वितरण प्रणाली के बिना उत्पादन में वृद्धि के होते हुए भी मुद्रास्फीति की स्थिति को रोकना बहुत कठिन है, क्योंकि महज उत्पादन में वृद्धि ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता भी

महत्वपूर्ण है । इस भूमिका का निर्वाह विपणन और वितरण प्रणाली को करना है। इस सम्बन्ध में मैं बजट पेश किए जाने के बाद के दूसरे दिन स्वर्गीय श्री संजय गांधी द्वारा अपने दूरदर्शन साक्षात्कार में दिए गए वक्तव्य की याद दिलाना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के बाद यह पहला बजट है जिसकी सभी लोगों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है, विशेषकर इस कारण कि दैनिक प्रयोग की बहुत सी वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क में कमी कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपने नजदीक के बाजारों में जाकर राहत की इस अनुभूति का अहसास कर सकता है। बजट के बाद कीमतें बढ़ने की आशा में जिन लोगों ने कुछ वस्तुओं की जमाखोरी शुरू कर दी थी, उन्हें अब हानि हो रही है और वे जमा किए हुए अपने माल को बेचना चाहते हैं और अब मूल्यों के स्तर में अस्थिरता के खतरे के कारण होने वाले आतंक और भय के आम अहसास का कोई प्रमाण नहीं है। यह अपने आप में विशिष्ट और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि मुद्रास्फीति केवल वित्तीय बात ही नहीं है अपितु यह व्यापक तौर पर एक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है जिसमें बढ़ते हुए मूल्यों की निरंतर संभावनाओं से मुद्रास्फीति की यह आग और ज्यादा बढ़ती है।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक पटल पर हाल ही में हुए परिवर्तनों और विकास के कारण हमारे लिए अपनी घरेलु और दूसरे देशों से सम्बन्धित और खास तौर पर ऊर्जा के सम्बन्ध में, जो कि अकेला सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है और जिसकी सभी मंचों पर इसकी चर्चा हुई है, अपनी नीतियों, प्रयासों और दृष्टिकोण को पुनर्निर्धारण करना आवश्यक हो गया है।

**सभापति महोदय :** आप कितना समय और लेंगे ?

**श्री चरणजीत सिंह :** पन्द्रह मिनट।

**सभापति महोदय :** यह संभव नहीं है।

**श्री चरणजीत सिंह :** श्री गुप्ता ने आधा घंटा लिया था।

**सभापति महोदय :** दल के आधार पर समय आबंटित किया जाता है तथा कांग्रेस (इ०) के बहुत से अन्य सदस्य हैं जिन्हें बोलना है।

**श्री चरणजीत सिंह :** मुझे बताया गया है कि वे सोमवार को बोलेंगे।

**सभापति महोदय :** आप को अपना भाषण दो या तीन मिनट में समाप्त करना होगा।

**श्री चरणजीत सिंह :** मुझे शंका है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। यह मेरा पहला भाषण है।

**श्री धर्मदास शास्त्री (करोल बाग) :** सर मैडन स्पीच। हमारे दिल्ली वालों की तरफ से यही बोल रहे हैं।

**श्री चरणजीत सिंह :** सभापति महोदय, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ और समय देंगे।

**सभापति महोदय :** आपको थोड़ा और समय देने में मुझे कोई एतराज नहीं है। परन्तु आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री चरणजीत सिंह : ऊर्जा का बड़ा स्रोत कच्चा तेल बड़ी जल्दी समाप्त हो रहा है तथ्य यह है कि इसका नवीकरण नहीं हो सकता है क्योंकि उपभोग की वर्तमान दर पर कच्चे तेल की अवधि केवल 25 वर्ष है और ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष तक बढ़ सकती है। आज के देशी उत्पादन तथा कुल खपत को ध्यान में रखते हुये हमें विकास तथा विस्तार कर्यक्रमों को बढ़ाने के लिये 200 लाख टन की वार्षिक आवश्यकता है। हमारी मांग लगभग 7 प्रतिशत वार्षिक बढ़ेगी। 6500 करोड़ रुपये की निर्यात आपके मुकाबले आज के उपभोग स्तर मूल्य के अनुसार 5000 करोड़ रुपये से अधिक की कच्चे तेल की खरीद होगी। आने वाले वर्षों में वर्तमान परिस्थितियों से मालूम होता है कि आगामी वर्षों के कीमतें असहनीय स्तरों तक बढ़ेगी। यह स्वाभाविक है कि विश्व उत्पादन घटेगा, यदि और कोई बात नहीं हो जाती तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं। इस प्रकार हमें वैकल्पिक साधनों की तुरन्त खोज करनी चाहिए तथा ऊर्जा के वैकल्पिक रूपों को प्रोत्साहन देने में उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। हम ज्ञात प्रसाधनों का विकास करने का एक बड़ा कार्यक्रम तथा रिगों तथा अन्य संवधित उपस्कर को निर्मित करने का एक कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। हमें उत्पादन कार्यकलापों तथा पन-बिजली, परमाणु-शक्ति तथा सौर ऊर्जा जैसे कच्चे तेल के वैकल्पिक साधनों का पता लगाने पर भी आवश्यक रूप से जोर देना चाहिए। हमारे विशेषज्ञों का चाहे जो भी विचार हो परन्तु विदेशी विशेषज्ञों का विश्वास है कि भारत में व्यापक भंडार है जो हमें विश्व की कुछेक बड़ी शक्तियों में से एक बना देंगे। इस दिशा में सफलता से भारत की अर्थ-व्यवस्था में पूर्ण रूप से क्रान्ति हो जायेगी। आप आसान शर्तों पर खोज कार्यकलापों के लिये धन-व्यवस्था भी शीघ्र होगी। इसलिये मेरी राय में इस मुद्दे पर उच्चतम प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

मैं पहले ही इस असंगत कमी का उल्लेख कर चुका हूं जो अदायगियों के हमारे शेष में आ गई हैं। इस संदर्भ में मैं निर्यात तथा आयात बैंक की स्थापना से संबंधित माननीय वित्त मंत्री की घोषणा का तह दिल से समर्थन करता हूं। इस समय ऐसी संस्था की आवश्यकता विशेष रूप से महसूस की जा रही है जबकि हमें अपनी वस्तुओं तथा प्रमुख परियोजनाओं के उच्चतर निर्यातों को प्राप्त करने में पूरे प्रयास करने हैं। हमें विदेश में संयुत उद्यमों की परियोजनाओं का तुरन्त पूर्णरूप से भी कार्य करना है।

अनेक क्षेत्रों में, हमने पहले ही विश्वसनीय विशेषज्ञता तथा तकनीकी योग्यता की ख्याति प्राप्त कर ली है। आशा है कि बड़ी परियोजनाओं तथा विदेश में संयुक्त उद्यमों की पूर्ण क्षमता को प्रस्तावित निर्यात व आयात बैंक से दिये गये प्रोत्साहन के साथ पूरी तरह से अनुभव किया जायेगा। दूसरी ओर हमें अन्य देशों में पहले से प्राप्त तकनीकी प्रगति से होने वाले लाभ को नहीं रोकना चाहिए। विगत में विदेशों के बहुत से वाणिज्यिक शिष्ट-मंडल प्रतिष्ठानों को स्थापित करने के लिये भारत का दौरा कर चुके हैं जिनमें भारी पूंजी निवेश तथा उच्च तकनीकी ज्ञान शामिल है। परन्तु उचित प्रस्तावों के लिये भी सही उत्तर न मिलने के कारण कोई सफल परिणाम नहीं मिले। इस विषय पर संसद् में कई बार चर्चा हो चुकी हैं और आम तौर पर इस पर सहमति है कि हमें विदेशी सहायता वाले संयुक्त उद्यम से इंकार नहीं करना चाहिए जहां देश में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी की कमी है। जैसे कि हम अवगत हैं कि भारत कुछ क्षेत्रों में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के बारे में पाश्चात् देशों से अभी बहुत पीछे हैं। भारत प्रौद्योगिकी को नवीनतम करने में करोड़ों रुपये खर्च करता है और यह केवल युक्तिसंगत है कि जहां कहीं भी

ऐसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी उपलब्ध है हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए ; अन्यथा हम इस सम्बन्ध में सदा पिछड़े रहेंगे। जहां बहुराष्ट्रीय संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिये 50 प्रतिशत भागीदारों के रूप में बराबर योगदान देने के इच्छुक हो तो उनके प्रस्ताव की जांच गुणावगुण के आधार सावधानी से की जानी चाहिए। जापान के एक प्रवक्ता ने हाल में बताया कि जापानी उद्यमी विदेश में निवेश करने में धीरे-धीरे अधिक विश्वास प्राप्त कर रहे हैं। वे महसूस करते हैं कि वे एक ऐसे तकनीकी स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां वे उन्नत देशों के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकते हैं। इस विश्वास पर आधारित वे आस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, चीन, अमेरिका तथा ब्रिटेन के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहे हैं। यह नोट करना बड़ा दिलचस्प है कि जापान ने विदेशी उद्यमों को स्थापित करने के लिये विदेशी मुद्रा विनियमों में भी उदारता दिखाई है।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार को व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इस संबंध में विशेष रूह से उन उद्योगों के बारे में अपनी नीति स्पष्ट करना चाहिए जिनमें भारी पूंजी निवेश तथा उच्च प्रौद्योगिकी शामिल है। जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने संकेत किया है कि भारत को वर्तमान समय में औद्योगिक आधार को मूलभूत ढांचे में आवश्यक सुधार के साथ और सुधार किया जा सकता है और इसी समय एक बड़ी विदेश की बराबर की भागीदारी को आकर्षित कर सकते हैं जो आसानी से समाहृत की जा सकती है और जो बिना विदेशी आर्थिक प्रभुत्व नियंत्रित की जा सकती है। हम ऐसी स्थिति में भी हैं जब मूल भारतीय लोगों तथा विदेश में भारतीय राष्ट्रीकों ने बड़ा धन जोड़ रखा है और भारत में निवेश करने के इच्छुक हैं बशर्ते कि प्रोत्साहन का वातावरण बनाया जाए। अरब देश भी अपना धन भारत में निवेश करने के लिये इन्तजार कर रहे हैं। मैं महसूस करता हूं कि आज के प्रचलित हालात पर नीतियां निर्धारित होनी चाहिए तथा वे ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एक दशक पहले वांछनीय तथा संगत थी। अमरीका सरकार द्वारा ईरानी परिसम्पत्तियां जाम करने समेत अनेक कारणों से तेल निर्यातक देश जिनके पास अतिरिक्त प्रसाधन है, अन्य देशों में निवेश करने की तलाश में है। तीसरी दुनिया के देशों में ईरानी निवेश किये जाने के हाल में समाचार है।

मैं सरकार से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उन नीतियों की पूर्ण समीक्षा करने की अपील करूंगा जिनका संबन्ध विदेशी सहयोग के माध्यम से भारत को आधुनिकतम प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध तकनीक के देने से है। इस संदर्भ में उन दिक्कतों तथा अड़चनों की समीक्षा की जाने की आवश्यकता है जिन्होंने इस क्षेत्र में प्रगति में बाधा डाल दी है। इस संदर्भ में, उस विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबन्धों की तुरन्त समीक्षा की जाने की आवश्यकता है जो भिन्न परिस्थिति में अधिनियमित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी मुद्रा निधियों में वृद्धि करने के बहुत से उद्देश्यों को अकाल्पनिक तथा दृढ संकल्पना की वजह से समाप्त न होने दिया जाये।

मैं आयकर अधिनियम में नई धारा 80-I की व्यवस्था करने के वित्त मंत्री महोदय के उस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं जिसमें एक कम्पनी के लोगों के 25% की छूट है जो नई एककों द्वारा 7 वर्ष की अवधि में कमाया गया है। किन्तु मैं इस बात की सराहना करूंगा कि नए एककों को भारी निवेश की आवश्यकता होती है कभी-कभी लाभ कमाने की अवस्था में पहुंचने में

तीन वर्ष से भी अधिक का समय लग जाता है। इस प्रकार वे लगाई गई पूंजी के 75% की छूट के वर्तमान लाभ से वंचित होंगे। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि नए एककों को या तो वर्तमान छूट अर्थात् धारा 80-जे के अधीन अर्थात् 5 वर्ष के लिए लगाई गयी पूंजी का 7.5% या धारा 80-(I) के अधीन बजट में यथा प्रस्तावित (7 वर्ष के लिए लाभ का 25%) का चयन करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि मध्यम क्षेत्र में आय कर अधिनियम का ग्यारहवीं अनुसूची में सूची बद्ध उद्योगों को भी कर मुक्त लाभ के पात्र बनाया जाए। इसके अतिरिक्त मैं यह भी सुझाव दूंगा कि सरकार को उन डाक्टरों को उनकी आय के हिस्से की छूट देकर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उनके चिकित्सालयों की स्थापना पर उनके द्वारा किए गए व्यय पर भारी छूट देकर प्रोत्साहन देना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपना चिकित्सा कार्य करते हैं। यह हमारी नीतियों के सामान्य ढांचे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं देने की आवश्यकता के संदर्भ में विशेष महत्व का है।

इस संदर्भ में मैडन असंतोषजनक परिणामों का उल्लेख करना चाहूंगा जो स्थापित वाणिज्यिक एककों की भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने में अब तक प्राप्त हुए हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यय की अनुमति देने के लिए आयकर अधिनियम में व्यवस्था की गई रियायतों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह सम्भव है कि लाभ-प्रद योजनाएं तथा कार्यक्रमों का पता लगाने में सुविधाओं की कमी इस सम्बन्ध में बड़ी अड़चन है। यह सुझाव दिया जाता हैं कि इस कमी को दूर किया जाना चाहिए तथा उन अन्य प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए जो औद्योगिक घरानों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को करने से रोकते हैं, को दूर करना चाहिए।

**सभापति महोदय** : कोई नए प्रश्न नहीं उठायें। आपको अपना भाषण समाप्त करना है। अथवा अपनी बात का विस्तार किए विना उल्लेख कर सकते हैं। आप कुछ प्रश्नों का उल्लेख कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं तथा उसके बाद इसको मंत्री महोदय को दे सकते हैं; वे इस पर ध्यान देंगे।

**श्री चरणजीत सिंह** : मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूँ। जिनके उल्लेख करने की यहां आवश्यकता है—वे प्रश्न बजट से उत्पन्न हुए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने विद्युत् कोयला तथा परिवहन क्षेत्रों के कार्य की रूपरेखा तैयार की है जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। न केवल तटीय परिवहन बल्कि अन्तरदेशीय परिवहन में भी सुधार करने की आवश्यकता है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रतिभा पलायन के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है और हाल में एक सदस्य ने यह बताया कि बहुत से इंजीनियर, वैज्ञानिक, तकनीसियन तथा डाक्टर इस देश को छोड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जैसा कि प्रधान मंत्री महोदय ने कहा था कि ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाना है जो उन्हें यहां रोकने में सहायक होगा और उन्हें कार्य से संतोष मिलेगा ताकि वे भी इस देश के लिये अपना योगदान दे सकें।

अंत में मैं वित्त मंत्री महोदय को खिलाड़ियों को उचित मान्यता तथा प्रोत्साहन देने तथा अंधों तथा अपंगों को भी रोजगार देने के लिये बधाई देना चाहूंगा। यह बड़े हर्ष की बात

है कि बजट बनाने में समाज के सभी पात्र वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है इस बजट को नही रूप से एक असाधारण उपलब्धि कहा जा सकता है क्योंकि यह आर्थिक स्थिरता से देश को ऊपर उठाने का नया तथा शक्तिशाली अभियान शुरू करता है तथा सुनिश्चित रूप से 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पर विशेष बल के साथ तेज विकास की स्थिति पैदा करता है।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : श्रीमन्, मैं पूर्ण रूप से तथा तहदिल से वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं तथा इस विधेयक के समर्थन करने में माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों का भी समर्थन करता हूं। हमें विपक्ष के तीन नेताओं का भाषण सुनने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि माननीय सदस्य श्री चरण सिंह को सुनने के बाद मैं यह सोच रहा था कि हमें पुरानी बैल गाड़ी वाली अर्थ-व्यवस्था की ओर वापस जाना चाहिए या अन्तरिक्ष तथा तकनीकी युग की ओर बढ़ना चाहिए। हमें यह कहने में गौरव है कि यह बजट तकनीकी युग की ओर सही मार्ग पर एक लक्ष्य तथा भविष्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। लोगों ने माननीय सदस्य चौधरी चरण सिंह द्वारा व्यक्त की गई विचार धारा को अस्वीकृत तथा रद्द किया है।

मार्क्सवादी दल के एक अन्य सदस्य ने यहां भाषण दिया है। खेद है कि वह इस बजट में कुछ कमी तथा दोष निकालने के लिए अंधकार में खोज कर रहा था। परन्तु उन्हें कहीं भी कुछ न मिल सका। (व्यवधान) आप उपहास क्यों करते हैं ? मैं यहां सुन रहा था तथा नोट भी कर रहा था। आपने इस बजट में संशोधन के माध्यम से क्या प्रस्तावित किया है ? क्या आपने लोगों की समस्याओं के समाधान तलाश करने के लिए कुछ किया है? नहीं; आपने ऐसा कुछ नहीं किया है।

उसके पश्चात् हमने माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त का शानदार भाषण सुना। उन्होंने तीन मुद्दे गिनाने का प्रयास किया जिन पर वे बल देना चाहते थे। वे कह रहे थे कि इस बजट को वांछित आर्थिक विकास के आधार पर नहीं रखा गया है। परन्तु जैसा कि आपको मालूम है, वे 1977 से 1980 तक के काल का उल्लेख कर रहे थे। रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत 1979-80 का प्रतिवेदन श्री इन्द्रजीत गुप्त का सर्वोत्तम साधन था। इस बजट के लाने में हमारे लिये भी यह सर्वोत्तम साधन है। (व्यवधान)। वे पूछ रहे हैं कि इस सरकार की आर्थिक नीति क्या है और आने वाले वर्षों में 50 प्रतिशत की दर से वांछित आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के तैयार किये गये कौन-कौन से कार्यक्रम हैं ? क्या उन्होंने (1) चुनाव घोषणा-पत्र ; (2) माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा दिये गये भाषण पर ध्यान दिया है। यदि उन्होंने ऐसा किया होता, तो वह इसे कहने का साहस न करते।

हमारी अर्थ-व्यवस्था में 1977 से 1980 तक की गिरती हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए, वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्य के पृष्ठ 3 में कहा है :

> "इतनी संकटमय आर्थिक स्थिति के लिए काफी हद तक नीतियों—या यों कहिये कि पिछली सरकार में नीतियों के अभाव को कहा जा सकता है......"

अपने बजट को निहित दर्शन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है :

> "अब महत्वपूर्ण बात यह है कि बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को नियंत्रण में करने तथा अर्थ-व्यवस्था को स्थिर तथा विकास के मार्ग पर लाने के लिए······"

यही कारण है कि हम इस बजट को सामाजिक न्याय वाला बजट कहते हैं तथा जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय धन के समान वितरण की व्यवस्था करना है ।

वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र की समस्या का उल्लेख भी किया है । पैरा 34 में उन्होंने कहा है :

> "हमारे आर्थिक प्रगति की सक्रिया तब तक अधूरी रहेगी जब तक कि इस प्रगति के परिणाम हमारे समाज के कमजोर वर्गों तक नहीं पहुँच पायेंगे । "

(व्यवधान)

अपने घर पर इस का अध्ययन नहीं किया है । यदि आपने वित्त मन्त्री के भाषण को पढ़ा होता तो आप इसके सराहना करते क्यों कि यह एक वास्तविक बजट है । यही मेरा निवेदन है और इसे ही मैं वित्त मंत्री के भाषण के पैरा 37 के माध्यम से प्रमाणित करना चाहता हूँ :

> "चूंकि भारत ग्राम-प्रधान देश है और इसके लगभग 70 प्रतिशत लोग कृषि के माध्यम से अपना जीवन-यापन करते हैं, अतः इस देश की समृद्धि कृषि के आधुनिकीकरण पर ही निर्भर करती है ।"

मैंने 1977 से लेकर अब तक के सभी बजट भाषणों को पढ़ा है और मुझे उनमें से किसी में भी समाज के कमजोर वर्गों, कृषकों तथा गरीब वर्गों के लोगों के लिए इतना अधिक धन आबंटन देखने को नहीं मिला है, अतः यह आबंटन निश्चय ही सराहनीय है और हम गर्व से यह कह सकते हैं कि इसके माध्यम से हम अपने कार्यक्रम की पूर्ति काफी सीमा तक कर लेंगे ।

श्रीमान जी, बजट केवल धनराशि का आबंटन करने वाला दस्तावेज ही नहीं है । यह तो किसी सरकार के दर्शन, उसके सिद्धान्तों तथा नीतियों व योजनाओं को प्रदर्शित करता है । यदि आप इस दृष्टि से इस बजट का मूल्यांकन करें, तो निश्चय ही यह बजट आपको व्यावहारिक तथा समाज वादी बजट लगेगा.........।

**एक माननीय सदस्य :** समाजवादी !

**श्री जेवीयर अराकल :** हम आधारभूत उद्योगों तथा आवश्यक सेवाओं के राष्ट्रीयकरण की नीति पर चल रहे हैं। क्या आपने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के सिद्धान्तों को पढ़ा है ? यदि इन्होंने उन सिद्धान्तों को पढ़ा होता, तो सम्भवतः श्री इन्द्रजीत गुप्त यह न कहते जो कि उन्होंने अभी कहा है । वर्ष 1977 तक तो आप हमारा समर्थन कर रहे थे और अब आप कह रहे हैं कि हमने गलत नीति अपना ली है ।

यदि आप बजट दस्तावेज़ का अध्ययन करें तो आपको मालूम होगा कि हमने 5 प्रतिशत की दर से आर्थिक विकास करने के लिए सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था की कल्पना की है । श्रीमान जी,

हमारी अर्थ व्यवस्था में योजनाएं बहुत अनिवार्य है और यह हमारे राष्ट्र के सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। यह हमारे समाजवाद का अनिवार्य अंग है। आपको याद होगा कि वर्ष 1977-80 के दौरान हमारी पंच वर्षीय योजनाओं को किस प्रकार छोड़ दिया गया था। इसका परिणाम क्या हुआ? उन की "रोलिंगप्लान" का क्या हुआ जोकि गरीब लोगों को परेशान करने की योजना बन कर रह गई। इसने देश की अर्थ-व्यवस्था को लुढका कर रख दिया।

इसीलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य संतुलित अर्थ-व्यवस्था का विकास करना है, ऐसा विकास जिससे कि इस देश के गरीब लोगों की आर्थिक दशा को सुधारा जा सके। हम धन एकत्रित करने के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करते तथा न ही हम मुद्रास्फीति या उच्च मूल्यों के सिद्धांत का पोषण करते हैं।

चौधरी चरण सिंह कह रहे थे कि यह बजट आम लोगों के हित का नहीं है। हम लोग जो इस बजट की सराहना कर रहे है तथा जो इसे यथार्थवादी बजट की संज्ञा दे रहे हैं, क्या हम आम लोग नहीं हैं? इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह एक वास्तविक बजट है जिसका उद्देश्य 5 प्रतिशत की दर से आर्थिक विकास करना है। हमने सही कदम उठाये हैं। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 5 प्रतिशत की दर से आर्थिक विकास करने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हमें अपनी आर्थिक गतिविधियों को सुगठित तथा अनुशासित ढंग से चलाना चाहिए। जब तक हमारी आर्थिक गतिविधियों में संगठन तथा अनुशासन नहीं होगा, तब तक 5 प्रतिशत की विकास दर को प्राप्त कर पाना सम्भव नहीं होगा।

श्रीमान जी, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लक्ष्य से मैं पहला सुझाव यह देना चाहता हूं कि कराधान विधियों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। हमारी कराधान प्रणाली के अन्तर्गत लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक आर्थिक प्रगति का सम्बन्ध है इसके बारे में हमें वास्तविक तथा युक्ति संगत कराधान नीति अपनानी चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि यदि आवश्यक हो तो हमें आवश्यक सेवाओं में तालाबन्दी तथा हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। (व्यवधान) मैंने 'यदि आवश्यक हो', इन शब्दों पर विशेष रूप से बल दिया है। आर्थिक विकास में 5 प्रतिशत की वृद्धि सम्बन्धी लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है।

मैं आपके विचारार्थ तीन सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपके भाषण के 'ख' भाग के सम्बन्ध में मैं आपके विचारार्थ दो सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा। इनमें से पहला सुझाव यह है कि 8 000 रुपये तक आयकर की छूट को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और मेरा दूसरा सुझाव कम्पनियों के लाभांश के बारे में है। यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया था जिसके परिणाम स्वरूप उसमें सुधार हेतु यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। कुछ बचाव वाले प्रावधान भी हैं। ऐसे प्रावधान उन्हीं मामलों में लागू किये जाते हैं जिनमें कि करदाता ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की होती है। यह भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए। जहां तक इस विशिष्ट प्रावधान का सम्बन्ध है, इसके लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा। हमें मालूम है कि हमारे देश में लोग करों के भुगतान से बचकर कैसे धन एकत्रित करते है।

करों की वसूली के लिए यह जो उपाय किया गया है, यह निश्चय ही एक बुद्धिमततापूर्ण कार्य है। अब मैं अपने राज्य केरल से सम्बद्ध कुछ समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं। बजट भाषण में बताया गया है कि रसायन उर्वरकों से लगभग 300 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। हम अनेक अपीलें करते रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्ज ट्रावनकोर लिमिटेड, उद्योग मण्डल कोचीन में एक कंप्रोलेक्टम कारखाने की स्थापना की जानी चाहिए। इसके साथ ही हम कोचीन शोधनशाला में सुगन्धित वस्तुओं का निर्माण करने वाले एक कारखाने की स्थापना करने की मांग भी करते आ रहे हैं। इन दोनों कारखानों की स्थापना से केरल के आर्थिक विकास को बहुत गति मिलेगी।

केरल सरकार की आर्थिक समीक्षा को देखने पर पता चलता है कि राज्य के आर्थिक विकास की दर में 8 प्रतिशत की कमी हुई है। इसलिए उस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से केरल राज्य के लिए इन दोनों कारखानों की मंजूरी दी जानी चाहिए। इससे सम्पूर्ण कोचीन क्षेत्र का उद्योगीकरण हो जाएगा। आपने बजट में इस बात का उल्लेख भी किया है कि कुछ धनराशि का आबंटन पत्तनों के विकास के लिए भी किया गया है। श्रीमान जी, अरब सागर को प्रमुख कोचीन पत्तन की हालत बहुत खस्ता है। जब दक्षिण को धन राशि का आवंटन करने का प्रश्न आता है, तो केन्द्र बहुत कंजूस बन जाता है। इस रवैये में परिवर्तन किया जाना चाहिए तथा राज्य के विकास हेतु पर्याप्त धन राशि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

अन्त में मैं वित्त मन्त्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना वास्तविक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट से देश के लोगों की अकांक्षाओं तथा आशाओं की पूर्ति होगी। अतः वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का मैं एक बार फिर समर्थन करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : श्रीमान जी, जब से बजट प्रस्तुत किया गया था, तो उस समय जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने समाचार पत्रों को पढ़ कर बताया, उसका कुछ सीमा तक स्वागत किया गया था परन्तु अब ज्यों ज्यों लोग इसकी वास्तविकता को समझने लग गये हैं, इसकी आलोचना बढती जा रही है।

श्रीमान जी, यह दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री महोदय ने अपने बजट का बहुत थोड़ा सा भाग संसद के समक्ष प्रस्तुत किया है और इसका वास्तविक तथा महत्वपूर्ण भाग जो अदृश्य है, वह तो उन बडे बडे दस्तावेजों में समादित है जो हमें परिचालित किये गये हैं। मंत्री महोदय ने सम्भवतः यह सोचा होगा कि हम में से कोई भी उसे नहीं पढ़ेगा। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने इसे पढा है और मुझे ऐसा लगा है कि इस बजट से लोगों की समस्यायें और जटिल हो जाएगी और उनका समाधान नहीं होगा। मुद्रास्फीति की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह बजट बहुत ही असामयिक तथा अविवेचित है ..(व्यवधान)

श्रीमान् जी उदाहरणार्थ, उत्पाद-शुल्क की छूटों को ही लीजिये। निश्चय ही कुछ वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया है और मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो केवल यह मानकर चलते है कि करों में केवल वृद्धि ही की जा सकती है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि जो कुछ भी छूट दी गई है, उससे दुगनी को विशेष उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत पूरा कर दिया गया है। यहां जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें कटौती दिखाई गई है और जो बात अप्रस्तुत है वह यह है कि इन वस्तुओं में से किसी की भी कीमत में वृद्धि नहीं की गई है क्योंकि बजट

के अन्तर्गत अन्य उपायों को भी लिया गया है। इसी प्रकार कर सम्बन्धी छूट की सीमा को भी कहने के लिए तो 12.000 तक बढ़ा दिया गया है। पहले तो लोगों ने इसका स्वागत किया परन्तु फिर बजट दस्तावेजों को पढ़ने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि यदि किसी व्यक्ति की आय 12,000 से अधिक है तो उसके कराधान का आधार तो 8.000 रुपये ही रहेगा जिसका तात्पर्य है कि जो छूट दी गई है, वह केवल मामूली है। वास्तव में इस प्रकार से राजस्व को जो हानि होगी उसको इसमें नहीं जोड़ा गया है, अतः इसका तात्पर्य यही है कि इस छूट से राजस्व पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अतः यह जो छूट दी गई है, इसका लाभ बहुत ही कम होगा। अतः इस प्रकार से देश के लोगों तथा संसद् को गुमराह किया गया है।

फिर और देखिये। पहली बार ऐसा किया गया है कि पेट्रोल तथा उर्वरक उत्पाद-शुल्क पर जो वृद्धि की गई है, उसे बजट में प्रदर्शित नहीं किया गया है। इसे क्यों प्रदर्शित नहीं किया गया? इसकी घोषणा बजट के केवल 3 दिन पहले कर दी गई? इस मूल्य-वृद्धि से आपको कितनी धन राशि उपलब्ध होगी? "इण्डियन एक्सप्रेस" समाचार-पत्र में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें कहा गया है कि इस मूल्य-वृद्धि के परिणामस्वरूप 2,400 करोड़ रुपये अर्जित किये जायेंगे। 2,400 करोड़ रुपये की धनराशि काफी बड़ी धनराशि होती है जबकि बजट में आप केवल 282 करोड़ रुपये ही दर्शाये हैं और जबकि बजट के अतिरिक्त तथा संसद् के बाहर आप 2,400 करोड़ रुपये एकत्रित कर रहे हैं। काम करने का यह नया तरीका है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर माननीय सदस्यों को विचार करना चाहिए।

श्रीमान जी, जो कुल 492 करोड़ रुपया एकत्रित किया जा रहा है, उसमें से 217 करोड़ रुपये को केवल करों से प्राप्त होने वाले ब्याज से ही एकत्रित किया जायेगा। क्यों? श्री चरणजीत सिंह ने इस प्रावधान का स्वागत किया है क्योंकि उनके विचारानुसार इससे जमाकर्त्ताओं को लाभ होगा जब मेरे विचार से इससे उन्हें लाभ नहीं होगा। इससे पूंजी का मूल्य बढ़ जायेगा और जो नया पूंजी निवेश करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह कठिन हो जायेगा। यदि आप इस सारी धनराशि को जोड़ लें, 2400 करोड़ रुपये पेट्रोल तथा उर्वरक के उत्पादन शुल्क पर, तथा यह 282 करोड़ रुपये तथा फिर यह 217 करोड़ रुपये, इन सबको मिलाकर कुल लगभग 3,000 करोड़ रुपये के कर प्राप्त हो जायेंगे।

3,000 करोड रुपये तो इसे देश के तीस वर्ष के इतिहास में सबसे ऊंचा बना देंगे। गत 30 वर्षों में यह सर्वाधिक धन जुटाया जा रहा है—इससे पहले हमने कभी भी 3,000 करोड़ रुपये नहीं जुटाये। परन्तु सारे ही देश को यह बताया जा रहा है कि यह बहुत छोटी धनराशि है। यह कहा जाता है कि बहुत कम रुपया जुटाया गया है। अतः महोदय, अदृश्य बात ही सही है। यदि आप 3,000 करोड़ रुपये जुटायें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, परन्तु यहां पर आकर कहने का भी तो साहस रखिये, जिससे सारे देश को पता लग जाए कि आप कितना रुपया जुटा रहे हैं। आप ऐसा रास्ता क्यों अपनाते हैं जिसमें आप एक भ्रम पैदा करते है, मायाजाल फैलाते हैं और लोगों को जता रहे है कि बहुत ही कम रुपया जुटाया गया है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि काफी रुपया जुटाया गया है। इसी प्रकार घाटे में 1417 करोड़ रुपये जोड़े गये हैं। लेकिन फिर जो भी बजट में है और वास्तविक स्थिति क्या है उसके बीच सामान्य अन्तर को भी देखिये। उदाहरणस्वरूप, अन्तरिम बजट में, कुछ घाटा दिखाया गया था। दो-तीन

मास पश्चात् अब इस बजट में घाटा 1417 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। यदि आप उस प्रतिशत को वार्षिक आधार पर लागू करें तो इसका अर्थ यह होगा कि वास्तव में घाटा 1417 करोड़ रुपये का नहीं होगा बल्कि 2,100 करोड़ रुपये का होगा और यदि आप और राशि भी सम्मिलित करें अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोष न्यास के 540 करोड़ रुपये भी तो मैं नहीं समझ पाता कि अ० मु० को० न्यास के नकद हस्तान्तरण राशि को किस प्रकार पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित किया जा सकता है। इसे तो घाटे का भाग होना चाहिये, क्योंकि यह भी मुद्रा का अंग बनने वाला है— जिसका अर्थ यह है कि बजट का घाटा भी लगभग 2700 करोड़ रुपये ही होगा। यह तो नियोजित घाटा है, जो कि भारत के इतिहास में सर्वाधिक नियोजित घाटा है। जब आप वास्तव में ही बजट के कागजों का गहराई से अध्ययन करेंगे तो पायेंगे कि यह इतिहास में सर्वोच्च कराधान है, सर्वाधिक प्रायोजित बजट घाटा है। और इसका जो परिणाम देश के सामने आने वाला है उसकी कल्पना की जा सकती है और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि ये सब बातें इसमें रहें, परन्तु इसको खुले रूप में और साफ-साफ बताया जाए। दुर्भाग्य से, महोदय हम यह सुनते आ रहे हैं "जनता सरकार, जनता सरकार, जनता सरकार" वास्तव में, यदि आप आर्थिक सर्वेक्षण पर दृष्टिपात करें तो आप पायेंगे कि जनता सरकार इतनी बुरी नहीं रही। और बात यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण को जनता सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया है। यह तो हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है। इस दस्तावेज में भी पृष्ठ 88 पर आप देखेंगे कि जनता सरकार ने $2\frac{1}{2}$ वर्षों में क्या कुछ किया। महोदय, 1977 में जब हम सत्ता में आए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति अनाज की औसत खपत 391 ग्राम प्रतिदिन था। जनता सरकार ने 1978 में इसे 426.6 तक बढ़ा दिया और 1979 में जब हमने सत्ता छोड़ी तो यह 433.7 तक पहुंच चुका था। यह लगातार बढ़ता रहा है। क्या यह विगत में भी बढ़ा था नहीं। उसी सूची से पता चलता है कि यह घटती-बढ़ती रहती है, परन्तु हमारे देश के तीस वर्ष के इतिहास में प्रति व्यक्ति अनाज की 433.7 ग्राम औसत खपत सर्वोच्च है। यह सब जनता के शासन काल में हुआ। इसी प्रकार, दालों को लीजिये जोकि हमारे भोजन का महत्वपूर्ण अंग है। जब हम सत्ता में आए तो यह 43.5 ग्राम थी और अगले ही वर्ष यह 44.3 हो गई और उससे अगले वर्ष 44.8 हो गई। यह है जनता सरकार की उपलब्धि।

महोदय, विदेशी मुद्रा पर भी हमने सभी भाषण सुने, उनका कहना है, ओह, जनता सरकार ने समूची विदेशी मुद्रा और सारे सोने का वितरण कर दिया है। इसी से मैंने संसद् में एक प्रश्न पूछने का कष्ट उठाया, जिसका उत्तर वित्त मन्त्री महोदय ने यहां दिया। महोदय, अब देखिए कि यह वित्त-मन्त्री महोदय लिखित में कुछ उत्तर देते हैं और यहां बोलते समय कुछ और कहते हैं। अतः मैं अपने अतारांकित प्रश्न सं० 1425 से उद्धृत करता हूँ जिसका उत्तर 20 जून, 1980 को दिया गया था। महोदय, प्रश्न इस प्रकार था।

"क्या वित्त मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे —

(क) मार्च, 1977 और जुलाई, 1979 के किसी भी दिन और इस समय विदेशी मुद्रा भण्डार कितना है, और

(ख) मार्च, 1977 और जुलाई 1979 के किसी भी दिन भारतीय रिजर्व बैंक के पास सोने का कितना भण्डार था आज कितना है ?"

महोदय, यह था मेरा प्रश्न। और वित्त मंत्री महोदय का उत्तर क्या है ? हर वक्त वह यही कहते रहते हैं कि जनता सरकार ने यह खराब काम किया, वह काम खराब किया, और जनता सरकार ने अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, सारा सोना लुटा दिया आदि आदि। महोदय, उनका उत्तर यह है :

"31 मार्च, 1977 को विदेशी मुद्रा भंडार 2862.99 करोड़ रुपये का था……" यह राशि उन्होंने हमारे लिये छोड़ी थीं। और आगे वह कहते हैं :

"31 जुलाई, 1979 को 5333.89 करोड़ रुपये था।"

इतना रुपया हमने उन लोगों के लिए छोड़ा। और 6 जून, 1980 को इसमें केवल 4857 करोड़ रुपए थे। अतः उन्होंने आठ सौ करोड़ रुपए तक कम कर दिया है। यह एक ऐसी बात है जिसका वित्त मन्त्री को उत्तर देना चाहिए अथवा उन्हें अपने दल के लोगों को समझाना चाहिए, जिससे वे झूठा प्रचार न करें। आप सदन से बाहर झूठ क्यों बोलते हैं ? जो कुछ सचाई है उसका ही बखान कीजिए। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग में सोने का भण्डार 31 मार्च, 1977, 31 जुलाई 1979 और 6 जून, 1980 को क्रमशः 222.5 टन, 260.1 टन और 266.3 टन था। तो देखना यह है कि हमने किस प्रकार सारे सोने को लुटा दिया, या उसका वितरण कर दिया। सोना तो सारा वहीं है, मुझे आश्चर्य होता है कि इस प्रकार का गुमराह करने वाला प्रचार क्यों किया जाता है। अनाज की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि हुई ; दालों में प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि हुई ; कपड़े में भी प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि हुई ; चीनी में भी प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि हुई ; तेल में भी प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि हुई ; अथवा अन्य शब्दों में कहें तो जन-साधारण की जरूरत की सभी चीजों में प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि हुई। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कीमतें स्थिर रहीं। आपने यह जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है यह उन दो वर्षों की उल्लेखनीय मूल्य स्थिरता को प्रकट करता है। फिर कुछ घटना घट गयी। निश्चित रूप से मैंने श्री चरण सिंह के बजट का अनुमोदन नहीं किया था तथा मैंने सदन में इसकी आलोचना की थी। यदि आप कार्यवाही वृत्तांत को उठा कर पढ़ें तो आपको मेरी आलोचना मिल जायेगी। मैं नहीं समझता कि आप में से कितने लोगों में अपने वित्त मन्त्री महोदय के बजट प्रस्तावों का विरोध करने का साहस है (व्यवधान)। मैं आपसे कहता हूं कि आप ईमानदार बनें और यह स्वीकार करें कि जहां तक आर्थिक क्षेत्र का सम्बन्ध है जनता सरकार का कार्य बड़ा ही अच्छा रहा (व्यवधान)। श्री चरण सिंह को गलत कहने में कोई फायदा नहीं है। आपने तो उन्हें प्रधान मन्त्री बनाया था, आपके समर्थन के बिना वे प्रधान मन्त्री नहीं बने। उन्हें तो आपका आभारी होना चाहिए, क्योंकि आपने प्रधान मन्त्री बनने के उनके जीवन का यह आकांक्षा को पूरा करने में सहायता पहुंचायी।

महोदय, मैंने बजट पत्रों को पढ़ा है, लेकिन मैं "विकास की नीति' को समझने में असमर्थ रहा हूं। क्या यह 'समाजवाद' है ? मुझे तो इस बजट में कुछ भी समाजवाद दृष्टिगोचर नहीं होता। क्या यह पूंजीवाद है ? श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने इस पर पुंजीवादी बजट होने का आरोप लगाया है। मैं फ्री प्रेस जनरल से उद्धरण देता हूं जिसमें कहा गया है कि शेयर-बाजार, जिसने

केन्द्रीय बजट के प्रति भारी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी उसने प्रारम्भ में ही उस पर पुनर्विचार किया था। मुझे आशा है कि वित्त मन्त्री महोदय भी इस पर पुनर्विचार करेंगे। प्रश्न यह है कि शेयर बाजार के इस समग्र परिवर्तन का क्या कारण है? और उत्तर यह दिया गया है कि उद्योग द्वारा वित्त विधेयक का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के बाद ये तथ्य सामने आये हैं कि इसने प्रर्याप्त रूप में आयकर अधिनियम की धारा 80 (ञ) को संशोधित कर दिया है। पहले के पूंजी निवेश में उधार को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अब देखिए इसमें न केवल उधार को सम्मिलित किया जायेगा, परन्तु 1972 से पूर्व व्याप्ति सहित किया जायेगा, जिसका अर्थ है कि बड़ी संख्या में उन लोगों को जो निवेशों के लिए उधार पर निर्भर करते हैं, उन्हें वह लौटाना पड़ेगा। इस कदम से सबसे बुरा प्रभाव नौवहन उद्योग पर पड़ेगा। यह बरबाद हो जायेगा। इस पर विचार करना आपका काम है। मेरा वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि इस धारा 80 (ञ) को न रखें। यह निवेश के लिए बड़ी हानिकारक सिद्ध होगी। मैं आपको यह सब ऐसा व्यक्ति होने के नाते बता रहा हूं, जिसके सामने सारी तस्वीर है और इस समय ऐसा करना बड़ा खतरनाक होगा। परन्तु मेरा यह विचार है कि यदि आपका दर्शन यह कहता है कि प्राइवेट निवेश या निजी निवेश के खिलाफ चलिए तो हर प्रकार से अपनी बात पर अटल रहिए परन्तु न ही तो आप समाजवादी लगते हैं न ही पूंजीवादी लगते हैं। मैंने देखा है कि इस बजट की कोई दिशा ही नहीं है। श्री चरण सिंह के बजट—यद्यपि मैंने उसे पसन्द नहीं किया था—की कोई दिशा तो थी। यह बैलगाड़ी की दिशा में था। (व्यवधान) हमारा तो स्पष्ट दर्शन था जिसके परिणाम निकले। ये सभी परिणाम इस आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आपने इस दस्तावेज को छिपाया नहीं? जबकि यह सामने है और सभी तथ्य इसमें दिए गए हैं।

महोदय, मैंने देखा है कि इस बजट की न तो कोई दिशा है और न ही इसकी कोई विकास नीति है। 20-सूत्री कार्यक्रम को सम्मिलित करने का क्या लाभ है? यह कोई कार्यक्रम नहीं है। किसी कार्यक्रम को सही दिशा प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं का स्पष्ट विवरण देना चाहिए। यह तो केवल कार्यक्रमों की सूचीमात्र है। इसमें कहा गया है कि हमें सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाना चाहिए। क्या यही कार्यक्रम है? यह तो खुश करने वाली बात है। हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिए, यह कहना खुश करने वाली बात है। परन्तु आप उसे कार्यक्रम नहीं बना सकते। 20-सूत्री कार्यक्रम पुराना पड़ गया है, आपातकाल से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसका कुछ मूल्य था। परन्तु आज यह संगत नहीं है। आज आप इसे लोकतांत्रिक ढांचे में बिठा नहीं सकते। आपके लिए तो यह एक मन्त्र है परन्तु संसद में इसका कोई मूल्य नहीं है। आपको संसद में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए; चुनावों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि आप लोगों को बेवकूफ बनाएं, परन्तु यहां नहीं। यह बजट पूर्णतया विकास-विरोधी बजट है। यह तो विकास के विरुद्ध है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? पहली बात यह है कि मैं योजना निवेश को लेता हूं। असल में इस वर्ष योजना निवेश कम होगा क्योंकि मुद्रास्फीति की दर 20 प्रतिशत है और योजना निवेश में केवल 14.7 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है या 16.6 प्रतिशत की जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप आधार किसे बनाते हैं। यह हुआ एक कारण, दूसरा कारण है ब्याज-कर। इससे देश में निवेश में कमी आयेगी। यह दूसरा कारण है कि यह विकास विरोधी है। तीसरा कारण है आत्मनिर्भरता का प्रश्न। यह जनता सरकार का उद्देश्य था और इसे उन्होंने लागू भी किया। श्रीमती इन्दिरा गांधी सब जगह

आत्मनिर्भरता की बात कहती फिरती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि उनके बजट में किस प्रकार की आत्मनिर्भरता है । 1976-77 में जब आप लोग सत्ता में थे तो भारत सरकार को कुल एक हजार सात करोड़ रुपए की सहायता लेनी पड़ी थी और जब जनता सरकार सत्ता में आई तो 1977-78 में हमने इसे घटा कर 374 करोड़ रुपए कर दिया और 1978-79 में 384 करोड़ रुपए तक की सहायता ली । यदि हम पूरे पांच साल सत्ता में रहे होते तो हम इसे शून्य तक ले आते । हमने तो भारत को पूर्णतया आत्मनिर्भर बना दिया होता । 384 करोड़ रुपए को आपने पहले 6 महीने में ही 8 सौ करोड़ रुपए कर दिया और मुझे पक्का विश्वास है कि अगले वर्ष आप इसे बढ़ाकर दो हजार करोड़ रुपए कर देंगे । मैंने एक समाचार पढ़ा है कि आप पश्चिम से और अधिक सहायता के लिए भीख मांगने जा रहे हैं ; आप भारत सहायता क्लब के पास और अधिक सहायता मांगने जा रहे हैं। क्यों ? आपके पास विदेशी मुद्रा का 48 सौ करोड़ रुपए का भण्डार है तो आप को और विदेशी सहायता क्यों चाहिए ? जनता सरकार आत्मनिर्भरता की नीति को लागू करने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ थी, परन्तु मुझे विश्वास नहीं है कि आप इस कार्यक्रम में कोई रुचि रखते हों। यह एक और विकास विरोधी कार्यक्रम है। आत्मनिर्भरता से यह देश शीघ्र विकास कर सकता है । यदि आप विदेशों पर निर्भर रहते चले गये, यदि आप विश्व बैंक की सलाह पर निर्भर करते रहे तो मुझे डर है कि यह देश विकास नहीं कर सकता ।

दूसरे, दृष्टान्तस्वरूप इस देश के गरीब लोगों को ही लीजिए । वे गरीबों की बातें करते हैं, परन्तु मैंने बजट को देखा है जिसमें केन्द्रीय वार्षिक योजना व्यय दर्शाया गया है । यह कटौतियों की एक लम्बी सूची है जिन्हें मैंने वर्गीकृत किया है । कमान क्षेत्र विकास खण्ड, लघु और सीमान्त कृषक विकास कार्यक्रम, सूखा ग्रस्त सेल कार्यक्रम जैसे गरीबों के लिए कृषिगत कार्यक्रम एक जगह रखे गए हैं । इन कार्यक्रमों के लिए जनता शासन में हमने 1403 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था । और आज हम क्या देख रहे हैं ? वर्ष 1980-81 में आज हम देख रहे हैं कि श्री वेंकटरामन के बजट में यह निर्धारण 1403 करोड़ रुपए से घट कर 800 करोड़ रुपए रह गया है जो कि 43 प्रतिशत की कटौती है । इसमें गरीबों के लिए बहुत से कृषिजन्य कार्यक्रम भी हैं । दूसरे नम्बर पर ग्राम, लघु और उपभोक्ता उद्योग आते हैं । यह एक दूसरा क्षेत्र है जहां रोजगार आदि पाने के मामले में गरीब लोगों को लाभ पहुंचता है । जनता शासन काल में आबंटन को बढ़ा कर हमने 335 करोड़ रुपए कर दिया था और आज हम क्या देख रहे हैं ? आज आबंटन केवल 284 करोड़ रुपए का है, जो कि 16.2 प्रतिशत की कटौती है । इसी प्रकार जहाजरानी, सड़कों और बन्दरगाहों के लिए जो कि सार्वजनिक-वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक है, जनता शासन काल में आबंटन 354 करोड़ रुपए का था जो कि घटकर 291 करोड़ रुपए रह गया है, इसमें 17.8 प्रतिशत की कटौती की गयी है । समग्र रूप से जब कि जनता सरकार ने इन बातों के लिए 2092 करोड़ रुपए की राशि अलग रख दी थी, श्री वेंकटरामन ने इस देश के गरीबों की हिमायत करते हुए अपने बजट में वास्तव में अपनी कैंची चलाई है और इस आबंटन को घटाकर 1375 करोड़ रुपए कर दिया है जिसमें कि 34.3 प्रतिशत की कटौती सामने आयी है । आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे सामने कैसा बजट है यदि गरीबों के कार्यक्रमों को इस प्रकार काट दिया जाता हो । मैं सुझाव दूंगा कि इस बजट का पुनः प्रारूप तैयार होना चाहिए। उनके पास पर्याप्त समय है । वह इस बजट को मार्च में भी ला सकते थे परन्तु उन्हें डर था कि चुनावों में हम उसका भण्डाफोड़ कर देंगे । इसलिए वह इस बजट को मार्च में प्रस्तुत नहीं कर सके ।

दूसरी ओर से श्री चरणजीत सिंह जैसे सदस्यों ने बहुत से प्रस्ताव रखे थे। उन्होंने तथा अन्य सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिए थे। परन्तु सरकार किस प्रकार सर्वोच्च कराधान कर सकती है ? आपने कोई राहत न देकर 30 वर्षों में सबसे अधिक घाटा दिखाया है। आपने ऐसा क्यों किया ? इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अपने दर्शन के बारे में और वर्तमान सरकार कम से कम इतना किस प्रकार करना चाहती है जितना हमने अपने शासनकाल में किया, इस बारे में वित्त मन्त्री महोदय को अन्ततः एक वक्तव्य देना चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त (अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1980-81 के लिए प्रस्तुत किए गए सामान्य बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जीवन के सभी क्षेत्रों में देश को भारी वित्तीय अभाव और कठिनाई से गुजरना पड़ रहा है। 30 वर्षों के कांग्रेस के शासन में देश में जो स्थिरता स्थापित की गयी थी और कांग्रेस शासन में जो मूल्य स्पष्टतया चले आ रहे थे उन्हें 3 वर्ष के जनता शासन में कुप्रबन्ध का शिकार होना पड़ा और वे नष्ट कर दिए गए। दंगों, साम्प्रदायिक झगड़ों, हत्याओं और हरिजनों पर अत्याचारों के कारण देश में सामाजिक जीवन भयग्रस्त हो गया और देश की जनता में असुरक्षा की भावना कम हो गयी। आर्थिक क्षेत्रों में कीमतों में वृद्धि हुई और असामान्य रूप से गिरे हुए उत्पादन के कारण खाद्य तेली, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी हुई जिससे देश को अन्ततः आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है।

विदेश व्यापार में अन्तर असहनीय सीमा तक बढ़ गया है। देश में सीमेंट, इस्पात, कोयले और यहां तक कि चीनी का भी आयात किया जाने लगा तथा 1979-80 के केन्द्रीय बजट में भारी घाटे के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति असाधारण रूप से बढ़ गई। अतः वर्तमान बजट को प्रस्तुत करना वित्त मंत्री महोदय के लिए एक आसान काम नहीं था।

रेलवे बजट के बाद, जहां अपरिहार्य प्रस्तावों ने लोगों के मन में भय की भावना उत्पन्न कर दी, अर्थात सामान्य बजट के नये कर प्रस्तावों के रूप में आम आदमी पर शायद और भार पड़ेगा। इस बढ़िया बजट को पाकर अब वर्तमान परिस्थितियों में आम आदमी राहत की सांस लेगा। जबकि ये परिस्थितियां अन्यथा देश को और बुरी दशा में पहुंचा देतीं। अतः उत्पादन को बढ़ाने और विदेश व्यापार के अन्तर को कम-से-कम करने के लिए कुछ उपाय सुझाकर तथा विकास-मूलक आर्थिक स्थिरता को लक्ष्य बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा की ओर उन्मुख करने के वित्त मंत्री के प्रशंसनीय प्रयत्नों के लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। पूरे न होने वाले घाटे को लगभग 1400 करोड़ तथा सीमित करने की कार्यवाही और पर्याप्त सीमा तक मुद्रास्फीति को रोकने के प्रयास भी प्रशंसनीय हैं।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा दल लोगों को वचन दे चुका है कि कीमतों में वृद्धि को समाप्त किया जायेगा और मुद्रास्फीति को रोका जायेगा। साथ-ही-साथ करों के भार को भी कम किया जायेगा। वर्तमान बजट में उस दिशा में बढ़ने का प्रयास किया गया है। परंतु एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि चीनी के बारे में किया गया है आपको सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई निश्चित दामों पर सारे देश में सुनिश्चित करनी होगी। यदि हम आवश्यक वस्तुएं सारे देश में निश्चित दामों पर सप्लाई करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो भ्रष्ट

व्यापारी उपभक्ताओं को ठग न सकेंगे। जब आम आदमी भ्रष्ट व्यापारियों से इन आवश्यक वस्तुओं को खरीदने जाता है तो वे उसे ठगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि सारे ही देश में आवश्यक वस्तुओं के भाव निश्चित कर दिये जाएं तो इससे जन-साधारण को अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में सहायता मिलेगी।

मैं अब वित्त मंत्री महोदय, का ध्यान कुछ उन बातों की ओर दिलाना चाहूंगा, जिन्हें कि उनके बजट प्रस्तावों में स्थान मिलना चाहिये था। महोदय, छोटे, अलग-अलग पड़ने वाले और दूरस्थ संघ-राज्य क्षेत्र, जैसे अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि, जहां लोक प्रिय सरकारें नहीं हैं और जिन पर केन्द्रीय सरकार का प्रशासन है, अपने विकास के लिए सामान्य बजट पर पूर्णतः आश्रित हैं। मुझे आशा थी कि एक सम्बद्ध कार्यक्रम के अनुसार इस प्रकार की दूरस्थ और अलग-अलग पड़ने वाले संघ-राज्य क्षेत्रों के विकास को गति प्रदान करने के लिए कुछ विशेष क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए कुछ प्रस्ताव बजट में होंगे, परन्तु बजट में कुछ नहीं है। मुझे याद है कि स्व० पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में अन्दमान, निकोबार द्वीपसमूहों के तीव्र विकास हेतु उन्हें पुनर्वास मंत्रालय से सम्बद्ध किया गया था परन्तु बाद में उस परिपाटी को समाप्त कर दिया गया। मैं वित्त मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि वे इन क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ विशेष धनराशि अलग रख दें, क्योंकि इन क्षेत्रों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जोकि उनके दूर होने और अलग-अलग पड़ जाने के कारण पैदा हुई है। इसलिए इन क्षेत्रों के लिये एक विशेष विकास कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिये।

बहुत से सदस्यों ने जो बोले हैं, अपने को बजट की आलोचना तक ही सीमित रखा है। परन्तु मैं कह चुका हूं कि उन्होंने यह एक बढ़िया बजट प्रस्तुत किया है। उनके विचारार्थ मैं कुछ सुझाव दूंगा। मैं उनके बजट प्रस्तावों में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव देना चाहता हूं। अर्थात् आयकर छूट में। उन्होंने आयकर के लिए 10,000 रुपए की छूट को बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है परन्तु 12,000 रुपए से अधिक की आय के मामले में आयकर 8,000 रुपये से शुरू होगा। मेरा सुझाव है कि इस 8,000 की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये तक कर दिया जाए, जिससे बड़ी संख्या में वेतनभोगी लोगों को इससे लाभ पहुंचे। दूसरा सुझाव यह है कि काला धन इस देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसने देश की अर्थव्यवस्था में मिलकर समाज में बुराई पैदा कर दी है। काले धन की समानान्तर अर्थ-व्यवस्था के कारण जिसका हमारे आर्थिक प्रणाली पर भारी प्रभाव रहा है। विकास के लाभ नहीं मिल सके अथवा ये आम-आदमी तक नहीं पहुंच सके। इसको रोका जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि करों की चोरी के लिए और कालाधन छिपाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार को कठोर कानून बनाने चाहिये, जिससे देश में कालेधन-संग्रह को रोकने के लिए कड़ा दण्ड दिया जा सके। इस सम्बन्ध में मैं यह भी सुझाव दूंगा कि इस आश्वासन के साथ स्वेच्छा से कालेधन की घोषणा करने के लिए सरकार की ओर से एक अंतिम चेतावनी दी जानी चाहिये कि यदि वे एक निश्चित समय एवं अवधि विशेष में इसे घोषित कर देंगे तो उन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा और न ही कोई अभियोग चलाया जायेगा। इस प्रकार, घोषित धन का 25 प्रतिशत भाग सरकारी-कर के रूप में काट लिया जाये। इस तरह से बजट के 1400 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा किया जा सकता है। इसके साथ-ही-साथ मैं

आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि शहरी सम्पत्ति पर भी कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जिन्होंने जाली नामों से शहरों में सम्पत्तियां इकट्ठी कर रखी हैं। जब तक हम इस दिशा में कोई कदम उठाने की स्थिति में नहीं होंगे हमारी अर्थ-व्यवस्था इस प्रकार की मुद्रास्फीति से ग्रस्त रहेगी।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

दूसरा सुझाव यह है कि यह कालाधन हमारे देश के चुनावों और राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरा सुझाव है कि कम्पनियों को, कम्पनी कानून में संशोधन करके, सरकारी तौर पर रुपया दान देने की छूट होनी चाहिये जिससे कि उन्हें राजनीतिक दलों को दान देने के लिए कालाधन एकत्र करने की आवश्यकता न पड़े। इससे निश्चय ही काले धन को जमा करने के प्रवृत्ति दूर होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब 3.30 बजे हैं। अब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का समय है। आप आगे भी अपनी बात जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे। पेश किए जाने वाले विधेयक।

श्री आर० एल० पी० वर्मा।

वे उपस्थित नहीं हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

यह घृणित विधेयक दूसरी बार कार्य-सूची में रखा गया है और सदस्य महोदय उपस्थित नहीं हैं। मैं इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर० एल० पी० वर्मा अनुपस्थित हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : **

उपाध्यक्ष महोदय : जब सदस्य उपस्थित ही नहीं है तो वह बात कैसे कर सकता है। जो कुछ श्री बनातवाला ने कहा है उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

---

## भारतीय वन (संशोधन) विधेयक

(धारा 36क का अन्तःस्थापन)

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

## सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक

### (धारा 104 और 135 का संशोधन)

श्री बापू साहिब पारुलेकर (रत्नगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बापू साहिब पारुलेकर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

## गुड़ बोर्ड विधेयक

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गुड़ के विकास और बिक्री का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गुड़ के विकास और बिक्री का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

## संविधान (संशोधन) विधेयक

### (आठवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० पी० यादव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

## केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में पदों का आरक्षण (पिछड़े वर्गों के लिए), विधेयक

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में पदों का आरक्षण करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में पदों का आरक्षण करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

## संविधान (संशोधन) विधेयक

### (आठवीं अनुसूची का संशोधन)–जारी

उपाध्यक्ष महोदय : हम 13 जून, 1980 को डा० कर्ण सिंह द्वारा पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव और उस पर पेश किए संशोधन पर और आगे विचार शुरू करेंगे, अर्थात :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सत्यगोपाल मिश्र अपना भाषण जारी रखें।

*श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले अवसर पर मैंने संविधान की आठवीं अनुसूची में डोगरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किए जाने के लिए डा० कर्ण सिंह द्वारा लाए गए विधेयक को अपना समर्थन व्यक्त किया था। आज, मैं इस विधेयक के

*बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

समर्थन में कुछ और बातें कहना चाहूंगा। महोदय, जिस तरह की भाषा समस्या हमारे देश में है, वैसी सोवियत रूस में भी थी। सोवियत रूस ने उस समस्या को सफलतापूर्वक हल कर लिया, परन्तु हम स्वतन्त्रता के तेंतीस साल बाद भी इसको हल करने में असफल रहे हैं। ऐसा क्यों है? कारण स्पष्ट है। सोवियत रूस में समाजवादी सरकार सत्तारूढ है, जिसने सभी भाषाओं को समुचित आदर और महत्व दिया है, जिसने सभी भाषाओं को समृद्ध होने तथा फलने-फूलने के समुचित अवसर प्रदान किए हैं। उसके परिणाम-स्वरूप वे भाषा समस्या को सफलतापूर्वक हल करने में सफल रहे हैं। परन्तु हमारे देश में जो सरकार 1947 से सत्तारूढ रही है उसने पूंजीवादी वर्गों और बड़े जमींदारों का प्रतिनिधित्व किया है। जिसके परिणामस्वरूप वे प्रत्येक बात जनता पर थोपते हैं। उन्होंने गरीबी, मुद्रास्फीति ऊंचे मूल्य, बेरोजगारी, अशिक्षा और अन्य दूसरे आर्थिक संकट जनता पर थोप दिये हैं। उसी तरीके से वे भाषायी अल्पसंख्यकों पर अधिसंख्यकों की भाषा को थोपने की कोशिश करते रहे हैं। वे बड़ी चतुराई से इस कोशिश में लगे हुए हैं। वे भाषायी अल्पसंख्यकों और उनकी भाषा के प्रति ढेर सारी मौखिक सहानुभूति व्यक्त करते हैं। परन्तु जब कार्यान्वयन का समय आता है, वे अपने वादों से मुकर जाते हैं। यहां लोगों का एक वर्ग है जिसे हिन्दी के प्रति दुराग्रही कहा जा सकता है। यदि हिन्दी के अलावा अन्य किसी दूसरी भाषा के पक्ष में कोई भी बात कही जाती है तो वे भड़क उठते हैं। हम इस तरह के दुराग्रही नहीं हैं। हम हिन्दी भाषा का भी समुचित विकास चाहते है। वहीं एक दूसरा वर्ग है जो हिन्दी का कट्टर विरोधी है, जो रेलवे स्टेशन आदि पर हिन्दी में लिखी हुई किसी भी चीज पर कोलतार पोत देता है। हम उसका भी विरोध करते हैं। हम सभी भाषाओं का समुचित विकास चाहते हैं। हम सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए आत्माभिव्यक्ति का अधिकार चाहते हैं। जब विकास के माध्यम से ये भाषाएं एक विशेष स्तर पर पहुंच जाती हैं तो उन्हें संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल करना आवश्यक हो जाता है। 1967 में सिंधी भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया था। हमें इस बात की जांच करनी है कि क्या नेपाली और डोगरी भाषाएं आज उस स्तर पर पहुंच गई हैं जिस पर 1967 में सिंधी भाषा थी। इसका मतलब है कि हमें वर्तमान में नेपाली और डोगरी भाषा की तुलना में 1967 में सिंधी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या के साथ-साथ सिंधी भाषा द्वारा प्राप्त किए गए स्तर और उसके साहित्य के विकास की स्थिति की तुलनात्मक जांच करनी होगी। हमें यह भी देखना है कि क्या आज नेपाली और डोगरी भाषाएं भी समान रूप से विकसित हो गई हैं। यदि हम सचाई से जांच करें तो हम यह कहने को विवश होंगे कि नेपाली और डोगरी भाषा ने विकास का वह उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है जो 1967 में सिंधी भाषा ने प्राप्त किया था। इस सन्दर्भ में, हमारे लिए अपने राष्ट्रीय प्रोफेसर डा० सुनीति कुमार चटर्जी की कही गई बात को याद करना अच्छा रहेगा। डा० सुनीति कुमार चटर्जी केवल हमारे राष्ट्रीय प्रोफेसर ही नहीं थे, वह एक महान भाषाविद थे जिनको हमारे देश ने पैदा किया है। एक बार उन्होंने कहा था कि अब सिंधी और नेपाली भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल करने का समय आ गया है। उस कार्य में से केवल आधा ही पूरा किया गया है और बाकी के आधे कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। इसलिए, मैं इस सदन के सभी वर्गों से अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक को पारित कराने में सहयोग करें ताकि नेपाली और डोगरी भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल किया जा सके। हमें इस बात को महसूस करना होगा कि आज विभिन्न क्षेत्रों में, खास तौर पर देश के उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में भाषायी अल्पसंख्यकों के दिमाग में सन्देह और विश्वास की

भावनाएं बढ़ रही हैं । परिणामतः विभिन्न प्रकार की अवांछनीय और हानिकारक कार्यवाहियां हो रही हैं । इसलिए, इस सर्वोच्च विधायी निकाय के लिए आज यह सिद्ध करना आवश्यक है कि हम किसी भी भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग अथवा किसी भी अल्पसंख्यक भाषा के खिलाफ नहीं है। हम सभी भाषाओं का विकास एवं समृद्धि चाहते हैं । हम उन्हें फलने फूलने के सभी अवसर मुहैया करना चाहते हैं, ताकि जब वे विकास के एक विशेष स्तर पर पहुंच जाएं तो वे संविधान की अष्टम अनुसूची में अपना सही स्थान प्राप्त कर सकें । आज इस बात का आश्वासन दिए जाने की जिम्मेदारी इस सदन की है । महोदय, लगभग पन्द्रह दिन पहले, माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन में नेपाली भाषा के बारे में बोलते हुए कहा था कि वे प्रधानमंत्री से इस मामले में विचार विमर्श करेंगे । 1973 से इस विषय पर विचार विमर्श हो रहा है । जो भी हो, पिछली बहस के बाद पन्द्रह दिन बीत चुके हैं । जब माननीय मन्त्री महोदय आज इसका उत्तर दें, तो मैं उनसे इस बात का आश्वासन दिये जाने की आशा करूंगा कि इन दोनों भाषाओं को अष्टम अनुसूची में स्थान प्राप्त होगा । मैं यह भी जानना चाहूंगा कि गत पखवाडे के दौरान प्रधानमंत्री के साथ क्या विचार-विमर्श हुआ । इसे इस सदन के समक्ष स्पष्ट किया जाना चाहिए । यह आवश्यक है क्योंकि आज देश में भषायी अल्पसंख्यकों के दिमाग में जो सन्देह विद्यमान है उसे दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। डोगरी और नेपाली भाषाओंको संविधानी अष्टम अनुसूची में शामिल करके भाषायी अल्पसंख्यकों के दिमाग में विद्यमान सन्देहों और आशंकाओं को दूर करने के लिए आज हम सभी प्रयास करें । एक बार फिर मैं इस विधेयक को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करता हू और इसी के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री सी० पलानी अप्पन (सलेम)*: उपाध्यक्ष महोदय, मैं डा० कर्ण सिंह के संविधान संशोधन विधेयक पर, जिसमें डोगरी भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूचि में शामिल किये जाने का प्रावधान है, अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं ।

महोदय, आप जानते हैं कि सभी स्वतन्त्रताएं आधारभूत स्वतन्त्रताएं, हमारे संविधान के तीसरे अध्याय के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में वर्णित की गई हैं । लोगों को बोलने की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति आदि के अधिकार हैं । इन मौलिक अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण देना एक बात है और इन मौलिक अधिकारों के उपभोग के लिए साधन मुहैया करना एक अलग बात है । संविधान में प्रतिष्ठापित मौलिक अधिकारों के प्रयोग के लिए उपाय और साधनों में सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है ।

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भाषा मानव की मूल शक्ति है । भाषा व्यक्ति की भावनाओं, अनुभूतियों और विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है । यदि किसी की भाषा का आदर किया जाता है तो वह समझता/समझती है कि उसके आत्म सम्मान को समादृत किया गया है । वह महसूस करेगा/करेगी कि उसकी वाग्स्वतन्त्रता सजीव हो गई है । आप इस सम्बन्ध में मुझसे सहमत होंगे कि भाषा मानव और उसके आस-पास के परिवेश के मध्य एक सेतु है ।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई है कि सरकार ने डोगरी जैसी भाषा को हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल किया है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय वाद-विवाद के अपने उत्तर में स्थिति को स्पष्ट करेंगे। मुझे मालूम है कि सरकार डा० कर्ण सिंह के विधेयक को स्वीकार नहीं करेगी। तो भी मैं डा० कर्ण सिंह के विधेयक को स्वीकार करने की सरकार की असमर्थता के लिए माननीय मन्त्री से विस्तृत स्पष्टीकरण की आशा करता हूं।

विश्व के देशों में बोली जाने वाली 3296 भाषायें हैं। यद्यपि राष्ट्र संघ ने केवल रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी तथा स्पेनी भाषाओं को अपनी कार्यवाही के संचालन के लिए अपनाया है। फिर भी, यह सभी 3296 भाषाओं का प्रतिनिधि मंच है।

मैं सरकार से देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं को हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की अपील करूंगा जो एकमात्र हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले तथा विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लागों में गौरव की भावना तथा राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक मात्र साधन है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री मूल चन्द डागा (पाली)** : माननीय उपाध्यक्ष जी, डा० कर्ण सिंह जी ने, जोकि एक बड़े विद्वान सदस्य हैं, जो विधेयक इस सदन के सामने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। मैं तो चाहता था कि डा० कर्ण सिंह जी यहां पर डोगरी में बोलते। खैर, वे डोगरी में नहीं बोले, बहुत अच्छा किया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हो सकता है कि यहां इसके अनुवाद की सुविधाएं न होने के कारण वह डोगरी में न बोले हों।

**श्री मूल चन्द डागा** : मैं पूछना चाहता हूँ कि डोगरी भाषा में बोलने वाले कितने लोग हैं? उनकी संख्या अगर आप देखें, जो फ़ीगर्स मैंने कलेक्ट की हैं, तो आपको मालूम होगा कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो डोगरी भाषा बोलते हैं। आपकी डोगरी भाषा में, जो रिफ्रेंस सैक्शन से डाटा मैंने इकट्ठे किए हैं, बोलने वालों की संख्या 8,69,199 है, जिसमें पंजाब के अन्दर 5,114, हिमाचल में 1,095 और टोटल जो आपके डोगरी भाषा को बोलने वाले हैं, वे हैं 12,86,824। इसके अलावा मैं यह पूछना चाहता था कि क्या आपकी स्टेट ने इस को आफिशियल लैंग्वेज माना है या नहीं माना है। उसके अनुसार आपके द्वारा डा० साहब से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि :-

> "राज्य की राजभाषा उर्दू होगी परन्तु जब तक विधान मण्डल कानून द्वारा अन्यथा व्यवस्था नहीं करता है तब तक उन सब सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी।"

तो जम्मू-कश्मीर के अन्दर 26 जनवरी, 1957 को जब आफिशियल लैंग्वेज की मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी आफिशियल लैंग्वेज में उर्दू भाषा को स्थान दिया है।

मैं एक बात और आपके द्वारा डा० साहब से कहना चाहता हूं। आप तो शिक्षा मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं तो क्यों आप इसको 30 साल के बाद संविधान के 8वें शैड्यूल में लाना चाहते हैं। 8वें शैड्यूल को इम्पोर्टेंस आज भी मेरी समझ में नहीं आ सकी है। जहां तक मैं समझ पाया हूं कि 8वें शैड्यूल की पैंडोरा बाक्स खोला जाए और खोल करके देश में जितनी भी भाषायें हैं, जैसे हिमाचली, राजस्थानी, कोनकणी, भोजपुरी आदि, सभी भाषाओं को उसमें शामिल किया जाए। मैं समझता हूं कि ये लोग केवल भावनात्मक आधार पर ही अपनी बात करना चाहते हैं, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मुझ से पूर्व एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आर्टिकल 29 और 30 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाषा, कोई भी संस्कृति, कोई भी धर्म, को उस में पूर्ण सुरक्षित करने का प्रावधान है और आर्टिकल 29 में तो कोई रोक नहीं है। आर्टिकल-29 यह साफ कहता है कि

> "भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा घोषित अथवा राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित रखा जाएगा।"

मेरी समझ में नहीं आता है कि कोई स्कीम है या नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने होम मिनिस्ट्री का एक लैटर देखा था। उस लैटर के द्वारा उनसे पूछा गया था कि मनीपुरी भाषा को सम्मिलित करने के बारे में और उसका उत्तर भी दिया गया था। वह लैटर 18 सितम्बर, 1979 को लिखा गया था, उसको प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया है, उसका सारांश पढ़ता हूं।

> "शायद उप-प्रधान मंत्री ने समस्या का निराकरण कर रहे हैं। मुझे याद है कि 1977-78 में मेरे कार्य काल मणिपुर भाषा के सम्बन्ध में भी वैसी ही समस्या उठी थी। गृह मंत्रालय से भेजे गये उत्तर में यह कहा गया था, यदि मुझे सही याद है, कि अनुसूची आठ के अन्तर्गत दी गई संबंधित सूची में एक विशेष भाषा के सम्मिलित कर देने से किसी भाषा के विकास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तव में अनुसूची अब निरर्थक हो गई और इसे संविधान से अच्छी तरह से हटाया जा सकता है। इससे मणिपुरी लोग सन्तुष्ट हो गए। शायद इस पत्र को कुछ उपरोक्त भाषा जैसी भाषाओं के विषय में उत्तर देते समय उद्धृत किया जा सकता है।"

मैं राजस्थान में रहने वाला हूं। राजस्थान में भी यह आवाज उठी थी कि राजस्थानी को 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाय। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस तरह से 8वें शेड्यूल की क्या इम्पोर्टेन्स रह जायगी। आप अपनी स्टेट—जम्मू-काश्मीर— में भी इस को आफिशियल लैंग्वेज नहीं बना सके हैं। कितने स्कूलों में लोग डोगरी भाषा पढ़ते हैं? मैं तो यह समझता हूं कि केवल भावात्मक आधार पर आप इस को यहां लाये है। भाषा तो समय के साथ अपने आप बदलती है, संस्कृति बदलती है, क्या जरूरत है कि हर भाषा को 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाय। आज ज़रूरत इस बात की है कि जब हमने देश में हिन्दी को नेशनल लैंग्वेज मान लिया है तो उस में देश की सारी भाषाओं के अच्छे शब्दों को निकाल कर शामिल किया जाय, जिससे कि हिन्दी ज्यादा सक्षम हो सके और देश की एकता दृढ़ हो सके। आज डोगरी का सवाल है, कल

देश के हर कोने से हर भाषा को 8वें शेड्यूल में शामिल करने की मांग आने लगेगी। इसका क्या परिणाम निकलेगा ?

इस बिल के बारे में एक बात कहना चाहता हूं—इसी सत्र में पिछली दफा एक श्रीमान् ने नेपाली भाषा के लिये बिल पेश किया था और बाद में उन्होंने अपनी समझदारी से उस को वापस ले लिया था। उसके दिमाग में यह बात आ गई थी कि यह जो मांग ठीक है या नहीं है, इसको नहीं मानना चाहिये। जहां तक नेपाली लैंग्वेज की बात है, उस पर तो शायद कुछ निर्णय भी हो चुका है, लेकिन जहां तक डोगरी भाषा का सम्बन्ध है, मैं जहां तक समझता हूँ—नेपाली से भी कम जन-संख्या इस भाषा को बोलती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप इसमें रिसर्च नहीं करें, आप जरूर रिसर्च करें और इसके अच्छे-अच्छे शब्दों को निकाल कर हिन्दी भाषा में डालें, हिन्दी को सक्षम बनायें। 1950 में कांस्टीचूशन बनने के बाद—1980 आ गया, आज तक हम आर्टीकल 344 को काम में नहीं ला सके हैं। आर्टीकल 344 में 5 साल की बात थी, फिर 10 साल और मौका मिला, उस को आपने यूज नहीं किया। उसके बावजूद भी आर्टीकल 347 के अन्दर आप चाहें तो अपनी दरख्वास्त पेश कर सकते हैं, इसके लिये आपको किसने मना किया ? जम्मू-काश्मीर की यह स्टेट लैंग्वेज नहीं है, उसको आप वहां रखवा नहीं सके हैं। इस भाषा के आपके यहां कोई डिग्री कालेज चलते हैं या नहीं चलते हैं—मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं यदि किसी लड़के को डोगरी में पढ़ाना शुरू कर दिया तो देश के जो बढ़ते हुए कदम हैं, जो मेन-स्ट्रीम है, उसमें वह लड़का नहीं चल सकेगा। हमें देश की मेन-स्ट्रीम के साथ चलना चाहिये।

मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, राजस्थानी बोलता हूँ। हिन्दी शुद्ध नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा या बिहार का नहीं हूँ। लेकिन इस का यह मतलब नहीं है कि मैं हिन्दी बोल नहीं सकता हूं। हिन्दी को हम अपनी भाषा मानकर चलते हैं। इसी तरह से अगर डोगरी में ही बात करना शुरू कर दें तो मुझे डर है कि डोगरी वाले कहीं ज्यादा नीचे न चले जाएं। मैं यह नहीं कहता हूं कि डोगरी की जरूरत नहीं है, डोगरी रहनी चाहिये, उसका ट्रांस्लेशन हम कर सकते हैं। आज भी देश में ऐसे लोग हैं जो हिन्दी के विरोध में आत्म-दाह कर लेते हैं—हिन्दुस्तान में 30 साल के बाद भी हम भाषात्मक एकता नहीं ला सके हैं, एक भाषा को राष्ट्र भाषा नहीं बना सके हैं। हमारे संविधान को ले लीजिये, आज तक हिन्दी का आथेन्टिक संविधान नहीं बना सके हैं—इस पर हमें सोचना चाहिये।

अब मैं आपका ध्यान आर्टीकल 347 की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। इस आर्टीकल में कहा गया है—

> "तद्विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि किसी राज्य के जन-समुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाये तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय मान्यता दी जाए।"

यह आर्टिकल 347 कहता है। आप जम्मू व कश्मीर में, जहां से आप आते है और जहां पर आप बहुत दिनों तक राज्यपाल रहे हैं, इस भाषा को नहीं मनवा सके और वहां पर

इस को ग्राफिशियल लैंगुएज नहीं बना सके ग्रौर ग्रब ग्राप इस को ग्राठवीं शैड्यूल में शामिल करवाना चाहते हैं। मैं ग्राप से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि ग्राप एक बड़े कलाकार हैं ग्रौर ग्राप एक बड़े साहित्यिक भी हैं। इसलिए ग्राप ग्रपने इस बिल को बड़ी खूबसूरती से वापस ले लें ग्रौर हम भी उसके लिए ग्राप को खूबसूरती से धन्यवाद देंगे। यह नहीं कि हमारी खूबसूरती में कमी ग्रा जाए। इस को वापस लेने का तरीका ऐसा न हो कि हमें प्रसुएशन से काम करना पड़े। ग्राप से विनती करता हूं ग्रौर नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि ग्राप इसको वापस ले लें। ग्राप को डोगरी भाषा से बहुत प्रेम है। उस में बहुत सी किताबें हैं, जिनमें वीर रस है ग्रौर जो श्रृंगार रस से भरी हुई हैं। ग्राप उनका ग्रनुवाद हिन्दी में कर दीजिए ग्रौर इस भाषा को मजबूत बनाइये लेकिन यह न हो कि कहीं डोगरी भाषा ग्रा जाए, हिमाचली ग्रा जाए, कोंकणी ग्रा जाए ग्रौर राजस्थानी ग्रा जाए ग्रौर इससे कहीं हिन्दी ग्रलग न रह जाए। ग्राज तो तमिलनाडु वाले कहते हैं कि हिन्दी भाषा को हम नहीं मानेंगे कितने साल हो गये ग्रौर एक भाषा नहीं बनी ग्रौर ग्रभी तक ग्रंग्रेजी में बोलना पसन्द करते हैं बनिस्वत हिन्दी के। इस भाषा पर गर्व करना चाहिए ग्रौर इसका भी गौरव है, यह तो देश बतलाएगा लेकिन मैं यह चाहता हूं कि हिन्दी को समृद्धशाली बनाने के लिए इन भाषाग्रों का ग्राप विकास करें, ग्राप इसमें रिसर्च करें क्योंकि ग्रापमें काबलियत है। रिसर्च करके ग्राप हिन्दी को समृद्धशाली बनाएं। इस बारे में सरकार तो कुछ कहेगी लेकिन मैं भी एक मेम्बर के नाते यह कहना चाहता हूं कि ग्राप ग्रपने इस बिल को बड़ी खूबसूरती से वापस ले लें जिस से लोगों को तकलीफ़ न हो। ग्राप को इस से तकलीफ़ होगी, इस के लिए मैं क्षमा चाहता हूं।

**श्री झारखण्डे राय (घोसी)** : उपाध्यक्ष जी, भाषा का महत्व समाज ग्रौर मानव जीवन में ग्रत्यधिक है, इस से इन्कार नहीं किया जा सकता। हमारे देश में भाषानुसार प्रायः सभी प्रदेशों का निर्माण किया गया है। मेरा ग्रपना ग्रनुमान है कि सोवियत समाजवादी क्रान्ति के बाद, इतने बड़े महादेश में, जो दुनिया का छठवां भाग है ग्रौर जहां 120 भाषाएं बोली जाती हैं, जिस तरह से उन्होंने भाषा के प्रश्न को हल किया ग्रौर शान्तिपूर्वक हल किया, उस से हमारे देश को भी प्रेरणा मिली थी। इसीलिए महात्मा गांधी जब कांग्रेस के मूर्धन्य नेता पद पर ग्रासीन हुए थे तो उन्होंने, जो उन के बस में था, कांग्रेस के संगठनों के सबों को भाषानुसार बनाया। ग्रन्य बहुत से परिवर्तनों के साथ उन्होंने इस परिवर्तन को भी किया था। ग्राल पार्टीज कान्फ्रेन्स जो 1927-28 में पंडित मोती लाल नेहरू के नेतृत्व में संगठित की गई थी, उसने भी इस बात को स्वीकार किया था सिद्धान्त: कि स्वतन्त्र भारत में भाषानुसार ही प्रदेशों का निर्माण किया जाएगा लेकिन ग्राजादी के बाद जब कांग्रेस सरकार स्थापित हुई थी, तो सम्भवत: वह उस वायदे को भूल गई ग्रौर इसका नतीजा यह हुग्रा कि बहुत बड़ा ग्रान्दोलन ग्रान्ध्र प्रदेश में हुग्रा जिसमें जन-धन की हानि हुई ग्रौर उसमें बहुत बड़ा बलिदान सुप्रसिद्ध गांधीवादी नेता श्री पोत्ती श्रीरामुलु ने भूख-हड़ताल करके दिया ग्रौर ग्रपनी जान दे दी। उस वक्त इसी सदन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात की घोषणा की थी कि अब हिन्दुस्तान में भाषानुसार सूबे बनाए जाएंगे ग्रौर पानिकार ग्रायोग की स्थापना हुई थी ग्रौर उसी का यह फल है कि ग्राज सारे देश में भाषानुसार करीब-करीब सारे प्रदेशों का निर्माण हो चुका है। भाषा का महत्व बहुत ज्यादा है। यह भावनात्मक जरूर है लेकिन काल्पनिक ग्रध्यात्मिक नहीं। यह भौतिकवादी वस्तु सत्य है, जिस का ग्रादर करना चाहिए। चाहे छोटी से छोटी भाषा हो, उसका निरादर करके हम राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं

कर सकते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है। हम इस महान् देश हालैंड के नागरिक हैं और इसके नागरिक होने में हम गौरव का अनुभव करते हैं। लक्सेमबर्ग, बैल्जियम, नार्वे, स्वीडन अथवा डेन्मार्क जैसे छोटे देश के हम नागरिक नहीं हैं। यह महान् देश एक तरह से उपमहाद्वीप है जिसके कि हम नागरिक हैं। इसमें बहुत सी छोटी बड़ी भी भाषाएं बोली जाती हैं। उनकी बात करके पैण्डोरा का बाक्स नहीं खोला जा रहा है बल्कि एक हकीकत बतायी जा रही है। हमें इस देश की सभी भाषाओं का समादर करना चाहिए। जब कोई चीज पैदा हो जाए तब उसको झटके से इधर-उधर कर देने से लाभ नहीं होता है। इससे राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचती है।

डागा जी ने जो भाषण दिया उसमें कहा कि यह अनेकता की तरफ देश को ले जाएगी। मैं मूल रूप में इस भावना का विरोधी हूं। जिन भाषाओं में साहित्य है, जो भाषाएं धनी हैं उनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। उनको उचित स्थान दिया जाना चाहिए। चाहे उस भाषा को बोलने वाले थोड़ी सख्या में हों या बड़ी संख्या में हों। यह निर्विवाद सत्य है कि हिन्दी का इस देश में अपना विशिष्ट स्थान है। किसी की मेहरबानी से नहीं बल्कि ऐतिहासिक आवश्यकता और विकास क्रम के कारण, हिन्दुस्तान के इतिहास के विकास के दौरान, सामाजिक विकास के दौरान हिन्दी ने अपना स्थान बनाया है। हम चाहते हैं कि उसे शीघ्र पूरी तरह अंग्रेजी का स्थान मिले। राष्ट्रीय लेंगुएज, नेशनल लेंगुएज शब्द भ्रामक है, इससे भ्रम पैदा होता है। हम समझते हैं कि हिन्दुस्तान में जो भी मुख्य और बड़ी भाषाएं हैं वे सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। लेकिन इन राष्ट्रीय भाषाओं में आपस में लिंक कहां से पैदा हो? अंग्रेजों के राज में अंग्रेजी लिंक भाषा थी। हिन्दी को अभी तक अंग्रेजी का स्थान नहीं मिल सका है। लेकिन मैं समझता हूं कि हिन्दी वह लिंक भाषा का शीघ्र स्थान लेगी और उसे लेना भी चाहिए। संविधान में यह बात है, व्यवहार में वह बात नहीं है। इसलिए हमारा आग्रह है कि अगर सोवियत यूनियन जो 120 भाषाओं वाला देश है, अगर वह देश अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है और उसने कर लिया है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वहां सभी भाषाएं धनी हैं। छोटी से छोटी भाषा में यूनिवर्सिटी और कचेहरी में काम किया जाता है। उनमें साहित्य और वांगमय है। यहां तक मैंने देखा है कि जिन क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी भाषाओं का प्रचलन है यदि उनमें कहीं दूसरी भाषा, किसी मिली जुली भाषा में बोली जाती है तो उन भाषाओं को उन्होंने पूरी स्वतन्त्रता दी है, उनको विकास का पूरा मौका दिया है। इसलिए हमारे देश में भी जो इस तरह की भाषाएं हैं, चाहे वह नेपाली हो, चाहे डोगरी हो या अन्य कोई उनको भी विकास का हमें पूरा मौका देना चाहिए। अगर हम यह नहीं करते हैं तो ऐसे मामले उठेंगे। हमारे डागा जी ने पेण्डोरा बाक्स की बात कही। उन्हें शायद हर बात से डर लगता है, जब कोई भी हकीकत उनके सामने आती है तो वे घबरा जाते हैं। अगर हकीकत दबी रहे तो वे समझते हैं समाज बहुत सुन्दर ढंग से चल रहा है, अच्छे ढंग से चल रहा है। हरिजनों पर अत्याचार शताब्दियों से हो रहे हैं लेकिन आज हरिजन रेजिस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वे टकरा रहे हैं, वे अत्याचार बर्दाश्त नहीं करते। आज सारी चीज़ें इस सदन में आती हैं, पेपरों में और दूसरी जगहों पर आती हैं। इसलिए जब समस्याएं उठ जाती हैं तो उनका समाधान शांतिपूर्ण ढग से हमें करना चाहिए, उनकी अवहेलना से, उनको टाल देने से काम नहीं चलता।

इसलिए मान्यवर, डाक्टर साहब द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की मूल आत्मा का मैं समर्थन करता हूं और नेपाली भाषा के साथ-साथ डोगरी भाषा पर भी सम्यक् रूप से विचार होना चाहिए और इन्हें भी संविधान में शामिल कर लिया जाना चाहिए।

डा० के० मायातेवर (डिन्डिगल) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मैं माननीय डा० कर्ण सिंह द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। जहां तक द्रविड मुनेत्र कषगम दल का सम्बन्ध है, हम चाहते हैं कि समस्त भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सभी लोगों द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं के लिए समानता होनी चाहिए। हम भारतीय बनने की बात करते हैं; "भारतीय बनो' तथा 'भारतीय वस्तुयें खरीदो' हमारे नारे हैं। हम "भारतीयों" के बारे में बोलते हैं। हम यहां उस सिद्धांत तथा नीति को क्रियान्वित करने को आए हैं—ताकि अलगाव की बात या कोई ऐसे अन्य तत्व न उभर पाये जो देश को टुकड़ों में बंट जाने के लिए उत्तेजित करें। देश की राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता के लिए मैं सरकार से माननीय डा० कर्ण सिंह द्वारा प्रस्तुत विधेयक के पक्ष में आठवीं अनुसूची में डोगरी तथा नेपाली दो भाषाओं को सम्मिलित करने पर विचार करने के लिए निवेदन करता हूं भारत में 23 राज्य हैं। और 65 करोड़ आबादी है। हमारे संविधान को आठवीं अनुसूची में पहले ही पन्द्रह भाषाएं शामिल हैं। अब हमारा अपना संविधान है। संविधान के अनुच्छेद 14 में एक उपबंध है कि सभी लोगों के लिए कानून के समक्ष समानता तथा कानून की समान सुरक्षा होनी चाहिये। केवल भारतीयों के लिये नहीं अपितु इसमें "सभी लोगों का उल्लेख है। मैं अनुच्छेद 14 को उद्धृत करता हूं:

> "भारत राज्य-क्षेत्रों मं किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा।"

यह न केवल भारतीय को सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि अविदेशियों को भी सुरक्षा तथा समानता प्रदान करता है जो यहां अस्थायी रूप से रह रहे हैं; जो पर्यटकों के रूप में आ रहे हैं; उन लोगों को भी संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत समान सुरक्षा प्रादन की जाती है। नेपाली भारत-मूलक है। वे इस देश के नागरिक हैं जो भारत में पैदा हुए हैं। वे भारत माता के बेटे तथा बेटी भी हैं। यदि आप इन दो भाषाओं को मान्यता नहीं देते हैं और आठवीं अनुसूची में उन्हें स्थान नहीं देते तो इसका अर्थ इन अन्य 15 भाषाओं की दृष्टि में इन दो भाषाओं को उनकी स्वतंत्रता तथा भाषा की समानता से वंचित रखना होगा; जिन्हें पहले ही आठवीं अनुसूची में स्थान मिल चुका है। मुझे डा० कर्ण सिंह ने बताया है कि डोगरी…………

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ, आप उससे प्रभावित नहीं हुये, केवल उन्होंने आप को बताया है।

श्री माया तेवर : कोई अनुचित प्रभाव नहीं। हमें बातचीत करने की आजादी है। मुझे उन्हें समर्थन देने की आजादी है; मैं इस विधेयक के लिये अपने दल की ओर से अपना स्वैच्छिक समर्थन दे रहा हूं। मुझे यह मालूम हुआ है कि डोगरी भाषा 20 लाख से कम लोग नहीं बोलते हैं; 20 लाख लोग उस भाषा को जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के कुछ अन्य भागों में बोल रहे हैं। जहां तक नेपाली भाषा का संबध है, यह पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लोगों द्वारा बोली जाती है। इसलिए उनका उचित अधिकार है, वे आठवीं अनुसूची में उन भाषाओं के साथ सम्मिलित किए जाने के पात्र हैं जो आठवीं अनुसूची में पहले ही सम्मिलित की जा चुकी है।

इसलिए, मैं सरकार से डा० कर्ण सिंह द्वारा प्रस्तुत विधेयक के पक्ष में विचार करने का और हमारी राष्ट्रीय अखंडता तथा एकता को सुदृढ़ करने के विचार से आठवीं अनुसूची में इन दो

भाषाओं को स्थान देने का निवेदन करता हूं। कन्याकुमारी से काश्मीर अथवा कश्मीर से कन्याकुमारी तक केवल एक ही भारत होगा। हम गंगा-कावेरी सम्पर्क, कश्मीर से कन्याकुमारी तथा सभी राज्यों के बीच सम्पर्क के लिये कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं।

मुझे आश्चर्य है कि श्री डागा इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। शुरू में मैं गलत समझ रहा था कि वे विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, परन्तु जब इस का सही रूप से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तब मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि वह पूर्ण रूप से विधेयक का विरोध कर रहे थे। उन्होंने अपने को केवल हिंदी का ही संरक्षक सिद्ध किया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने भारत को बिल्कुल देखा नहीं है। हिन्दी सरकारी काम काज की भाषा है। यह वह राष्ट्रीय भाषा है जिसे समस्त भारत वासियों द्वारा स्वीकार किया गया है। साथ ही अंग्रेजी भाषा फिलहाल सम्पर्क भाषा के रूप में उस समय तक और न कि प्रयोग में लायी जायेगी जब तक दक्षिण के लोग तथा गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोग हिन्दी को सरकारी काम काज के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते हैं। परंतु यह माननीय सदस्य इन दो भाषाओं को क्यों स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें अन्य भाषाओं के साथ समानता और बराबरी का व्यवहार क्यों नहीं देते हैं? परंतु यदि आप केवल हिन्दी को अन्य भाषाओं की अपेक्षा बढ़िया होने की बात करते हैं तो श्री डागा यह खतरनाक है; श्रीमन् उन्हें क्या हुआ? वे गायब हैं...............

**डा० कर्ण सिंह :** वे केवल बोलते हैं सुनते नहीं है।

**श्री के० मायातेवर :** मैं यह उम्मीद कर रहा था कि वे यहां होंगे और मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। यदि वे कुछ बात करते हैं तो मैं भी उसका उत्तर दे सकता हूं पर वे उत्तर देने को यहां नहीं है।

इसलिए, मैं सिफारिश करता हूँ कि माननीय तथा महान विद्वान, डा० कर्ण सिंह द्वारा प्रस्तुत विधेयक के पक्ष में विचार किया जाना चाहिये तथा इन दो भाषाओं को उन 15 भाषाओं के नीचे 16 वें तथा 17 वें स्थान पर आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करके सुरक्षण दिया दिया जाना चाहिए जिन्हें पहले ही स्थान मिल चुका है।

**श्री गिरधर गोमांगो (कोरापुर) :** मैं इस विधेयक, जिसमें आठवीं अनुसूची में नेपाली तथा डोगरी भाषाओं को सम्मिलित करने की अनुमति मांगी गई है, का उस आधार पर विरोध करता हूं कि वे भाषायें सम्पन्न हैं और राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार की गई है। डा० कर्ण सिंह ने अपने विधेयक में इस का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। यह केवल दो भाषाओं के सम्बन्ध में एक विशिष्ट विधेयक है। यदि यह एक विस्तृत विधेयक होता जिसमें यह आग्रह किया गया होता कि वे अन्य सभी भाषाओं को जिनका अपना सम्पन्न साहित्य है और जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा स्कूल तथा कालेजों में प्रयोग करने की मान्यता दी गई है, आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो वह बात समझ में आ सकती थी। यहां व्यक्त किये गये विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ कि भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा विद्यालयों और कालेजों में प्रयोग के लिए मान्यता प्रदान की गई है। क्योंकि भारत में आप देखेंगे कि अनेक भाषायें हैं। बोली जाने वाली भाषायें तथा लिखी जाने वाली भाषायें हैं

और वे भाषायें हैं जो बोली नहीं जाती हैं बल्कि समझने योग्य हैं। संगीत तथा नृत्य भी एक भाषा है परन्तु वे भाषायें हैं जिन्हें आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। श्रीमान्, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत में लगभग 251 बोली जाने वाली भाषायें हैं और 741 बोलियां हैं। यह गैरिग्शन द्वारा भारत के भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार है जो विश्व में अपनी किस्म का पहला सर्वेक्षण है। लेकिन बाद में 179 भाषाओं और 542 बोलियों को भाषा सूची में शामिल किया गया। यदि हम इस बात का विश्लेषण करने में लग जाएं कि आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की जानी चाहिए, तो हम असमंजस में पड़ जायेंगे। लेकिन महोदय, भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहां अनेक भिन्नतायें हैं और अनेक भाषाओं और समस्याओं के बावजूद भारत की एकता बरकरार है।

इस सम्बन्ध में मैं सरकार के विचारार्थ कुछ बातें कहना चाहूंगा। इस विधेयक का उद्देश्य कुछ भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करना है। मेरे विचार में उस दिन डा० कर्ण सिंह ने विधेयक प्रस्तुत करते समय कहा था कि आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को भारत सरकार तथा शिक्षा मंत्रालय से सहायता मिल रही है। लेकिन सरकार को राष्ट्रीय भाषा तथा भारतीय भाषा की पृथक-पृथक परिभाषा करनी चाहिये। राष्ट्रीय वह भाषा है जिसे आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। मेरा अनुरोध है कि सभी भारतीय भाषाओं को जो कभी बोली जाती थी उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

शिक्षा मंत्रालय ने भाषाओं के विकास हेतु कुछ व्यवस्था की है। इस संदर्भ में मुझे कुछ आदिवासी भाषाओं की जानकारी है, जिन्हें भारत सरकार की ओर से सहायता के पात्र है। 13 अगस्त 1960 की राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसार 55 से अधिक आदिवासी भाषाओं को अनुसूचित घोषित किया है। लेकिन उन्हें आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि अनुसूची V और vi अनुसूचित क्षेत्रों से सम्बन्धित है। उसके अनुसार ही क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि भारत की उन सभी भाषाओं को महत्व दिया जाये जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में जीवित रखना चाहता हो। मैसूर के भाषा संस्थान ने बोली जाने वाली भाषाओं का संरक्षण करने सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशित की है। आपको यह देख कर आश्चर्य होगा कि बोली जाने वाली लगभग 744 भाषाओं में से केवल दो ही आदिवासी भाषायें हैं जिनकी लिपियां सोबर तथा संथाली हैं। लेकिन हम आठवीं अनुसूची में उन्हें शामिल करने की मांग नहीं कर रहे हैं।

मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि वे दो भाषाओं अर्थात् संथाली और सोबर के लिए जो लिपि बनायी गयी हैं, उन्हें विरासती संस्कृति के रूप में बनाए रखा जाए। भाषा संस्कृति का इतिहास है। यदि आप उस दृष्टि से विश्लेषण करेंगे तो सरकार को अन्य भाषाओं के भी, अपनी परम्परा तथा भूत-भविष्य की संस्कृति जिन्दा रखने के लिए, सहायता देनी चाहिए। लिपि चाहे कोई भी हो, भाषा का विकास होता रहना चाहिये ताकि लोग अपने विचार अपनी ही भाषा में उचित ढंग से प्रकट कर सकें। आपको पता होगा कि आदिवासी भाषाओं पर कई पुस्तकें लिखी गयीं हैं लेकिन भारत की बोली जाने वाली किसी भी भाषा पर कोई एक भी पुस्तक नहीं है। मैं बोली जाने वाली भाषा की बात इसलिए कह रहा हूं कि भाषा द्वारा व्यक्ति अपनी

बात अपनी मातृ भाषा में, उचित ढंग से प्रकट कर सकता है चाहे वह आदिवासी भाषा हो या डोगरी भाषा अथवा भारत की किसी अन्य भाषा। इस सम्बन्ध में.मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि, यद्यपि एक एक करके सभी भाषाओं के आठवीं अनुसूची में शामिल करना सम्भव नहीं है, और सरकार के लिए संविधान में एक लम्बी सूची जोड़ना भी बहुत कठिन है तथापि सरकार कम-से-कम इतना तो कर ही सकती है कि भारत में बोली जाने वाली भाषाओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाये ताकि यह निर्णय किया जा सके कि उन्हें किस प्रकार की सहायता दी जा सकती है और शिक्षा मंत्रालय तथा राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में किस प्रकार की पहल कर सकती हैं। मैं एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि यह आपका आखिरी मुद्दा है।

श्री गिरधर गोमांगो: मैं इस अंतिम मुद्दे के बाद अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। अंत में मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री इस बात पर विचार करें कि आदिवासी भाषाओं के भाषायी अल्पसंख्यक ग्रुप को सूची में शामिल किया जाये और भाषायी अल्पसंख्यक अधिनयम के अन्तर्गत इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाये। उन्हें उस रूप में सहायता दी जा सकती है और गृह-कार्य मंत्री, शिक्षा मंत्री से भारतीय भाषाओं के विकास सम्बन्धी स्वयं-सेवी संस्था योजना के अन्तर्गत आदिवासी भाषाओं को सहायता देने के लिए कह सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डा० फारूक अब्दुल्ला (श्रीनगर): उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग सब कहते हैं यहां पर कि हिन्दुस्तान एक है चाहे कन्याकुमारी से काश्मीर तक जाएं या महाराष्ट्र से बंगाल तक जाएं। एक चीज जो हम लोगों को समझनी चाहिए वह यह है कि इस मुल्क में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं और यही एक महान बड़ा मुल्क है जिस में डेमोक्रेसी है। एक आनरेबिल मेम्बर ने एक ऐसा मुल्क भी मेंशन किया जहां डेमोक्रेसी नहीं है जहां कि अपने जोर से हो सकता है उन्होंने अपनी ज़बान वहां पर फैलाई। मगर हिन्दुस्तान में कोई भी ज़बान न तो दबाई जा सकती है और न उठाई जा सकती है। हिन्दुस्तान में जो कुछ भी है, एक यूनिक एक्सपरिमेंट है हिन्दुस्तान का।

जहां तक डोगरी की बात है मैं उस रियासत से आता हूं जहां एक साइजेबल प्रोपोर्शन आफ पापुलेशन डोगरी बोलती है, डोगरी पढ़ती है और आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ वक्त पहले जम्मू में एक एजीटेशन हुआ था जिस में कि उन्होंने यह कहा कि फर्क है जम्मू और काश्मीर में। जम्मू और काश्मीर में उन्होंने फर्क देखा जो कि हो सकता है पहले हुआ हो। उस में एक बात जो डोगरी की है, हम लोग इस सदन में एक चीज यह सोचें कि अगर किसी भी ज़बान के साथ ऐसा काम किया जाय जिससे कि वहां के रहने वाले लोगों के दिल मजरूह हो जायं तो यह ठीक नहीं है। हमें उन चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिये और कोशिश यह करनी चाहिए कि उन लोगों में कोई ऐसी बात न फैले कि हम लोग इस सदन में बैठ कर भी उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही विनती करूंगा कि हम लोग कहीं से भी क्यों न आते हों, मैं काश्मीर से क्यों न आता हूं, आप क्यों नहीं बंगाल से आते हों, मगर हम सब हिन्दुस्तानी है और यहां पर हिन्दुस्तान के लिए जो बेहतर है वह सोचें न कि उस चीज को सोचें जिससे कि हिन्दुस्तान के टुकड़े हों। डोगरी को उसमें इन्क्लूड करने का जो बिल डा० कर्ण सिंह ने मूव किया है, मैं अपनी तरफ से और अपनी जमात की तरफ से फोर्सफुली यह

रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग उस को कंसिडर करें। अभी जो मेम्बर डा० कर्ण सिंह के साथ बैठे हुए हैं वह मेरे ख्याल से कभी जम्मू के उस इलाके में नहीं गए हैं मगर उन्होंने भी बड़े फोर्सफुली इस बिल को रिकमेंड किया है। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा कि आप लोगों को जब भी मौका मिले तो उस इलाके में जाएं और देखें कि यह ज़बान वे लोग वहां बोलते हैं और यह ज़बान पढ़ते हैं। इसलिए जो बिल डा० कर्णसिंह ने पेश किया है, दिलोजान से मैं उस को सपोर्ट करता हूं।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री चित्त बसु ने पहले जो विधेयक प्रस्तुत किया था, यह विधेयक उसी सिलसिले को जारी रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। अन्तर केवल इतना है। डाक्टर कर्ण सिंह संविधान की आठवीं अनुसूची में डोगरी भाषा को भी शामिल करना चाहते थे। श्री चित्त बसु का विधेयक केवल नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मान्यता प्रदान कराने के लिए पेश किया गया था। अतः यह चर्चा पहली चर्चा ही के क्रम में है और इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहूंगा। इनके लिये भाषा एक भावात्मक समस्या है। धर्म लोगों को एक सूत्र में नहीं बांधते लेकिन भाषा में एकता लाने की शक्ति है। हमने यह भी देखा है कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण समस्या भाषा ही की थी। झगड़ा कुछ इस प्रकार शुरू हुआ। पहले तो बंगाली को सरकारी भाषा नहीं बनने दिया गया। मुझे पता है कि वहां एक बहुत बड़ा आंदोलन उठ खड़ा हुआ जहां कई लोगों द्वारा आत्मदाह किया गया और दो केन्द्रीय मंत्रियों ने त्यागपत्र दिये। अतः यह एक भावात्मक समस्या है। डा० कर्ण सिंह ने पहले विधेयक पर बोलते हुए कहा था कि यह भाषा उन व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है जो देश के प्रहरी हैं, जो हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। मैं उन लोगों का बहुत आदर करता हूं जो हमारे प्रहरी हैं और हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, जो कुर्बानी दे रहे हैं और जो देश की एकता और प्रभुसत्ता को बनाये रख रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटसुब्बया, भावात्मक रवैये द्वारा ही आपको आंध्र राज्य मिला है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : जी हां, मैं उसी बात पर आ रहा था। जैसे कि मेरे मित्र श्री झारखंडे राय ने कहा कि महात्मा गांधी कहते थे कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिये और संयुक्त मद्रास राज्य के बारे में मुझे यह बात याद है। यद्यपि उस राज्य में चार भाषायी ग्रुप थे—तमिल, तेलगु, कन्नड़ और मलयालम और इन चारों की अलग-अलग प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां हुआ करती थी, वह एक ऐसा युग था जब गांधी जी आजादी के संदेश को लोगों के बीच पहुंचाना चाहते थे और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए इकट्ठा करना चाहते थे।

जब राज्यों के पुनर्गठन की बात आई, तो मुझे याद है कि पुनर्गठन की बात आई, तो मुझे याद है कि पुनर्गठन समिति ने राज्यों का विभाजन मुख्यतः भाषा के आधार पर नहीं किया था। पुनर्गठन करते समय उन्होंने कई बातों को ध्यान में रखा। पुनर्गठन के लिए यदि भाषा ही एक मापदंड होता तो हर राज्य में इतने भाषायी अल्पसंख्यक न होते। लेकिन उसके साथ-साथ देश भर में फैले भाषायी अल्पसंख्यकों को सहायता देने के लिए भाषायी अल्पसंख्यक आयोग का

गठन भी किया गया। उसी संदर्भ में अनेक विश्वविद्यालय नेपाली को प्रोत्साहन दे रहे हैं। उदाहरण के लिए बिहार के कई विश्वविद्यालयों में नेपाली की शिक्षा प्रदान की जा रही है। यह सिक्किम की सरकारी भाषा है।

डा० कर्णसिंह ने कहा कि डोगरी एक समृद्ध साहित्य तथा परम्परा वाली भाषा है और उसे भी अन्य भाषाओं जैसा स्थान मिलना चाहिये। मेरे मित्र श्री मायातेवर भावुकता के साथ बोले जिसकी मैं सराहना करता हूं। उन्होंने इन दो भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की दलील पेश की। श्री मूलचन्द डागा तथा श्री गिरधर गोमांगो ने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपनाये लेकिन सभा में इस बात पर कोई विवाद नहीं रहा कि भाषा मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान के निर्माताओं ने इन बातों पर गहराई से विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आठवीं अनुसूची में कुछ भाषाओं को शामिल किया जाये। बाद में कुछ और भाषायें शामिल की गयीं। उदाहरण के लिये सिंधी भाषा। इसके कारण ऐतिहासिक हैं। यद्यपि सिंध भारत का अंग नहीं है फिर भी राष्ट्रीय गीत के साथ सिंध का नाम भी लिया जाता है। इसे आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

महोदय, हिन्दी की भी कई बोलियां हैं। तुलसीदास द्वारा अवधि भाषा में लिखे गये महाकाव्य रामायण में मैथिलि और भोजपुरी के शब्द भी हैं। अतः यह तो एक अनवरत प्रक्रिया है कि हमारे लोगों के अनेक वर्गों द्वारा स्वाभाविक रूप से यह अनुभव करने के लिये कि वे भी इस देश के अन्य भाषाई वर्गों के समान हैं, एक मांग उठाई जा रही है। श्री चित्त बसु द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का उत्तर देते समय अपने पहले के भाषण में मैंने जो कुछ प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था उसे ऊद्धृत किया था। यह बात असंगत नहीं होगी यदि मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 1973 में कहे गये शब्दों को एक बार फिर से उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा था :—

"जो कुछ श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि आमने-सामने बैठकर इस पर निर्णय लेना कहीं अच्छा है, इसके विपरीत कि आग भड़कने दी जाए, इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं और यही कुछ हम कर भी रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा था :—

"जैसा कि सदन जानता है कोई भी प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं होता। इसकी सदैव अनेक प्रतिक्रियाएं होंगी और इसलिए हमें देखना होगा कि अन्य सम्भावित प्रतिक्रियाएं क्या हैं?"

इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं। इस मामले पर आमने-सामने बैठकर विचार विमर्श होना चाहिये और इस प्रकार एक सर्वसम्मत मत तैयार होना चाहिये और सर्वोत्तम तरीका यह होगा कि इस पर विचार-विमर्श किया जाए और इस समस्या का हल निकाला जाए।

महोदय, मनीपुरी को संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित कराने के लिए मनीपुर में पहले से ही आंदोलन चल रहा है। सच्चाई तो यह भी है कि कुछ मित्रों की ओर से यह माँग की जा रही है कि अंग्रेजी को भी आठवीं सूची में सम्मिलित किया जाए। क्योंकि कुछ

राज्यों में अंग्रेजी भी राजभाषा है जैसे नागालैंड और अन्य राज्यों में। उनका कहना है कि अंग्रेजी कोई विदेशी भाषा नहीं है। यह तो भारतीय भाषा है। वे पूछते हैं कि संविधान की आठवीं सूची में अंग्रेजी को भी क्यों सम्मिलित नहीं कर लिया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय : तमिलनाडु में भी अंग्रेजी को द्वितीय भाषा बनाया गया है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : आन्ध्र प्रदेश में भी उर्दू को द्वितीय भाषा बनाया जाता है। मुझे आशा है कि डा० फारूक अब्दुल्लाह के नेतृत्व में डोगरी भी जम्मू और कश्मीर में दूसरी भाषा बन जायेगी। इस प्रकार धीरे-धीरे और अबाध गति से हमें भाषाओं में सुधार करना होगा और प्रत्येक भाषा की समृद्ध रिक्थ का प्रायोग करना होगा।

महोदय, डा० करणसिंह द्वारा व्यक्त भावनाओं की मैं वास्तव में ही सराहना करता हूं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इसे झगड़े का कारण न बनाएं और इसे सरकार तथा अन्य अभिकरणों पर एक प्रकार का सूत्र तैयार करने के लिए छोड़ दें और मतैक्य बनाएं जिससे आमने-सामने बैठकर समस्या का हल ढूंढा जा सके। मैं एक बार फिर कहूंगा कि इस तथ्य के बावजूद कि ये भाषायें संविधान की आठवीं अनुसूची में नहीं हैं, सरकार और साहित्य अकादमी जैसे अन्य अभिकरण की ओर से इन भाषाओं के विकास के लिए उचित ध्यान और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। महोदय, अतः मैं डा० करणसिंह से अपील करूंगा कि वे इस विधेयक पर मतविभाजन पर बल न दें और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सरकार की विचारधारा पर विश्वास रखें। हम जो कुछ भी इस मामले में कर सकते हैं करेंगे और सर्वसम्मति से करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० कर्ण सिंह।

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : मेरे द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पर बहस को सुनना ही सुखद और उत्साहवर्धक रहा है और मैं विभिन्न दलों, विभिन्न राज्यों और विभिन्न भाषाई वर्गों के उन सदस्यों का बड़ा ही आभारी हूं जिन्होंने मेरे विधेयक को बड़े ही जोर-शोर से समर्थन दिया है। महोदय, इस विधेयक को मिले समर्थन से इस सच्चाई का पता चलता है कि भारतवर्ष में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का सिद्धांत भलीभांति जड़ें जमाए हुए हैं। लोग इस बात को अनुभव करते हैं कि भारत की एकता विभिन्न भाषाओं की बहुलता, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों से सम्बद्ध है और इन उपादानों को एक सुन्दर टोकरी में एकत्रित करके सजाने से ही भारतीय संस्कृति की शुद्ध सुगन्ध उपलब्ध हो सकती है तथा प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने पूर्ण आकार को प्राप्त कर सकता है।

यदि मैं इस ढंग से कहूं, तो मैं विशेषरूप से प्रसन्न हूं कि दक्षिण के हमारे मित्रों और मेरे प्रतिष्ठित मित्र डा० फारूक अब्दुल्लाह ने इस विधेयक का समर्थन किया है, क्योंकि जम्मू और काश्मीर में हम संवेदनशील स्थिति का सामना कर रहे हैं। केवल श्री मूलचन्द डागा की टिप्पणी ही विरोधी और असंगत थी। दुर्भाग्य से, श्री मूलचन्द डागा जिन्हें मैं कई वर्षों से जानता हूं एक बड़े अच्छे वक्ता तो हैं परन्तु श्रोता नहीं है। उन्होंने अपनी बातें तो कहीं परन्तु विधेयक को पुरःस्थापित करते समय मैंने जो बातें कही थीं लगता है उन्हें उन्होंने ध्यान से नहीं सुना। उस समय मैंने कहा था कि जम्मू और कश्मीर राज्य में डोगरी को पहले से ही राज्य की भाषाओं में से एक गिना जाता है, उसे वहां मान्यता प्राप्त है, परन्तु बहुत ही विशेष प्रकार के विचारण

के कारण ग्राम सम्मति से हमने उर्दू को प्रादेशिक भाषा स्वीकार कर लिया है यद्यपि यह जम्मू और कश्मीर के एक प्रतिशत लोगों की भी मातृभाषा नहीं है। यह तो भारतीय राष्ट्रीयता के उन बेजोड़ उदाहरणों में से एक है जोकि उन्होंने व्यापक राष्ट्रीय हित में उस भाषा को अपनी सरकारी भाषा स्वीकार कर लिया है जो कि उनकी मातृभाषा नहीं है। मातृभाषा या तो कश्मीरी है अथवा डोगरी या लद्धाखी या विभिन्न अन्य भाषाएं, परन्तु इससे उर्दू का सरकारी भाषा बनना है। इस किसी भी तरह यह तथ्य महत्वहीन नहीं हो जाता कि डोगरी राज्य की राजभाषा नहीं है और जैसा कि डा० फारूक अब्दुल्लाह ने ठीक ही कहा है कि यदि कश्मीर की यह मान्यता प्राप्त है और यदि कश्मीरी बोलने वाले लोगों को इतना संतोष है कि उनकी भाषा आठवीं अनुसूची में है तो यह उचित, उपयोगी और सहायक होगा यदि डोगरी बोलने वाले लोगों को भी यही सुविधा संविधान में प्राप्त हो।

जहां तक नेपाली का सम्बन्ध है, मुझे उन अनेक बातों को नहीं दोहराना है जो मैंने विधेयक को पुरःस्थापित करते समय कही थीं, सिवाय इस बात के कि नेपाली को पश्चिमी-बंगाल राज्य में अपना स्थान प्राप्त है। परन्तु मन्त्री महोदय द्वारा विचार किए जाने के लिए मैं यह बात कहूंगा कि डोगरी और नेपाली बोलने वाले लोग राज्य के बहुत ही संवेदनशील सीमा क्षेत्र में रहने वाले हैं और उन दोनों की अपने ही ढंग की अल्पसंख्यक वर्गीय समस्याएं हैं और इन्हीं ही भाषाएं उनके राज्यों पश्चिमी-बंगाल और जम्मू कश्मीर में पहले ही स्वीकार कर ली गई हैं। दोनों ही भाषाओं को साहित्य अकादमी पहले ही स्वीकृत कर चुकी है और इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इन दोनों भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जाए। एक तरह से, मैं अन्य किसी भी भाषा के विरोध में नहीं बोल रहा हूं चाहे वह कोंकणी हो, मैथिली या मनीपुरी परन्तु मेरे विचार से इन दो भाषाओं की विशेष स्थिति है, और राष्ट्रीय संविधान में सम्मिलित किये जाने का एक विशेष दावा भी है

यदि मैं कहूं तो, श्री मूलचन्द डागा ने एक उत्तेजित करने वाली बात यह कही थी कि हिन्दी के विकास और डोगरी और नेपाली को मान्यता दिए जाने में प्रतिद्वन्द्व है। मेरे विचार से यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने बड़े ही आदरपूर्वक पिछली बार उन्हें बताया था कि मुझे तो हिन्दी को न केवल भारत में, अपितु विदेशों में भी प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरी अध्यक्षता में 30,000 फुट की ऊंचाई पर विमान यात्रा में पहला हिन्दी कवि सम्मेलन सम्पन्न हुआ था। हम विश्व-हिन्दी-सम्मेलन के लिए मारीशिस जा रहे थे और वायुयान में मुझे पता चला कि हमारे साथ बड़ी संख्या में हिन्दी लेखक और कवि जा रहे हैं। मुझे विचार आया कि क्यों न हम नभ में ही कवि-सम्मेलन और हिन्दी मुशायरा का आयोजन करें और उस समय मैंने कहा था कि यदि हिन्दी भाषी लोग अपने आपसी झगड़े भूल जाएं तो हम हिन्दी को न केवल वायुमण्डल में अपितु चांद तक ले जा सकेंगे। यह वास्तव में उनके हिन्दी का किसी प्रकार का विरोध करने का तो हो प्रश्न नहीं है। हिन्दी तो हमें उतनी ही प्रिय है जितनी कि किसी हिन्दी क्षेत्र से आने वाले को हो सकती है। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी में कोई संघर्ष नहीं है। और मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानते ही नहीं। मैं जानता हूं कि इससे हमारे कई मित्रों को आघात पहुंचेगा, परन्तु हम उस भाषा को विदेशी भाषा कैसे कह सकते हैं जिसको बड़ी ही शालीनता और मनोरमता से स्वयं जवाहरलाल नेहरू, अरविन्द घोष, महात्मा गांधी,

डा० राधा कृष्णन, टैगोर और स्वतन्त्रता आन्दोलन के नेताओं की समग्र विशिष्ट मंडली बोलती थी। जैसा कि होता था गांधी जी के मंच पर आने से पूर्व सारे का सारा स्वतन्त्रता-आंदोलन लम्बे समय तक अंग्रेजी द्वारा चलाया गया। मैं तो अंग्रेजी को विदेशी भाषा नहीं समझता। हिन्दी विरोधी होने का तो मेरे विधेयक के प्रति प्रश्न ही नहीं उठता। मैं हिन्दी और संस्कृत के प्रति समानरूप से समर्पित हूं। परन्तु मातृभाषा का अपना ही महत्व होता है।

मन्त्री महोदय ने आज फिर दोहराया और श्री चित्त बसु के विधेयक का उत्तर देते समय बताया कि वे यह नहीं चाहेंगे कि हम इस विधेयक को मत-विभाजन के लिए प्रस्तुत करें, क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है जिसे आमने-सामने बैठकर सर्वसम्मति से सुलझा लिया जाना चाहिए। मैं पूर्णतया उनसे सहमत हूं। कुछ भी हो मैं यह नहीं चाहता कि इस प्रकार के विधेयक को मतों के आधार पर अस्वीकृत कराके इस सदन और डोगरी और नेपाली बोलने वाले लोगों को मुसीबत में डालूं। वैसे मेरा इरादा नहीं है। परन्तु मेरा निवेदन है कि इसको बेकार करने के अलावा और उनके आश्वासन देने के अलावा—जिस पर सन्देह करने का मैं कारण नहीं समझता—मैं अतीव प्रसन्न हूंगा यदि मन्त्री महोदय हमें कुछ और पक्का विश्वास दिलाएं कि निकट भविष्य में इन समस्याओं पर उपयुक्त स्तर पर विचार किया जाऐगा।

आन्दोलन चल रहे हैं। जैसा कि मन्त्री महोदय ने स्वयं ही कहा है, मनीपुरी के लिए भी आन्दोलन चल रहा है। और नेपाली भाषी लोग भी बड़े परेशान हैं। अनेक क्षेत्रों में वे ऐसे आन्दोलन चला रहे हैं। डा० अब्दुल्लाह ने जम्मू में भी एक ऐसे आन्दोलन का जिक्र किया था जो कि अब समाप्त हो चुका है। ऐसी समस्याएं तो सदैव बनी रहती हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसी समस्याओं का हल आन्दोलन होने पर ही ढूंढ़ा जाए। हम तो चाहते हैं कि उन्हें शान्त और सहज ढंग से हल किया जाए, जहां हम उन पर इकट्ठे बैठकर विचार कर सकें। यदि मन्त्री महोदय हमें विश्वास दिलाएं, कि सुझावानुसार गोलमेज सम्मेलन सर्वोच्च स्तर पर निकट भविष्य में बुलाया जाएगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि केवल प्रधान मन्त्री ही जिसके पास कि राजनैतिक प्राधिकार होगा, इस मामले में निर्णय ले सकते हैं। यदि हमें यह आश्वासन दिया जाता है कि इस प्रकार का सम्मेलन और बैठक निकट भविष्य में बुलाई जाएगी तो निश्चय ही मैं अपने विधेयक पर बल नहीं दूंगा और विधेयक को वापिस लेने के लिए मैं सदन की अनुमति चाहूंगा।

**श्री पी० वेंकटसुब्बया :** मैं डा० कर्ण सिंह से इतना ही कहूंगा और आश्वासन दूंगा कि जो कुछ उन्होंने सदन में कहा है वह प्रधान मन्त्री महोदय तक पहुंचा दिया जाएगा और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह सदन का सर्वसम्मत मत है कि इन भावनाओं को, उदाहरण स्वरूप, निकट भविष्य में उचित समय पर, वे मामले पर मतैक्य प्राप्त करने के लिए कदम उठाएं —उन तक पहुंचा दिया जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब श्री डागा द्वारा प्रस्तुत संशोधन को लेते हैं।

वह यहां नहीं है। प्रश्न है :

> "कि 31 अक्तूबर, 1980 तक जनमत जानने के लिए विधेयक को परिचालित किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

डा० कर्ण सिंह : भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० कर्ण सिंह : मैं विधेयक को वापस लेता हूँ।

---

## संविधान (संशोधन) विधेयक

### (अनुच्छेद 19 और 326 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, प्रो० मधु दण्डवते बोलें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किए जाने की मांग की गई है। यह कोई नया प्रस्ताव नहीं है। वास्तव में इस बात को देखने के लिए हमारे विधान मंडलों में युवा शक्ति का उचित उपयोग हो, इस देश में विभिन्न मंचों पर लाभ दायक विचार विमर्श किया गया है; और यही कारण है कि 1970 के प्रारम्भ में इस मामले को वस्तुतः याचिका सम्बन्धी समिति के पास भेजा गया था, और याचिका सम्बन्धी समिति पहले ही सिफारिश कर चुकी है कि संविधान को सम्पूरक रूप से संशोधित किया जाना चाहिए ताकि 18 और 21 वर्ष के बीच के उस युवा वर्ग को, जिसे केन्द्र और राज्यों के विभिन्न विधानमण्डलों के चुनाव में अपना वोट डालने के अवसर से वंचित रखा गया है, यह अवसर मिल सके। परन्तु दुर्भाग्य से समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। यह बडे संतोष की बात थी कि इस देश के महान व्यक्तित्वों में से एक श्री जयप्रकाश नारायण ने वर्तमान चुनाव कानूनों में चुनाव सम्बन्धी सुधार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी, और वह समिति पहले ही सिफारिश कर दी थी कि 18 वर्ष की आयु के युवकों को अपना वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए ताकि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवा शक्ति को प्रभावी रूप से प्रतिष्ठित किया जा सके। इसलिए, जब कभी सुविधाजनक होता है तो तमाम देशों के उदाहरण दिए जाते हैं, और जब यह असुविधाजनक होता है तो उन सभी देशों के उदाहरणों को कोई अहमियत नहीं दी जाती।

आपकी अनुमति से मैं उन देशों से नाम बताना चाहूंगा जिन्होंने 18 वर्ष की आयु को मताधिकार आयु के रूप में पहले ही स्वीकार कर लिया है। इंगलैंड, अमेरिका, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, अर्जेनटीना, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, कास्टोरिया, चेकोस्लोवाकिया, ग्रिनलैंड, जर्मन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी, हंगरी, इजराइल, पाकिस्तान, पोलैंड रोमानिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, स्वीडन और कुछ अन्य देशों ने मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। कुछ देशों में नौजवानों को वोट देने की आयु सीमा परिवर्तित करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा था और अंततः वे इसमें सफल हुए। अमेरिका जैसे देश में लगभग पचास वर्ष तक यह संघर्ष चलता रहा। हम भाग्यशाली थे। हमें महात्मा गांधी जैसे महान नेता का नेतृत्व प्राप्त था। इसलिए, इस देश में कुछ मांगें जिनके लिए व्यस्क मताधिकार प्राप्त करने, महिलाओं के लिये मताधिकार प्राप्त करने के लिए अनेक कुर्बानियां दी जानी थी, वे मांगें बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी संघर्ष के हमें प्राप्त हो गई थी।

हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ और सर्वप्रथम चुनाव 1952 में लड़ा गया था, इस बात का कोई महत्व नहीं कि एक व्यक्ति किस राजनैतिक दल से सम्बन्ध रखता है। सदन में हम सब को इस बात का गर्व था कि हमारा देश ऐसा देश था जहां पहला चुनाव स्वतंत्र भारत में व्यस्तर मताधिकार के आधार पर हुआ था ; और मैं समझता हूं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार था। स्वतंत्र भारत इस बात की साक्षी है। एक कारण यह था कि देश में भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष की परंपरा थी, देश में समाज सुधार आन्दोलन की परम्परा थी और उसके परिणाम स्वरूप, व्यस्क मताधिकार और महिलाओं का मताधिकार देश में स्वीकरणीय प्रस्ताव था। 1952 से ही चुनाव न केवल व्यस्क मताधिकार के आधार पर हुए बल्कि महिलाओं के मामले में भी कोई भेदभाव नहीं बरता गया; और ये वे मुद्दे हैं जिनके लिए लम्बा संघर्ष जारी रखना पड़ा था। स्विटजरलैंड जैसे देश में भी महिलाओं को मत देने का अधिकार, एक लम्बे संघर्ष और जनमत को अनुकूल बनाने की महिम के बाद हाल ही में दिया गया था।

एक माननीय सदस्य : इंगलैंड में भी।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने उसका भी उल्लेख किया है। इसलिए, मैं कह रहा हूँ कि जो दूसरे देशों में एक लम्बे संघर्ष के बाद हासिल हुआ था, वह हमारे देश में बिना संघर्ष के लोगों के स्वतंत्र जनमत और देश में विद्यमान राष्ट्रीय सहमति के आधार पर प्राप्त हो गया था। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष किए जाने के विरोध में क्या दलील दी गई थी? हमसे कहा गया है कि यह प्रशासनिक दृष्टि से एक असंभव प्रस्ताव होगा। हमसे बताया गया है कि यदि इस बात का निर्णय किया जाता है कि 18 से 21 वर्ष की आयु के बीच के युवजनों को मतदाता सूची में शामिल किया जाए तो मूल आंकलन यह था कि 3 करोड़ से 3 करोड़ 50 लाख मतदाता और बढ जाएंगे। दूसरा आंकलन यह था कि 4 करोड़ 20 लाख से 4 करोड़ 50 लाख मतदाता और बढ़ जाएंगे और अब यह कहा जा रहा है कि इससे लगभग 5 करोड़ मतदाता बढ़ जाएंगे। यदि हम गहराई से विचार करें और कड़े तर्क का अनुपालन किया जाए और यदि उसी तर्क को व्यस्क मताधिकार के प्रश्न पर लागू किया जाए तो संभवतः वे लोग जो दुश के स्वाधीन हो जाने पर देश में सीमित मताधिकार के पक्ष में थे, वे भी दलील दे सकते थे कि यदि इस देश में व्यस्क मताधिकार को स्वीकार किया जाता है तो लाखों लोगों को मतदाता

सूची में शामिल किया जाना होगा और यह प्रक्रिया दुर्वहनीय हो जाएगी। यह एक खर्चीली प्रक्रिया होगी। हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि जब ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत इस देश में चुनाव कराए गए थे तो वे सीमित मताधिकार के तहत कराए गए थे। सम्पत्ति और पैसा मत देने के मानदण्ड थे और उसके आधार पर, सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव आयोजित किए गए थे। परन्तु सही तौर पर और जानबूझकर स्वतंत्र भारत ने इस देश में प्रशासनिक कठिनाइयों की चिन्ता किए बिना, इसमें होने वाले खर्चे की परवाह किए बिना देश के उच्च वर्ग और तथा कथित उपेक्षित लोगों के बीच कोई भेद किए बिना व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का निर्णय किया। हम से कहा गया था कि यदि इस देश में अशिक्षित जनता को मत देने का अधिकार दिया जाता है तो उस स्थिति में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। मैं स्वयं शैक्षणिक कार्य से सम्बन्धित हूं। मैंने ऐसे अनेक स्नातक और अवर-स्नातक देखे हैं और मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो यह महसूस करते है कि एक वह व्यक्ति जो डिग्री प्राप्त करता है अनिवार्य रूप से राजनैतिक दृष्टि से अधिक जागरूक है, और वह व्यक्ति जो गांव का है और उपेक्षित है, जो अशिक्षित है, वह कम जागरूक समझा जाता है। इसके विपरीत महात्मा गांधी के इस देश में यह बात स्थापित हो गई है कि वे व्यक्ति जिन्होंने संघर्ष की मुसीबतों का सामना किया हैं, जिन्होंने रचनात्मक सेवाओं के माध्यम से कार्य किया है, जिन्होंने समाज-सुधार आन्दोलनों के माध्यम से काम किया है, जिन्होंने ठोस रचनात्मक कार्यवाहियां की हैं, बहुधा वे ही व्यक्ति उस सीमा तक राजनीतिक जागरूकता करते हैं जो उन राजनीतिक व्यक्तित्वों की जागरूकता से बहुत आगे होती है जिन्हें शिक्षित माना जाता है। यह अनुभव है महात्मा गांधी के इस देश में। इसलिए, हमने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि शिक्षा राजनीतिक जागरूकता के साथ सह-लक्ष्य है। इस देश के साधारण आदमी में, इस देश के तथाकथित उपेक्षित आदमी में, इस देश के ग्रामीण लोगों में इतना सामान्य ज्ञान है और वे सदैव राजनीतिक मुद्दों पर निर्णय कर सकते हैं। अपने जीवन में अनुभवों से प्राप्त हुए अनुभवसिद्ध ज्ञान के आधार पर वे आर्थिक मसलों का निर्णय कर सकते हैं। ठीक यही बात युवकों के बारे में कही जा सकती है। 18 वर्ष की आयु के युवक को मत देने का अधिकार प्रदान करने में आपत्ति क्या है? हम से कहा जाता है कि युवक परिपक्व नहीं है। उनमें परिपक्वता का अभाव है। हम से कहा जाता है कि उनमें से बहुत से अपराधी हैं। हम से कहा जाता है कि उनमें से बहुत से दोषदर्शी हैं। परन्तु अकेले युवकों की यह विशेषता नहीं है। हमने इस देश में व्यस्कों में अपराधी प्रवृत्ति देखी है। हमने इस देश में कुछ पुराने राजनीतिज्ञों की दोषदर्शी और अविश्वास की प्रवृत्ति देखी है। हमें उस सब को युवकों पर आरोपित नहीं कर देना चाहिए।

इसलिए, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि विश्व के 20-25 देशों में युवा लोगों में परिपक्वता की भावना के साथ आगे बढ़ने की क्षमता है परन्तु केवल इस देश के युवक-युवतियां ही परिपक्वता प्राप्त करने में क्षमतावान नहीं हैं।

मैं इस तरह का भेदभाव बनाए रखना पसंद नहीं करता। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि 18 वर्ष की आयु के युवक-युवतियों को मत देने का अधिकार अवश्य दिया जाना चाहिए। यह देश में उभरती हुई युवा शक्ति है। जयप्रकाश नारायन ने कुछ आंदोलनों का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी ने कुछ आंदोलनों का नेतृत्व किया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने कुछ आंदोलनों का नेतृत्व किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ आंदोलनों का नेतृत्व किया और वह देश में

युवा शक्ति का निर्माण करने में सफल हो सके। इसलिए यह एक सचाई है कि 1920, 1930 और 1942 के राष्ट्रीय संघर्षों में जिस युवा शक्ति को तैयार किया गया था वे संगठन देश के राजनीतिक जीवन में प्रभावी भूमिका निभाने में समर्थ थे। वे युवक जो उन दिनों क्रान्तिकारी सामाजिक सुधार आन्दोलनों के दौर से गुजरे थे, इस देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर अपनी छाप छोड़ने में समर्थ थे। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद, भारतीय राजनीति में आने वाले युवजनों की धारा कुछ समय के लिए शुष्कप्राय हो गई। जयप्रकाश नारायन ने एक बार फिर युवा शक्ति में नवजीवन संचरित करने का प्रयास किया और एक नई युवा शक्ति का निर्माण हुआ। हमने पाया कि युवजनों का एक विशाल संवर्ग देश की सक्रिय राजनीति में शामिल हो गया। आप उनसे असहमत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। हमने विपक्ष के रूप में श्री जयप्रकाश नारायण से प्रेरणा प्राप्त की हैं जिन्होंने इस देश में उग्रवादी युवा शक्ति का निर्माण किया, कुछ ही दिन पहले, इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री संजय गांधी का देहावसान हो गया। सत्ता पक्ष में बैठे हुए युवजनों से मैं कहना चाहूंगा कि यहां एक ऐसा नौजवान था, जिसने अपने तरीके से युवकों की आकांक्षाओं और भावनाओं को प्रतिबिम्बित किया और वह युवा शक्ति को काम में लाना चाहते थे। मैं पूछता हूं, क्या उनके अनुगामी, जब कुछ तकनीकी कारणों से जब यह विधेयक मत जानने के लिए रखा गया है, इस विधेयक को गिराने का प्रयास करेंगे ? मैं यह सवाल पूछना चाहूंगा। इसलिए, इस सदन के सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे इस विधेयक के सम्बन्ध में पार्टी के आधार पर इस सदन को विभाजित न होने दें। यह एक ऐसा विधेयक है जो दलगत नीतियों से अलग हट कर है। यह एक ऐसा विधेयक है जो सैद्धान्तिक आधारों से हट कर है। यह एक ऐसा विधेयक है जो वस्तुतः युवजनों की आशाओं-आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और मुझे आशा एवं विश्वास है कि केवल इसी दृष्टिकोण से इस विशेष पहलू पर ध्यान दिया जाएगा।

यह एक और पहलू है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जहां तक कानूनी अधिकारों का सम्बन्ध है, जहां तक अनेक व्यवसायों का सम्बन्ध है, जहाँ तक सम्पत्ति के अधिकारों का सम्बन्ध है, इस देश में सभी व्यस्कों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। केवल राजनीति के क्षेत्र में ही हमें भेदभाव करने की कोशिश क्यों करनी चाहिए ? कानून के क्षेत्र में जो कुछ स्वीकार किया जाता है, मैं चाहूंगा कि उसे चुनाव कानून के क्षेत्र में भी स्वीकार किया जाना चाहिए। सामान्य कानूनी क्षेत्र के मामले में जो होता है, मैं चाहूंगा कि उसी निर्णय को युवजनों को राजनीतिक अधिकार देने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उस दृष्टि से, इस विधेयक को स्वीकार करने में कुछ भी गलत नहीं होगा।

कुछ पश्चिमी देशों में अनेक समाजशास्त्र सम्बन्धी अध्ययन किए गए हैं। मेडिकल एसोसिएशनों ने अध्ययन किए हैं। जो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में रत हैं, उन्होंने भी अध्ययन किए हैं। वे सभी एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। विश्व के विभिन्न भागों में विज्ञान के विकास से, प्रौद्योगिकी की गति से, यह बात स्थापित हो गई है कि समाज में युवजनों की परिपक्वता की स्थिति का भी विकास होता है।

उदाहरणार्थ, यदि आप हमारे देश के बहुत वर्षों पहले के इतिहास तथा पाश्चात्य देशों के बहुत वर्षों पहले के इतिहास पर नजर डालें और यदि आप उस अवस्था में युवकों का बौद्धिक ज्ञान तथा समझ ठीक-ठीक क्या थी तथा अब विज्ञान तथा तकनीकी की प्रगति के साथ उनकी

समझ क्षमता क्या है, इस बात का पता लगाने का प्रयास करें तो आपको मालूम होगा कि परिपक्वता के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक बड़ी भारी प्रगति हुई है। और इसलिए विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ हमें मालूम होता है कि जहां तक नवयुवकों का सम्बन्ध है, परिपक्वता की मात्रा भी बढ़ गई है, इससे यह विशेष तर्क पूर्ण रूप से निष्प्रभावी हो जाता है कि जो 21 वर्ष से कम के हैं वे उनके राजनैतिक निर्णय में अपरिपक्व है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, अनेक देशों में संघर्ष करने पड़े। क्या आप इस देश के नवयुवकों से इस साधारण मांग के लिए आन्दोलन तथा संघर्ष करने की अपेक्षा रखते हैं जो विभिन्न दलगत सिद्धान्तों से ऊपर हैं। नवयुवक हमसे यह प्रश्न अवश्य पूछेंगे। पुरानी पीढ़ी के लोग सदा अनुभव करते हैं। आप सदैव यह कहते हैं कि आपके पास विरासत में प्राप्त कुछ मूल्य हैं। वे सदैव हमें बताते हैं कि 'आप परम्पराओं की बात करते हैं, परन्तु उस नई परम्परा के बारे में क्या है जिसका निर्माण करने के लिये नवयुवक प्रयास कर रहे हैं ?' इसलिए आपको नययुवकों की आकांक्षाओं का आदर करना चाहिए जैसाकि उन्हें पुरानी परम्परा की अच्छी चीजों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें नवयुवकों की कुछ श्रेष्ठ उपलब्धियों को प्राप्त करने तथा सुरक्षित रखने में समर्थ होना चाहिए तथा नवयुवकों के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि उनकी भावनाओं तथा आकांक्षाओं को हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में प्रतिबिम्बित किया जाना चाहिए। तभी राष्ट्र तरुण अवस्था में होगा। हमारी नीतियों में बल आयेगा, हमारी गतिविधियों में गतिशीलता होगी और राष्ट्र नव भारत निर्माण करने के लिये आगे बढ़ने में समर्थ होगा और यही कारण है कि यह विशेष पहलू नितान्त आवश्यक है। श्रीमान्, यह हमेशा कहा जाता है कि कुछ राजनैतिक संस्थाएं, उनके राजनैतिक सम्बन्ध जो भी हों, 18 वर्ष के नवयुवक के लिए मताधिकारों की मांग कर रही हैं। परन्तु यह सच नहीं है। मैं एक दृष्टांत उद्धृत करता हूं। 2 नवम्बर, 1972 को, श्री सी० डी० देशमुख, जो कभी भारत सरकार में वित मंत्री थे, पूना विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में भाषण दे रहे थे और उस भाषण के दौरान उन्होंने 2 नवम्बर, 1972 को 18 वर्ष के नवयुवकों को मताधिकार प्रदान करने की जबरदस्त दलील दी थी और उन्होंने अनेक पाश्चात्य तथा अन्य देशों का उदाहरण भी दिया था और उन्होंने कहा था कि प्रयोग असफल नहीं हुआ है, देश में प्रयोग सफल हुआ है।

श्रीमान्, भौतिक शास्त्र के छात्र की हैसियत से मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि जीवन परीक्षा व भूल है और इसलिये हमें राजनीति में भी परीक्षा तथा भूल करने का प्रयास अवश्य करना चाहिये। संसदीय लोकतंत्र भी परीक्षा और भूल की एक प्रक्रिया है। वे कौन-कौन से देश हैं जिन्हें संसदीय लोकतंत्र में सफलता प्राप्त हुई है ? केवल वे देश हैं जहां विकल्प खुले हैं, जहां विभिन्न राजनैतिक दलों को चुनाव लड़ने की अनुमति है। प्रत्याशियों को स्वतंत्र छूट है और वे एक दल अथवा दूसरे दल का चयन कर सकते हैं। एक समय यह लेबर पार्टी हो सकती है जो ब्रिटेन में शासन करे, दूसरे समय में यह कन्जर्वेटीव पार्टी हो सकती है और फिर लेबर पार्टी की बारी हो सकती है और उस तरह से राजनैतिक मत एक ओर से दूसरी ओर भी भिन्न हो सकता है। जब यह संभव ना हो कि लोग सत्तारूढ़ दल के प्रति यह भावना पैदा करेंगे कि "यदि आप सही ढंग से शासन नहीं करते हो तो आपको उखाड़ फेंकने" की तथा दूसरे दल को सत्तारूढ़ करने की सम्भव ना है तो वह सत्तारूढ दल को अपने नियंत्रण में रखेगी। ठीक यह हमारे देश में घटित हुआ। 1977 में कुछ बात हुई और 1980 में भी कुछ बात हुई। मैं दोनों प्रयोगों

का स्वागत करता हूँ क्योंकि 1977 में जो लोग आपातकाल की ज्यादतियों से पीड़ित हुये उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी से कहा : "आपको सत्ता छोड़नी होगी।" परन्तु जब जनता पार्टी आन्तरिक झगड़ों तथा गड़बड़ी के कारण 5 वर्ष के लिए प्रशासन नहीं चला सकी तो उन्हीं मतदाताओं ने जनता पार्टी को कहा : "आपको भी अवश्य सत्ता छोड़नी चाहिए।" (व्यवधान) जी हां, आप मेरे और अपने लिए मेज पीट रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : 1977 तथा 1980 दोनों के लिए। आपने बहुत अच्छा किया।

प्रो० मधु दण्डवते : या तो शोरगुल दोनों के लिये है या वे एक दूसरे को निष्प्रभावित करते हैं।

इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट किया जाए कि यह परीक्षा और भूल है। ठीक जैसे कि बालिग मताधिकार में, हम देश में मत देने का अधिकार उस ग्रामवासी को भी देते हैं जो अशिक्षित है, नवयुवकों को भी इस बात पर ध्यान देने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने चाहिए कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं कि वे कारगर भूमिका निभाने में समर्थ हैं।

हमारे राजनैतिक जीवन में कुछ विभ्रान्तियां हैं और इस देश में वे योगदान युवा पीढ़ी के बिल्कुल नही हैं। हमारी राजनीति दल-बदल की है, हमारी राजनीति लूटपाट की है, हमारी राजनीति भ्रष्टाचार की है। उसमें ये सब भ्रान्तियां है। मैं कोई प्रतिशोधात्मक कारंवाई नहीं चाहता हूं। मैं किसी महान व्यक्ति का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ परन्तु यह सच है कि यदि आप गत दो या तीन दशकों की पूरी राजनीति पर ध्यान देते तो आपको मालूम होगा कि उसमें ये सब भ्रान्तियां रही हैं। क्या ये नवयुवकों के कारण थी ?

मुझे मालूम हुआ कि हरियाणा राज्य में विधान-मंडल के एक सदस्य ने 13 बार दल-बदल किया।

उपाध्यक्ष महोदय : उस सदन में केवल इतनी बार ही दल-बदल किया जा सकता था।

प्रो० मधु दंडवते : किसी ने मुझसे पूछा कि 13 बार दल बदले, दो बार दल बदलने और तीन बार दल बदलने के बाद भी उन्हें फिर क्यों निर्वाचित किया गया था ? सम्भवतः मत-दाता यह जानना चाहते थे कि क्या वह उच्चतम रिकार्ड तोड़ सकता है।

जो भी हो, उसमें ये भ्रान्तियां हैं, और वे दलों से ऊपर हैं यहां तक कि उन सरकारों में दल-बदल हुई जिनमें पिछले दिनों हम थे। कांग्रेस पार्टी में दल-बदल हुई थी। कांग्रेस (आई), कांग्रेस (ओ), सोशलिस्ट पार्टी तथा स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी, कोई भी दल ले लीजिए, उनमें दल-बदल हुई। निसंदेह मैं कह सकता हूं कि इस देश में वामपंथी दल इसका अपवाद है। परन्तु जब कभी मैं उसका उल्लेख करता हूं तो कुछ लोग इसको पसन्द नहीं करते हैं, परन्तु यह सच है। संभवतः यह उनके कठोर अनुशासन के कारण है। अन्यथा, कोई भी दल हो उसमें दल-बदल हुये हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : हरियाणा का अपना इतिहास है। अब सारी सरकार ने दल-बदल किया है।

प्रो० मधु दंडवते : ठीक जैसे अर्थ-व्यवस्था में लघु उद्योग और भारी उद्योग है वैसे दल-बदल के मामले में भी लघु दल-बदल और भारी दल-बदल हैं। मैं इसको व्यापार में राजनैतिक वफादारी के नाम से पुकारता हूं और इसमें खुदरा तथा थोक व्यापार है।

इसलिए, आपको ये सभी भ्रान्तियां तथा गलतियां मिलेगी परन्तु देश में उनको नवयुवकों द्वारा नहीं लाया गया है। इसलिये इस देश के नवयुवकों को क्यों सारा दोष देने का प्रयास किया जाये और कुछ काल्पनिक भय पैदा किया जाये कि यदि उन्हें सामने लाया गया तो राजनैतिक वातावरण दूषित हो जाएगा, कि उसमें अधिक अपरिपक्वता आ जाएगी और राजनीति को अधिक नुकसान हो जाएगा ? अब और अधिक नुकसान क्या होगा ? और नीचे जाने का प्रश्न नहीं है, हम पहले ही नीचे जा चुके हैं। इसलिये हमें इस देश के नवयुवकों पर संदेह नहीं करना चाहिए और हमें उनमें अधिक विश्वास रखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे प्रेम करने से प्रेम होता है वैसे ही विश्वास करने से विश्वास पैदा होता है। यदि हम नवयुवक में विश्वास रखने का प्रयास करते हैं तो मुझे विश्वास है कि इस देश के नवयुवकों में इसके सदृश होने की क्षमता है। यदि ऐसा हो जाता है तो मुझे किंचित मात्र भी सन्देह नहीं है कि हम अपने देश में संसदीय लोकतन्त्र में प्रयोग को भारी रूप से सफल बनाने में समर्थ होंगे।

अन्ततः, जब हम नवयुवक की भूमिका के बारे में सोचते हैं तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यह संसदीय संस्थाओं में केवल भागीदारी नहीं है। उनके लिये अनेक क्षेत्र खुले हैं—विज्ञान का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र, नौकरियों का क्षेत्र; सेना, अनुसंधान क्षेत्र आदि। इन सब क्षेत्रों में आप देखेंगे कि उनके लिये द्वार खुले हैं। यह मेरा अनुभव रहा है कि जब कभी भी नवयुवकों के लिये द्वार खुले रहते हैं तो वे अपने आप जिम्मेदारी की भावना समझते हैं और इसलिये यदि नवयुवकों को अपनी स्वतंत्र इच्छा अपनी छूट की सरकार के साथ चाहे राज्य स्तर पर हो या केन्द्र स्तर पर, भाव व्यक्त करने की जिम्मेवारी दी जाती है तो मुझे विश्वास है कि देश को न केवल नुकसान होगा बल्कि रचनात्मक सेवायें की जायेगी और नवयुवकों की आशायें तथा आकांक्षायें देश के प्रशासन में तथा देश की सरकार में प्रतिबिम्बित होंगी। उसी परिप्रेक्ष्य में ही मैं यह विधेयक लाया हूँ।

इस विधेयक के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों में मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमें संविधान में संशोधन करने का प्रयास करना है, यह अनुच्छेद 326 है, जिसमें मूलभूत रूप से संशोधन करना है और इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 19 में भी थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं एक और उप-धारा के जोड़ने का सुझाव दे रहा हूं। संविधान में इस संशोधन से एक नया अध्याय खुलेगा और नवयुवकों को मताधिकार प्राप्त हो जाएगा और देश में पहली बार नवयुवक वयोवृद्ध नेताओं की तरह महसूस करेंगे। विश्व के विभिन्न भागों में—उनमें कुछ पूंजीवादी देश हैं, कुछ साम्यवादी तो कुछ समाजवादी देश हैं, और कुछ ऐसे देश भी हैं जिनकी अर्थ-व्यवस्था सैद्धांतिक विचारों को छोड़ कर सहकारिता पर आधारित है, अनेक देशों ने नवयुवकों को विश्वास में लिया तथा उनके यौवन पर विश्वास रखा है और मुझे आशा और विश्वास है कि वही बात इस देश में भी होगी।

मुझसे अभी एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा। "क्या आप इस तथ्य से अवगत हैं कि प० बंगाल विधान सभा ने मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देने वाला एक

कानून बनाया था । केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं अपितु सम्भवत: केरल, आंध्र-प्रदेश, महाराष्ट्र तथा अन्य अनेक राज्यों में स्थानीय निकायों के लिए चुनावों में आयु पहले ही 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है । मैं आपको अपने ही अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों में जहां कहीं भी युवा वर्ग के लोग आये हैं, उन्होंने स्थानीय निकायों को बिगाड़ा नहीं है। अपितु इसके दूसरी ओर उन निकायों में नया जोश तथा गतिशीलता देखने को मिली है । यदि स्थानीय स्तर पर ऐसा हो सकता है तो फिर भला हम यदि केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर भी ऐसा नहीं कर सकते तो हमारा गांधीवादी मूल्यों तथा गांधीवादी विचार धारा पर आधारित विकेन्द्रीयकरण का लक्ष्य सारहीन रह जायेगा। प्रशासन के निचले स्तर पर तथा स्थानीय स्तर पर जो कुछ हुआ है, वह अधिक महत्वपूर्ण है । अगर वहां का हमारा अनुभव अच्छा रहा है तो केन्द्र तथा राज्य स्तर पर भी हमारा अनुभव अच्छा ही रह सकता है । अत: मैं आशा करता हूँ कि सदन में इस विधेयक पर विभाजन नहीं होगा । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं तथा विशेष रूप से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि वह इसे स्वीकार कर लें क्योंकि मुझे मालूम है कि अन्त में वह यही कहेंगे कि मैं विधेयक में निहित भावना को स्वीकार करते हुये भी उसे अस्वीकार करता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपने इसकी पूर्व कल्पना क्यों करती है··· (व्यवधान)

**प्रो० मधु दण्डवते :** मैं उसी वाक्य को नहीं दोहराना चाहता···(व्यवधान) मान लो हमने कुछ गलत किया हो तो उसका अनुसरण नहीं किया जाना चाहिये ।

मैं यही कह रहा था कि मैं मन्त्री महोदय से यह आशा नहीं करता कि जब वह चर्चा का उत्तर दें तो वह कहें, "मैं विधेयक की भावना का स्वागत करता हूं परन्तु विधेयक को अस्वीकार करता हूं ।" मैं मंत्री महोदय से इस वाक्य की आशा नहीं करता । इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूं ।

**श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) :** उपाध्यक्ष महोदय, प्रो० मधु दण्डवते द्वारा जो संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं । भारत के नागरिकों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अन्य सभी कृत्यों के लिए परिपक्व समझा जाता है परन्तु अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए नहीं । यह बहुत ही हास्यापद लगता है । वे देश के भाग्य का निर्णय करने सम्बंधी दायित्व को उठा पाने के पूर्ण योग्य है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले मेरे राज्य कोचीन में, जोकि राजाओं का राज्य था वहां मतदान का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को दिया गया था जो कि करदाता थे । महाराजा द्वारा अधिकांश लोगों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था । इसी प्रकार अब जो लोग सभा में हैं वह भारत के अधिकांश नागरिकों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित रख रहे हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह देश के युवकों के साथ अन्याय है । इससे देश के युवकों में असंतोष फैलेगा और देश के युवकों में विखण्डता की भावना उत्पन्न होगी ।

जैसा कि प्रो० मधु दंडवते ने बताया कुछ राज्य सरकारों जैसे कि पश्चिम बंगाल, केरल आदि में पंचायतों, नगरपालिकाओं, नगर निगमों तथा जिला परिषदों आदि के लिए मतदान

आयु पहले ही 18 वर्ष कर दी गई है। बिहार तथा कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसा ही किया गया है। इसलिए हमें लोगों को इस वैद्य अधिकारी से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है यद्यपि हमें स्वतन्त्रता प्राप्त किये 33 वर्ष का समय हो गया है।

एक बार फिर मैं विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

**श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी)** : श्रीमान जी, प्रो० मधु दण्डवते द्वारा जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने विधेयक की विषय वस्तु पर न्यायक रूप से चर्चा की है।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता परन्तु मैं केवल दो या तीन बातें और कहना हूं। मैं समझता हूं कि यह विधेयक सरकार द्वारा बहुत पहले ही लाया जाना चाहिये था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अब 33 वर्ष व्यतीत हो गये हैं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक विशेष के सम्बन्ध में किसी प्रकार की दो राय नहीं हो सकतीं। इसलिए मैं सम्पूर्ण सदन के समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक विशेष के सम्बंध में हमें दल-गत सम्बंधों से ऊपर उठ कर, अनुच्छेद 326 का संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करना चाहिये ताकि ऐसा न हो कि देश के युवक इस विषय को लेकर आंदोलन का रास्ता अपना लें। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि देश की अनेक युवा संस्थाओं ने प्रस्ताव पारित किये हैं और सरकार से अनुरोध किया है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी जाये। इसलिये मैं यह समझता हूं कि प्रो० मधु दण्डवते द्वारा यह विधेयक बहुत उपयुक्त समय पर लाया गया है और अब इस बात का निर्णय करना हमारे हाथ में है कि देश के युवकों द्वारा हाल ही में जो प्रस्ताव पारित किये गये हैं तथा उनके माध्यम से हमारे समक्ष जो भावाभिव्यक्ति की गई है, हम उसका स्वागत करना चाहते हैं या नहीं।

प्रस्तुत विधेयक का सम्बन्ध अनुच्छेद 326 में संशोधन करने से है और अनुच्छेद 326 में ही 'बालिग' शब्द का उल्लेख किया गया है। इसी अनुच्छेद के अगले भाग में 'बालिग' शब्द की व्याख्या में बताया गया है कि 'बालिग' का सरोकार उस व्यक्ति से है जिसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी हो।

मैंने अनुच्छेद 189 'ख' के सम्बन्ध में संविधान सभा में हुई चर्चा का अध्ययन किया है। हमारे संविधान-निर्माताओं द्वारा इस विषय पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई थी कि बालिग व्यक्ति की आयु 21 वर्ष मानी जाये या 18 वर्ष। डा० अम्बेदकर ने संशोधन प्रस्तुत किया तथा उसे शीघ्र ही बिना किसी प्रकार की चर्चा के स्वीकार कर लिया गया। प्रो० मधु दंडवते द्वारा जो तर्क दिये गये है, उन्हें दृष्टिगत रखते हुये, अब समय आ गया है जबकि हमें इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिये। उन्होंने यूरोप, एशिया, पूंजीवादी तथा समाजवादी अनेक ऐसे देशों का उल्लेख किया है जहां कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर मतादान का अधिकार दे दिया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में अपने 3 पड़ोसी देशों श्रीलंका, पाकिस्तान तथा बंगलादेश का उल्लेख करना चाहूंगा। यदि विशेष रूप से इसी तथ्य पर विचार करें कि हमारे तीनों पड़ोसी देशों ने—जिनमें से दो तो हमारे ही देश का अंग थे—मतदान की आयु 18 वर्ष रखी हुई है और वह 18 वर्ष के युवक को 'बालिग' मानते हैं, तो फिर हमारे देश में 18 वर्ष

की आयु वाले व्यक्ति को 'बालिग' क्यों न माना जाये ? मैं समझता हूं हम उन्हें इस अधिकार से वंचित करके उनका अपमान कर रहे हैं । अब तक हम जो करते रहे हैं, उसमें संशोधन करने का अवसर हमारे समक्ष है ।

हमें एक ओर अमृतसर तथा दूसरी ओर लाहौर में रहने वाले—जिनके बीच केवल 30 किलोमीटर का अन्तर है—बंगला देश की सीमा के पूर्व की ओर तथा सीमा के पश्चिमी ओर रहने वाले युवकों का उदाहरण लेना चाहिये । पश्चिमी सीमा की ओर रहने वाले व्यक्ति को मतदान का अधिकार इसलिए प्राप्त नहीं है क्योंकि उसे राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व नहीं समझा जाता जबकि दूसरी ओर रहने वाले युवक को मतदान का अधिकार उपलब्ध है ।

इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया था—यद्यपि बाद में इसमें अन्य सदस्यों द्वारा संशोधन किया गया—कि जब तक किसी व्यक्ति की आयु 21 वर्ष नहीं हो जाती तब तक उसे राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व नहीं माना जा सकता । मैं आपको अपने राज्य महाराष्ट्र के कानून के बारे में ही बताना चाहता हूँ । 1960 में जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम बनाया गया था और उससे पूर्व नगरपालिका अधिनियम था और इन अधिनियमों के अन्तर्गत जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो जाती हो, उसे मतदान का अधिकार दे दिया जाता है । मेरा निवेदन यह है कि जब 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर राजनीतिक दृष्टि से किसी व्यक्ति को जिला परिषद या नगरपालिका के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो मुझे समझ नहीं आता कि उसी व्यक्ति को जब संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य का चुनाव करना होता है, तो उसे इस योग्य क्यों नहीं माना जाता । यह तो कोई तर्क नहीं है । हमारे पास इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश के युवकों ने स्थानीय निकायों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करके अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है ।

इसके अतिरिक्त 1875 से ही हमारे देश में 18 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 'बालिग' करार दिया जाता रहा है । हमारे यहां भारतीय बहुसंख्यक अधिनियम है जिसके अन्तर्गत प्रावधान है कि अभिभावक तथा आश्रित अधिनियम के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति के अभिभावक की नियुक्ति न की गई हो और उसकी सम्पत्ति किसी न्यायालय के संरक्षण में न रखी गई हो, उस व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर बालिग करार किया जायेगा । अतः कानून में समानता होनी चाहिये । अन्य कार्यों के लिए जैसे कि मुकदमे के लिए, वैवाहिक निर्णयों के लिए तथा बैंकों में खाते चलाने के लिये हम 18 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को बालिग मानते हैं परन्तु केवल राजनीतिक दृष्टि से —वह भी केवल संसद तथा विधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिये—उन्हें 'बालिग' नहीं माना जाता । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तर्कसंगत नहीं है । इसके अतिरिक्त यह पक्षपातपूर्ण भी है ।

अतः केन्द्रीय सरकार के कानूनों में समानता लाने की दृष्टि से भी मैं इस संशोधन को पूर्णतया अनिवार्य समझता हूँ। इन परिस्थितियों में, मैं समझता हूँ कि हमें दलगत सम्बन्धों से ऊपर 36 कर, यह विधेयक को सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और मैं इस विधेयक विशेष का भरपूर समर्थन करता हूं ।

*श्री के० अर्जुनन (धर्मपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं द्राविड़ मुनेत्र कषगम दल की ओर से, प्रो० मधु दण्डवते द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में अति आवश्यक संशोधन करने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूँ जिसके अनुसार मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का प्रस्ताव है। मैं इस विधेयक का भरपूर समर्थन करता हूँ।

वित्तीय मामलों से सम्बद्ध न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत न्यायालयों में 18 वर्ष की आयु को ही 'बालिग' करार किया जाता है। जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो जाती है, उसके हस्ताक्षरों को मान्यता प्रदान कर दी जाती है क्योंकि उसे बालिग माना जाता है। परन्तु हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 के अन्तर्गत, जिससे कि अन्य सभी प्रकार के कानून बनाये जाते हैं, उस में मतदान की आयु 21 वर्ष रखी गई है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मताधिकार प्राप्त करने के लिए 21 वर्ष की आयु रखी गई है। क्या यह देश के युवकों के प्रति अन्याय नहीं है ? यह और भी अधिक निन्दनीय बात है कि इस अन्याय को हमारे संविधान का संरक्षण प्राप्त है।

मैं कुछ ऐसे आंकडों को प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनका प्रकाशन प्रत्येक आम चुनाव के बाद किया जाता है। आंकड़ों में बताया गया है कि हमारे देश की जनसंख्या 65 करोड़ है और इनमें से 36 करोड़ लोग मतदाता हैं। इन 36 करोड़ मतदाताओं में से केवल 20 करोड़ लोगों ने ही हाल ही के आम चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग किया है। इससे साफ प्रकट होता है कि हाल के चुनावों में 30% से कम मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। उन 16 करोड़ मतदाताओं, जिन्होंने मतदान नहीं किया, की उदासीनता सम्बन्धी ब्यौरे में जाने का समय नहीं है। परन्तु इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि उन्होंने देश की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। यदि यह स्थिति बनी रही तो हमारे देश में लोक तंत्र की जड़ें मजबूत नहीं होंगी। कई बार यह आरोप सुनने को मिले कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों ने मतदान किया है। मंत्री महोदय इस आरोप का खण्डन नहीं कर सकते क्योंकि देश के बहुत से उत्तरदायी व्यक्तियों के सामने ऐसे उदाहरण आये हैं।

इस अवसर पर मैं चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति चालू करने की आवश्यकता के बारे में अरिगनर अन्ना के तर्क का उल्लेख करना चाहता हूं। 1977 के निर्वाचन में अन्ना-द्रमुक ने 52 लाख मत लेकर 126 स्थान प्राप्त किये और द्रमुक ने 52 लाख मतों से केवल 48 स्थान प्राप्त किये। 1980 के चुनाव में अन्ना द्रमुक मोर्चे ने 92 लाख मतों से 165 स्थान प्राप्त किये और द्रमुक कांग्रेस (आई) मोर्चे ने 86 लाख मतों से केवल 69 स्थान प्राप्त किये। 96 स्थानों के लिए केवल 6 लाख मतों का अन्तर है। इसलिए अरिगनर अन्ना चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति आरम्भ किये जाने पर जोर दिया करते थे।

देश में हाल के सफल युवा आन्दोलन के प्रेरणा स्रोत श्री संजय गांधी थे। कई राज्यों में कई युवक मुख्य मंत्री बन गये हैं। उनके विचारों को क्रियान्वित करने के लिए, उनके स्वप्न को वास्तविकता में बदलने के लिए सरकार को मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की उचित मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि श्री मधु दण्डवते के इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह श्री संजय गांधी के प्रति उचित श्रद्धांजलि होगी।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

18 वर्ष की आयु तक, युवकों को हमारे इतिहास, विज्ञान आदि का आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है क्योंकि तब तक वे विश्वविद्यालय में प्रवेश कर लेते हैं। उन्हें चोचे आश्वासनों से लुभाया नहीं जा सकता। द्रमुक नेता कालिजम करुणानिधि पहले व्यक्ति हैं जो दीर्घकाल से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने पर जोर दे रहे हैं। द्रमुक सदस्य श्री कन्डप्पन ने चौथी लोक सभा में तथा श्री विश्वनायन ने पांचवीं लोक सभा में मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने पर की आवश्यकता पर जोर दिया। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना आवश्यक तथा न्यायसंगत है। अनुमान है कि 18 करोड़ युवक 18 वर्ष के हो गये हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है कि उन्हें देश के राजनीतिक जीवन के साथ सम्बद्ध किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ तथा इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

*श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रो० मधु दंडवते द्वारा रखे गये संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ। थोड़े से समय में मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूं।

प्रारम्भ में मैं तीन तर्क देना चाहता हूँ जिनके आधार पर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक पुराने विचारों को समाप्त करेगा। दूसरे, यह विधेयक हमारे लोकतंत्र को दृढ़ आधार तथा व्यापक समर्थन देगा। राजनीतिक क्षेत्र में विधेयक प्रेरक शक्ति सिद्ध होगा। इससे अपार उत्साह पैदा होगा तथा नये अवसर उपलब्ध होंगे। संविधान का निर्माण संविधान सभा ने 1947 में 1950 के बीच किया। इस अवधि के दौरान युवकों को मतदान का अधिकार देने का मामला वाद-विवाद/गोष्ठियों का विषय रहा। वयस्क मताधिकार का पक्ष लेने वालों को प्रगतिशील माना गया। संविधान निर्माताओं ने उस समय के जनमत को ध्यान में रखते हुए 21 वर्ष की आयु निर्धारित की। ती दशक बीत गये हैं। युवा पीढी अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हो गई है और उसका यह आग्रह है कि उसको अपने राजनैतिक अधिकार मिलने चाहिए तथा निश्चय ही उनके मन्तव्य को समझा जा सकता है। इस बारे में विश्व में बहुत पहले प्रयत्न हुए तथा 30 से अधिक देश 18 वर्ष के युवक युवतियों को मतदान का अधिकार दे चुके हैं। कई ऐसे देश जिनके नामों से हम परिचित नहीं हैं, जो 18 वर्ष के बालक/बालिकाओं को मतदान का अधिकार दे चुके है। जब इस बिचार को विश्व स्वीकार कर चुका है, फिर भारत पीछे क्यों रहे। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसे अन्य राष्ट्रों का अनुकरण नहीं करना चाहिए बल्कि उनका नेतृत्व करना चाहिए। नये प्रगतिशील विचार अवश्य स्वीकार किये जाने चाहिए। 30 देश हमसे आगे निकल गये हैं। हमें देखना चाहिए कि कोई और देश संविधान में मतदान की आयु 18 वर्ष करने में हमसे आगे न बढ़ सके। यदि यह व्यवस्था की जाती है तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि भारतीय लोकतंत्र दृढ़ आधार पर खड़ा होगा। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो 1985 में निर्वाचन सूची में 8 करोड़ युवा मतदाताओं के नामों की वृद्धि होगी। परन्तु इससे कोई अधिक हानि नहीं होगी। जो लोग यथास्थिति में विश्वास करते हैं वे लोग प्रो० दंडवते के प्रगतिशील विधेयक को पसंद नहीं करेंगे। मैं नहीं समझता कि

*मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मतदान सूची में 8 करोड़ नामों की वृद्धि करने से कोई वित्तीय भार बढ़ेगा। जो लोग लोकतंत्री ढ़ग से क्रान्ति का स्वप्न लेते हैं उन्हें इस विधेयक का विरोध नहीं करना चाहिए। श्रीमान् 18 वर्ष के तरुण/तरुणियों को नगरपालिका, निगम के चुनाव में मत देने का अधिकार हैं। जब 18 वर्ष के मतदाताओं को नगर पालिका तथा निगमों के चुनाव में मतदान का अधिकार है तब उन्हें लोक सभा तथा विधान सभाओं के चुनाव में भाग लेने से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। इससे युवा वर्ग में हीनता के भाव पैदा होंगे। हमारा यह कर्तव्य है कि उनमें ऐसे भाव पैदा न हों। युवकों को अपने दायित्व के प्रति सजग बनाने तथा उनमें नया उत्साह भरने के लिए यह व्यवस्था आवश्यक है। इस उद्देश्य से नई योजनायें बनानी चाहिए।

18 वर्ष का युवक सेना में लिया जा सकता है और राइफ़ल चलानी सीख सकता है, परन्तु मतपेटी में अपना मत नहीं दे सकता। क्या मत अधिक महत्वपूर्ण है अथवा गोली? लोकतंत्र में मत अधिक महत्वपूर्ण है, न कि गोली? यदि इस संदर्भ में आप परिपक्वता की बात करें तो वर्तमान पीढ़ी में वृद्धों की अपेक्षा तरुणों में अधिक राजनीतिक सजगता एवं परिपक्वता हैं। निर्वाचन के समय युवा व्यक्ति अपने माता पिता से इस पर तर्क करते है तथा वे लोग इनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते। हमारा दृढ़ विश्वास है कि ये युवक जिन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिला, राजनीति को भली प्रकार समझते हैं।

मैं एक सुझाव के साथ अपने भाषण को समाप्त करता हूं। संविधान के अनुच्छेद 326 में मतदाता की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई हैं। मैं अनुभव करता हूं कि निर्वाचन में खड़ा होने के लिए अधिकतम आयु निर्धारित की जानी चाहिए। हम देखते हैं कि 65-70 वर्ष के व्यक्ति भी चुनाव लड़ते हैं। मैं इस सभा में किसी भी प्रौढ़ व्यक्ति को अपमानित नहीं करना चाहता। श्रीमान, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु 65 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार संसद सदस्यों के लिए भी वही आयु निर्धारित की जानी चाहिए। उक्त आयु प्राप्त होने पर उन्हें सदस्यता त्याग देनी चाहिए तथा अपने राजनीतिक अनुभवों के आधार पर जनता की सेवा का कार्य करना चाहिए तथा उनको शिक्षित करना चाहिए। लोक सभा के लिए आयु सीमा 65 वर्ष तथा विधान सभा के लिए 60 वर्ष होनी चाहिए।

मैं दृढ़तापूर्वक निवेदन करता हूं कि इस प्रावधान को स्वीकार किया जाये। मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ज़ेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : श्रीमान, मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं। मताधिकार एवं मतदान आयु सम्बन्धी देश-विदेश में हुए विकास के कारण मैं इसका समर्थन कर रहा हूं।

जैसा कि कई अन्य सदस्यों ने उल्लेख किया है, पहले मताधिकार केवल भूस्वामियों एवं समृद्ध लोगों तक सीमित थे। बाद में उन्हें बदल कर आम लोगों को उपलब्ध कर दिया गया। उसी प्रकार मताधिकार में भी परिवर्तन हुआ। यह सब कुछ एक विकास प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न हुआ मुझे खुशी है कि प्रो० दण्डवते ने यह विधेयक पेश किया है।

उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में उन्होंने इसके कारण बताये हैं तथा निवेदन किया है कि अनुच्छेद 19 और 326 में संशोधन किया जाए। परन्तु मेरे मन में एक संदेह है। वह यह है

कि उन्होंने उद्देश्यों और कारणों के कथन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने का उल्लेख नहीं किया है। मुझे प्रो० दण्डवते ने बताया कि एक बार अनुच्छेद संशोधित हो जाने के बाद उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भी, इसके लिए आधार और कारण बताते हुए उन्होंने बताया कि कतिपय पहले आन्दोलनों द्वारा युवकों को मान्यता मिलने में बढ़ावा मिला। उन्होंने श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा 1971 में सम्पूर्ण क्रान्ति के उद्देश्य से शुरू किये गये उस आन्दोलन का भी उल्लेख किया जिससे राष्ट्र में अव्यवस्था फैल गई। उस प्रकार के दृष्टिकोण तथा युवकों के उस तरह उपयोग में लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के युवकों ने महत्वपूर्ण तथा निर्णयात्मक भूमिका निभाई है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा युवकों तथा उस समय के शिक्षितों के नाम 'यंग इंडिया' में प्रकाशित अपीलों एवं लेखों पर ध्यान दें। ये इस समय अत्यन्त संगत है। हम परिवर्तन चाहते हैं। हम चाहते हैं युवा वर्ग आगे आये। यह निर्विवाद है। युवकों ने पिछले ग्राम चुनाव में निर्णयात्मक भूमिका निभायी है। प्रो० दण्डवते ने ध्यान दिलाया है कि युवक कैसे हतोत्साह हो रहे हैं तथा देश को दृढ़ नेतृत्व प्रदान करने का उनका विचार सही है। युवा वर्ग ने देश को उद्धेश्य दिया है परन्तु उसके नेता बिदा हो गये हैं। प्रो० मधु दण्डवते ने श्री संजय गांधी को भावभीनी श्रद्धाञ्जलि दी है। वह राष्ट्र के युवकों के लिए आदर्श थे। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी दूरदृष्टि, उत्साह एवं शक्ति सदा बनी रहे तथा देश भर में फैले।

श्रीमान, मुझे अपने राज्य केरल पर गर्व है। हमारे राज्य ने स्थानीय चुनावों के लिए संशोधन किया है तथा आयु सीमा 18 कर दी है। आजकल बहुत से युवकों द्वारा अधिकारपूर्ण दायित्व का चमत्कार पूर्ण ढ़ंग से निभाया जाना कम ही देखने को मिलता है। यह बात हमारी आत्मा को चुभती है। उनको समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। युवा वर्ग भारत की गतिशील आत्मा है तथा राष्ट्र को प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए मैं पूरी शक्ति से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे उम्मीद है मन्त्री महोदय इस अपील पर विचार करेंगे तथा समुचित वक्तव्य देंगे। धन्यवाद।

**श्री विजय कुमार यादव : (नालन्दा)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कांस्टीट्यूशनल अमेन्डमेन्ट बिल को पुर-जोर समर्थन करता हूँ लेकिन इस सिलसिले में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं और वह यह है कि प्रोफ़ेसर दण्डवते साहब ने यह जो अमेन्डमेन्ट बिल प्रस्तुत किया है, इससे पहले जब जनता पार्टी की हुकूमत थी तब मैं समझता हूँ उनको यह बड़ा अवसर हासिल था, उस समय लाकर इस बिल को आसानी से पास करा सकते थे। यही बात मैं कांग्रेस के बारे में भी कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब को तो बहुत कम समय मिला, कांग्रेस को काफी समय मिला था और अब फिर कांग्रेस का राज है। मैं इन बातों को इसलिए कहना चाहता हूं कि नौजवानों की ओर से यह मांग इधर चन्द वर्षों से ही चल रही हो, ऐसी बात नहीं है, काफी लम्बे अर्से से नौजवान इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं और उनका यह न्दोलन केवल लिखित मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है, इसके लिए हजारों हजार नौजवानों ने अपने को जेल में रखा है, जो भी शासन रहा है उसके खिलाफ जुलूस, घेराव करके सरकार के दमन और जुल्म का मुकाबला किया है। जनवादी नौजवान संघ ने खास तौर पर इसमें लीड ली है। आज मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि जहां तक पोलिटिकल पार्टीज का सवाल है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो इसका विरोध करती हो। तमाम पार्टियों के लोग इस सवाल पर एक

साथ हैं लेकिन फिर भी जब कानून बनाने की बात आती है तब शासक दल इसे झटका देता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दण्डवते साहब ने एक लम्बी फेहरिस्त कई मुल्कों की दी है। जिन्होंने 18 वर्ष से वोट का अधिकार दे रखा है। लेकिन उसमें उस मुल्क का नाम छूट गया जिसने दुनियां में सबसे पहले 18 साल की उम्र में वोट का अधिकार दिया नौजवानों को, और वह देश है एक समाजवादी देश सोवियत संघ। जैसा कई दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा, यह बात सही है, जहां तक मेच्योरिटी की बात है, एडल्ट कौन है और कौन नहीं, यहां पर उसके लिए दूसरा मापदण्ड रखा गया हैं। इस देश में दूसरे क्षेत्रों के लिए जो कानून बने हुए हैं उनके मुताबिक कोई भी नौजवान 18 वर्ष की उम्र में ही बालिग हो जाता है। आप सी० आर० पी० सी० या दूसरे कानून देखें तो उसमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। जहां-कहीं भी आप देखें, 21 साल से कम उम्र के नौजवानों को मौका मिला हुआ है चाहे वह वकालत का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो अथवा साइंस और टेक्नोलाजी का क्षेत्र हो। 21 वर्ष कम के नौजवान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी हमारे कई माननीय सदस्यों ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि देश के कई सूबों में लोकल बाडीज़ के चुनावों में वोटिंग राइट के लिए 21 साल की उम्र को घटाकर 18 साल कर दिया गया है। वहां पर चुनावों के बाद चाहे पंचायतों के संचालन की बात हो या ब्लाकों में प्रमुख और उप प्रमुख के पद जो सृजित किए गए हैं, उन पर उनके काम करने का जो तरीका है उसमें वे पूरी योग्यता और परिपक्वता से काम कर रहे हैं। कोई वजह नहीं है कि इस तरह का शक पैदा किया जाए कि 18 साल की उम्र में वोटिंग का अधिकार दिया जायेगा, तो उनके अन्दर मैच्योरिटी नहीं आयेगी। जब देश के अन्दर क्रान्ति की बात उठी, हिन्दुस्तान में जब अंग्रेजों का राज था, उस समय जब अंग्रेजों को भगाने का सवाल आया तो हिन्दुस्तान के नौजवानों ने, जिसमें कि 21 साल से कम उम्र के लोग भी थे; उन्होने अंग्रेजों के सामने अपने सीने को खोल दिया था। हम तमाम लोग और जैसा अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा है कि भविष्य नौजवानों के हाथ में है और खास-तौर पर हर जगह यह बात कही जाती है कि आगे आने वाला दिन नौजवानों का होगा। यह बात भी आज पर इन्हें वाजिब राजनैतिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। एक लम्बे अर्से से कही जा रही है। मैं समझता हूं कि यह अपोच्युंन टाइम है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए और पूरी एकताबद्ध होकर यह जो एमेंडमेंट आया है, हम सब लोगों को मिलकर एक राय से पास करना चाहिये और इसको कानून की शक्ल देनी चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ, यह जो अमेंडमेंट बिल आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

**श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय)** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रो० मधु दण्डवते ने जो बिल प्रस्थापित किया है, मैं उनके इस बिल की भावनाओं की कदर करता हूं। यद्यपि, मौजूदा परिस्थिति इसके लिए उपयुक्त नहीं है कि हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, चाहे वह आर्थिक हों या राजनीतिक हो या सामाजिक, ऐसे समय में यह बिल हम लोगों की स्वीकृति के लिए आया है, तो मैं भावनाओं की तो जरूर कदर करती हूं, लेकिन अभी यह उपयुक्त समय बिल की स्वीकृति के लिए नहीं जान पड़ता।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी यह जानते हैं कि हमारा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और हम विदेशियों के पराधीन थे प्रतिकूल स्थितियों से जूझते रहे हैं सैकड़ों वर्षों से, और

जिस समय स्वतंत्रता की लड़ाई हमारे यहां छिड़ी, तो उस लड़ाई में हमारी युवा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा। उस स्वतंत्रता की लड़ाई में अनेक लोगों ने देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। 1942 के आन्दोलन को हम आज भी स्मरण करते हैं और उस आंदोलन में बहुत से ऐसे नौजवान थे, नवयुवक थे, जिनकी जानें चली गयीं। लोगों ने श्री प्रफुल्लचन्द चाकी और खुदीराम बोस का नाम तो सुना ही होगा, ये सब जो नौजवान थे, उनकी उम्र 21-22 साल से कम की थी······(व्यवधान) ······मैं कह रही थी कि युवाशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतनी कुर्बानियों के बाद हमें हमारी स्वतंत्रता मिली, तो हमें हमारे मौलिक अधिकार मिले और खुशी की बात है कि हमारे हिन्दुस्तान में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिला।

आज हम विज्ञान के युग में हे और इस युग में भी बहुत से ऐसे देश हैं, जहां महिलाओं को मतदान देने का अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि युवा शक्ति का संतुलन करना बहुत आवश्यक है और उनका योगदान भी आवश्यक है। प्रजातंत्र में मतदान का बहुत महत्व होता है और उसकी कीमत होती है। मतदान के द्वारा हम एक व्यक्ति का चयन करते हैं, चाहे वह मुखिया का चुनाव हो, चाहे विधान सभा का चुनाव हो या संसद का चुनाव हो। जब एक व्यक्ति का आम लोग चयन करते हैं, तो यह समझते हैं कि जिस व्यक्ति का वह चयन करने जा रहे हैं, मतदान के द्वारा, वह हम लोगों का संसद में प्रतिनिधित्व करेगा और विधान सभा में प्रतिनिधित्व करेगा। तो जो लाखों-लाख व्यक्ति अपने प्रतिनिधित्व का चयन करके भेजते हैं, वे तो मूक रहते हैं और हम उनकी भाषा बन कर और भावना बनकर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। उन लाखों-लाख और हजारों लोगों का ही हम और आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आशाओं और इच्छाओं के प्रतीक बनकर हम यहां बैठते हैं। ऐसे कार्य जो इतना महत्वपूर्ण विषय है, युवाशक्ति का रचनात्मक काम में योगदान होना ही चाहिए।

अभी-अभी कुछ देर पहले माननीय सदस्य, प्रो० मधुदण्डवते ने, जयप्रकाश जी के आंदोलन की चर्चा की, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। वह तोड़-फोड़ की राजनीति थी, वह हमारे नौजवानों को गुमराह करने के लिए आंदोलन था और राजनीतिक दलबन्दी से प्रेरित होकर वह काम किया गया था, जिससे लाखों लोगों एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की क्षति हुई। हमारे देश के बहुत से विद्यार्थी गुमराह हो गए और अपनी पढ़ाई छोड़ दिये। उनका भविष्य अंधकारमय हो गया।

**श्री मूल चन्द डागा :** वह गुमराह क्यों हो गये ?

**श्रीमती कृष्णा साही :** इन लोगों ने गुमराह किया था।

**श्री मूल चन्द डागा :** वह आगे भी गुमराह हो सकता है।

**श्रीमती कृष्णा साही :** इस भावना से प्रेरित हो कर वे नौजवान लड़कों को गलत रास्ते पर लाये। लेकिन जिन लोगों ने देश को आज़द कराया—उनके सामने एक आदर्श था, एक उद्देश्य था और उस आदर्श और उद्देश्य को लेकर उन लोगों ने अपने देश को गुलामी के शिकंजे से छुड़ाया।

इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि हमारी युवा-शक्ति को मतदान का मौका जरूर मिलना चाहिये, लेकिन ऐसे समय में नहीं जब कि हमारे सामने तरह-तरह की चुनौतियां हैं।

मैं इस चीज़ को सरकार के ऊपर छोड़ती हूं—सरकार इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी और इसके लिए अर्थ की व्यवस्था भी सरकार को करनी होगी। आज हमारे सामने आये-दिन तरह-तरह की समस्यायें आ रही हैं, आर्थिक समस्यायें हैं, जो ऐसी स्थिति में सरकार को इसके बारे में प्रशासनिक ढंग से सोचना होगा कि इस के लिये अभी और समय है या नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री मूल चन्द डागा। आपकी इस शर्त पर अनुमति दी जाती है कि जब उत्तर दिया जाता है तब उन्हें उपस्थित रहना चाहिए।

**श्री मूल चन्द डागा (पाली) :** उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक आप लेकर आये हैं, मेरे ख्याल से आप का पूरा संकल्प और पूरा इरादा उसके साथ नहीं है। मैंने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर आप ऐसा चाहते तो आर्टिकल 84 और आर्टिकल 173 में भी संशोधन लाते। मैं यह मान कर चलता हूँ कि आप लोग बड़ी होशियारी से इस बिल को लेकर आये हैं। आर्टिकल 84 और आर्टिकल 173 में भी एज 25 वर्ष हैं। मैं एक बात मानता हूं—जवानों में बूढ़ों-सी संजीदगी चाहिए और बूढ़ों में जवानों-सी उमंग और उत्साह चाहिये। इन दोनों का मेल हो तो बहुत अच्छी बात है। मधु दण्डवते जी यह बात मान लें—आप में जवानों सी उमंग है लेकिन आप उन जवानों की जवानी को गलत रास्ते पर लगाते हैं। आप ने वोट देने का अधिकार तो उनको दे दिया, लेकिन आर्टिकल 84 में जो अधिकार है उस से उनको वंचित कर दिया। आप ने बड़ी होशियारी से कहा कि तुम पार्लियामेंट या विधान सभा के लेक्शन में वोट तो दे सकते हो, लेकिन उन के मेम्बर नहीं बन सकते।...

**श्री आर० के० महालगी :** क्या आप विधेयक के संशोधन का सुझाव दे रहे हैं?

**श्री मूल चन्द डागा :** मैं प्रस्तावक से कहना चाहता हूं कि मेरे द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनःविचार करें।

**श्री आर० के० महालगी :** आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं?

**श्री मूल चन्द डागा :** कृपया ध्यान से सुनिए। इस बारे में कई अधिनियम हैं जैसे भारतीय उत्तराधिकार विधेयक, भारतीय वयस्कता अधिनियम संरक्षक 1875 तथा आश्रित अधिनियम 1890 आदि। इन तमाम एक्ट्स में प्रावधान किया गया है।

मैंने फ्राएड की किताब पढ़ी है—उस में एक बात बड़े अच्छे ढंग से बतलाई गई है। उन्होंने उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है—जब 18 साल का युवक बनता है तो उस में मैच्योरिटी आनी शुरू होती है। 18 साल से 21 साल का पीरियड उस के पूरे डेवेलप होने का पीरियड है। लेकिन इस बिल के द्वारा आप उस कली को फूल की जगह रखना चाहते हैं।

**एक माननीय सदस्य :** यह प्राचीन देश के लिए है।

**श्री मूल चन्द डागा :** मैं आप से इस पर विचार करने को कह रहा हूँ ।

**श्री मूल चन्द डागा :** 18 साल की उम्र के लड़कों को जे० पी० साहब ने आवाज़ दी। लड़के कालिज से बाहर आ गये । यहां पहले चन्द्रप्पन साहब मेम्बर हुआ करते थे, वे भी इस बिल को लाये थे और इस बात को लेकर आये थे कि 18 साल की उम्र वाले को मताधिकार दे दिया । जाय लेकिन 18 साल के अंदर आजकल के जो लड़के हैं……

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं ।

**6.00 म०प०—इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 30 जून, 1980/9 अषाढ़, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।**

मुद्रण : सबीना प्रिंटिंग प्रेस, फरीदाबाद